खण्ड-226, अंक-8
मंगलवार, 23 कार्तिक, शक संवत् 1883
(14 नवम्बर, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 226 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ नवम्बर, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविंद खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३४७

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविंदसहाय, श्री

गोविंदसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथचौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथलहरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री

दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दातारामचौधरी, श्री
दीनदयालु शरण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पन्नेरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मौसीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नगर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १४ नवम्बर, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रूपवानी सिनेमा, इलाहाबाद, में पुलिस द्वारा पिटने से श्री एल्फ्रेड वीरेन्द्र, विद्यार्थी, की मृत्यु

**१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) तथा श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के रूपवानी सिनेमा में २१ अक्तूबर, १९६१ की रात्रि ९ बजे वीरेन्द्र कुमार को जो ८ दर्जे का माडर्न स्कूल का विद्यार्थी था पुलिस द्वारा डंडों से पीटा गया? यदि हां, तो क्यों?

**२--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुलिस द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप उस लड़के की मृत्यु २२ अक्तूबर, १९६१ को मोतीलाल नेहरू अस्पताल में हो गई?

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)--जी हां, ऐसी सूचना है कि डाक्टर घोष माडर्न इन्टरमीडियट कालेज, इलाहाबाद की कक्षा ८ के विद्यार्थी एल्फ्रेड वीरेन्द्र को दिनांक २१-१०-६१ को रूपवानी सिनेमा में एक पुलिस कान्सटेबिल द्वारा डंडे से पीटा गया जिसके फलस्वरूप दिनांक २२-१०-६१ को मोतीलाल नेहरू अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस वाले ने उसको डंडे से क्यों पीटा और उसकी मृत्यु के और क्या कारण थे?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, २१-१०-६१ की रात को दो कांस्टेबिल सिनेमा में गये हुये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर क्यू लगा हुआ था और यह विद्यार्थी क्यू में गड़बड़ी कर रहा था। इस पर कांस्टेबिल ने डंडा मारा जिसके कारण दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस पुलिस वाले द्वारा वह डंडे से पीटा गया, वह ड्यूटी पर था या नहीं?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह ड्यूटी पर नहीं था।

श्री कल्याण चन्द मोहिले--क्या मंत्री जी बतायेंगेकि जिस समय सिनेमा हो रहा था उस समय पीटा गया या बाद में पीटा गया?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सिनेमा शुरू होने से पहले टिकट खरीदते समय पीटा गया ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सिपाहियों ने उस विद्यार्थी को पीटा उनकी थाने से रवानगी की रिपोर्ट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यहां केस नहीं हो रहा है । उसके खिलाफ जो कार्यवाही हुई हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं ।

श्री गौरी शंकर राय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब इस मामले में क्या हो रहा है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जैसे ही सूचना मिली उन दोनों कांस्टेबिलों को सस्पेंड कर दिया गया और उनकी वर्दी जमा करके उनको लाइन भेज दिया गया । उनके खिलाफ ३०८ आई० पी० सी० में मुकदमा कायम हुआ और जब मृत्यु की खबर मालूम हुई तो उसको ३०४ आई० पी० सी० में बदल दिया गया और दोनों कांस्टेबिलों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें बतायेंगे, क्योंकि जबकि ३०२ का केस होना चाहिये तो क्या वजह है कि ३०४ में प्रासीक्यूट किया ?

श्री अध्यक्ष---यह भी एक कानूनी प्रश्न है । आप पाइंट्स मालूम करने की कोशिश करें ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय गृह मंत्री पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर---पोस्ट मार्टम रिपोर्ट इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जब उन सिपाहियों ने लड़के को पीटा, तो उसके बाद उपचार के लिये उसको कहां ले जाया गया ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जिस समय लड़का पीटा गया उस समय यह अहसास नहीं था कि इतनी बड़ी चोट लगी है । वह खुद रिक्शे में बैठ कर अपने घर चला गया । उस की सिस्टर अस्पताल में नर्स है । घर जा कर वह बेहोश हो गया । उसकी सिस्टर उसे अस्पताल ले गयी जहां पर उसकी मृत्यु हो गयी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसके विरोध स्वरूप सिनेमा में स्टूडेंट्स ने डिमांस्ट्रेशन किया था और सिनेमा बन्द हो गया था ?

श्री नवलकिशोर---ऐसी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

न्यायाधीश श्री मुल्ला द्वारा पुलिस की तीव्र आलोचना

३---श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले के श्री मुहम्मद नईम, पुलिस स्टेशन अफसर के विरुद्ध झूठी शहादत तैयार करने के परिणाम स्वरूप आई०पी०सी० की धारा १९५ के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की आज्ञा जारी करने के फलस्वरूप उक्त स्टेशन अफसर द्वारा माफी मांगने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के माननीय जस्टिस मुल्ला ने पुलिस व जुडीशियल अफसरों के विरुद्ध अभी हाल में जो निम्नलिखित रिमार्क्स पास किये हैं उसके सम्बन्ध में उसने क्या कार्यवाही की है ?

"Accepting the apology of the Sub-Inspector, Justice Mulla said 'I say it with all sense of responsibility that there is not a single lawless group in the whole of the country, whole records of crimes is any where near the record of that organized unit which is known as Indian Police '.

Referring to the Police methods of investigation and prosecution, Justice Mulla remarked that there were officers (Police) who make a mockery of law and instead of upholding the law their main task seems to be to commit a breach of law. Unfortunately, their conduct is not looked down upon by most of their superior officers otherwise this type of crime would not be so rampant."

श्री नवलकिशोर---सरकार ने इन स्ट्रक्चर्स का परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश श्री मुल्ला के समक्ष इन्हें खारिज करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु उन्होंने इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अतः सरकार इस मसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिये कार्यवाही कर रही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि माननीय जस्टिस मुल्ला ने अपने उक्त फैसले में जुडीशियल अफसरों के विरुद्ध भी स्ट्रक्चर पास करते हुये फैसले में लिखा है---

'Even judicial officers excepting a few have developed a complacent attitude as if it is a necessary evil and they take no action against this type of crime (fabrication of evidence)."

यदि हां, तो सरकार ने किन-किन स्ट्रक्चरों को खारिज करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था ?

श्री अध्यक्ष---यह आप नया सवाल कर रहे हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम---उस फैसले में जुडीशियल अफसरों के खिलाफ भी स्ट्रक्चर है।

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, चूंकि हमारा सम्बन्ध गृह विभाग से है तो जो स्ट्रक्चर पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध था उसके ऊपर सरकार ने जांच की है। सरकार ने अपील द्वारा इस बात की कोशिश भी की कि जो स्ट्रक्चर जस्टीफाइड नहीं हैं उनको हाईकोर्ट खारिज कर दे, लेकिन जज ने खारिज करने की ऐप्लीकेशन को नामंजूर कर दिया है। गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जांय।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि जिस थानेदार ने यह बात स्वीकार कर ली कि उसने झूठी शहादत पेश करने का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध सरकार ने विभागीय कार्यवाही क्या की है या करने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर---उसको तो उन्होंने माफ ही कर दिया था। जहां तक उनका जनरल स्ट्रक्चर अगेन्स्ट पुलिस है, उसके सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही रेगुलेशन ५०० के अन्तर्गत अपनी जगह पर चल रही है।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं फिर दोहराये देता हूं उसमें कुछ जोड़ कर। क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे जहां तक हाई कोर्ट के सामने मुकदमा पेश था वह तो उसमें सजा दे सकता था, हाई कोर्ट कोई विभागीय कार्यवाही नहीं करता कि जब थानेदार साहब ने स्वीकार कर लिया तो उस अपराध को स्वीकार करने के सिलसिले में पुलिस ऐक्ट और पुलिस कोड के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही की गयी है अथवा की जायगी ? मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं, गोलमोल नहीं।

श्री नवलकिशोर---इसकी निश्चित सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी संक्षिप्त रूप में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जस्टिस मुल्ला ने किन आधारों पर उस प्रार्थना-पत्र को खारिज कर दिया है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, उस जजमेंट की कापी तो इस वक्त नहीं है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जस्टिस मुल्ला ने, जो उनके स्ट्रिक्चर्स को एक्सपंज करने के लिये आवेदन सरकार की ओर से दिया गया था उसको खारिज करते हुये उससे भी सख्त स्ट्रिक्चर सरकार के पुलिस विभाग के ऊपर पास किये हैं ?

श्री नवलकिशोर---जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, उस जजमेंट की कापी मेरे पास अभी नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि माननीय जस्टिस मुल्ला ने जो जजमेंट दिया है उसमें उनके स्ट्रिक्चर्स के किन अंशों के ऊपर अपील करने का सरकार ने निश्चय किया है ? स्ट्रिक्चर्स तो बहुत से हैं ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जो सरकार की तरफ से अपील हुई थी उसकी भी कापी मेरे पास नहीं है । लेकिन उसके अन्दर जो खास चीज थी वह यही थी---

"I say it with all sense of responsibility that there is not a single lawless group in the whole of the country, whose record of crimes is any where near the record of that organised unit which is known as Indian Police."

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि जस्टिस मुल्ला ने जो दुबारा एक्सपंज करने वाली दरख्वास्त थी उसमें अपने इन शब्दों को वापस ले लिया है और उसमें यह कहा है कि सारी इंडियन पुलिस के बारे में उन्होंने नहीं कहा है बल्कि यहां की स्थानीय पुलिस के बारे में कहा है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, इतना मालूम है कि उन्होंने यह कहा है कि मेरा मंशा इंडियन पुलिस से, यू० पी० की पुलिस से था ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो यह कहा है कि जिस दरोगा ने झूठी शहादत तैयार करने के अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है, उसकी जानकारी उनको नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी तत्काल आई० जी० पुलिस को यह आदेश देंगे कि उस दरोगा के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्यवाही होगी विभागीय, वह अवश्य की जायगी ।

श्री हरिराजसिंह, श्री इन्द्रसिंह व श्री जोशी की मृत्यु की जांच

**४---श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या गृह मंत्री को मेरे पत्र सं० १३२/६१, दिनांक २३ मई, १९६१ व सं० २६३/६१, दिनांक ११ अगस्त व सं० २६२/६१, दिनांक ११ अगस्त, १९६१ श्री हरिराज सिंह व इन्द्र सिंह के कत्लों के बाबत हुए हरिराज सिंह की लाश के फोटोग्राफ मिले थे ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जहां पर व जिस ढंग से हरिसिंह की लाश पड़ी मिली, ठीक उसी ढंग से व उसी के पास कुछ दिन बाद एक फोरेस्टर (जोशी जी) की भी लाश पड़ी मिली थी ?

श्री नवलकिशोर---पत्र संख्या २६२/६१ दिनांक ११-८-६१ प्राप्त नहीं हुआ। उसके अतिरिक्त शेष दोनों पत्र जो श्री हरिराज सिंह की दिनांक २९-४-६१ को हुई मृत्यु के संबंध में थे, प्राप्त हुये थे, उन पर आवश्यक जांच के लिए आदेश दिये गये। अब तक की जांच से मामला आत्महत्या का मालूम पड़ता है। सी० आई० डी० द्वारा अभी जांच जारी है।

श्री इन्द्र सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में मुझे कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

श्री हरीश चन्द्र जोशी, फारेस्टर, हल्द्वानी, की मृत्यु श्री हरिराज सिंह की मृत्यु के लगभग ३ माह बाद दिनांक ८-८-६१ को हुई थी। उनका शव उस स्थान से जहां श्री हरिराज सिंह की लाश मिली थी २ फर्लांग के फासले पर मिला था। इस मामले में भी सी० आई० डी० की जांच जारी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो पहला आदमी मारा गया था हरिराज सिंह, उसने २६-२-६१ को एफ० आई० आर० दर्ज कराया था और उसमें कहा था कि मुखराम, अनूपसिंह और दो और आदमियों से उसकी जान का खतरा है। मैंने उस एफ० आई० आर० की कापी संलग्न की थी अपने पत्र के साथ। सरकार ने उसके बारे में क्या जांच की और क्या पता लगा?

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, जो सूचना मेरे पास है वह इस प्रकार है कि मृतक दिनांक २६-२-६१ को सी० आर० पी० सी० की धारा १५१ के अन्तर्गत सिखों का साफा जलाये जाने के फलस्वरूप गिरफ्तार होकर हल्द्वानी हवालात में एक रात बन्द रहे थे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी ने इस सवाल के जवाब को देखने के पहले उस एफ० आई० आर० की नकल को देखने की कृपा की? मैंने उसकी प्रतिलिपि माननीय मंत्री जी को भेजी और यह फोटोग्राफ भी भेजा था, उनको भी भेजा और उनके आई० जी० को भी भेजा और उनसे भेंट भी की। जिस रेलवे ट्रेक में उस आदमी के आत्महत्या करने की बात बतलायी जाती है उसमें न तो गोश्त का एक लोथड़ा निकला और न रक्त की एक बूंद निकली। तो इस पर भी माननीय मंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि आत्म-हत्या का केस था?

श्री अध्यक्ष—एफ० आई० आर० की कापी जो दी गई वह आपने पढ़ी या नहीं, इसका जवाब आप दीजिये।

श्री नवलकिशोर—उसको तो, श्रीमन, मैंने नहीं पढ़ा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि हरिराज सिंह पाल और जोशी जी की रहस्यमय परिस्थिति में जो हत्या हुई है उससे वहां का जनजीवन अत्यन्त आतंकित हो गया है और सी० आई० डी० की जांच में भी देर हो रही है, इससे भी जनता त्रस्त है, तो क्या माननीय मन्त्री जी महीनों से जो इन्क्वायरी हो रही है और उनके पास नहीं पहुंची है उस को जल्द पूरी करायेंगे और वहां के क्षुब्ध वातावरण को शान्त करेंगे?

श्री नवलकिशोर—इस प्रकार की सूचना कि लोग बहुत आतंकित हैं हमारे पास नहीं है। जहां तक सी० आई० डी० की इन्क्वायरी की बात है, उसके लिये कोशिश है कि वह जल्द समाप्त हो।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात कि इसी स्थान से दो फर्लांग के अन्दर एक दूसरे आदमी की लाश रेलवे ट्रेक के पास पाई गई और ठीक उसी परिस्थिति में पाई गई जिस तरह से पहले मृतक की पाई गयी थी और क्या यह भी सही है कि यह जोशी जी उस पहले मृतक की मौत का गवाह था?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, हरिराजसिंह और जोशी जी की मौत की बात मैंने बतलाई। दोनों की मृत्यु एक सी स्थिति में नहीं हुई थी। दोनों लाश रेलवे ट्रेक के ऊपर पाई गई लेकिन एक में तो यह मालूम होता है कि वह शराब पीये हुये था और ट्रेन से गिर गया और गिरने से उसकी मृत्यु हो गई।

दूसरी के सम्बन्ध में यह बताया गया कि वह आत्महत्या से मृत्यु हुई। दोनों की बातें भिन्न-भिन्न हैं। यह बात जरूर है कि रेलवे ट्रेक पर दोनों लाशें पाई गईं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि हरिराज सिंह की बाबत जो आत्महत्या की बात कही जाती है यह सूचना किस अधिकारी के द्वारा दी गई और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा है, यह संक्षिप्त में बतलायेंगे ?

श्री नवलकिशोर---यह सरकम्स्टैन्शियल एविडेन्स की बात है । खुद उन्होंने यही बताया है, जैसे मैंने कहा कि २६--२--६१ को हल्द्वानी जेल में एक रात रहा। दूसरी यह बात है कि १०७ के अन्दर उसका एक मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन था। इन सब बातों को लेकर मृतक बड़ा दुखी रहा करता था और वह यह समझता था कि समाज में बड़ा अपमानित हो रहा है। उसके पिता ने भी बताया कि २८--४--६१ को मृतक रात को काफी देर तक जागता रहा। उसकी यह भी शिकायत थी कि उसके मुकदमे की तरफ काफी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन बातों को लेकर वह समझता था कि जीना बेकार है और ऐसे अपमानित जीवन से मर जाना ही अच्छा है। इस कारण उसने आत्म हत्या कर ली।

श्री गौरीशंकरराय---क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि दोनों मृतकों के सम्बन्ध में ऐसा खयाल है कि कुछ लोगों ने इनको मार डाला और मार कर उनको रेलवे लाइन पर लाकर रख दिया जिससे देखने से ऐसा मालूम हो कि यह आत्महत्या के केस हैं ?

श्री नवलकिशोर---जिन शब्दों में गौरीशंकार राय जी ने प्रश्न किया है ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। मैंने अभी अर्ज किया कि दोनों मामले सी० आई० डी० की इन्क्वायरी में हैं। जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट आयेगी तब पता लगेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब हरिराजसिंह की फोटो मिल गई जिसमें रेलवे ट्रेक का फोटो है और जिसमें रेलवे से कटने की बात कही जाती है तो उस रेलवे ट्रेक में न तो खून के धब्बे थे और न कोई मांस का टुकड़ा ही लगा हुआ था ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, डी० वाई० एस० पी० ने जो घटना स्थल पर जाकर जांच की उससे पता लगा कि रेलवे लाइन के पत्थर के कंकड़ों पर रक्त के दाग लगे हुये थे। खून वहां पर गिर कर जम गया था जिससे मालूम होता था कि कटकर मृत्यु हुई है। जो इंजिन वहां से पहले पास हुआ था जब उसको देखा गया तो उस पर खून की बूंद पड़ी हुई मिली। ड्राइवर ने यह बतलाया कि चूंकि इंजन में हेड लाइट नहीं थी, इसलिये उसको पता नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ या नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैंने यह निवेदन किया था कि क्या माननीय मंत्री जी को हरिराज सिंह के वह फोटो मिले थे जिसको पुलिस ने खींचा था और जिसको मैंने खुद उन के दफ्तर में दिया था और उसमें कहीं खून आदि की बात नहीं है ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)---माननीय मित्र ने दो बार मुझे पत्र लिखा और मुमकिन है कि किसी चिट्ठी के साथ वह फोटो भी इन्क्लोज्ड हों। लेकिन इन फोटुओं को देख कर यहां सचिवालय का कोई अफसर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता था इसलिये वह चिट्ठियां और फोटो आदि मैंने उन्हीं अधिकारियों के पास भेज दिये जो कि तहकीकात कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या डी० वाई० एस० पी० ने यह भी बतलाया है कि उस इंजन पर इतना गहराई में खून था जिससे स्पष्ट होता कि गरदन कट कर मृत्यु हुई है या उसमें थोड़े से खून के बिन्दु ही थे ?

श्री चरण सिंह---डी० वाई० एस० पी० की जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसे पढ़ कर ही इसका उत्तर दिया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता हो तो इसके लिये कोई और तारीख मुकर्रर कर दी जाय।

२५ अप्रैल, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८ के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---अब गृह मंत्री, माननीय मदन पांडेय जी के प्रश्न का संशोधित उत्तर पढ़ेंगे ।

गृह उप-मन्त्री (श्री नवल किशोर)---अध्यक्ष महोदय, दिनांक २५-४-६१ को सर्वश्री मदन पांडेय, दुर्योधन प्रसाद तथा अमरनाथ मिश्र के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देते समय कुछ त्रुटि हो गई थी । उक्त प्रश्न का उत्तर भ्रमवश "जी नहीं" कहा गया था । उसके स्थान पर "जी हां" होना चाहिये । अतः उक्त उत्तर को तदनुसार संशोधित समझा जाय ।

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ५ अप्रैल, १९६१ को राजकीय रोडवेज के एक कंडक्टर को सोनाली थाना, नई कोट, जिला गोरखपुर (भारत भूमि) से नैपाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नौतनवा, जिला गोरखपुर के प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा भेजा गया तार मुख्य मंत्री को ६ या ७ अप्रैल, १९६१ को प्राप्त हुआ ?	जी नहीं ।
संशोधित उत्तर	
जी हां ।	

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[१३-११-६१ (५वें सोमवार) का तारांकित प्रश्न संख्या १० जो माननीय अध्यक्ष के आदेश से स्थगित कर १४-११-६१ के लिये निर्धारित किया गया]

सरकारी डेरियां

*१०---**श्री नन्दकुमारदेव वशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कौन-कौन सरकारी डेरियां कितना-कितना दुग्ध जनता के उपयोग के लिये वितरण करती हैं ?

शिक्षा उप-मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)---केवल एक सरकारी डेरी आगरा में स्थापित हो रही है । अभी उसका निर्माण हो रहा है, अतः इस डेरी द्वारा दुग्ध वितरण का अभी प्रश्न नहीं उठता है ।

इसके अतिरिक्त कुछ सरकारी live stock-cum-agriculture फार्मों से भी दुग्ध वितरण होता है । इनकी सूची संलग्न है । इन फार्मों का उद्देश्य पशु प्रजनन है, न कि दुग्ध वितरण । इतने थोड़े समय में इतनी ही सूचना एकत्रित हो सकी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३७पर)

श्री नन्दकुमारदेव वशिष्ठ---माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दुग्ध वितरण केन्द्रों में से कितने लाभ पर चल रहे हैं और कितने घाटे पर ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि एक दुग्ध वितरण केन्द्र आगरा में स्थापित हो रहा है । जो बाकी हैं वे लाइव स्टाक-कम-एग्रीकल्चर फार्म्स हैं और उनका मुख्य उद्देश्य पशु प्रजनन है और वह दुग्ध का वितरण करते हैं । इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से भी, जैसा मैंने कल बतलाया था, कहीं-कहीं दुग्ध वितरित किया जाता है । इन सोसाइटियों में कुछ लाभ पर चल रही हैं और कुछ हानि पर । १९६०-६१ के बारे में बतला रहा हूं कि लखनऊ और इलाहाबाद में लाभ हुआ है, वाराणसी और कानपुर में हानि हुई है. हल्द्वानी और अल्मोड़े में लाभ हुआ है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि आगरा में जो सरकारी डेरी खुल रही है उसका कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और वह कब तक समाप्त हो जायगा और उसमें देर होने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---आशा है कि वह कार्य तीन महीनों में पूरा हो जायगा और दुग्ध वितरण का कार्य शुरू हो जायगा। कब से वह काम शुरू हुआ है, उस के लिये सूचना चाहिये।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे की सरकारी डेरी कितने रुपये की लागत से खुल रही है और उसमें कितने दुग्ध वितरण की योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कानपुर में जैसा बतलाया गया कि सोसाइटी को हानि हुई है तो इस साल कितनी हानि हुई है और क्या पिछले सालों से भी हानि होती चली आ रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, सन् १९६०-६१ में ५,८०० रुपये की हानि हुई है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---क्या यह सही है कि जिन दुग्धशालाओं में हानि हो रही है वे दूध को ज्यादा कीमत पर बेचती हैं और ज्यादा हैन्डिल करती हैं बनिस्बत उन दुग्धशालाओं के जो लाभ पर चल रही हैं ---जैसे अल्मोड़ा और हलद्वानी आदि ?

श्री रामस्वरूप यादव---उसको तो सहकारी समितियां चलाती हैं। अगर शिकायत है तो उसको उनसे करनी चाहिये। अब अगर वे शिकायत को नहीं सुनते हैं तो सरकार के पास शिकायत आनी चाहिये, सरकार उसको देख सकती है और उचित कार्यवाही कर सकती है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार, इस बात को देखते हुये कि वाराणसी की दुग्धशाला घाटे पर चल रही है, उसके कारणों को पता करने की कोशिश करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सहकारी समिति अपना कार्य कर रही हैं। इस पर्ची-क्यूलर आइटम में लाभ नहीं हो रहा है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उसको देखें। किसी जानकारी करने का प्रश्न तो तब उठेगा जब कोई विशेष शिकायत हमारे पास आवे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

काठगोदाम एक्वेडक्ट टूट जाने के सम्बंध में जांच कमेटी की रिपोर्ट

*१---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि काठ-गोदाम एक्वेडक्ट के पिछले वर्ष अचानक टूट जाने के कारणों की जांच करने के लिये जो कमेटी बैठाई गई थी उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)---जांच कमेटी की रिपोर्ट का सारांश संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३८ पर)

*२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त एक्वेडक्ट का पुर्ननिर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--पूर्ण जांच के पश्चात् यह विदित हुआ है कि इस स्थान पर एक्वेडक्ट बनाना सम्भव नहीं है। इस कारण टूटे हुए एक्वेडक्ट के स्थान पर अब गोलापार नदी के बायें तट पर एक कट व कवर नहर (Cut and cover canal) बनाने का निश्चय किया गया है। इस कार्य को १९६२ की वर्षा के पूर्व समाप्त कर देने की आशा है।

*३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त एक्वेडक्ट के पुनः निर्मित होने के बाद सम्बन्धित गोलापार क्षेत्र में सिंचाई के लिये वह क्या योजना बना रहे हैं?

श्री राममूर्ति--प्रश्न २ के उत्तर में दी गई योजना के अलावा गोलापार क्षेत्र में सिंचाई के लिये और कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस योजना से सिंचाई की वह सब ही सुविधायें प्राप्त होंगी जो गोलापार एक्वेडक्ट से प्राप्त थीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस एक्वेडक्ट के टूटने के संबंध में जो जांच कमेटी बनाई गयी थी उसके सदस्य कौन-कौन थे और क्या उस कमेटी के सामने पुरानी सन् १९१८-१९ की फाइलें भी रखी गयी थीं जिसके अनुसार यह पहला एक्वेडक्ट बना था?

श्री राममूर्ति--उस कमेटी में तीन सदस्य थे--श्री मित्रा, चीफ इंजीनियर, श्री जैन, रीडर, रुड़की यूनिवर्सिटी तथा श्री कोचर, सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर, पी० डब्लू० डी०।

यह एक्वेडक्ट सन् १९१५ में बना था। यह अपनी किस्म का पहला एक्वेडक्ट था। पहले के जमाने से आज के जमाने की इन्जीनियरिंग साइन्स बहुत बढ़ गयी है। यह जो उस समय एक्वेडक्ट बना था वह अपने बोझ, पानी के बोझ, तथा पुल पर चलने वालों के बोझ के विचार से बनाया गया था। उसमें हवा के होरीजेन्टल लोड को सहन करने की शक्ति का ध्यान नहीं रखा गया था। यह रिपोर्ट में कहा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस बात को देखते हुये कि यू० पी० भर में जितने भी एक्वेडक्ट बने हैं वे सब इसी नमूने के हैं, और कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि यह एक्वेडक्ट जो बना था उसमें हवा के होरीजेन्टल लोड को सहन करने की शक्ति नहीं थी, क्या सरकार उनकी कोई जांच टैक्निकल एक्सपर्ट द्वारा करायेगी?

श्री राममूर्ति--सभी एक ही किस्म के हैं, ऐसी बात नहीं है। जो एक्वेडक्ट बने हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो झूले पर नहीं बने हैं। जहां तक उनकी जांच का सवाल है, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ में एक्वेडक्ट न बन सकने के कारण क्या हैं?

श्री राममूर्ति--जब यह एक्वेडक्ट टूट गया तो यह मसला रुड़की रिसर्च इंस्टीट्यूट को रिसर्च के लिये दे दिया गया। उनकी यह राय हुई कि झूले का एक्वेडक्ट बनाने का सवाल इसलिये पदा नहीं होता कि जो फाउंडेशंस हैं वह कमजोर हैं। दूसरे पीयर्स बनाकर एक्वेडक्ट बना दिया जाय, उसके बारे में यह हुआ कि पीयर्स की भी फाउंडेशन कमजोर रहेगी और कनाल की जो वाटर लेविल होगी उस तक और पानी की जो हाई फ्लड लहर आती है, लट्ठे और बोल्डर्स चला करते हैं उसके लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होगी। इस कारण इस किस्म का एक्वेडक्ट बनाने का सवाल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि एक्वेडक्ट न बनने के कारण और नहर बनने के कारण सारे टनकपुर क्षेत्र में और हल्द्वानी में आर-पार जाने के लिये कोई साधन नहीं रहेगा, तो वहां पुल बनवाने के लिये कोई सिफारिश भारत सरकार से करेंगे या कोई व्यवस्था करेंगे जिससे बरसात में लोग आर-पार जा सकें ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग का एक प्रस्ताव है कि जहां पर पहले एक्वेडक्ट बनी हुई थी उसके ऊपर जो बेयर है उस पर एक और फुट ब्रिज बना दिया जाय। मैंने तवज्जह दिलाई है कि बजाय फुट ब्रिज के वह ब्रिज ऐसा बनाया जाय जिससे जीप या लाइट वेहिकिल उस पर जा सके। लेकिन यह मामला जांच में है, अभी फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष, ग्राम सभा, रामनगर, का बम विस्फोट सम्बन्धी आवेदन-पत्र

*४—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या अध्यक्ष, ग्राम सभा, रामनगर थाना खड्डा, जिला देवरिया, ने कोई आवेदन-पत्र बम विस्फोट के संबंध में दिनांक २८ जून, १९६१ को सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। अनुसंधान के पश्चात् चार व्यक्तियों के विरुद्ध धारा ३०७/४३६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत अभियोग-पत्र न्यायालय भेज दिया गया।

*५—**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने उक्त ग्राम के बम विस्फोट का परीक्षण कराया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जैसा कि पूर्व प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया गया है, विस्फोट की उक्त घटना की जांच के बाद ४ व्यक्तियों का चालान कर दिया गया।

नहरी डिवीजनों में फसली कुलाबे लगाने के लिये किसानों से जमानत लेना

*६—**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे आदेश जारी किये गये हैं कि धान की फसल के लिये नहरों में फसली कुलाबे देने के लिये किसानों को २५ रु० प्रति कुलाबा जमानत जमा करना पड़ेगा ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। कुछ नहर डिवीजनों में फसली कुलाबे के लिये नल देते समय काश्तकारों से कुछ जमानत जमा करा लेने की प्रथा है, ताकि काश्तकार नलों को फसल के बाद सरकारी गोदामों में पहुंचा दें। यह जमानत सरकारी नल गोदाम में वापिस आ जाने पर लौटा दी जाती है। इस प्रथा के लिये आदेश केवल अधीक्षक अभियंता, षष्ठम् मंडल, लखनऊ तथा प्रथम खंड, मेरठ, द्वारा स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये दिये गये हैं।

सलारा जल निकास योजना

*७—**श्री रामकुमार वैद्य** (जिला मुरादाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले की अमरोहा तहसील में आने वाले बाढ़ के उस पानी को निकालने के लिये जो बिजनौर की तरफ से आता है सरकार ने कोई कच्चा नाला बनाने की योजना स्वीकार की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—यह सलारा नामक ३४ मील ६ फर्लांग लम्बी जल-निकास योजना है। इसकी अनुमानित लागत ६,३१,५८५ रुपया है तथा इससे १३,२८१ एकड़ क्षेत्र लाभान्वित होने की आशा है। इस पर कार्य आरम्भ हो गया है और १९६२-६३ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

श्री रामकुमार वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस योजना में केवल नाप-तोल ही हुई है या वास्तविक कार्य प्रारम्भ हो गया है ? अगर कार्य प्रारम्भ हो गया है तो वह किस स्थान से प्रारम्भ हुआ है और अब तक उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री राममूर्ति—मैं सही तरीके से नहीं कह सकता । माननीय सदस्य ने फरमाया कि नाप-तौल ही हुई है या काम शुरू हो गया है । यदि डिजाइंस तैयार हो गयी होंगी तो वह भी बड़ा भारी काम है, वह भी काफी है । लेकिन नवम्बर का महीना शुरू हो गया इसलिये मौके पर काम शुरू हो गया होगा ।

श्री रामकुमार वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि इस योजना का जो प्रारूप उनके सन्मुख है उसके अनुसार क्या कोई खेत भी इस नाले के बीच में पड़ रहे हैं ? यदि हां, तो उनको मुआवजा देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री अध्यक्ष—इसे आपने बहुत व्यापक बना दिया, मूल प्रश्न में यह प्रश्न पूछा नहीं गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नाला खोदा जा रहा है जैसा कि एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, उसकी लम्बाई क्या होगी ?

श्री राममूर्ति—वह तो उत्तर में है, ३४ मील ६ फर्लांग ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—यह जो ३४ मील, ६ फर्लांग के बीच में नाला निकलेगा तो इतने लम्बे रकबे में कितने किसान प्रभावित होते हैं ?

श्री राममूर्ति—किसानों की संख्या मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस खेत से यह नाला निकलने वाला है वह पूरी भूमि सरकार ने ले ली है और मुआवजा दे दिया है ?

श्री राममूर्ति—जो जवाब पढ़ा उससे साफ जाहिर है कि जब काम शुरू हो गया है तो जमीन जरूर अक्वायर कर ली गयी होगी और जहां तक मुआवजे का सवाल है वह अक्सर देर में भी पटा करता है ।

सिविल इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ में उपद्रव

*८—**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि १० अगस्त, १९६१ को सिविल इंजीनियरिंग कालेज, लखनऊ, में कोई उपद्रव हुआ जिसमें कई लोग घायल हुये ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री नवलकिशोर—८/९ अगस्त, १९६१ की रात को सिविल इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों में आपस में झगड़ा हुआ था जिसमें आठ विद्यार्थियों को साधारण चोटें आईं । झगड़े का विवरण इस प्रकार है:—

सिविल इंजीनियरिंग कालेज के द्वितीय वर्ष के छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ ८/९ अगस्त की रात को परिचय रात्रि (Introduction Night) मनाने का निश्चय किया । रात्रि में लगभग २ बजे कालेज के छात्रावास में कुछ शोर-गुल हुआ जिसे सुनकर पुलिस कालेज के गेट के पास गई । छात्रावास के अन्दर अशांत वातावरण का आभास पाकर पुलिस के उड़न दस्ते को भी बुला लिया गया । तथाकथित परिचय रात्रि (Introduction Night) मनाने के सिलसिले में प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों में आपस में झगड़ा हुआ जिसके फलस्वरूप आठ छात्रों को साधारण चोटें आईं । उन आठ छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां प्रारम्भिक चिकित्सा के बाद उनको वापस कर दिया गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस इंट्रोडक्शन नाइट में कौन-सी ऐसी चीज हुई, जिसकी वजह से झगड़ा हो गया ?

श्री नवलकिशोर---यह डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि इस तरीके से जो इंट्रोडक्शन्स मनाये जाते हैं, जिनमें झगड़ा हो जाता है, शिक्षा विभाग की ओर से कोई ऐसा सर्कुलर निकालेगी जिससे यह चीज बन्द हो जाय ?

श्री चरणसिंह---स्कूल या कालेजों में इंट्रोडक्शन नाइट्स न मनाई जायं, यह मुख्यतः कार्य है हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स का, गवर्नमेंट बीच में आती नहीं है । लेकिन माननीय मित्र ने एक सुझाव दिया है इस पर हम विचार करेंगे कि इंस्टीट्यूशन्स के मैनेजर्स को मश्विरा दे दिया जाय, लेकिन जैसा मैंने कहा शिक्षा विभाग से इस सिलसिले में मश्विरा करना होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस दुर्घटना के बाद वहां के प्रिंसिपल साहब ने स्थानीय पुलिस से एक्शन लेने का निवेदन किया था, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो दुखित होकर उनको कालेज बन्द करना पड़ा और छुट्टी करनी पड़ी ।

श्री चरणसिंह---२६ जुलाई को भी इंट्रोडक्शन नाइट की इब्तदा हुई थी, मनाई गई थी और यह अन्देशा था कि उसमें झगड़ा हो । मालूम यह हुआ है कि एक टीचर ने प्रिंसिपल साहब को लिखा भी और उसमें नाम भी लिखे कि यह लड़के झगड़ा करने वाले हैं लेकिन प्रिंसिपल साहब ने पुलिस को इत्तला नहीं दी, न कोई इमदाद मांगी और न लड़कों के खिलाफ कोई कार्यवाही की । उन्होंने सिर्फ एक पुलिस गार्ड मांगा जो पुलिस ने देना मुनासिब नहीं समझा और जब झगड़ा हो गया उसके बाद इत्तला दी । इस पर पुलिस ने, चूंकि लड़कों का आपसी मामला है और छोटी-मोटी चोटें आई हैं इसलिये कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा । अब जो लड़के पिटे हैं वह अगर कोई कार्यवाही करना चाहें तो अदालत में कर सकते हैं ।

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूप

*९---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सिंचाई मंत्री दिनांक २३ अगस्त, १९६० के प्रश्न संख्या १२ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना में नये बनने वाले नलकूपों के निर्माण में केवल बिजली वाले स्थान पर ही सरकार नलकूप बनायेगी अथवा पिछड़े हुये क्षेत्र की गरीबी को दूर करने के लिये उन स्थानों को भी नलकूप निर्माणार्थ चुन कर वहां पर बिजली लेने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री राममूर्ति---ऐसे स्थान जो बिजली की लाइन से दूर पड़ते हैं एवं जहां निकट भविष्य में बिजली पहुंचने की संभावना नहीं है, वहां फिलहाल नलकूप बनाने का विचार नहीं है ।

अलीगढ़ जिले की नलकूप योजना

*१०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के ८३ नये नलकूपों में से कितने प्रतिवर्ष क्रमानुसार बनाने की योजना है ?

श्री राममूर्ति---तृतीय पंचवर्षीय योजना में अलीगढ़ जिले में अब केवल ३५ नलकूप ही बनाने का निश्चय किया गया है । उनके निर्माण का वार्षिक अस्थाई (tentative) कार्यक्रम निम्न प्रकार है:---

१९६२-६३	..	१० नलकूप
१९६३-६४	..	१० नलकूप
१९६४-६५	..	१० नलकूप
१९६५-६६	..	५ नलकूप

*११—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—ये नलकूप ब्लाक क्षेत्र के बाहर ही बनेंगे या समग्र विकास क्षेत्र के अन्दर भी बनाये जा सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि इन नलकूपों का निर्माण ब्लाक सीमा के अन्दर या बाहर ही किया जाय। नलकूपों का निर्माण, स्थान की उपयुक्तता पर निर्भर है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन नलकूपों की संख्या ८३ से क्यों घटा दी गई है जबकि अलीगढ़ में पायलेट स्कीम चल रही है ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, तृतीय पंचवर्षीय योजना में १,५०० नलकूप बनाने का इरादा था। लेकिन चूंकि नलकूप योजना सरकार को बहुत नुकसानदेह साबित हुई है इस लिये यह तय किया गया कि केवल ८०० नलकूप ही बनाये जायं। उसी हिसाब से यहां पर ३५ बनाने का इरादा है लेकिन काम की प्रगति को देखते हुये संख्या में तब्दीली भी हो जाया करती है।

गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन कार्यालय, कोटद्वार में मारपीट

*१२—श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को ज्ञात है कि विगत ४ अगस्त, १९५९ को कोटद्वार, जिला गढ़वाल में गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन के कार्यालय के अन्दर घुसकर गुण्डों की एक भारी भीड़ ने अन्तरिम जिला परिषद्, जिला गढ़वाल के कुछ सदस्यों पर हमला किया तथा भारी मारपीट की ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में संबंधित गुण्डों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गौरीशंकर राय—यह प्रश्न २४ अगस्त, ६१ को दिया गया था जिसको ३ माह हो गये। तीन माह में सूचना एकत्र न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, सूचना तो आ गयी है, लेकिन एक बात जिलाधीश लिखना भूल गये और वह यह कि प्रश्न में पूछा गया था कि जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य उसमें थे या नहीं। इसके बारे में जिलाधीश ने कुछ नहीं लिखा। इसीलिये इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा गया। जिलाधीश को यह लिखा जा रहा है कि यह गलती क्यों रही। अगर आप इजाजत दें तो जितनी इत्तला है उसको पढ़ कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री गौरीशंकर राय से) अधूरे उत्तर को भी जान लेने में मेरे खयाल से कोई हर्ज न होगा, क्योंकि फिर तो यह सवाल आ ही न सकेगा।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, इसको परसों-नरसों के लिये रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, इसको परसों के लिये रख दिया जाता है।

[प्रश्न १२, १६ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कालेज, जिला नैनीताल में डीन के पद पर श्री सी० एम० जेकब की नियुक्ति का विरोध

*१३—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के पन्त नगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत सरकार पांच कालेज अगले वर्ष खोलने का विचार कर रही है जिसमें एक कालेज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी खोलने जा रही है ?

श्री नवलकिशोर—एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कालेज जुलाई, १९६२ से शुरू करने का विचार है।

*१४--श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कालेज जो आगे खुलेगा उसके लिये डीन की जगह के लिये पिछले समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई थी ? यदि हां, तो इस स्थान के लिये कितने व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और वह लोग किन-किन प्रदेशों के निवासी थे तथा उनकी क्या-क्या योग्यतायें थीं ?

श्री नवलकिशोर---जी हां । दो व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे जिनके विषय में विस्तृत सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३९ पर)

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---श्रीमन्, यह जो सूची दी गयी है वह पढ़ने में नहीं आती है, अगर उसको माननीय मंत्री जी पढ़ कर सुना दें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष---आप उसकी जानकारी हासिल कर लीजिये । वह बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं उसको पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन दो व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे उनमें से किसको मुकर्रर किया गया ?

श्री नवलकिशोर---जिन दो सज्जनों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे उनके नाम एस० बी० आर्य और सी० एम० जेकब हैं । एक्सपर्ट ओपीनियन के आधार पर श्री सी० एम० जेकब को चुना गया ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि डीन के रखने के लिये जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें जो शर्तें रखी गयी थीं उनको श्री एस० बी० आर्य फुलफिल करते थे लेकिन जिनको रखा गया है वह उसके लिये फिट नहीं थे ?

श्री नवलकिशोर---इसके सिलसिले में, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक बात निवेदन कर दूं कि इस प्रश्न का संबंध ऐग्रीकल्चरल यूनिवरसिटी से है, जो आटोनामस बाडी है । लेकिन चूंकि गृह मंत्री जी ने फैक्ट्स प्रोवाइड करने का आश्वासन दिया था इसलिये वह इनफार्मेशन दे दी गई । अब उसका उत्तर देने में उसकी आटोनामी का इनफ्रिंजमेंट हो सकता है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यूनिवर्सिटी ने यह निकाला था कि जो बी० एस-सी० (एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग) में फर्स्ट डिवीजन होगा उसको लिया जायगा, लेकिन उसको न लेकर बी० एस-सी० (इंजीनियरिंग) सेकिंड डिवीजन को लिया गया, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । यह यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैटर है । वह कहते हैं कि वह आटोनामस बाडी है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जो डीन रखने का फैसला किया गया, वह यूनिवर्सिटी की किस मीटिंग में फैसला किया गया, उसकी तारीख क्या थी ?

श्री नवलकिशोर---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी, इतनी डिटेल में इनफार्मेशन नहीं है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस एप्वाइंटमेंट कमेटी में कौन-कौन व्यक्ति थे ?

श्री चरणसिंह---डीन फैकल्टी आफ एग्रीकल्चर, डीन फैकल्टी आफ वेटेरिनरी साइंस, डाइरेक्टर, स्कूल आफ बेसिक साइंसेज ऐंड ह्यूमेनिटी, कन्ट्रोलर और उसके रजिस्ट्रार। वाइस-चांसलर ने इस कमेटी को मुकर्रर किया था और इसकी सिफारिश पर ही वे व्यक्ति नियुक्त कर दिये गये ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या यह सही है कि जो विज्ञापन निकला था उसमें तो इस पोस्ट के लिये क्वालिफिकेशन दिया गया था, बी०एस-सी० इंजीनियरिंग, फर्स्ट क्लास लेकिन जिस व्यक्ति का एप्वाइंटमेंट किया गया है वे केवल बी०एस-सी० इंजीनियरिंग सेकेंड डिवीजन ही हैं ?

श्री चरणसिंह---मुझे यह मालूम नहीं है कि यह सही है या नहीं है क्योंकि हमने इतनी तफसील में दिमाग को लगाया नहीं है ।

रामपुर-मथुरा ब्लाक में 'प्रदर्शन कृषि फार्म' हेतु भूमि खरीदने की सिफारिश की नामंजूरी

*१५---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---दिनांक ८ अगस्त, १९६१ ई० को तारांकित प्रश्न संख्या ७-८ के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि जिलाधीश, सीतापुर के पत्र संख्या १४३२, दिनांक १४/१५ जुलाई, १९६० जो प्रश्नकर्त्ता को प्राप्त हुआ है में स्पष्ट लिखा हुआ है कि---"भूमि का निरीक्षण, उपसंचालक कृषि" ने किया था और ८ अगस्त, १९६१ में पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि कृषि निदेशक ने वहां जाकर जांच की ? यदि हां, तो उप-निदेशक और निदेशक कृषि के दौरे किन तारीखों में उक्त भूमि के निरीक्षण हेतु किये गये और उन पर कुल कितना धन टी० ए०, डी० ए० में खर्च हुआ ?

श्री नवलकिशोर---उप-कृषि निदेशक ने ३१-१२-५९ को ब्लाक के निरीक्षण के साथ-साथ उसका भी निरीक्षण किया । सरकारी जीप में गये थे, टी० ए० पर कुछ नहीं खर्च हुआ केवल ३ रु० डी० ए० उनको मिला था । कृषि निदेशक ने स्वयं कोई निरीक्षण नहीं किया । उप-कृषि निदेशक की रिपोर्ट पर ही उन्होंने अपना फैसला दिया । खेद है कि ८ अगस्त के अनुपूरकों के उत्तरों में गलती से यह कह दिया गया था कि कृषि निदेशक ने स्वयं जाकर निरीक्षण किया था ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उप-निदेशक की रिपोर्ट क्या थी ?

श्री नवलकिशोर---उनकी भूमि जो है वह कृषि के योग्य ठीक नहीं है, इसलिये इसको न लिया जाय ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि उप-निदेशक की रिपोर्ट उस भूमि के खरीदे जाने की नहीं थी, तो निदेशक ने अपना फैसला उस संबंध में क्या दिया ?

श्री नवलकिशोर---उन्होंने यह फैसला दिया कि उस जमीन को न लिया जाय ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ८ अगस्त को जो जवाब दिया गया वह सत्य नहीं रहा, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी जिनकी वजह से गलत सूचना सदन को दी गयी थी ?

श्री नवलकिशोर---कोई गलत सूचना देने की बात नहीं थी । जो गलती हो गयी उसके लिये खेद प्रकट कर दिया गया कि बजाय डिप्टी डाइरेक्टर के डाइरेक्टर कह दिया गया था । डिप्टी डाइरेक्टर ने जांच की, डाइरेक्टर ने जांच नहीं की थी, उसकी रिपोर्ट के ऊपर ही सरकार ने फसला किया ।

दारुल उलूम, देवबन्द के कुछ विद्यार्थियों पर मुकदमा

*१६—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या गृह मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न सं० ७ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि दारुल उलूम, देवबन्द में पढ़ाने वाले फजरुल हसन नामक कोई अध्यापक हैं जिन्होंने देवबन्द में पाकिस्तानी कार्यवाहियों का केन्द्र बना रखा है ?

श्री नवलकिशोर—दारुल उलूम, देवबन्द में फजरुल हसन नहीं बल्कि फखरुल हसन नाम के अध्यापक हैं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उन्होंने देवबन्द में पाकिस्तानी कार्यवाहियों का केन्द्र बना रक्खा है।

*१७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या गृह मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि दारुल उलूम, देवबन्द में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के पता-ठिकाने का कोई रिकार्ड है जिन पर मुकद्दमा चल रहा है ? यदि हां, तो वह रिकार्ड क्या है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां। तीन विद्यार्थियों ने दारुल उलूम में दाखिला के समय पश्चिमी बंगाल के कलकत्ता २४ परगना व दिनाजपुर जिलों के पते दिये थे परन्तु यह लोग पूर्वी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। चौथे विद्यार्थी ने जो पहले पाकिस्तान पासपोर्ट पर यहां आया था बाद में दूसरे नाम से धोखा देकर भारतीय पासपोर्ट हासिल किया था। इसके बाद वह पुनः पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर यहां आया था।

श्री शिवप्रसाद नागर—माननीय मंत्री जी ने २२ अगस्त, ६१ के तारांकित प्रश्न सं० ७ के संदर्भ में बतलाया था कि ४ विद्यार्थियों पर मुकदमा चल रहा है। तो क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वे चारों विद्यार्थी सरकार की हिरासत में हैं या जमानत पर रिहा हैं ?

श्री चरणसिंह—इन ४ विद्यार्थियों में से ३ का कन्विक्शन हो चुका है और चौथे पर मुकदमा जेरे तजवीज है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वह चौथा विद्यार्थी जो अभी अन्डर-ट्रायल है वह कौन-सा है, जिसके बारे में पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात बताई जाती है वह या उन तीन में से ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, वही है जिसका पाकिस्तान का पासपोर्ट बताया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस अनियमितता की इत्तला सरकार को किस जरिये से मिली ? उस संस्था के लोगों ने दी या सरकार के सी० आई० डी० ने दी या किसी अन्य ने ?

श्री चरणसिंह—नोटिस की आवश्यकता है।

*१८-१९—श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—[हटा दिये गये।]

श्री रामेश्वरसिंह, सदस्य, विधान परिषद् की कसया के थानेदार के विरुद्ध रिपोर्ट की जांच

*२०—श्री गौरीशंकर राय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि पडरौना, जिला देवरिया में विधान परिषद् के सदस्य, श्री रामेश्वर सिंह के घर ९ अगस्त की रात को भाले तथा बन्दूक के साथ डाकुओं ने हमला किया ? अगर हां, तो इस डकैती में क्या क्षति हुई ?

श्री नवलकिशोर---श्री रामेश्वर सिंह ने १० अगस्त, १९६१ की प्रातः थाने पर यह लिखित रिपोर्ट की कि ९, १० अगस्त, १९६१ की रात्रि को कुछ चोर उनके घर की एक खिड़की की छड़ों को टेढ़ा करके और निकाल कर घर में घुसे और लगभग ३,००० रु० का सामान चुरा ले गये । इस रिपोर्ट में भाले तथा बन्दूक के साथ डाकुओं के हमला करने का कोई जिक्र नहीं था ।

*२१---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री रामेश्वर सिंह, एम०एल०सी० ने यह लिखित सूचना पुलिस को दी है कि इस डकैती में श्री सिंह की हत्या की भी साजिश थी ?

श्री नवलकिशोर---श्री रामेश्वर सिंह ने १३ अगस्त, १९६१ की प्रातः को एक दूसरी लिखित रिपोर्ट थाने पर दी जिसमें उन्होंने सन्देह प्रकट किया था कि संभवतः उक्त घटना में उनकी हत्या की भी साजिश थी ।

*२२---**श्री गौरीशंकर राय**---क्या यह सत्य है कि श्री रामेश्वर सिंह जी ने जिन लोगों पर लिखित संदेह प्रकट किया है उसमें कुछ स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्त्ता एवं थानेदार का भी नाम है ?

श्री नवलकिशोर---श्री रामेश्वर सिंह ने अपनी १३ अगस्त, १९६१ की रिपोर्ट में जिन लोगों पर संदेह प्रकट किया है उसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं एवं कसया के थानेदार का नाम था ।

श्री गौरीशंकर राय---मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि १३ अगस्त को श्री रामेश्वर सिंह ने रिपोर्ट दी जिसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं और कसया के थानेदार की शिकायत करके कहा कि वह उनको मारना चाहते हैं और मारने की कोशिश भी की, इस सिलसिले में सरकार ने किस अधिकारी से जांच कराई और उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री नवलकिशोर---१३ अगस्त को जो लिखित रिपोर्ट उन्होंने थाने में दी उसकी जब जांच हुई तो उसकी पुष्टि नहीं हुई । श्री रामेश्वर सिंह तथा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के बीच कुछ दुश्मनी थी । ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने उसी दुश्मनी के आधार पर उनका नाम ले दिया । साथ ही साथ, कसया के थानेदार ने श्री रामेश्वर सिंह तथा उनके सहयोगियों का भारतीय दंड विधान की धारा ४५२ व ३५२ के अन्तर्गत चालान किया था, जिसमें मिस्टर सिंह छूट गये थे मगर उनके साथियों को सेशन से सजा हो गई थी । इसके बाद १०७/११७ का मुकदमा भी थानेदार कसया ने श्री रामेश्वरसिंह के ऊपर दायर किया । तो ऐसा मालूम पड़ता है कि पेशबन्दी के लिये यह रिपोर्ट उन्होंने लिखाई ।

श्री गौरीशंकर राय---मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो सरकार ने कारण बताया वह कारण थानेदार की रिपोर्ट के आधार पर बताया या किसी ऊंचे अफसर से इस मामले की जांच कराई ?

श्री नवलकिशोर---यह सूचना नहीं है कि किसने जांच की ।

श्री गौरीशंकर राय---इस बात को देखते हुये कि श्री रामेश्वर सिंह विधान परिषद् के एक सदस्य हैं और उन्होंने यह लिख कर दिया है कि उनके मारने की साजिश है और कोशिश भी की गई है, सरकार यह करेगी कि उस थानेदार से, जिसके खिलाफ कि शुबहा है, जांच न कराई जाय बल्कि किसी जिम्मेदार अधिकारी से उसकी जांच कराई जाय और उसकी सही रिपोर्ट प्राप्त की जाय ?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, नियम यह है कि जिस राज्य कर्मचारी के खिलाफ शिकायत होती है उससे अपने ही खिलाफ तहकीकात नहीं कराई जाती, ऊपर का कोई आफीसर करता है। तो गालिबन ऊपर के किसी आफिसर ने हीं इसमें जांच की होगी, लेकिन चूंकि इस वक्त इत्तला नहीं है इसलिये यह कहा गया कि इस वक्त नहीं बता सकते। परन्तु माननीय मित्र की आशंका के अनुसार यदि उसी ने तहकीकात की होगी तो किसी दूसरे उच्च अधिकारी से अब करा ली जायगी।

पट्टी रामगढ़ में आलू की फसल को रोग से बचाने की प्रार्थना

*२३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार एवं कृषि निदेशालय के पास कृषि निरीक्षक, राजकीय कृषि बीज भंडार, सरगा खेत, जिला नैनीताल के द्वारा प्रेषित २६ जुलाई, १९६१ की कोई रिपोर्ट आई है जिसमें बतलाया गया है कि ग्राम दाड़िम तथा सारी पट्टी रामगढ़ तथा पट्टी पूर्वी आगर आदि के गांवों में सारी आलू की फसल में वृत्ताकार रोग पैदा हो गया है, जिससे समस्त आलू की फसल नष्ट हो जाने की संभावना है। यदि हां, तो सरकार इस भयानक रोग को समूल नष्ट किये जाने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नवलकिशोर---जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार अथवा कृषि निदेशक के पास प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या कृषि विभाग को स्वतः अपनी जांच के द्वारा अपने स्थानीय अधिकारियों की यह सूचना प्राप्त हुई है कि नैनीताल जिले के आलू पैदा करने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की भयानक बीमारी आलू में पैदा हो गई है जो सारी फसल को नष्ट कर सकती है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नवलकिशोर---विभागीय सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि पट्टी रामगढ़ में इस रोग से सारी फसल तो नष्ट नहीं हुई है, हां, कुछ खेतों में १० से १५ प्रतिशत तक यह बीमारी पायी गई है और कुछ खेतों में २० से २५ प्रतिशत तक। इस संबंध में विभागीय रिपोर्ट यह है कि इसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब ऐसी बीमारी होती है तो १, २ साल के लिये आलू की फसल न बोयी जाय और जब कीड़े मर जाय तो दुबारा आलू बोये जायं। मगर चूंकि यह कैश क्राप है, कोई मानता नहीं, लोग बोते रहते हैं। इसके लिये केवल विभाग की तरफ से प्रचार होता है, प्लांट प्रोटेक्शन विभाग है जो स्प्रे आदि करता है। यही कार्यवाही होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार मेरी सूचना को नोटिस मानकर इस बात की जांच करायेगी दोबारा कि कोई प्रचार विभाग के द्वारा नहीं हुआ है और ग्रामवासियों को इस प्रकार की कोई सूचना भी नहीं है ? मंत्री जी इस संबंध में तुरन्त आदेश देंगे कि जो पुराना खराब बीज है उसके स्थान पर लोगों को अच्छा नया बीज मिल सके ?

श्री नवलकिशोर---सरकार इस पर विचार करेगी।

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के विचाराधीन जूनियर नोटर व ड्राफ्टरों की अपील

*२४---**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा **श्री टम्बरेश्वर प्रसाद**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में उस कार्यालय के जूनियर नोटर व ड्राफ्टरों की सचिव, सिंचाई विभाग को दी गई कितनी अपीलें पड़ी हैं और क्यों वह कितने समय से पड़ी हुई हैं ? उन पर निर्णय के लिये कितने समय की आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति––सिंचाई विभाग के जूनियर नोटर व ड्राफ्टर्स ने ५७ अपीलें सचिव, सिंचाई विभाग, को दी हैं । इनमें से ४ व ६ नवम्बर, १९६१ को केवल ४१ अपीलें सरकार को मुख्य अभियंता ने भेज दी हैं । शेष अपीलें अभी मुख्य अभियंता के यहां से आनी हैं । यह अपीलें मुख्य अभियंता के कार्यालय में अक्तूबर, १९५९ और फरवरी १९६० में दी गयी थीं । मुख्य अभियंता के कार्यालय में एक साल से अधिक विलम्ब होने का कारण यह है कि उन्हें वरीयता के सिद्धांत पर पूर्ण रूप से पुनः विचार करना था । सरकार को प्राप्त अपीलों पर निर्णय लेने में दो-तीन मास का समय लगने की संभावना है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद––मंत्री जी बतायेंगे कि उस समय तक वरीयता के सिद्धांतों के हिसाब से स्थायीकरण के कुछ आदेश दिये जा चुके थे ?

श्री राममूर्ति––अध्यक्ष महोदय, १९४९ से जूनियर नोटर और ड्राफ्टर्स की भर्ती हुयी और यह सिद्धांत माना गया था कि एक डायरेक्ट आदमी को १ साल में जब सीनियर बनाया जाय तो एक उसके बाद जो पहले का काम करता चला आ रहा है उसको बना दें । इसी आधार पर १९५७ में एक सीनियरिटी लिस्ट बना दी गई । बाद में कुछ लोगों को एतराज हुआ । चीफ इंजीनियर के यहां एक मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने यह तय किया कि जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उनको सीनियर माना जाना चाहिये बमुकाबले उनके जो नये आते हैं । लिहाजा उसके हिसाब से फिर लिस्ट बदल दी गई । जो लोग एफेक्टेड हुये उन्होंने अपनी एक पेटीशन चीफ इंजीनियर को दी । चीफ इंजीनियर के यहां फिर सब की एक मीटिंग हुई जिसमें दोनों पक्षों की बात सुनी और यह तय किया कि यही मुनासिब होगा कि एक आदमी नयी सर्विस में से लिया जाया करें और एक पुरानी सर्विस में से लिया जाय, जब सीनियारिटी तय की जाय । इस सिद्धांत पर बने कागजात सरकार के पास आ गये हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद––क्या यह सही है कि रूल्स के हिसाब से एक बार स्थायीकरण के आदेश दे देने के बाद सरकार वापस नहीं ले सकती है ?

श्री राममूर्ति––जिस वक्त सीनियारिटी लिस्ट बनायी जा रही थी उस समय कहा गया था कि ड्राफ्ट रूल्स जब फाइनेलाइज हो जायंगे तभी कोई सिद्धांत तय होगा, अभी ड्राफ्ट रूल्स फाइनल नहीं हुये हैं । ड्राफ्ट रूल्स बन चुके हैं, उनको ध्यान में रखते हुये ही तय किया जायगा ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद––अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा था । क्या यह सही है कि स्थायीकरण का आदेश देने के बाद रूल १४-ए के मुताबिक वह वापस नहीं लिया जा सकता और उसका वापस लेना गलत था ?

श्री अध्यक्ष––आप कानूनी राय पूछ रहे हैं । वह फैक्ट्स बतला रहे हैं । फैक्ट्स उन्होंने बतला दिये कि उनका क्या इरादा है ।

हिगुठा ग्राम से पानी निकासी के लिये प्रार्थना

*२५––**श्री गरीबदास** (जिला जालौन)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम हिगुठा, परगना व जिला जालौन के नागरिकों की एवं पंचायत के प्रधान की ओर से जिला अधिकारियों अथवा सरकार के पास इस बात का प्रार्थना-पत्र हाल में आया है कि अतिवृष्टि के कारण गांव पानी से घिरा हुआ है और कुछ व्यक्तियों के जान माल का खतरा पैदा हो गया है ?

श्री राममूर्ति––जी हां ।

नोट––तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*२६---**श्री गरीब दास**---यदि हां, तो इस पानी के निकास की अविलम्ब कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

श्री राममूर्ति---इस संबंध में पानी के निकास के लिये एक नाले के निर्माण हेतु जांच की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

सिधौली थाने के दारोगा, श्री बजरंगबहादुर, द्वारा तहसील के चपरासी का पीटना

*१---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि सिधौली थाने के पुलिस आफीसर दोयम द्वारा तहसील सिधौली के चपरासी को ३० नवम्बर, १९६० को पीटा गया तथा कुत्ते से कटवाया भी गया था ? यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच सब-डिवीजनल आफिसर, सिधौली (सीतापुर) ने कर के जांच रिपोर्ट जिलाधीश को प्रस्तुत कर दी है ?

श्री चरणसिंह---जी हां । सिधौली थाने के एस० आई०, श्री बजरंग बहादुर द्वारा तहसील सिधौली के चपरासी श्री छेदी सिंह को दिनांक ३०-११-६० की शाम को पीटे जाने की घटना की सूचना मिली है किन्तु इस बात का प्रमाण नहीं मिल सका है कि कुत्ते ने स्वयं काटा या उससे कटवाया गया। सब-डिवीजनल आफसर, सिधौली ने अपनी जांच रिपोर्ट १२-१२-६० को जिलाधीश को प्रस्तुत कर दी।

*२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह---परगनाधीश, सिधौली की रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि श्री बजरंग बहादुर, एस० आई० ने वास्तव में श्री छेदी सिंह को पीटा और उसको गलत तरीके से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०७/११७/१५१ के अपराध में फंसाने की कार्यवाही की ।

अलीगढ़-डिबाई सड़क पर काली नदी पम्पिंग स्टेशन टूटने की जांच

*३---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़-डिबाई सड़क पर स्थित काली नदी पम्पिंग स्टेशन कब और कितनी लागत से बना था तथा उसकी मरम्मत व रख-रखाव में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति---इस पम्पिंग स्टेशन का निर्माण सन् १९२८-२९ में २,२५,००० रुपया व्यय कर के किया गया था। इसकी वार्षिक मरम्मत तथा रखरखाव पर २,३२१ रु० व्यय होता है ।

*४---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पम्पिंग स्टेशन कब और कैसे टूटा था और उसके टूटने के परिणाम स्वरूप कितनी क्षति हुई ?

श्री राममूर्ति---अक्तूबर, १९५६ में काली नदी में असाधारण बाढ़ आने के कारण पम्पिंग स्टेशन टूट गया था। इसके पुनः निर्माण तथा मरम्मत में २,३३,००० रुपया व्यय हुआ था।

*५---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके टूटने के कारणों की जांच कराने के लिये कोई कमेटी नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो कब और क्या वह उसकी रिपोर्ट सदन की मज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--जी हां । जनवरी, १९५९ में एक कमेटी नियुक्त की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट अभी शासन के विचाराधीन है, अतः उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर अभी न रखी जा सकेगी ।

बस्ती जिले में बान गंगा की धारा बदलने से कथित खतरा

*६--**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)--क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले में बान गंगा नदी पर निर्मित बांध को जिस पर ४५ लाख रुपया व्यय हुआ है, उक्त नदी की धारा बदल जाने से नैपाल के २५ तथा भारत के ७५ गांवों के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

थाना चौक, लखनऊ में कुछ मामलों की रिपोर्ट

*७--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना चौक (लखनऊ नगर) में २३ फरवरी, १९६१ को किन-किन दफाओं में कितने मामलों की रिपोर्ट लिखी गई है और उनमें अब तक कौन-कौन कार्यवाही पुलिस की ओर से हुई है ?

श्री चरणसिंह--दिनांक २३-२-६१ को थाना चौक, लखनऊ में ६ मामलों की रिपोर्टें निम्नलिखित दफाओं में लिखी गई हैं:--

१--३२४ भारतीय दंड विधान ।
२--३२३/५०६ भारतीय दंड विधान।
३--४०३ भारतीय दण्ड विधान।
४--३२३/५०४/५०६ भारतीय दण्ड विधान।
५--५०४/५०६ भारतीय दण्ड विधान।
६--५०४/५०६/३२३ भारतीय दण्ड विधान।

इनमें केवल नं० १ में उल्लिखित रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही की और जांच के पश्चात् चालान किया। शेष मामलों में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं थे। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

विधूना तहसील में निकलने वाली नहर का सिंचाई क्षेत्र

*८--**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत तहसील विधूना में जो नई नहर निकाली जा रही है वह कितने एकड़ भूमि को किस-किस जिले में सिंचित करेगी ?

श्री राममूर्ति--जिला इटावा के अन्तर्गत तहसील विधूना में पश्चिमी इलाहाबाद ब्रांच का निर्माण किया जा रहा है।

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८४० पर)

*९--**श्री भजनलाल**--क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त नहर कितने समय तक बन कर तैयार हो जायेगी और उस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति--उपरोक्त नहर के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है।

इसकी अनुमानित लागत ३,४९,७४,००० रुपये है।

हसनगंज तहसील में श्री अम्बिकाप्रसाद, पोस्टमैन पर कथित हमला

१०—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १५ अगस्त, १९६० को जिला उन्नाव के तहसील हसनगंज के ग्राम व पोस्ट नवाबगंज कुसुम्भी जाते समय श्री अम्बिका प्रसाद पोस्टमैन के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था और इसकी रिपोर्ट थाने में की गई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह—दिनांक १५-८-६० को न तो इस प्रकार की कोई घटना हुई और न इस सम्बन्ध में थाने पर कोई रिपोर्ट लिखाई गई। किन्तु दिनांक १९-९-६० को ऐसी घटना होने की सूचना पत्र द्वारा डाक विभाग के अधिकारियों ने दी थी। जांच कराने पर ऐसी किसी घटना का होना नहीं पाया गया। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

बेलसड़ रिगौली बांध का निर्माण

*११—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील का बेलसड़ ग्राम जो कूड़ा नदी तथा राप्ती नदी के बायें किनारे पर है उसके कितने मकान नदी में कटान से गिर गये हैं?

श्री राममूर्ति—८।

*१२—श्री गौरीराम गुप्त—उपरोक्त कटान से बेलसड़ ग्राम को बचाने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किया?

श्री राममूर्ति—ग्राम की सुरक्षा हेतु एक बेलसड़ रिगौली नामक बांध का निर्माण किया जा रहा है।

कायमगंज के पुलिस सी० आई० के विरुद्ध शिकायत की जांच

*१३—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रायपुर, जिला फर्रुखाबाद में बहुत से ग्रामीणों के हस्ताक्षरों से २१ फरवरी, १९६१ का लिखित प्रार्थना-पत्र उनके अतिरिक्त डी० आई० जी० आगरा रेंज पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट एवं जिला मैजिस्ट्रेट एटा को प्राप्त हुआ है जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध घूस लेने तथा गलत तरीके से मुकदमें में फसाने के षड्यंत्र रचने की शिकायत की गई है?

श्री चरणसिंह—श्री मुहम्मद कबीर शाह नामक एक व्यक्ति द्वारा दिनांक २१-२-६१ को भेजा गया एक प्रार्थना-पत्र जिसमें रायपुर कायमगंज के तत्कालीन सी० आई० के विरुद्ध शिकायत थी, प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों को प्राप्त हुआ था। बहुत से ग्रामीणों के हस्ताक्षर से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था।

*१४—श्री होरीलाल यादव—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा उसका क्या परिणाम निकला और क्या आवेदकों से भी पूछ-ताछ की गई थी?

श्री चरणसिंह—प्रार्थना-पत्र पर जांच उप-पुलिस अधीक्षक, कायमगंज पुलिस सर्किल ने की। उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र में केवल एक ही आरोप सन् १९६१ का था और शेष सभी आरोप १९५७ अथवा उसके पहले के थे। चूंकि १९५७ अथवा उसके पहले के आरोप

बहुत पुराने हो गये थे इसलिये यह सम्भव नहीं था कि इन पुराने आरोपों की जांच की जाय। सन् १९६१ से संबंधित आरोप जांच से निराधार पाया गया। आवेदक श्री शाह से भी पूछ ताछ की गई थी।

माताटीला बांध के अधीक्षक अभियन्ता, श्री साहनी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*१५—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनका ध्यान "हिन्द केसरी" नामक पाक्षिक पत्र, जो झांसी से निकलता है, के तारीख १० अक्तूबर, सन् १९५९ के अंक की ओर गया है जिसमें माता टीला बांध के अधीक्षक अभियंता, श्री साहनी, के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—जी हां, किन्तु जांच करने पर यह आरोप निराधार सिद्ध हुए।

*१६—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उनका ध्यान "साधना संदेश" साप्ताहिक पत्र झांसी, के १२ जुलाई, २३ अगस्त व ३० अगस्त, १९६० के प्रकाशनों की ओर गया है जिसमें माता टीला के अधीक्षक अभियंता, श्री सहानी, के विरुद्ध लापरवाही और सरकारी धन को गबन करने आदि के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—जी हां, किन्तु जांच करने पर यह आरोप भी निराधार सिद्ध हुए।

मोती मोहाल, कानपुर के श्री बाबूलाल की मृत्यु की जांच

*१७—**श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर के थाना कलक्टरगंज के अन्तर्गत मोहल्ला मोती मुहाल से कोई ऐसी शिकायत सरकार अथवा स्थानीय पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुई है जिसमें गत मार्च मास में एक लड़के की मृत्यु के सम्बन्ध में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है और शिकायत किस प्रकार की थी ?

श्री चरणसिंह—संबंधित लड़के (बाबू लाल) की मृत्यु के बारे में मोती मोहाल कानपुर के निवासी श्री हरी शंकर ने २७-३-६१ को थाना कलक्टरगंज पर सूचना दी थी। उस पर जांच की गई और यह पाया गया कि उक्त बाबू लाल ने आत्म हत्या कर ली।

इसके बाद इस घटना के सम्बन्ध में मृतक बाबू लाल की मां श्रीमती मालवती, निवासिनी मलिहाबाद, जिला लखनऊ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ मोती मोहाल कानपुर के निवासियों के एक प्रार्थना-पत्र की प्रति भी संलग्न थी। इन पत्रों में मुख्य शिकायत यह थी कि बाबू लाल ने आत्महत्या नहीं की किन्तु कुछ लोगों ने इस घटना को आत्म हत्या का रूप दे दिया और पुलिस ने भी मामले की जांच ठीक से नहीं की। अतः इस बारे में पुनः जांच कराई जा रही है।

मच्छा ताल ड्रेन पर समोगरा, बेलवां तथा खटौरा ग्रामों में पुल बनाने की योजना

*१८—**श्री ऊदल**—क्या सरकार को पता है कि मच्छा ताल से निकाली हुई पिडराकोट ड्रेन, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में गांव समोगरा, मानापुर तथा बेलवां में पुल की अति आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बाढ़ विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति---ग्राम मानापुर में पुल की आवश्यकता नहीं है। ग्राम समोगरा में पुल तथा ग्राम बेलवां में पैदल यात्रियों और पशुओं के आने जाने के लिए एक छोटे पुल की आवश्यकता है और इसके निर्माण के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*१९---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मच्छा ताल ड्रेन, परगना कोल असला, जिला वाराणसी में जो पुलिया बसनी-जमालपुर कच्ची सड़क में घमहापुर तथा गांव लखमीपुर के पास है वह काफी सकरी है ? क्या उसे चौड़ा करने पर और उसी नाले में खटौरा तथा बसनी (चनौली) गांव में पुलिया बनाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---बसनी जमालपुर कच्ची सड़क पर जो पुलिया है उसे गहरा या चौड़ा करने तथा ग्राम बसनी (चनौली) में पुलिया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। खटौरा ग्राम में एक पैदल यात्रियों और पशुओं के आने जाने के लिये पुल बनाने का विचार है।

देवरूखा निवासी श्री रामपलटसिंह पर गोली चलाने की जांच

*२०---**श्री उग्रसेन**---क्या गृह मंत्री को जुलाई, १९६१ के प्रथम पक्ष में देवरिया के एक विधायक द्वारा ऐसी सूचना मिली कि श्री राम पलट सिंह, ग्राम देवरूखा, थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया पर जब वे खेत में हल चला रहे थे वहां के एक व्यक्ति द्वारा गोली दिन दहाड़े मारी गई ? यदि हां, तो इस घटना के बारे में कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---जी हां, ऐसी सूचना मिली थी। इस मामले में की गई जांच से पता चला है कि एक खेत के आधिपत्य के बारे में झगड़ा हुआ था। दोनों पार्टियों की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई । जांच अभी जारी है ।

गोंडा बहराइच नलकूप विभाग में हरिजन कर्मचारी

*२१---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा-बहराइच नलकूप सिंचाई विभाग में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने अधिकारी अमीन, आपरेटर, पत्रोल, चपरासी हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

श्री राममूर्ति---गोंडा-बहराइच नलकूप खंड (डिवीजन) में कार्य करने वाले कर्मचारियों की विवरणात्मक तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८४१ पर)

बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिलों में नलकूपों से पानी न मिलने की शिकायत

*२२---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहर मांट ब्रांच पर जो नहरी क्षेत्र में बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिले में ९० नलकूप लगाये गये थे उनसे किसानों को पानी न मिलने की शिकायतें मई-जून, सन् १९६१ में आई हैं ? यदि हां, तो किसानों को सिंचाई के लिये पानी दिये जाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---इस विषय पर कोई प्रार्थना-पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है ।

काकोरी थाना के विरुद्ध शिकायतें

*२३---**श्री त्रिलोकीसिंह**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको अथवा सम्बन्धित विभाग के अन्य अधिकारियों के पास थाना काकोरी जिला लखनऊ के खिलाफ गत अप्रैल मास में कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अपराधों की सूचना देने कुछ लोग थाने पर गये और वह सूचना ठीक से नहीं लिखी गई और न उसकी प्रतिलिपि ही उन लोगों को दी गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

इलाहाबाद जिले में ट्रक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कार्यवाही

*२४—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद शहर में और जिले के अन्तर्गत जनवरी, १९६१ से २० जुलाई, १९६१ तक ट्रकों द्वारा कितनी हत्यायें हुईं ?

श्री चरणसिंह—इस अवधि में इलाहाबाद में ट्रक दुर्घटनाओं में कुल २४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। नगर क्षेत्र में ७ तथा ग्रामीण क्षेत्र में १७।

*२५—**श्री कल्याण चन्द मोहिले**—क्या सरकार ने इन हत्याओं को रोकने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

श्री चरणसिंह—इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है पर संलग्न विवरण-पत्र में दी गई कार्यवाही की जाती है। योजना को कितनी सफलता प्राप्त हुई है यह अपने-अपने विचार तथा अनुमान का विषय है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८४२ पर)

सितारगंज थाना क्षेत्र में कत्ल

*२६—**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जून, १९६१ से आज तक थाना सितारगंज, जिला नैनीताल के अन्तर्गत कितने कत्ल हुये हैं और उनमें कितनों पर कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह—१ जून, १९६१ से ३० सितम्बर, १९६१ तक थाना सितारगंज के अन्तर्गत कत्ल की केवल १ घटना हुई। इस घटना के दो अभियुक्तों में एक पकड़ा जा चुका है और दूसरे को गिरफ्तार करने के लिये कोशिश की जा रही है।

छावन, थाना मिश्रिख निवासी, श्री बंशीधर, के साथ कुमारी उर्मिला की जबरदस्ती शादी

*२७—**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६१ के अन्त में मिश्रिख (सीतापुर) में एक बालिका के साथ बलात्कार करने की घटना घटी थी ?

श्री चरणसिंह—इस सम्बन्ध में थाने पर कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे जिसमें कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध एक उर्मिला नामक लड़की की जबरदस्ती शादी कराने व उसे अवैध रूप से रोकने के बारे में शिकायत की गई थी। इस पर धारा ३६३/३६६/३४४ भारतीय दंड विधान का अभियोग अंकित किया गया और बाद में इस बात की भी जांच की गई कि धारा ३७६ भा० दं० वि० का भी अभियोग बनता है अथवा नहीं। अन्त में जांच के पश्चात् केवल धारा ३६३/३६६/३४४ भा०दं०वि० के अन्तर्गत चार्जशीट लगाई गई।

*२८—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और किन-किन लोगों के विरुद्ध मामला चार्ज दर्ज हुआ था और सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरण सिंह—वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८४३ पर)

काशीपुर चैनेल्स तथा हिल चैनेल्स के करों में विभिन्नता

*२९—**श्री नारायत्तणदत्त तिवारी**—क्या सरकार को ज्ञात है कि कुमायूं डिवीजन में जहां सिंचाई विभाग द्वारा नहरें बनाई गई हैं वहां पर सींची जाने वाली जमीन पर दो अलग अलग आबपाशी स्वरूप कर लगाये गये हैं तथा वसूल किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां, कुमायूं डिवीजन में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत काशीपुर कैनाल्स तथा हिल चैनल्स पर अलग-अलग आबपाशी स्वरूप कर लगाये गये हैं। काशीपुर कैनाल्स पुरानी नहरें हैं। उन पर १९१७ में सिंचाई कर निश्चित किये गये थे और १९५० में सरचार्ज लगाया गया था, यह सिंचाई कर अब भी लागू है। नई बनी हुई हिल चैनल्स पर शिड्यूल ३ के सिंचाई कर लागू हैं।

सरा परगने में नलकूप न लग सकना

*३०—**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला हरदोई, परगना सरा दक्षिणी के ग्राम सेवा, सुमई बसोआ, ककराला, भवइया आदि के पास हजारों एकड़ जमीन बिना किसी सिंचाई के साधन के हैं और ट्यूबवेल बनाने के लिये वहां पर संबंधित अधिकारियों ने जांच भी कर ली है किन्तु अभी तक वहां ट्यूबवेल नहीं बना, इसका क्या कारण है?

श्री राममूर्ति—बिजली की लाइन दूर होने के कारण नलकूप का निर्माण व्यवहार्य (feasible) नहीं पाया गया।

राधानवाड़ में गोली चलाने की घटना

*३१—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम राधानवाड़, थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल में मार्च, १९६१ को कोई वारदात गोली चलने एवं छुरा मारने की हुई थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या किया और गोली व छुरे से कितने व्यक्ति घायल हुये ?

श्री चरण सिंह—जी हां, ११ मार्च, १९६१ को रात्रि में इस प्रकार की घटना हुई थी। गोली, छुरे व कुन्द हथियार से कुल ५ व्यक्ति घायल हुये थे। १ अभियुक्त बन्दूक सहित पकड़ा गया और उसके विरुद्ध धारा १४८/३०७ भा० दं०वि० के अन्तर्गत मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।

*३२—**श्री बंशीधर शुक्ल**—क्या गृह मंत्री इस पर सी०आई०डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

[१४ नवम्बर, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खाल गांव में कलेक्शन अमीन तथा चपरासी की हत्या

*१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा के २ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०–१२ में उल्लिखित मामले का निर्णय हाई कोर्ट द्वारा दिनांक १३ दिसम्बर, १९६० ई० को (ट्रायल क्रिमिनल अपील नम्बर ४५१, सन् १९६०) हो चुका है जिसमें सभी अभियुक्त निर्दोष पाये गये और पुलिस प्राशीक्यूशन की प्रणाली के प्रति माननीय हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में संकेत किया ? यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह---इस क्रिमिनल अपील में हाईकोर्ट द्वारा प्रासीक्यूशन के विरुद्ध पास किये गये स्ट्रिक्चर पर पुलिस रेगूलेशन्स के पैराग्राफ ५०० के अन्तर्गत सर्किल आफिसर द्वारा जांच की गई । इस समय उनकी रिपोर्ट जिलाधीश के विचाराधीन है ।

*२-३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

मुकर्रमपुर ग्राम में हरिजनों पर हमला

*४---**श्री झारखंडेराय तथा श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद जिले के अन्तर्गत सम्भल तहसील के मुकर्रमपुर गांव में गत १८ मई को घातक हथियारों से लैस व्यक्तियों ने निरस्त्र हरिजनों पर हमला कर दिया जिसमें १० व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुये हैं ?

श्री चरणसिंह---जी हां । इस प्रकार की एक घटना हुई थी जिसमें १० व्यक्तियों के साधारण व दो के सख्त चोटें आईं ।

*५---**श्री झारखंडेराय तथा श्री मदन पांडेय**---यदि हां, तो क्या इसका संक्षिप्त विवरण सरकार बताने की कृपा करेगी ?

*६---इस विषय में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह---सम्बन्धित सूचना संलग्न नोट में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८४४ पर)

कुरावली थाना से चलाये गये मुकदमे

*७---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना कुरावली से दिसम्बर, १९५९ से मार्च, १९६१ ई० तक जितने मुकदमे पुलिस ने चलाये हैं उनमें से कितने मुकदमे सेशन या कलेक्टरी की अदालतों से छूट गये हैं, कितने मुकदमों में सजा हुई है और कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

श्री चरणसिंह---मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८४५ पर)

लखनऊ की रौशनुद्दौला कचहरी में लाये गये हवालाती

*८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ की रोशनुद्दौला कचहरी में जनवरी, फरवरी व मार्च, १९६१ में जेलों से आने वाले मर्द व महिला हवालातियों की माहवारी कितनी-कितनी संख्या थी ?

श्री चरणसिंह---मांगी गई सूचना निम्न प्रकार है :---

		पुरुष	महिला
जनवरी, सन् १९६१	.. .. ..	५०५	३
फरवरी ,,	.. .. ..	७२४	२
मार्च ,,	.. .. ..	७९७	१

*९---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त हवालातियों के बन्द रखने के लिये वहां कितनी कोठिरियां हैं व उनकी लम्बाई चौड़ाई क्या है तथा क्या महिला हवालातियों के लिये कोई कोठरी अलहदा रिजर्व है अथवा दोनों साथ ही साथ बन्द किये जाते हैं ?

श्री चरणसिंह---हवालातियों को बंद करने के लिये ४ कोठरियां हैं जिनकी लम्बाई व चौड़ाई निम्नलिखित है :

कोठरी नं० १---२० फीट लम्बाई तथा १० फीट चौड़ा ।
कोठरी नं० २---१९ फीट ६ इंच लम्बाई तथा ९ फीट ९ इंच चौड़ाई ।
कोठरी नं० ३---१० फीट लम्बाई तथा ९ फीट चौड़ाई ।
कोठरी नं० ४---८ फीट लम्बाई तथा ५ फीट चौड़ाई ।

कोठरी नं० ३ महिला हवालातियों के लिये रिजर्व है। महिला तथा पुरुष हवालाती अलग-अलग बन्द किये जाते हैं ।

*१०---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*११---**श्री मदन पांडेय**---[तेरहवें गुरुवार के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर में काली मोटर की गिरफ्तारी तथा उन्नाव जिले में कत्ल

*१२---**श्री मदन पांडेय**---क्या यह सत्य है कि गत २०-२१ जुलाई को रात को कानपुर माल रोड पर २१,६४९ नम्बर की कुख्यात काली मोटर शराब सहित दो युवतियों के साथ गिरफ्तार हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मोटर गाड़ी के मालिक कौन हैं तथा गिरफ्तार व्यक्तियों से उनका क्या सम्बन्ध है ?

श्री चरणसिंह---जी हां । दिनांक २०-२१ जुलाई की रात को ऐसी घटना हुई थी । इस गाड़ी के मालिक श्री वीर सिंह पुत्र खेड़ा सिंह निवासी अहाता चुन्नीगंज, कानपुर हैं । जांच से इन दोनों महिलाओं का चरित्र खराब पाया गया और यह पता चला कि श्री वीर सिंह इन्हें अनैतिक कार्य (Immoral purposes) के लिये ले जा रहे थे ।

*१३---**श्री मदन पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत १० मई से २४ जुलाई के बीच उन्नाव जिले में कुल कितने कत्ल हुये और उनमें कितनों का पता चल चुका है और अदालत में केस चल रहे हैं ?

श्री चरणसिंह---उक्त अवधि में उन्नाव जिले में २१ कत्ल की घटनायें हुई जिनमें कुल २४ व्यक्ति मारे गये । १३ घटनाओं में पता चल चुका है और उनमें मुकदमे चालान होकर न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

*१४---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

मधुबन बाऊडीह नहर शाखा के साथ सर्विस रोड न बनाने की प्रार्थना

*१५---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी-घाट नहर से निकलने वाली उपशाखा मधुबन बाऊडीह एवं फतेहपुर सर्विल रोड न बनाने की दरख्वास्त ५ जुलाई, १९६० को लिखी हुई, अधिशासी अभियंता बलिया, सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर, वाराणसी, जिलाधीश, आजमगढ़ को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति---दिनांक ५ जून, १९६० का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें केवल एक ही मांग की गई थी कि नत्थूपुर से मधुबन तक बनने वाली नहर के लगभग समानान्तर ही पक्की सड़क है । अतः यहां पर सर्विस रोड न बनाई जाये । जांच करने के पश्चात् मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग को आदेश दे दिया गया कि नहर के समानान्तर जहां पक्की सड़क है, एक मील के भाग में सर्विस रोड न बनाई जाये ।

लखनऊ में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*१६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर सन् १९६० में एवं १३ मार्च सन् ६१ तक लखनऊ नगर में कितने कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरी, आत्महत्या की रिपोर्ट थानों में हुई हैं और उन पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८४६ पर)

*१७—१९—**श्री भजनलाल**—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रम्मू कुम्हार के घर डकैती सम्बन्धी जांच के विरुद्ध दलित वर्ग संघ, जिला मेरठ से प्रार्थना-पत्र

*२०—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास दलितवर्ग संघ, जिला मेरठ के प्रधान की जांच के साथ एक प्रार्थना-पत्र अप्रैल, १९६१ के अंतिम सप्ताह में आया है, जिसमें १८, १९ जनवरी, १९६१ को रम्मू कुम्हार के घर पड़ने वाले डाका व उसमें होने वाले कत्ल की जांच ठीक से न करने का अभियोग भी लगाया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां । उक्त प्रार्थना-पत्र में की गई पुलिस के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में जांच करायी गई । जांच में पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाया गया ।

*२१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

विक्टोरिया मिल, कानपुर के मजदूरों का कथित प्रार्थना-पत्र

*२२—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में उनके पास विक्टोरिया मिल, कानपुर के मजदूरों का कोई प्रार्थना-पत्र आया है कि उनकी जान खतरे में है और बदमाशों से उनकी रक्षा की जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ नहीं मालूम होता है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

महोबा कैण्ट के थाने में यात्री की कथित हत्या

*२३—**कुंवर श्रीपालसिंह** तथा **श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि महोबा कैन्ट के थाने में जिला हमीरपुर में किसी यात्री की जिसके पास १८ हजार रुपये थे, हत्या १५ या १६ जून, १९६१ को कर दी गई ? यदि हां, तो घटना का विवरण तथा हत्या किसने की और क्यों, इसका पता लगा या नहीं ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं । दूसरे भाग का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*२४—२६—**श्री उग्रसेन**—[हटा दिये गये ।]

*२७—२९—**श्री ऊदल**—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०—**कुंवर श्रीपालसिंह**—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद जिले में नलकूप तथा मेजा तहसील में नहर से सिंचाई

*३१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले के किन-किन तहसीलों में कितने-कितने नलकूप (ट्यूबवेल) अब तक लगाये गये हैं और उसमें कितने-कितने नलकूप कार्य कर रहे हैं, और कितने नहीं ?

श्री राममूर्ति—

(१) सिराथू तहसील में— ७
(२) चायल तहसील में— ६
(३) फूलपुर तहसील में—४१
(४) हंडिया तहसील में—९०

योग .. १४४

सभी ट्यूबवेल काम कर रहे हैं।

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के किन-किन गांवों में नहर द्वारा पानी दिया जाता है और किन-किन गांवों में नहर से पानी देने की आगे योजना है ?

श्री राममूर्ति—२४४ गांवों में नहर द्वारा पानी दिया जा रहा है। इसके अलावा १७२ गांवों को पानी देने की योजना है।

*३३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सिंचाई मंत्री के पास इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के किसानों ने नहर निकालने का विरोध कर प्रार्थना-पत्र भेजा है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों के किसानों ने ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। कुछ कृषकों ने जुलाई, ६१ में तथा २५ अगस्त, १९६१ को मौखिक रूप से नहर न निकाले जाने को कहा परन्तु उनको समझा दिया गया कि नहर का निकालना उनके ही हित में होगा।

*३४—श्री होरीलाल यादव—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

कुम्हरौर ग्राम के एक व्यक्ति की लाश टंगी हुई मिलना

*३५—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च १५, १९६१ को ग्राम कुम्हरौर, जिला फर्रुखाबाद में कत्ल हुआ और मृतक की लाश शाहजहांपुर तथा फर्रुखाबाद जिले की सीमा पर टंगी हुई मिली ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—उक्त ग्राम के एक व्यक्ति की लाश शाहजहांपुर जिले में एक वृक्ष पर टंगी मिली थी। इस संबंध में अभी जांच जारी है।

हसनपुर ग्राम में बालिका की रहस्यमय हत्या

*३६—श्री भोखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ अप्रैल, १९६१ ई० को ग्राम हसनपुर, थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ में एक आठ वर्षीय बालिका का कत्ल हो गया था और थाना इंचार्ज मलिहाबाद ने उसका पंचायतनामा करा कर लाश को दफन करा दिया था परन्तु मुद्दई के गृह मंत्री को प्रार्थना-पत्र देने पर लाश को खोद कर पोस्टमार्टम कराया गया था ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है और इस मामले में पूरी छान-बीन का नतीजा क्या निकला ?

श्री चरणसिंह---जी हां । इस प्रकार की घटना हुई थी जिसमें थाना मलिहाबाद के सेकेंड आफिसर ने लाश का पंचायतनामा किया था । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि लाश के अधिक विरत (decompose) हो जाने से मृत्यु के कारण व ढंग के बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती परन्तु मृत्यु के पहले की अन्दरूनी चोटों से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत मुमकिन है कि मृत्यु गले व छाती पर दबाव के कारण घुटन से हुई हो । इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३०२ भा० दं० वि० का अभियोग अंकित कर जांच की गई परन्तु मामले का पता न लगने के कारण फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई । दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

*३७-३८---**डाक्टर जयगोपाल** (जिला सहारनपुर)---[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३९---**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़) तथा **श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)---[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४०-४१---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४२---**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)---[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

जाट वैदिक कालेज, बड़ौत के एक विद्यार्थी की हत्या

*४३---**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)---क्या यह सही है कि २९ जुलाई, १९६१ को दिन के १ बजे जाट वैदिक कालेज, बड़ौत (मेरठ) के एक विद्यार्थी श्री सत्यपाल सिंह (ग्राम मुकन्दपुर, थाना छपरौली) की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्यारा हत्या करके गन्ने के खेत में लापता हो गया ?

श्री चरणसिंह---जी हां ।

*४४---**आचार्य दीपंकर**---क्या मंत्री जी को ऐसे प्रार्थना-पत्र भी मिले हैं कि वास्तविक हत्यारे को गिरफ्तार न करके स्थानीय पुलिस ने गांव सभा की प्रधानी की रंजिश के कारण ६ निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है ?

*४५---यदि हां, तो मंत्री जी ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह---कार्यालय में ऐसे प्रार्थना पत्रों का पाया जाना नहीं प्रतीत होता । परन्तु प्रश्न प्राप्त होने के पश्चात् इस संबंध में जिलाधीश से पूछने पर यह ज्ञात हुआ कि पुलिस ने अब तक किसी को नहीं पकड़ा है ।

पशु-पालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा आमंत्रित कपड़ा खरीदने के टेंडर

*४६---**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार को पता है कि पशु एवं मत्स्य विभाग के डायरेक्टर के कार्यालय, लखनऊ में १५,००० रुपये का कपड़ा खरीदने के कोटेशन मांगे गये थे, जो २७ जुलाई, १९६१ के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ किन्तु कोटेशन २६ जुलाई, १९६१ को ही खोल कर खरीदने का अधिकार एक आदमी को दे दिया गया ?

श्री चरणसिंह---पशु-पालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा १८,१०० गज मलमल तथा ८,००० गज मारकीन क्रय करने के लिये टेंडर आमंत्रित किये गये थे, जो 'नवजीवन' तथा 'पायनियर' में क्रमशः २५ जून, १९६१ तथा २७ जून, १९६१ को प्रकाशित हुये । टेंडर

खोलने की तिथि २६ जून, १९६१ निर्धारित की गयी थी। तदनुसार २६ जून, १९६१ को विभागीय परचेज बोर्ड तथा छः टेंडर देने वालों के समक्ष टेंडर खोले गये। फलस्वरूप मलमल तथा मारकीन क्रय करने के लिये दो विभिन्न फर्मों के, जिनकी दरें न्यूनतम थीं, टेंडर स्वीकार किये गये।

कानपुर के बीज गोदाम में कथित गबन

*४७—**श्री मोतीलाल अवस्थी**—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में बीज गोदामों से कई लाख रुपयों के बीज का गबन पकड़ा गया है? यदि हां, तो वह गबन कितने रुपयों की कीमत का है और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मन्त्री, बरबार नवयुवक संघ की धानेपुर थाना की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*४८—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत ८ जून, १९६१ को थाना धानेपुर, जिला गोंडा में धारा १०९ आई० पी० सी० में कितने व्यक्तियों का चालान हुआ?

श्री चरणसिंह—उक्त तिथि को दो व्यक्तियों का चालान धारा १०९ जाब्ता फौजदारी में हुआ।

*४९—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मंत्री बरबार नवयुवक संघ ने थाना इंचार्ज, धानेपुर के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र एस० पी० व डी० सी० को दिया है? उपरोक्त प्रार्थना-पत्र की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चरणसिंह—जी हां। प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इस में पुलिस के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच की गई, शिकायतें निराधार पाई गईं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८४७ पर)

नहर विभाग में जिलेदारों के स्थायित्व में अनियमितता की शिकायत

*५०—**श्री नत्थाराम रावत** (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर विभाग में वर्ष १९५६ से मार्च, १९६१ तक जिलेदार के पद की कितनी स्थायी जगहें खाली हुईं और उन पर कितने अस्थायी जिलेदार स्थायी किये गये?

श्री राममूर्ति—अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च, १९६१ तक जिलेदारों की ८८ स्थायी जगहें खाली हुईं और उन पर ३६ अस्थायी जिलेदारों की स्थायी नियुक्तियां हो गई हैं और ३ अस्थायी जिलेदारों को प्रोबेशन पर रख दिया गया है।

*५१—**श्री नत्थाराम रावत**—क्या यह सही है कि उपर्युक्त अस्थायी से स्थायी बनाये गये जिलेदारों में सीनियारिटी का ध्यान न रखते हुये जूनियर लोगों को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। स्थायीकरण के समय सीनियारिटी का पूर्ण ध्यान रखा गया है परन्तु ऐसे सीनियर जिलेदारों को जिनकी रिपोर्टें खराब थीं उन्हें छोड़ दिया गया और उनसे जूनियर (Junior) जिलेदारों को जिनका काम ठीक था स्थायी कर दिया गया।

थारू तिसौर ग्राम की डकैती

*५२—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम थारू तिसौर, थाना सितारगंज, जिला नैनीताल के अन्तर्गत भारी डकैती १८ जुलाई, १९६१ को पड़ी थी, जिसमें अनेक थारू परिवारों को लूट लिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। इस संबंध में अभी तक २ डाकू गिरफ्तार किये गये हैं तथा अन्य डाकुओं को पकड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*५३—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

राज्य की उत्तरी सीमा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों में कम्युनिस्टों का प्रचार

*५४—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार को पता है कि प्रदेश की उत्तरी सीमा पर कार्य करने वाले पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों तथा मजदूरों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गुप्त प्रचार कर के असंतोष फैलाना चाह रही है ? यदि हां, तो सरकार ने इसकी रोक-थाम का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री चरणसिंह—प्रदेश के उत्तरी सीमा पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों तथा मजदूरों में कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं की कार्यवाही की सूचना सरकार को है। सरकार सतर्क है और यदि कोई आपत्तिजनक हरकतें हुई तो वैधानिक तरीके पर सम्भव कार्यवाही की जायगी।

रुड़की के निकट मोटर दुर्घटनायें

*५५—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत जुलाई के तीसरे सप्ताह में रुड़की के पास नहर में जो मोटर दुर्घटना हुई उसका क्या कारण था और उसमें कितनी मौतें हुईं ?

श्री चरणसिंह—जी हां। दुर्घटना ट्रक के अगले पहिये के बायें टायर के फट जाने के कारण हुई और उसमें ३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

*५६—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले पांच वर्षों में इस मार्ग पर कितनी मोटर दुर्घटनायें हुईं और कितनी मौतें हुईं ?

श्री चरणसिंह—जनवरी सन् १९५७ से जुलाई सन् १९६१ ई० तक सात दुर्घटनायें हुईं जिसमें १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

*५७-५९—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—[२१ नवम्बर, १९६१ के लि स्थगित किये गये।]

माता टीला बांध को आकर्षक बनाने की कथित योजना

*६०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सिंचाई मंत्री जी को उस योजना का पता है जो कि माता टीला बांध बहुत ही रमणीक, चित्ताकर्षक व शोभायमान बनाने के संबंध में अभी हाल ही में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने टूरिस्ट डायरेक्टर, उद्यान के साथ मैसूर के वृन्दावन बाग की भांति माताटीला बांध पर बागादि बनाने के लिये तैयार की है ? यदि हां, तो क्या वह उसकी संक्षिप्त रूप-रेखा व उसके व्यय का तखमीना बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, ऐसी कोई नई योजना नहीं है। इस लिये उसकी रूप रेखा तथा तखमीने का प्रश्न नहीं उठता।

कुरावली थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराध की घटनायें

*६१---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के थाना कुरावली में दिसम्बर, १९५९ से मार्च, १९६१ तक कितनी चोरियां या राहजनियां या डकैतियां हुई हैं और उनमें से ऐसे मामले कितने हैं जिनमें किसी का भी चालान नहीं किया गया है ?

श्री चरणसिंह---१ दिसम्बर, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक उक्त थाने के अन्तर्गत चोरी की १०८, राहजनी की ३ व डकैती की ४ घटनाओं की रिपोर्ट हुई। इनमें से चोरी के ७२ मामलों में तथा राहजनी के एक मामले में किसी का चालान नहीं हुआ। डकैती के सभी मामलों में चालान हुआ।

गांधी पार्क स्थित प्रदर्शनी, गोरखपुर में श्री राधेश्याम गुप्त के पिटने की शिकायत

*६२---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत ३ जून, १९६१ को गोरखपुर गांधी पार्क स्थित नुमाइश में उक्त नुमाइश के प्रबन्धकों द्वारा कुछ नागरिकों के अनावश्यक रूप से पीटे जाने की शिकायतें गोरखपुर के जिलाधीश तथा पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त शिकायतों में मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह---जी हां। ऐसी शिकायत श्री राधेश्याम गुप्ता से प्राप्त हुई थी। मुख्य शिकायत यह थी कि उन्हें तथा उनके एक साथी श्री रमेश चन्द्र दुबे को प्रदर्शनी के इन्तजामी कमेटी के प्रमुख सदस्य सर्वश्री राम सिंह तथा लाल जी व अन्य व्यक्तियों ने दिनांक २-६-६१ को प्रदर्शनी के फाटक पर पीटा। श्री गुप्ता ने यह भी शिकायत की कि उपरोक्त सर्वश्री राम सिंह तथा लाल जी उनसे राजनैतिक कारणों से रंजिश रखते हैं तथा इसी कारण वे पीटे भी गये। जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि घटना किसी रंजिश के कारण नहीं हुई बल्कि श्री गुप्ता प्रदर्शनी में बिना टिकट प्रवेश करना चाहते थे जिसके फलस्वरूप उनमें व प्रदर्शनी के प्रबन्धकों के बीच मारपीट हुई। घटना Non c gnizable पाई गई। अतः पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, केवल मौके पर पहुंच कर शांति स्थापित कर दी।

फरेंदा तहसील में सिंचाई योजना

*६३---श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में सिंचाई के लिये कौन-कौन-सी योजनायें किन-किन जगहों पर चालू की जायंगी और उनसे कितना क्षेत्र सींचा जा सकेगा ?

श्री राममूर्ति---तीसरी पंच वर्षीय योजना में गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में नहर की कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

वास्तव में इस क्षेत्र की मौजूदा श्रीनगर ताल योजना की नहरों को ६ मील ७ फर्लांग और बढ़ाने की योजना है। इस योजना को इस वर्ष पूरा करने में १ लाख रुपया और व्यय करने का प्रस्ताव है। इससे १,२११ एकड़ भूमि की अधिक सिंचाई उक्त तहसील में होगी।

*६४---श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या सरकार को पता है कि उपर्युक्त तहसील के डांडा और रोहिन नहरों से तहसील को अपेक्षित पानी नहीं मिल पाता है जिससे खरीफ अभियान पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाता ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। वहां इन नहरों में पानी के अभाव की कोई शिकायत नहीं रही है।

पुलिस चौकी, मऊनाथ भंजन के दो कान्स्टेबुलों की मुअत्तली

*६५--श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ की पुलिस चौकी का कोई हेड कांस्टेबिल अप्रैल, १९६१ में पुलिस कप्तान द्वारा मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--जी हां। २४ अप्रैल, १९६१ को एक हेड कांस्टेबुल और एक कान्स्टेबुल मुअत्तल करके लाइन हाजिर किये गये थे क्योंकि उनके विरुद्ध यह शिकायत पाई गई कि उन्होंने जनता के कुछ व्यक्तियों को मारा पीटा और पुलिस चौकी के ड्यूटी रजिस्टर में बगैर कोई नियमित इंदराज किये उनको पुलिस चौकी पर रोक रखा।

*६६--श्री विश्रामराय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त लाइन हाजिर हेड कांस्टेबिल ने रोजनामचे में उक्त तिथियों में किसी सुपरवाइजर तथा कुछ शराबियों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट भी लिखी है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री चरणसिंह--पुलिस चौकी के ड्यूटी रजिस्टर में २३ अप्रैल, १९६१ को कुछ ताड़ी पीने वालों के विरुद्ध एक रिपोर्ट उक्त हेड कांस्टेबिल द्वारा लिखी गई थी जिसमें किसी सुपरवाइजर का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिय नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८४८ पर)

उप शाखा नहर नत्थू पुर में कुलाबा लगाने तथा नहर सम्बन्धी असुविधाओं को दूर करने की मांग

*६७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास १९-४-६१, २४-४-६१ और ४-३-६१ को लिखित ग्राम बहरामपुर, मूंगमास फतेहपुर, तालरतोय, सिंहासी ग्राम के किसानों के प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के ९-५-६१ के पत्र के साथ प्राप्त हुये हैं जिनमें नहर का मार्ग बदलने, सर्विस रोड न बनाने तथा १९५८ में किये गये काम का भुगतान न करने आदि की लिखित शिकायत है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति--जी हां, प्रार्थना-पत्रों की छान बीन की गई तथा परिणाम से प्रार्थी को सूचना दी जा रही है।

*६८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गांव सभा फतेहपुर गोड़हरा, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के प्रधान का १९ मार्च, १९६१ को कोई प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के १७ अप्रैल, १९६१ के पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें दोहरीघाट नहर की उपशाखा नत्थूपुर कुलाबा लगाने की मांग गई है?

श्री राममूर्ति--जी हां।

सुरहाताल नहर के पानी का अवैध प्रयोग

*६९--श्री शिवमंगलसिंह (जिला बलिया)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सुरहाताल नहर जो ग्राम खरौनी, तहसील बांसडीह, जिला बलिया में है, उसका पानी खरौनी ग्राम के किसी भूतपूर्व जमींदार ने १९५९-६० में लेकर ईंट बनवाने में इस्तेमाल किया था?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*७०--श्री शिवमंगलसिंह--क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में वहां के किसानों की शिकायत पर वहां के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच भी की गई है तथा उपर्युक्त अभियोग उपर्युक्त भतपूर्व जमींदार पर सिद्ध भी हुआ है ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*७१--श्री शिवमंगलसिंह--यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करेंगे तथा यह भी बतायेंगे कि इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री राममूर्ति--जांच रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि† सदन की मेज पर रखी है। अभियोग सिद्ध होने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर ईंट पथाई का दुगना कर लगाया गया।

नारायणी नहर से नवीन शाखायें निकालने की आवश्यकता

*७२--श्री अमर नाथ --क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की नारायणी नहर से वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में कहां से कहां को कौन-कौन नहर शाखा बनेगी और इस पर कितना धन व्यय होगा ?

श्री राम मूर्ति--ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अतएव धन व्यय किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*७३--श्री अमरनाथ--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त प्रत्येक शाखा से कितने एकड़ जमीन सींची जायेगी ?

श्री राममूर्ति--प्रश्न नहीं उठता।

पिंडरा व समोगरा ग्रामों में सिंचाई साधनों की कमी

*७४--श्री ऊदल--क्या सरकार बतायेगी कि पिंडरा व समोगरा गांव, तहसील व जिला वाराणसी का कृषि का क्षेत्रफल कितने एकड़ का है व उसमें से कितने एकड़ की सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है और कितने की सिंचाई नहीं हो पाती है ?

श्री राममूर्ति--पिंडरा व समोगरा ग्रामों का कृषि क्षेत्र क्रमशः १,७४७ एकड़ व २७७ एकड़ है, जिसमें से १९६०-६१ में क्रमशः १७५ व १७ एकड़ की सिंचाई हुई है। कुल २,०२४ एकड़ क्षेत्र में से १,८३२ एकड़ की सिंचाई नहीं होती। इसमें से ८२७ एकड़ चकधान का क्षेत्र है।

*७५--श्री ऊदल--क्या सरकार पिंडरा व समोगरा के लिये समीपस्थ पक्की सड़क के पूरब तरफ एक ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था करेगी जिससे समोगरा व पिंडरा की सिंचाई हो सके ?

श्री राममूर्ति--पिंडरा व समोगरा ग्रामों में अब और कोई नये नलकूप लगाने की आवश्यकता नहीं है।

*७६--श्री ऊदल--क्या सरकार गांव छंतौव, परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में हमीरपुर के पास नाले में बांध बना कर रेगुलेटर लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया खर्च होगा ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई।

इटावा जिले में नलकूप

*७७—श्री भजनलाल—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला इटावा के अन्तर्गत कितने ट्यूबवेल लगे हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—१।

*७८—श्री भजनलाल—उपर्युक्त ट्यूबवेलों में से कितने संचालित हैं और कितने कहां-कहां पर बेकार पड़े हुये ह ?

श्री राममूर्ति—यह नलकूप संचालित है।

*७९—श्री भजनलाल—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो बेकार ट्यूबवेल पड़े हुये हैं उनको कब तक ठीक करवा दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

नलकूपों की गूलों के पुनर्निर्माण पर व्यय

*८०—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४ से १९६० तक प्रदेश के नलकूपों की कितने मील लम्बी दोषपूर्ण गूलों का पुनर्निर्माण करना पड़ा तथा उस पर सरकार का कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति—लगभग १८.३१ मील लम्बी दोषपूर्ण गूलों का पुनः निर्माण करना पड़ा। इस कार्य पर कुल रुपया ६५,२२५.०२ नये पैसे व्यय हुआ।

*८१—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रकार का जो खर्च हुआ वह किस अधिकारी की असावधानी से हुआ तथा उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—इसमें चार ओवरसियर दोषी ठहराये गये तथा उनको उचित दंड दिया गया।

अलीगढ़ जिले में सहकारी नलकूप

*८२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सिंचाई मंत्री दिनांक २३ अगस्त, १९६० के प्रश्न ११ के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में कोआपरेटिव के कितने नलकूपों को सरकार अपने संरक्षण में लेने जा रही है और उन पर सब मिला कर कितनी लागत लगी है ?

श्री राममूर्ति—अभी यह निश्चित नहीं है कि अलीगढ़ जिले के कितने कोआपरेटिव नलकूप सरकार द्वारा लिए जा सकेंगे। अतएव उन पर लागत का प्रश्न इस समय नहीं उठता है।

सगड़ी तहसील में साम्प्रदायिक दंगे की घटना

*८३—श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की तहसील सगड़ी में पिछले ६ महीनों में कितनी साम्प्रदायिक दंगों की दुर्घटनायें हुईं ?

श्री चरणसिंह—गत ६ महीनों में उक्त तहसील में केवल एक साम्प्रदायिक दंगे की घटना हुई।

*८४—श्री इन्दुभूषण गुप्त—क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र मुख्य मंत्री को इस सम्बन्ध में गत ६ मासों के भीतर मिला था ? यदि हां, तो क्या उस पर हुई कार्यवाही से अवगत कराने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—जी हां । उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित एक पत्र दिनांक ३ मई, १९६१ को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के विषय में जिलाधीश, आजमगढ़ से रिपोर्ट मंगाई गई और उसके परीक्षण के बाद यह निर्णय किया गया कि उक्त घटना से सम्बन्धित मामलों को वापस लिया जाना उचित नहीं है।

*८५—**श्री इन्दुभूषण गुप्त**—क्या गृह मंत्री उक्त कुल घटनाओं का पूर्ण विवरण, उनके कारणों और उन पर हुई कार्यवाहियों पर प्रकाश डालते हुये देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—वांछित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८४९ पर)

*८६—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[२१ नवम्बर १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*८७—**श्री अलिखानसिंह** (जिला मैनपुरी)—२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

ट्यूबवेल सर्किल मुरादाबाद में अमानत बोर्ड की स्थापना

*८८—**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल सर्किल, मुरादाबाद ईस्ट के अन्तर्गत अमानत बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है ?

श्री राममूर्ति—ट्यूबवेल सर्किल, मुरादाबाद के अन्तर्गत अमानत बोर्ड की स्थापना हो चुकी है।

*८९—**श्री हरदयालसिंह**—क्या सरकार को पता है कि ट्यूबवेल डिवीजन शाहजहांपुर में, जो अमानत का कार्य अमीन कर रहे हैं, वे नियमानुसार अमानत बोर्ड के द्वारा चुने हुये व्यक्ति हैं ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

ट्यूबवेल डिवीजन, शाहजहांपुर में जो अस्थाई अमीन कार्य कर रहे हैं वे अभी तक अमानत बोर्ड के द्वारा स्वीकृत नहीं हुये हैं। इनको काम चलाने के लिये अस्थाई रूप से रख लिया गया है। इन्हें अधिशासी अभियंताओं के बोर्ड के सम्मुख जोकि हाल में होने वाला है, स्वीकृति के लिये उपस्थित होना पड़ेगा।

*९०-९१—**श्री मुनीन्द्रपालसिंह** (जिला पीलीभीत)—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

तराई स्टेट फार्म के कर्मचारियों का स्थायित्व

*९२—**आचार्य दीपंकर**—क्या यह सही है कि तराई स्टेट फार्म, नैनीताल में द्वितीय श्रेणी के सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है और ग्रुप १ और ग्रुप २ के कर्मचारी स्थायी नहीं किये गये हैं तथा ग्रुप ३ के केवल कुछ कर्मचारियों को स्थायी किया गया है ?

श्री चरणसिंह—पन्तनगर फार्म (भूतपूर्व तराई स्टेट फार्म) के सहायक कृषि इंजीनियर को छोड़ कर सभी द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी स्थाई कर दिये गये हैं। ग्रुप १ तथा ग्रुप २ के सभी कृषि इन्सपेक्टर अभी अस्थाई हैं तथा ग्रुप ३ के केवल कुछ कर्मचारी स्थाई किये गये हैं।

*९३—**आचार्य दीपंकर**—क्या यह भी सही है कि ग्रुप १, २ और ग्रुप ३ के उक्तपद स्थायी हैं (जिन पर यह कर्मचारी कार्य कर रहे ह) और ये पद रिक्त बने हुये ह?

श्री चरणसिंह—ग्रुप १, २ तथा ३ के कृषि इंस्पेक्टर के ८१ पद स्थाई हैं। ग्रुप १ तथा २ के कुल पदों पर सभी कर्मचारी अस्थाई रूप से काम कर रहे हैं तथा ग्रुप ३ के कुल ५७ स्थाई पदों पर २२ कर्मचारी स्थाई हैं और ३५ अस्थाई हैं। कोई भी स्थाई पद रिक्त नहीं है।

*९४—**आचार्य दीपंकर**—यदि हां, तो क्या सरकार इन स्थायी पदों पर उन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायी रूप में नियुक्त करने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—पंतनगर फार्म के अस्थाई कर्मचारियों को उपलब्ध स्थायी पदों पर Confirm करने के सम्बन्ध में सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

*९५-९६—**श्री शिवराम** (जिला बिजनौर) **तथा श्री हिम्मत सिंह**—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

ज्वालापुर में पाकिस्तानी झण्डों का कथित प्रदर्शन

*९७—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या यह सच है कि गत पन्द्रह अगस्त को आजादी के दिन ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में राष्ट्रीय झंडा फहराते समय गोले छूटे और उनमें पाकिस्तानी झंडे निकले? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

भैंसोरा खुर्द के श्री लेखराज पर कासगंज के दारोगा द्वारा गोली चलाना

*९८—**श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)—क्या यह सही है कि ग्राम सभा भैंसोरा खुर्द, थाना कासगंज, जिला एटा के ग्राम प्रधान के सगे भाई को पुलिस ने ५ बजे शाम को तारीख १३ अगस्त, १९६१ को उनके मकान पर गोली मार दी?

श्री चरणसिंह—जी हां, उक्त तिथि को ग्राम प्रधान के भाई लेखराज पर थाना कासगंज के अफसर दोयम ने गोली चला दी थी।

*९९—**श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री गंगाप्रसाद वर्मा**—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्यों ऐसा व्यवहार किया गया और इसमें सरकार क्या कर रही है?

श्री चरणसिंह—इस मामले की मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी हुई थी जिससे प्रतीत होता है कि कासगंज थाने के दारोगा, भैंसोरा खुर्द ग्राम सभा के प्रधान श्री नारायण लाल के घर उनके सगे भाई श्री लेखराज को थाने ले जाने के लिये पहुंचे। श्री लेखराज ने गिरफ्तारी का वारन्ट दिखाने के लिये कहा जो दारोगा नहीं दिखा पाये। दारोगा ने लेखराज को जबरदस्ती पकड़ना चाहा और इस पर उसने भागने की चेष्टा की। तब दारोगा ने गोली चला दी जो उसके पीठ के नीचे दाहिनी तरफ लगी। दारोगा को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध जांच हो रही है।

*१००—**श्री शिवप्रसाद नागर**—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०१—**श्री गंगाप्रसादसिंह** (जिला बलिया)—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०२-१०३--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०४-१०६--श्री शिवराज बहादुर (जिला बरेली)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०७--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२० नवम्बर, १९६१ के लिये प्रश्न २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०८--श्री होरीलाल यादव--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में डकैतियां

*१०९--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ ई० तक किन-किन थानों के किस ग्राम में किस के यहां डकैती पड़ी व कितने जन-धन की हानि हुई और उसमें क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ८५०-८५३ पर।)

*११०--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त समय में जिला बाराबंकी में किस-किस थाने के अन्तर्गत डकैती पड़ी परन्तु रिपोर्ट चोरी में दर्ज की गई है, जिसकी शिकायतें सरकार तथा जिले के अधिकारियों को दी गई हैं ? उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--उक्त अवधि में डकैती की किसी घटना की रिपोर्ट चोरी में दर्ज की गई हो ऐसी कोई शिकायत सरकार तथा जिला अधिकारियों को नहीं प्राप्त हुई है।

*१११--श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस'--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*११२--श्री होरीलाल यादव--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया

जालौन जिले में कृषि कालेज की आवश्यकता

*११३--श्री गरीबदास--क्या सरकार जिला जालौन में कोई कृषि कालेज खोलने का विचार रखती है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*११४--श्री होरीलाल यादव--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*११५-११७--श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*११८-१२०--श्री प्रतापसिंह--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२१-१२२--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२३--श्री गंगाप्रसाद--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२४-१२५--श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में डकैतियां

*१२६--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला जालौन में जो तीन डाकुओं के गिरोहों ने मार्च, १९६१ से आतंक मचा रखा है उसने आज तक कितनी डकैतियां डाली तथा उनमें कितनी जान माल की हानि हुई ? क्या सरकार थानेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--वर्ष १९६१ में केवल दो ही गिरोह सक्रिय रहे। एक श्रीपाल गड़रिया का तथा दूसरा सिकन्दरा का। इन गिरोहों द्वारा डाली गई डकैतियों के बारे में मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ८५४ पर ।)

*१२७--राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो डाकुओं के गिरोह जालौन में उत्पात मचा रहे हैं उनके कितने सदस्य मारे गये और ३१ जुलाई, १९६१ तक पकड़े गये ?

श्री चरणसिंह--अब तक डाकुओं के इन गिरोहों के ९ सदस्य मारे गये तथा १० सदस्य पकड़े गये ।

*१२८--राजा वीरेन्द्रशाह--क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला जालौन में जो विशेष पुलिस (पी० ए० सी०) लगी हुई है वह कब तक लगी रहेगी और क्या सरकार का इन जगहों में से कुछ पर स्थायी चौकी रक्खे जाने का विचार है ? यदि हां, तो उन जगहों के नाम क्या हैं ?

श्री चरणसिंह--डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार पी० ए० सी० लगाई गई है जिसकी संख्या परिस्थितियों के अनुसार घटाई बढ़ाई जाती है। अभी किसी स्थान पर स्थाई चौकी रखने का कोई विचार नहीं है ।

*१२९--श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३०-१३१--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३२--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित लिये किया गया ।]

*१३३--१३४--श्री महादेवप्रसाद (जिला बहराइच)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

ट्यूबवेल डिवीजन, मैनपुरी में आपरेटरों का सस्पेंशन एलाउन्स

*१३५--श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्यूबवेल डिवीजन, मैनपुरी में ग्रुप फर्रुखाबाद में ऐसे कितने आपरेटर हैं जिनको आज तक सस्पेन्शन एलाउन्स नहीं मिला है और वह कब तक मिल जावेगा ?

श्री राममूर्ति--फर्रुखाबाद ग्रुप में केवल तीन ऐसे आपरेटर हैं जिनको अभी तक कुछ समय का सस्पेंशन एलाउन्स नहीं मिला है। इनमें से एक को उक्त एलाउन्स जल्दी ही मिल जायेगा। शेष दो को उत्तर प्रदेश के महालेखापाल के यहां से बिल पास होकर आने पर मिल सकेगा।

*१३६-१३७--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३८-१३९—श्री गयाप्रसाद—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़ जिले में डकैतों के साथ मुठभेड़ में मृत व्यक्ति

*१४०—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ में जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई सन् १९६१ तक कितनी डकैतियां पड़ीं और कितने कत्ल हुये ?

श्री चरणसिंह—प्रतापगढ़ जिले में इस अवधि में कुल ९ डकैतियां पड़ीं तथा १६ कत्ल हुये ।

*१४१—श्री रामकिंकर—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुण्डा तहसील की ग्राम सुरक्षा समिति के तीन सदस्य, श्री यूसुफ (पुलिस) तथा पट्टी तहसील के पूरा ग्राम का एक व्यक्ति चोरों और डकैतों का मुकाबला करते हुये पिछले चार माह के बीच वीर गति को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो सरकार ने उनके परिवार को क्या-क्या सहायता प्रदान की ?

श्री चरणसिंह—जी हां, कुण्डा तहसील की ग्राम सुरक्षा समिति के तीन सदस्य मारे गये । इनमें से एक श्री शंकर के कोई वारिस न होने के कारण उनके मामले में सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठा । अन्य दो सदस्य, सर्वश्री हीरा लाल तथा गनेश, के परिवार वालों को सहायता प्रदान करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । स्व० यूसुफ कांस्टेबुल तथा ग्राम सुनपुरा के निवासी श्री इमामुद्दीन के सम्बन्धियों को पेंशन देने के मामले भी विचाराधीन हैं ।

*१४२—श्री विश्रामराय—[छठवें बुधवार के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१४३-१४५—श्री राजेन्द्रदत्त (जिला मुजफ्फरनगर)—[छठवें बुधवार के लिये प्रश्न १७-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१४६—श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्टिलाइजर का दुरुपयोग रोकने की प्रार्थना

*१४७—श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार फर्टिलाइजर के दुरुपयोग को रोकने के लिये किसी उस व्यक्ति द्वारा जिसे फर्टिलाइजर मिलता है उसका बेचना तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका उत्तर प्रदेश से निर्यात करना रोकने के लिये कोई कानून बनाने या उसके लिये केन्द्र से सिफारिश करने का विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह—फर्टीलाइजर के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित दो नियम बनाये हैं—

(१) फर्टीलाइजर (कन्ट्रोल) आर्डर, १९५७ ।

(२) इनौर्गानिक फर्टीलाइजर (मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आर्डर, १९६०, फर्टीलाइजर (कन्ट्रोल) आर्डर, १९५७ की धारा ५ के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस लिये फर्टीलाइजर बेचने का कारोबार नहीं कर सकता है ।

इनौर्गानिक फर्टीलाइजर (मूवमेन्ट कन्ट्रोल) आर्डर, १९६० की धारा ३ के अनुसार कोई भी व्यक्ति फर्टीलाइजरों को भारत सरकार से परमिट लिये बिना एक राज्य से दूसरे राज्य को नहीं भेज सकता है ।

सिंचाई कार्य मण्डल, इटावा, का स्थानान्तरण

*१४८—श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई कार्य मंडल, इटावा, का दफ्तर जो अभी तक इटावा में था अलीगढ़ को ट्रांसफर हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, सिंचाई कार्य मंडल, इटावा, का स्थानान्तरण अलीगढ़ को हो रहा है ।

*१४९—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

मौरावां थाना क्षेत्र में कत्ल

*१५०—**श्री परमेश्वरदीन वर्मा** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव के मौरावां थाने के अन्तर्गत १ जनवरी, १९६० से ३१ जुलाई, १९६१ तक कितने और कहां-कहां पर कत्ल हुये और उनमें से कितने कत्लों के मुकदमें चले तथा कितने कत्ल ऐसे हैं कि जिनकी नामजद रिपोर्ट होते हुये भी मुकदमें पुलिस ने नहीं चलाये ?

श्री चरणसिंह—उक्त अवधि में थाना मौरावां के अन्तर्गत केवल एक कत्ल ग्राम कुदरा में हुआ था । इस मामले में १४ व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखाई गई थी । इन सभी पर मुकदमा चलाया गया था ।

*१५१—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—[१५ नवम्बर, १९६१ के प्रश्न ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१५२—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५३—**श्री भीखालाल**—[२१ नवम्बर, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

प्रश्नों के विषय में जानकारी

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—प्रश्नों के विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । इसमें बहुत से प्रश्न २१ तारीख के लिये स्थगित किये गये हैं । अब खबर यह मालूम पड़ रही है कि सदन १७ तारीख तक चल रहा है । लिहाजा २१ तारीख तक जो स्थगित किये गये हैं उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि उनका उत्तर पहले प्राप्त हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं यह व्यवस्था कर सकता हूं कि इस बीच में अगर उत्तर आ जायं तो मंत्री जी मेरे पास भिजवा दें और मैं उन उत्तरों को दिलवा दूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या यह खबर सही है कि १७ तारीख तक ही यह सदन चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—हां, १७ तारीख तक ही चलेगा । यह कल ही बतला दिया था ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—पिछले महीनों में बहुत से माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछे हैं, जिनके उत्तर आ रहे हैं । जितना व्यय सरकार का होने वाला था वह हो चुका है । तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह की व्यवस्था कर दें कि माननीय मंत्री उनके उत्तर आपके पास भिजवा दें, और सदन के उठने के बाद वे उत्तर आप माननीय सदस्यों को भिजवा दें तो उससे काफी लाभ होगा ।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न रह गये हैं और जिनके उत्तर गवर्नमेन्ट के पास आ चुके हैं उन पर खर्चा जो होना था वह तो हो चुका । अगर गवर्नमेन्ट उन उत्तरों को मेरे दफ्तर में भिजवा दे तो मैं दफ्तर से यह व्यवस्था कर सकता हूं कि उनको जिन माननीय सदस्यों के वे प्रश्न हैं उनके पास भिजवा दूंगा । फिर पूरक प्रश्न नहीं होंगे लेकिन उनके पास इस बीच में उनके उत्तर पहुंच जायेंगे । इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मुझे कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वे छप जायं ।

श्री अध्यक्ष—आपके यहां जो आ गये हों उनको आप मेरे दफ्तर में भेज दें । मैं उनको माननीय सदस्यों को भेज दूंगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात की चेष्टा की जायगी ।

सदन के स्थगन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—आपने स्पष्ट कहा कि सदन १७ तारीख तक चलेगा । लेकिन सरकारी पक्ष के किसी सम्मानित सदस्य ने बतलाया था कि नहीं २१ तारीख तक भी चल सकता है । तो टाउन एरया या म्युनिसिपल बोर्ड की तरह तो नहीं है कि जब चाहा बैठक बुला ली ?

श्री अध्यक्ष—सदन तो अपना मालिक है ही ।

श्री राजनारायण—उसमें हम लोगों को दिक्कत हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—मुझे यह मालूम है कि १७ तक चलेगा । मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि २१ तक चलेगा ।

श्री राजनारायण—तो मुख्य मंत्री इसे बतला दें कि सदन कब तक चलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सदन १७ तारीख तक चलेगा और यह सदन माननीय सदस्यों की मांग पर ही बुलाया गया था । खास कर दो विषयों के सम्बन्ध में जिन पर सदन चर्चा करना चाहता था, जिस पर सदन अपनी कुछ राय देना चाहता था वे दो विषय हैं एक तो बहिया और दूसरे साम्प्रदायिक दंगे जो हुये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अनुदानों के सम्बन्ध में.....

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब सदन बुलाया गया तो जो चीजें आवश्यक समझी गयीं उनको अनुदानों में शामिल करके सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी ।

श्री राजनारायण—तो यह निश्चय हो गया कि १७ तारीख तक ही सदन चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—जी हां ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

विद्युत उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—मैं, उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ में उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५१७५—एस० १८—सी—१७२३-५३, दिनांक २४ अक्तूबर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—कल जो हमारी तरफ से माननीय राजनारायण जी ने एतराज किया था ये जो रूल्स रखे जा रहे हैं ये हाउस के सामने १४ दिन के लिये रखे जाते हैं और हम लोगों को कुछ में संशोधन देने हैं । हम संशोधन दे देंगे तो क्या होगा ? अगर उनमें तरमीम नहीं होती तो क्या पहले रूल्स लागू होंगे ?

---

*छापे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष—आप अगर संशोधन मुझे दे दें तो मैं सरकार के पास भेज दूंगा। उनके ऊपर उनको फैसला करना होगा, अगर सदन नहीं बैठता है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—अच्छी बात है।

द्वितीय विधान सभा की आश्वासन समिति का ११वां प्रतिवेदन †

श्री अध्यक्ष—अब सभापति, आश्वासन समिति, अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे।

***राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का ११ वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

यह प्रतिवेदन उन आश्वासनों से संबंधित है जो २१ अक्तूबर, १९५५ से २७ मार्च, १९५७ तक की अवधि में विभिन्न अवसरों पर सरकार द्वारा दिये गये थे। इन आश्वासनों के सम्बध में पुरानी समितियां अपने प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत कर चुकी हैं। इस प्रस्तुत प्रतिवेदन में उन २२ आश्वासनों की स्थिति बतलाई गई है, जो उक्त अवधि में दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित समिति के पिछले प्रतिवेदन में अपूर्ण दिखलाये गये थे। इन आश्वासनों पर विचार करते समय समिति ने देखा कि अभी भी कुछ आश्वासन ऐसे हैं जिनकी पूर्णतया पूर्ति नहीं हो पाई है, यद्यपि उन आश्वासनों को सदन में दिये ४ वर्ष से ले कर साढ़े पांच वर्ष तक का समय व्यतीत हो चुका है। समिति का यह मत है कि इन आश्वासनों की पूर्ति भी बहुत पहले हो जानी चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं हो सका, उदाहरणस्वरूप मैं दिनांक ८ दिसम्बर, १९५५ को दिये गये "इंटरटेनमेंट टैक्स के हिसाब की जांच" विषयक आश्वासन का उल्लेख करना चाहता हूं। समिति को यह जान कर आश्चर्य हुआ कि इस मामले में अभी तक ए० जी० से लिखा-पढ़ी ही चल रही है, कोई निर्णय नहीं हुआ है।

समिति अपने पूर्व प्रतिवेदनों में यह सिफारिश कर चुकी है कि किसानों को उनकी भूमि का मुआविजा दिये जाने के प्रश्न पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिये। समिति ने अनुभव किया कि इस विषय पर संबंधित विभागों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार समिति की सिफारिशों की उपेक्षा करना अनुचित है।

अंत में मैं इस समिति से सम्बन्धित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा परिश्रम के लिये धन्यवाददेता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर अगर कोई मंत्री महोदय कोई वक्तव्य संक्षेप में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

(किसी मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य न देने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह प्रतिवेदन तो कम से कम दर्जनों पेश हुये और आपने हमेशा मंत्रियों से पूछा भी कि कोई वक्तव्य देना चाहते हैं लेकिन आज तक वे हमेशा मौन रहे गरियार बैल की तरह कि चाहे जितना कोंचा जाय उस पर कोई असर ही नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—"मौनम् सम्मति लक्षणम्" यह भी होता है। अगर उन्होंने आश्वासन पूरा नहीं किया तो वह क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि प्रतिवेदन को फिर देखेंगे और आश्वासन को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ?

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की लोक-लेखा-समिति का द्वितीय कार्य-लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन *

श्री अध्यक्ष---यह प्रतिवेदन शायद अभी मैनिस्क्रिप्ट ही है और टेबिल पर रख दिया गया है, अभी छप कर नहीं आया है। जब वह छप कर आ जायगा तो बांट दिया जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं लोक-लेखा समिति का द्वितीय कार्य-लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन (Second Work Audit Report) जो सिंचाई वर्कशाप से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमन्, अभी कुछ समय हुआ लोक लेखा समिति ने जो प्रथम वर्क आडिट रिपोर्ट साताटीला डैम के सम्बन्ध में थी वह आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष प्रस्तुत की थी । हमें उस समय यह खयाल था कि चूंकि वह रिपोर्ट अपने प्रकार की पहली है इसलिये शायद उसमें अनेक त्रुटियां रह गयी होंगी । लेकिन आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि उसी वर्क आडिट रिपोर्ट के आधार पर बरेली, रुड़की, मेरठ और झांसी की वर्कशाप्स के सम्बन्ध में यह द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । मुझे आशा है कि सरकार पहले की तरह हमारी इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने की कृपा करेगी ।

आर्कटिक भागों में भारी ऐटम बम विस्फोटों के कारण रेडियो ऐक्टिविटी अधिक बढ़ जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार जितने प्रश्न मेरे पास भेजे गये उनमें माननीय नारायणदत्त जी का विषय मैंने स्वीकार किया है और वह इस प्रकार है:

"पिछले डेढ़ महीने से विश्व के आर्कटिक भागों में जो भारी ऐटम बम विस्फोट हो रहे हैं तथा जिन विस्फोटों में से एक विस्फोट ५ करोड़ टन डाइनामाइट की शक्ति का हुआ है, उनके कारण वातावरण में 'रैडिएशन' तथा 'रेडियो ऐक्टिविटी' अधिक बढ़ जाने से अणु-सक्रिय-धूलि (फाल आउट) के गिरने का भारी खतरा पैदा हो गया है, जिससे प्रदेश के जन-जीवन को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है । सरकार की ओर से इस अणु सक्रिय-धूल एवं वर्षा के प्रभाव से बचने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है, इस पर चर्चा करने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर कोई वक्तव्य देंगे किसी रोज ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जो प्रश्न अभी माननीय नारायणदत्त जी ने उठाया है उसके विषय में मैं सदन के समक्ष यही निवेदन कर सकता हूं ....

श्री अध्यक्ष---क्या आप आज वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां । अभी इस विषय में कोई कार्यवाही इसलिये नहीं हुई कि अभी तो इस सरकार को यह पता नहीं है कि यह विस्फोटक अपने क्या-क्या असर किन-किन चीजों पर डालेंगे और उत्तर प्रदेश में तो अभी तक विस्फोटकों का कोई असर मालूम नहीं होता और न यही पता है कि वह विस्फोटक उत्तर प्रदेश में कहीं उमड़ता हुआ दिखाई पड़ा है । अभी सरकार इतना ही कह सकती है कि यह एक लम्बा-चौड़ा विषय है । यदि

*छापा नहीं गया ।

इस संबंध में कुछ करने की बात आयेगी तो केन्द्रीय सरकार ही अपने साधनों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदेशीय सरकारों को सलाह देगी कि क्या-क्या कदम उससे बचने के लिये उठाने चाहिये। अभी इससे अधिक यह सरकार इस विषय में कोई प्रकाश नहीं डाल सकती।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या इस बात को देखते हुये कि जनस्वास्थ्य संविधान के अनुसार इस सरकार का विषय है, यह सरकार केन्द्रीय सरकार और ऐटामिक एनर्जी कमीशन से इस संबंध में सूचना प्राप्त करेगी कि जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों में दूध, फल और तरकारी वगैरह पर रेडियो ऐक्टिविटी का सक्रिय प्रभाव होने के लिये सावधान होने के संबंध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, रेडियो ऐक्टिविटी कहीं हजार गुना, कहीं पांच सौ गुना और कहीं दो हजार गुना बढ़ रही है, तो हमारे यहां प्रदेश में या देश में कितने गुना बढ़ रही है और उनके विषय में किसी निर्धारक उपाय को लेना चाहिये या नहीं या जनता को सावधान करना चाहिये या नहीं, इस विषय में क्या कार्यवाही यह सरकार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी तो इस विषय में केन्द्रीय सरकार ने ही कार्यवाही की है कि उसके प्रधान मंत्री ने जिस सरकार ने इस कार्य को प्रारम्भ किया है उसके कार्य की निन्दा की है और यह विश्वास प्रकट किया है कि इस प्रकार की कार्यवाहियां वे सरकारें न करेंगी जो इस विस्फोटक के द्वारा करने की वे चेष्टा कर रही हैं जिससे मानवता को बहुत बड़ा खतरा है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्पष्ट रूप से, इस सदन की मंशा की जानकारी होने के बाद कि लोग बहुत चिन्तित हैं कि किरण सक्रियता के कारण कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा हो, केन्द्रीय सरकार और ऐटामिक एनर्जी कमीशन को लिखने और उनसे यह जानने की कृपा करेगी कि इस सूबे में खतरा आने से पहले लोगों को सावधान करने के लिये कोई कार्यवाही की जाय या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इन विस्फोटकों का संबंध, यदि वे कोई अपना असर रखते हैं तो सारे देश से है, केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही उसके शिकार नहीं बन सकते और यदि सारे देश को ही इस बात से खतरा हो सकता है तो जब अन्य प्रदेशों के लोग अभी उस खतरे के शिकार नहीं हुये हैं तो अभी इस प्रदेश के निवासियों को घबड़ाने की कोई बात नहीं है। इस सदन को भी किसी ऐसी कमजोरी का परिचय नहीं देना चाहिये जिससे ऐसा प्रकट हो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हर खतरे से इतना घबड़ाते हैं कि वे उसका मुकाबिला करने को उद्यत नहीं रहते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार को यह विश्वास है कि इस देश के प्रधान मंत्री द्वारा इन विस्फोटकों को छोड़ने वाली सरकार की निन्दा ही इस बात के लिये पर्याप्त है कि उससे कोई असर न पड़ने पावे और कोई नुक्सान न होने पावे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---श्रीमन्, बराबर इस बात की चेष्टा करना और संसार की सब जातियों के समक्ष इस विचार को रखना कि ऐसे कार्य वे सरकारें कर रही है जो विस्फोटकों को प्रसारित कर रही हैं वह भी एक महत्व रखता है और उसका असर है। कदाचित जो सरकारें इसमें लगी हुई हैं वे अपने इन कार्यों से उनको हटा सकें यदि सारा विश्व अपनी आवाज इस तरह के विस्फोटकों के विरुद्ध उठाने की चेष्टा करें। हमारा कदम, हमारे देश की सरकार का कदम, इनके वि द्ध उठा है और यह वह कदम है जिसको हमें पहले उठाना चाहिये। दूसरे, इससे बचने के जो कार्य हैं वे तो वैज्ञानिकों द्वारा ही हो सकते हैं और वही बता सकते हैं कि हमें इस खतरे से किस तरह बचना चाहिये। अभी इस देश के वैज्ञानिकों ने कोई चीज नहीं बताई है जिससे हम इस खतरे से बच सकें यदि वह हमारे नजदीक आ रहा है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---माननीय मंत्री जी के भाषणात्मक उत्तर से संबंधित. . . . . ।

श्री अध्यक्ष---इसको आप रहने दीजिये, मैं उनको भी रोक रहा था ।

श्री राजनारायण---लेकिन रोक नहीं सके ।

श्री अध्यक्ष---आपको मैं पहले ही रोक दूंगा ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि भारत सरकार अपनी इस राय को प्रकट करने के बाद कि यह परीक्षण बन्द किये जायं यदि रूस की सरकार नहीं मानती है तो रूस से पोलिटिकल संबंध विच्छेद वह करेगी ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । यह प्रश्न असंगत है और यह अन्तर्राष्ट्रीय विषय है ।

श्री राजनारायण---तो यह माना जाना चाहिये कि यह अन्तर्राष्ट्रीय विषय है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है, इससे प्रदेश का संबंध है और प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के संबंध में जो बातें हो सकती हैं और जो प्रश्न हो सकते हैं वही आप करने की कृपा करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरे प्रश्न उठाने का मतलब यह था कि कोई भी इन परीक्षणों को रोक नहीं रहा है और मेरा कहना यह था कि जब विश्व में सभी देशों की सरकारें लोगों को ट्रेन करने के लिये और प्रिकाशन लेने के लिये कार्य कर रही हैं तो हमारी सरकार का भी ध्यान उस ओर जाना चाहिये । अभी हमारी सरकार का ध्यान इधर कम गया है और इस पर विचार होने की आवश्यकता है । इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है । अफ्रीका, यूरोप वगैरह में इसके संबंध में कार्य हो रहे हैं, लेकिन यहां कुछ नहीं हो रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर एटोमिक कमीशन नहीं कर रहा है तो सरकार अपना प्रभाव लगाये और उसको कदम उठाने के लिये बाध्य किया जाय ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---माननीय नारायणदत्त जी ने जो सुझाव दिया है उसके लिये मैं उनको अपनी सरकार की ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूं और मैं अपने विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को उनकी बातों को ध्यान में रखने के लिये निवेदन करने का उनको विश्वास दिलाता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो विस्फोट हुये हैं और जो प्रतिक्रिया हुई है उसका प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है तो निश्चयात्मक रूप से भारत सरकार इसकी ओर से सतर्क होगी कि देश के लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा या नहीं; तो क्या भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार को कोई सूचना मिली है कि इससे हमारे प्रदेश को किसी प्रकार का खतरा उपस्थित हुआ है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी केन्द्रीय सरकार ने हमको कोई सूचना नहीं दी है । अखबारों में इस विषय में जो कुछ पढ़ा है उतनी ही हमारी जानकारी है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय चन्द्रजीत यादव जी से इस बात के जानने की कोशिश की है कि रूस से जो एटम बम छोड़ा जाता है तो उससे भारत सरकार को कोई नुकसान नहीं हो सकता है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा या रूसी दूतावास द्वारा इस प्रकार की सूचना मिली है कि रूस के बमों से नुक्सान नहीं होता है, केवल साम्राज्यवादी ग्रुप के बमों से या अमेरिकन बमों से नुकसान होता है ?

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की भी जांच करवायेंगे कि इन परीक्षणों द्वारा यहां के मौसम पर भी कुछ असर पड़ा है जिससे इतनी अनहोनी और ज्यादा अवधि तक बाढ़ें इस प्रदेश में आ रही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---हमारी जानकारी भी नहीं है और न हमने जानकारी प्राप्त करने क लिये कोई कार्य किया है । हम सब जिम्मेदारी अपने ऊपर थोड़े ही ओढ़ना चाहते हैं । कुछ और माननीय सदस्यों के लिये भी छोड़ रखा है । वह आकर उन जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश करें ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ऐटम बम छोड़ने का बड़ा शोर-शराबा था उस बीच में उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे प्रतिनिधि रूस को गये थे जो कि बम छोड़ने से पहले पहुंचे, और उन्होंने कोई बात की, क्या सरकार को इस बात की कोई सूचना है ?

(श्री अध्यक्ष ने संबंधित मंत्री को उत्तर देने के लिये नहीं बुलाया।)

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय मुख्य मंत्री जी यह देखते हुये कि परमाणु बम के विस्फोट से जन-स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और ५० मेगाटन, और उसके पहले की श्रंखला के पूर्व रूस ने यह लगातार प्रयत्न किया कि ऐटम बम पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, लेकिन इसे साम्राज्यवादी शक्तियों ने नहीं माना इसलिये मजबूर होकर रूस ने परीक्षण किया, क्या केन्द्रीय सरकार पर यह दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि वह कोशिश करे कि सभी मुल्कों के बम परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न है ।

प्रदेश में अक्तूबर मास में हुए साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में विवाद

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश में अक्तूबर मास में हुये साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---इस संबंध में एक निवेदन है । इस सदन में आज तक जो वक्तव्य दिये गये हैं, उनकी प्रतिलिपि दे दी जाती है । तो माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य की प्रतिलिपि हमें भी बंटवा दें ।

श्री अध्यक्ष---इसकी प्रतिया हैं ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)---प्रतियां हैं लेकिन इतनी नहीं हैं कि जो सब सदस्यों को दी जा सकें । पचास प्रतियां हो जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष---अगर दस, बीस भी हों तो सब पार्टियों के नेताओं को भिजवा दें अभी ।

श्री चरणसिंह---बयान साइक्लोस्टाइल किया जा रहा है । जैसे ही वह काम पूरा हो जायगा . . .

श्री अध्यक्ष---तो जितने सदस्य हैं उतनी प्रतियां करवा लीजिये ।

श्री चरणसिंह---१५ सफे साइक्लोस्टाइल हो चुके हैं । उनकी केवल ५० प्रतियां हुई हैं ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---हमारे प्रस्ताव के संबंध में क्या किया ?

श्री अध्यक्ष---आप मेरे कमरे में पूछिये ।

श्री बंशीधर शुक्ल---कमरे में पूछने की जरूरत नहीं है । मैं सदन में पूछना चाहता हूं । हमारा उत्तर दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठिए ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमान जी, पचास कापियां हैं वह सदस्यों को दी जायं । नेता लोगों को एक कापी न दी जाय ।

***श्री चरणसिंह**---अध्यक्ष महोदय, मैं एक कापी पुजारी जी को जरूर भिजवा दूंगा । मैं पुजारी जी की गिनती नेताओं में ही करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, अक्तूबर, १९६१ के पहले पखवारे में उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था भंग होने की हाल में जो घटनायें हुईं वे अलीगढ़ से शुरू हुईं । वहां के विश्वविद्यालय में सितम्बर के अंतिम कुछ दिनों में और अक्तूबर के आरम्भ में जो कुछ घटनायें हुईं उन्हीं के कारण उपद्रव हुआ या कुछ लोगों ने उपद्रव शुरू करने के लिये उनका उपयोग किया । विश्वविद्यालय की घटनाओं को समुचित रूप से समझने के लिये यह आवश्यक है कि पिछले कुछ वर्षों के छात्र यूनियन के निर्वाचन का मूल्यांकन किया जाय जिनसे वहां छात्रों के बीच काम करने वाली कुछ शक्तियों का पता लगता है । बताया जाता है कि छात्र यूनियन के निर्वाचनों में जमात-ए-इस्लामी और कम्युनिस्ट छात्र संगठन प्रमुख भाग लेते रहे हैं । १९५७ में जो छात्र प्रेसीडेंट, सेक्रेटरी और लाइब्रेरियन के पद के लिये निर्वाचनों में सफल हुये थे उनके बारे में बताया जाता है कि उन्हें स्टूडेंट फेडरेशन का समर्थन प्राप्त था और जिन्होंने उनका विरोध किया था उन्हें साम्प्रदायिक समुदायों का समर्थन प्राप्त था । उस समय कुछ उपद्रव हुआ जबकि हारे हुये उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले छात्रों में से एक छात्र दूसरे पक्ष के साथ हो गया और १३ अक्तूबर, १९५७ को एक संघर्ष हुआ जिसके फलस्वरूप सात छात्र शिक्षा वर्ष के शेष अवधि के लिये दंडित किये गये । १९५८ में जबकि प्रेसीडेंट को स्टूडेंट फेडरेशन का समर्थन प्राप्त था किन्तु सेक्रेटरी के बारे में बताया जाता है कि वह जमात-ए-इस्लामी के उम्मेदवार थे, कहा जाता है कि १९५९ में यूनियन के प्रेसीडेंट और सेक्रेटरी जमात-ए-इस्लामी के उम्मेदवार थे । हिन्दू छात्र भी मंत्रिमंडल के सदस्यों के पदों के लिये चुनाव लड़ते रहे हैं और उनमें से कुछ समय-समय पर इन पदों पर निर्वाचित हुये हैं । १९५९ में लाइब्रेरियन के महत्वपूर्ण पद पर एक हिन्दू निर्वाचित हुआ था । छात्रों का एक वर्ग इस वर्ष इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई । १९६० में इन पदों का पुनर्गठन किया गया और लाइब्रेरियन के स्थान पर वाइस-प्रेसीडेंट का एक नया पद बनाया गया उस वर्ष ये पद कम्युनिस्ट छात्र संगठन तथा जमात-ए-इस्लामी के समर्थकों के बीच बंट गये ।

इस विश्वविद्यालय में निर्वाचित होने वाले उम्मेदवारों में यह प्रथा थी कि वे हारे हुये उम्मीदवारों के पुतले का एक 'जनाजा' जुलूस निकालते थे । अक्सर ऐसे अवसर पर छात्रों के प्रतिद्वंद्वी समुदायों में संघर्ष भी हो जाता था । १९५३ में सफल उम्मेदवारों और उनके समर्थकों में से कुछ पर हमला किया गया और शायद डंडों का भी प्रयोग किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

१९५४ में कोई अप्रिय घटना होने के पूर्व प्राक्टर ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और पुतला जुलूस को निकाले जाने के बाद उसे रोक दिया गया और दो बार छोटी-मोटी हाथापाई हुई। १९५८ में वाइस चांसलर ने यह अनुदेश निकाले कि यूनियन के निर्वाचन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद कोई पुतला जुलूस न निकाला जाय और बताया जाता है कि १९५८, १९५९ और १९६० में कोई जुलूस नहीं निकाले गये।

इस वर्ष प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट तथा सेक्रेटरी के तीन महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचन के लिये दोनों ही सम्प्रदायों के उम्मेदवार खड़े हुये थे। पहले दो पदों में से प्रत्येक के लिये दो-दो हिन्दू उम्मेदवार खड़े हुये थे, सेक्रेटरी के पद के लिये एक हिन्दू उम्मेदवार खड़ा हुआ था और मंत्रिमंडल के शेष दस पदों के लिये गैर-मुस्लिम उम्मेदवार थे जिनमें से एक ईसाई लड़का था और दो हिन्दू लड़कियां थीं। तीन महत्वपूर्ण पदों के लिये दो या दो से अधिक मुस्लिम उम्मीदवार थे और शेष पदों के लिये दस से अधिक उम्मेदवार थे जिनमें से दो लड़कियां थीं प्रेसीडेंट तथा वाइस प्रेसीडेंट के लिये जो हिन्दू प्रतिद्वंद्वी उम्मेदवार थे उनमें से एक ने, प्रेसीडेंट और एक ने वाइस प्रेसीडेंट के चुनाव से २८ सितम्बर, १९६१ को अपना नाम वापस ले लिया। बाद में सेक्रेटरी के पद के लिये खड़े हुये एक मुस्लिम उम्मीदवार ने भी अनौपचारिक रूप से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की। एक हिन्दू उम्मीदवार को एक साम्प्रदायिक संस्था का अनुमोदन प्राप्त था।

मुस्लिम छात्रों का एक छोटा-सा वर्ग ऐसा था जिसको यह विश्वास था कि हिन्दू इस तरह संगठित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं कि जिससे उनके द्वारा समर्थन प्राप्त उम्मीदवार हार सकते हैं। कहा जाता है कि इस छोटे से समुदाय के नेताओं ने ३० सितम्बर, १ अक्तूबर की रात को विश्वविद्यालय के जियाउद्दीन होस्टल में अपनी आशंका प्रकट करने के लिये एक बैठक की। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने यह कहा कि हिन्दू छात्र धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और इसलिये उन्हें भी अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिये। वे अपना प्रचार कार्य करते हुये कुछ और होस्टलों की ओर गये। स्टूडेंट्स इस्लामिक आर्गेनाइजेशन के कार्यकर्त्ताओं ने इस स्थिति का लाभ उठाया और मुस्लिम छात्रों की धार्मिक भावना को जागृत करना आरम्भ किया और ज्यों ही उत्तेजना १ अक्तूबर को बढ़ने लगी परिस्थिति बड़ी विषम हो गई। मुस्लिम छात्रों के कुछ कट्टर समुदाय इस बात के पक्ष में नहीं थे कि छात्रायें चुनाव लड़ें और इस बात की आम तौर से नुक्ताचीनी करने के उद्देश्य से पैम्फलेट निकाले गये कि छात्राओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिये। उन पैम्फलेट्स के डिटेल्स में जाना मुनासिब नहीं होगा।

२ अक्तूबर, १९६१ को लगभग रात के डेढ़ बजे चुनाव के नतीजे घोषित किये गये। जो तेरह उम्मीदवार चुने गये थे उनमें से सभी अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के थे और कहा जाता है कि चुने हुये उम्मीदवारों में से कुछ उम्मीदवार साम्प्रदायिक संस्थाओं के थे। ऐसा कहा जाता है कि अध्यापक वर्ग के एक सदस्य ने इस नतीजे पर अपना संतोष प्रकट किया और छात्रों को उनके इस प्रकार के संयम के लिये धन्यवाद दिया। नतीजे घोषित हो जाने के बाद एक छात्र ने यह घोषित किया कि जियाउद्दीन होस्टल के एक हिन्दू छात्र का जो कि हिन्दू उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा था, लेकिन जिसने स्वयं अपना नाम चुनाव से वापस ले लिया था, पुतला भी निकाला जायगा। होस्टल में उसका एक प्रतिद्वन्द्वी जो कि दूसरे सम्प्रदाय का था, अपने सम्प्रदाय के छात्रों की ओर से प्रमुख भाग ले रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी वैयक्तिक भावनायें भी उनके विभिन्न कार्यों के लिये उन्हें प्रेरित कर रहीं थीं। ऐसा कहा जाता है कि उक्त हिन्दू छात्र ने इस बात का विरोध किया कि उसने चुनाव नहीं लड़ा है इसलिये उसका पुतला न निकाला जाय, किन्तु प्रत्यक्षतः इस अनुरोध पर कोई तवज्जह नहीं दी गई। छात्र यह कहते हुये तितर-बितर हो गये कि पुतले निकाले जायेंगे। लगभग रात के ढाई बजे हारे हुये उम्मीदवारों के पुतले एक जुलूस के साथ निकाले गये जो कि एक होस्टल से दूसरे तक गया। इसी बीच में जियाउद्दीन होस्टल के उपर्युक्त छात्र के नेतृत्व में मुस्जिमछात्रों का एक समुदाय जियाउद्दीन होस्टल में रहने वाले हिन्दू उम्मीदवारों के पुतले निकालने के लिये चिल्ला रहा था और यह

[श्री चरणसिंह]

कार्यवाही खास तौर से प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार के विरुद्ध की गई थी जिसका प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार ने विरोध किया और हाथापाई होने लगी जिसमें दोनों समुदायों के कुछ छात्रों को हल्की और मामूली-सी चोटें लगीं। जिन हिन्दू छात्रों ने इस हाथापाई में भाग लिया था वे चुपके से जियाउद्दीन होस्टल में चले गये, कुछ विश्वविद्यालय के अहाते से बाहर चले गये। जो होस्टल में वापस गये उनके पीछे पीछे दूसरा समुदाय भी गया और उसने होस्टल का फाटक बन्द कर दिया और रोशनी बुझा दी। उनके कुछ और दोस्त भी जलूस से उनके साथ मिल गये और उन्होंने दूसरे समुदाय के छात्रों को हाकी स्टिकों से पीटना शुरू कर दिया। थोड़े से छात्र जो कि चुनाव का नतीजा सुनने बाहर से आये थे और होस्टल में सो रहे थे उन्हें भी चोटें लगीं। इसके बाद तुरन्त ही प्राक्टर वहां पहुंच गये और उन्होंने घायल विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। घायल विद्यार्थियों में से पांच हिन्दू तथा तीन मुसलमान विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के अस्पताल में भर्ती किया गया और अन्य घायल विद्यार्थियों को, जिनकी स्थिति गम्भीर नहीं थी, अस्पताल से मुक्त कर दिया गया। इस दुर्घटना से ही उपद्रव आरम्भ हुआ।

सुबह के लगभग चार बजे सिविल लाइन्स के स्टेशन आफिसर ने छात्रावास के वार्डन से सम्पर्क स्थापित किया। वार्डन ने उन्हें यह सूचना दी कि एक छोटी सी घटना हो गई है और विश्वविद्यालय के अधिकारी उसे सम्भाल लेंगे। जिलाधीश को भी उक्त घटना की सुबह सूचना दी गई और उपकुलपति तथा प्राक्टर उनसे प्रातःकाल लगभग ९ बजे मिले। जिलाधीश ने उपकुलपति से यह अनुरोध किया कि इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जाय जिससे कि इसके फलस्वरूप शहर में होने वाली प्रतिक्रिया को कम किया जा सके। उपकुलपति ने जिलाधीश को बताया कि उन्होंने एक जांच समिति बना दी है। इसके तुरन्त बाद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र भी जिलाधीश से मिले और उन्हें यह बताया कि कुछ हिन्दू छात्रों ने भय के कारण विश्वविद्यालय को छोड़ दिया है। अतिरिक्त जिलाधीश और सिटी मजिस्ट्रेट विश्वविद्यालय के अस्पताल में घायल छात्रों को देखने के लिये गये और विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सहमति से सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनकी जांच भी की गई। यह निश्चय किया गया कि जो छात्र सिविल अस्पताल में जाना चाहें, उन्हें वहां भेज दिया जाय। यह इस उद्देश्य से भी किया गया था कि शहर में इन व्यक्तियों के बारे में जो यह अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि उन्हें गहरी चोटें लगी हैं या उनकी मृत्यु हो गयी है, उन्हें रोका जा सके और उनकी उपस्थिति की पुष्टि जनता के समक्ष हो जाय। जिलाधीश ने शहर के दो प्रमुख पत्रकारों को भी बुलाया और उन्हें घटना के बारे में उपकुलपति का बयान दिया और उनसे यह अनुरोध किया कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि इस घटना के बारे में सूचनाएं बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित न की जायं। पत्रकारों ने यह आश्वासन दिया कि घटनाओं के संबंध में प्रेस को सच्ची रिपोर्ट दी जायगी।

इस समय, स्वतंत्रता के पूर्व अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा किये गये कार्यों के फलस्वरूप तथा कुछ अन्य कारणों से भी अलीगढ़ की स्थानीय जनता का एक वर्ग विश्वविद्यालय का अब भी विरोधी है। यहां यह आवश्यक नहीं है कि इसका विस्तार से वर्णन किया जाय, किन्तु वह ढंग जिससे कुछ काम किये जाते हैं और विश्वविद्यालय के कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो रोष की भावना को बराबर जीवित रखते हैं। इससे स्थानीय दो कालेजों (बारासेनी तथा धर्म समाज) की स्पर्धा और भी अधिक बढ़ती है, जिनमें यद्यपि लगभग ३,००० विद्यार्थी पढ़ते हैं फिर भी विश्वविद्यालय की तुलना में उनकी वित्तीय स्थिति स्वभावतः बहुत खराब है। नगर में तथा कालेजों में विद्यमान इस भावना का लाभ साम्प्रदायिक वर्गों द्वारा उठाया जाता है। विश्वविद्यालय को जो एड मिलती है वह हर यूनिवर्सिटी के मुकाबले में मिलती है और उसके मुकाबले में इन कालेजों को उतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी जा सकती है, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन इस बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ता और इस बात को लेकर उनमें कटुता की भावना बढ़ती रहती है। इन कालेजों में भी पड़ोस के जिलों के विद्यार्थी पढ़ते

हैं और उन पर हुई प्रतिक्रिया का प्रभाव उनके साथ उन के जिलों में चला जाता है। विश्वविद्यालय के चुनाव में हारा हुआ एक विद्यार्थी तथा उसके कुछ समर्थक २ अक्तूबर को दिन में नगर में गये और उन्होंने बारासेनी और धर्मसमाज कालेज के विद्यार्थियों को उक्त घटना के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर बतलाया। वे विष्णुपुरी नामक एक मोहल्ले में भी गये जहां बाहर के जिलों के कुछ विद्यार्थी रहते हैं और वहां लगभग १५० विद्यार्थियों की एक सभा हुई जो भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहायता से संगठित की गयी थी। उत्तेजक भाषण दिये गये और विश्वविद्यालय की घटनाओं का एक भयानक, किन्तु गलत, विवरण दिया गया। उस सभा में बैठे हुए कुछ विद्यार्थी इतने अधिक उत्तेजित हो गये कि उन्होंने बदला लेने के लिये विश्वविद्यालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। काफी शाम हो जाने पर उन्होंने एक जलूस निकाला और वे विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे थे, किन्तु कुछ प्रभावशाली स्थानीय व्यक्तियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और जिला अधिकारियों के समझाने बुझाने पर वे आगे नहीं बढ़े। उत्तर प्रदेश के अन्य कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को पत्र लिखने की सामग्री भी दिन में कुछ विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गयी और उन्होंने अगले दिन स्कूलों और कालेजों में हड़ताल कराने का निश्चय किया। इसी बीच जिले के पुलिस दल को बाहर से मंगा कर बढ़ाने का प्रबन्ध कर लिया गया। विश्वविद्यालय के लगभग ३०–४० हिन्दू विद्यार्थी जिला मैजिस्ट्रेट से उनके निवास स्थान पर लगभग ६–३० बजे शाम को मिले और उनसे यह कहा कि उन्हें छात्रावास वापस जाने में डर लगता है। जिला मैजिस्ट्रेट ने उपकुलपति से अनुरोध किया कि वे वहां आ कर उन विद्यार्थियों से बातचीत कर लें। उपकुलपति लगभग ७ बजे शाम को आये और उन्होंने विद्यार्थियों को रक्षा का आश्वासन दिया, किन्तु विद्यार्थियों को विश्वास नहीं हुआ और वे असन्तुष्ट हो कर वापस चले गये। जिला मैजिस्ट्रेट ने उपकुलपति से इस मामले में तुरन्त कुछ निर्णय करने का अनुरोध किया जिससे कि नगर में कोई आन्दोलन न फैल सके। विष्णुपुरी में हुई घटना के कारण, प्राक्टर के परामर्श से विश्वविद्यालय की रक्षा के लिये रक्षक (गार्ड्स) तैनात कर दिये गये। जिला मैजिस्ट्रेट और उपकुलपति कुछ छात्रावासों में काफी शाम हो जाने पर गये। उपकुलपति ने सूचित किया कि जो विद्यार्थी घबड़ा रहे थे उन्हें रात भर के लिये साहब बाग होस्टल में भेज दिया गया है। कुछ विद्यार्थी अपने दोस्तों को वास्तविक रूप से देखने के लिये अस्पताल ले जाये गये, क्योंकि उनके बारे में शहर में झूठी अफवाहें फैलायी जा रही थीं। स्थानीय कालेजों के प्रिन्सिपलों से भी शाम को इससे पहले बातचीत की गई और उनसे शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिये लड़कों पर अपना प्रभाव डालने के लिये कहा गया। काफी रात तक सुरक्षा संबंधी प्रबन्ध किये जाते रहे। पूरी रात भर पुलिस गश्त लगाती रही।

तीसरी अक्तूबर को प्रातः लगभग ६-३० बजे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन निषेधाज्ञाएं घोषित की गयीं। यह मालूम हुआ कि छोटे-छोटे दलों में विद्यार्थी अपने-अपने कालेजों तथा अन्य स्थानों में इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें से लगभग डेढ़ हज़ार विद्यार्थी वारासेनी कालेज में या उसके आसपास इकट्ठे हो गये थे। उन्हें तितर-बितर करने के लिये प्रयत्न किये गये और वे छोटे-छोटे दलों में इधर-उधर इकट्ठे रहे। हड़ताल को रोकने के लिये प्रिन्सिपलों तथा स्कूलों के इन्सपेक्टर द्वारा किये गये प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए। इसके तुरन्त बाद यह देखा गया कि लगभग ३,००० विद्यार्थियों की एक भीड़ इकट्ठी हो गयी और कायस्थ पाठशाला और महेश्वरी कालेज की ओर से खिरनी गेट की तरफ बढ़ रही है। यह भीड़ पुलिस द्वारा रोक ली गयी और बाद में समझा बुझा कर तथा शक्ति प्रदर्शित करके तितर-बितर कर दी गयी। दिन के लगभग १० बजे ७–८ हजार व्यक्ति, जिनमें अधिकांश विद्यार्थी थे, काठपुला नामक पुल की सड़क के पास इकट्ठे हो गये। वे विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ रहे थे और भीड़ उपद्रव पर तुली हुई मालूम पड़ती थी। पुलिस के एक बड़े दल ने कठपुला के पास जुलूस को रोक लिया। जिला मैजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भी वहां मौजूद थे। जब समझाना बुझाना बेकार हो गया तो लाठी चलायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ पीछे हटी और तितर बितर होने लगी। यह दिन के लगभग १० बज कर ४० मिनट की बात है। इसी बीच प्रत्येक समुदाय के एक-एक व्यक्ति अर्थात् दो व्यक्तियों को छुरा भोंके जाने

[श्री चरणसिंह]

की रिपोर्ट मिली और इसलिए दिन के लगभग १०-३० बजे कर्फ्यू घोषित कर दिया गया और अधिकारियों ने कर्फ्यू लागू करना प्रारम्भ कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि जब कि विद्यार्थियों की मुख्य भीड़ रोक दी गयी और तितर-बितर कर दी गयी थी तो उनमें से लगभग १००-१५० विद्यार्थी रेलवे लाइन पार करके सिविल लाइन एरिया की तरफ छिपकर निकल गये थे। कुछ विद्यार्थियों ने, जो उस रेलगाड़ी के एक डिब्बे में किसी प्रकार घुस गये जो उसी समय वहां पहुंची थी और भीड़ को देख कर रुक गयी थी, दो या तीन व्यक्तियों को घायल कर दिया। ये लोग उसके बाद विश्वविद्यालय के नजदीक शमशाद बाजार की ओर बढ़े और रास्ते में उन्होंने कुछ दूकानों तथा तस्वीर महल सिनेमा के गमलों को नुकसान पहुंचाया। शमशाद बाजार में भी उन्होंने कुछ दूकानों में आग लगायी। मैजिस्ट्रेटों तथा पुलिस शीघ्र वहां पहुंच गये और उन्हें देखकर यह भीड़ भागने लगी। मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस ने आग बुझाना शुरू किया। इसी बीच लगभग ४०० छात्रों की भीड़ लाठियों सहित विश्वविद्यालय से निकली। वह मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस के छोटे से दल पर टूट पड़ी। जिस समय वे कुछ और पुलिस दल को एकत्र करने में लगे हुये थे उसी समय इस भीड़ को जो बढ़ कर १,००० तक हो गयी थी, दूसरे सम्प्रदाय की दूकानों को जलाने तथा लूटने का मौका मिल गया। प्राक्टर वहां पर उपस्थित थे और उपकुलपति भी अपनी कार में वहां पहुंच गये थे। कमिश्नर, डी० आई० जी०, जिलाधीश तथा एस० पी० पुलिस दल के साथ पहुंचे और भीड़ को घेर लिया गया और अन्त में उसे पुलिस की सहायता से विश्वविद्यालय के अन्दर ढकेल दिया गया।

जिस समय छात्रों की मुख्य भीड़ काठपुला में थी उसी समय मानिक चौक में एक घटना घटित हो गयी जिसमें एक ही घर में तीन व्यक्ति मर गये। यह मालूम होता है कि मृत व्यक्तियों के पड़ोसियों ने अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिये इस स्थिति का लाभ उठाया। काठपुला की ओर जाने वाली एक भीड़ के पीछे-पीछे छात्रों की छोटी भीड़ भी जा रही थी। जब यह भीड़ मानिक चौक से हो कर गुजर रही थी तो कुछ पत्थर फेंके गये और घरों से हवा में गोलियां चलायी गयीं जिसके फलस्वरूप भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया। ऐसा कहा जाता है। (कुछ रुक कर) अध्यक्ष महोदय, मैं यह लफ्ज ही इस्तेमाल कर रहा हूं "ऐसा कहा जाता है" क्योंकि कोर्ट में बहुत से केसेज चल रहे हैं और मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर शुक्ल---पुलिस के जुल्मों का मुख्तियारनामा तो आपके नाम है।

श्री चरणसिंह---ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों ने....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---कोई और घटना नहीं हुई?

श्री चरणसिंह---जो कुछ हुआ वह मैं बयान कर रहा हूं। यह काठपुले की बात है, १०-११ बजे की।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इससे पहले राजनारायण जी ने भी कमेंट किया था। तो मेरा पूरा बयान हो जाय, उसके बाद उनको कमेंट नहीं, स्पीच का अख्तियार होगा।

श्री अध्यक्ष---वह श्री बंशीधर शुक्ल ने किया था।

श्री चरणसिंह---मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आप से माफी चाहता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---मैं कुछ सोच रहा हूं ध्यान से, इन्होंने हमारा पीस डिस्टर्ब कर दिया।

श्री चरणसिंह—मैं आप से भी माफी मांगता हूं। यह ठीक है कि पार्लियामेंटरी पद्धति में इंटरप्शन करने का अधिकार है, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट करने का भी अधिकार है कि इस समय इंटरप्ट न किया जाय, बाद में कह दिया जाय।

ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों ने जिनका मतलब बदला लेने का था भीड़ को मदद दी कि वह अपना प्रकोप उसी मकान पर उतारे और जिसमें रहने वाले तीन व्यक्ति मारे गये। इसी स्थल के नजदीक इसी भीड़ द्वारा चार और व्यक्ति मारे गये। यह एक भारी दुखान्त घटना थी किन्तु अधिकारी अपने कार्य में सतर्क थे और कुछ तथाकथित अत्याचारियों को स्थल पर ही रंग हाथ पकड़ लिया गया। बड़ी सख्ती से कर्फ्यू लागू किया गया और शीघ्र ही शहर में शान्ति हो गयी। तीसरी अक्तूबर को कोई और घटना नहीं हुई।

चार अक्तूबर को शहर में प्रत्येक पुलिस सर्किल में एक-एक कर के लगभग दो घंटे के लिये कर्फ्यू हटा दिया गया और कर्फ्यू लागू रहने तक तथा न रहने के दौरान में बराबर अत्यधिक गश्त जारी रही। मुहल्ला शान्ति समितियां संगठित की गयीं। किन्तु लगभग १२ बजे कुछ छात्रों ने शहर से लगभग ३ मील बाहर एटा मार्ग पर कुछ मुसलमानों पर आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप एक की मृत्यु हुई और दो घायल हुए। घटना स्थल पर तुरन्त ही ७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। छुरा भोंकने का एक दूसरा मामला दोपहर के लगभग डेढ़ बजे हुआ और अपराधियों का एक स्थानीय कालेज में पता लगा लिया गया। बदमाशों की गिरफ्तारी का कार्य जारी रहा। ५ अक्तूबर तक कोई और घटना नहीं हुई और ५ अक्तूबर को दोपहर के बाद दोनों सम्प्रदायों के लगभग १५०–२०० व्यक्तियों ने एक दूसरे पर पथराव किया किन्तु तात्कालिक कार्यवाही और गिरफतारियां करने के कारण कोई गम्भीर घटना नहीं हुई। सारे शहर में ९ से १२ बजे तक कर्फ्यू हटा दिया गया। इसके बाद स्थिति सुधरती चली गयी। भारत सरकार के कुछ मंत्रियों ने ४ अक्तूबर को शहर का दौरा किया और मुख्य मंत्री भी ५ की रात्रि में शहर में पहुंच गये और उन्होंने दंगों से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और ६ अक्तूबर को दोनों सम्प्रदायों के व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया। उन्होंने स्थल पर ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये धनराशियां भी स्वीकृत कीं।

अलीगढ़ में कुल मिला कर १४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और १,४५,४५५ रुपये के मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ। दंगों के सम्बन्ध में ५७२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

अलीगढ़ के छात्र विश्वविद्यालय की घटना का अतिरंजित विवरण देते हुये निकटवर्ती शहरों में गये जिससे स्थानीय रूप से उत्तेजना पैदा हुई। छात्रों में से कुछ वे लोग थ जो अलीगढ़ में कर्फ्यू लगाये जाने और कालेजों के बन्द कर दिये जाने के कारण अपने-अपने घर आ रहे थे। ४ अक्तूबर को प्रातः लगभग···

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आप अलीगढ़ कब गये?

श्री चरणसिंह—मैं नहीं गया।

४ अक्तूबर को प्रातः लगभग १० बजे जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद, को चंदौसी से टेलीफोन द्वारा यह सूचना मिली कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ छात्र इसके पहले दिन चन्दोसी आये और उन्होंने अलीगढ़ की घटनाओं के विरोध स्वरूप स्थानीय छात्रों को नगर से हो कर एक जुलस निकालने के लिये राजी किया। टेलीफोन करने वाले व्यक्ति ने किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं की और जिला मैजिस्ट्रेट से यह आशा प्रकट की कि जुलूस शांतिपूर्वक निकल जायेगा। सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट तथा सर्किल अफसर से चन्दौसी जाने के लिये कहा गया। वे अपने साथ कुछ पुलिस दल लेकर रवाना हुए और लगभग १२–३० बजे अपरान्ह में चन्दौसी पहुंचे। इस बीच ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों ने नगर की सड़कों से होकर जुलूस निकाला। जुलस जब एक मोहल्ले से होकर जा रहा था तो उस पर कुछ पथराव किया गया और छात्रों ने भी पथराव कर के बदला लिया, कुछ देर तक यह चलता रहा। इस बीच नगर का समाल विरोधी

[श्री चरणसिंह]

तत्व भी जुलूस में शामिल हो गया था और उसने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेने का प्रयत्न किया। उन्होंने पड़ोस के मकानों पर हमला करना और उनमें रहने वाले व्यक्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। दुकानों का लूटना और जलाना नगर के दूसरे भागों में भी शुरू हो गया। प्रतीत होता है कि भीड़ से कुछ बन्दूक की गोलियां भी चलायी गयीं जिससे ८ या ९ व्यक्ति घायल हो गये। इस समय सर्किल अफसर और एस० डी० एम० आ गये और उन्होंने देखा कि नगर के सर्वाधिक उपद्रवग्रस्त भागों में सारा उपलब्ध पुलिस दल लगा दिया गया। उन्होंने स्वयं स्थिति की ठीक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया किन्तु एक उत्तेजित भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। इसलिये वे थाने पर आये तथा कुछ और पुलिस दल भेजने के लिये मुरादाबाद को टेलीफोन किया। यह लगभग १.४० बजे अपरान्ह में किया जा सका। आवश्यक संख्या में पुलिस दल तैयार कर लिया गया और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के अधीन भेजा गया और जिला मैजिस्ट्रेट तथा एस० पी० भी चन्दौसी के लिये रवाना हुए, जहां वे ४ बजे अपरान्ह में पहुचे। एस० डी० एम० और सर्किल अफसर ने इस बीच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश जारी कर दिये थे। उन्होंने एक मकान से ३ लाशें बरामद कीं और ७ घायल व्यक्तियों को भी बचाया और उन्हें वहां से अस्पताल पहुंचाया और गश्त करना जारी रखा। डी० एस० और एस० पी० ने नगर का शीघ्रता के साथ चक्कर लगाया और स्थिति को बहुत ही तनातनी पूर्ण पाया और यह देखा कि उस समय भी नगर के कुछ भागों में जोर से पथराव किया जा रहा था। इसलिये ४.४५ बजे अपरान्ह में कर्फ्यू लगा दिया गया जो लगभग ६ बजे तक अपरान्ह से प्रभावी हो गया। सब मिला कर दंगों में ५ व्यक्ति मरे। ४ अक्तूबर को ६ बजे अपरान्ह से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लगभग ५ मकान और ४२ से ४५ तक दुकानें लूटी गयीं जिनमें से कुछ जलायी भी गयीं। सम्पत्ति की कुल अनुमानित क्षति ४५,८०० हुई।

गृह मंत्री ६ अक्तूबर को पूर्वान्ह में चन्दौसी गये और उन्होंने नगर के उपद्रवग्रस्त क्षेत्र को देखा। मुख्य मंत्री भी ६ अक्तूबर को ४.३० बजे अपरान्ह में अलीगढ़ से वहां आये और उन्होंने सहायता के लिये कुछ धनराशि स्वीकृत की। मुरादाबाद, सम्भल और अमरोहा में उपर्युक्त घटनाओं के फलस्वरूप कुछ तनातनी की स्थिति थी, लेकिन उपद्रवकारियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी गई। जनता में विश्वास की भावना पैदा करने के लिये मुहल्ला और वार्ड शान्ति समितियां संगठित की गयीं। ऐसा प्रतीत होता है कि लूट मार करने और आग लगाने में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति संगठित ढंग से ऐसा कर रहे थे क्योंकि खास-खास दूकानों को आक्रमण के लिये चुना गया था। इसके लिये जिम्मेदार लोगों ने शायद अलीगढ़ की घटना का उपयोग उपद्रव शुरू करने के निमित्त एक बहाने के रूप में किया।

अलीगढ़ की घटनाओं के बारे में मेरठ में ४ तारीख की सुबह खबर मिली और १० बजे सुबह जिले के अधिकारियों ने एहतियाती कार्यवाही करनी शुरू की। ११.३० बजे यह सूचना मिली कि हापुड़ में छात्र अलीगढ़ की घटनाओं के विरोध म जलूस निकाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। स्टेशन अफसर से एहतियाती कार्यवाही करने के लिये कहा गया और ए० एस० पी० कुछ पुलिस दल के साथ हापुड़ के लिये रवाना हुए और उसके बाद १२ बजे डी० एम० और एस० एस० पी० भी वहां गये। उन्हें मालूम हुआ कि छात्रों ने जुलूस निकाला था और वे नगर में हड़ताल कराने में सफल हो गये हैं और एक सभा कर रहे हैं। सभा में वे केवल अलीगढ़ की घटनाओं का विरोध कर रहे थे और उन्होंने किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं किया था। इसी समय यह सूचना मिली कि अलीगढ़ से कुछ छात्र आये हैं और वे मेरठ जा रहे हैं। हापुड़ में किये गये प्रबन्ध की जांच करने के बाद उच्च अधिकारी मेरठ लौट आये। मैजिस्ट्रेटों से कहा गया था कि वे अपने अपने सब डिवीजन के घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करते रहें और जो पुलिस दल उपलब्ध था उसको तैयार कर लिया गया। शाम को और रात में शान्ति

रही। स्थानीय अधिकारियों ने यह निश्चय किया कि यदि छात्र अपनी संस्थाओं में सभा करके ही चुप हो जायें तो कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर वे जलूस निकालेंगे तो उस समय की स्थिति तथा छात्रों के रुख के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

५ अक्तूबर के सुबह लगभग ८.३० बजे मेरठ कालेज के हाते से वहां के लड़कों का शोरगुल सुनाई पड़ा। प्रिन्सिपल से सम्पर्क स्थापित किया गया जिन्होंने बतलाया कि लड़के विरोध में जुलूस निकालने पर तुले हुए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे शान्तिपूर्ण बने रहेंगे और प्राक्टर का स्टाफ शुरू से आखिर तक जुलूस के साथ रहेगा जिससे कि जलूस के कारण कोई गड़बड़ी न पैदा हो। विद्यार्थियों ने शाम के लगभग ४ बजे झंडों और पुतलों के साथ एक जुलूस निकाला। वे नारे लगा रहे थे और शिक्षा संस्थाओं को बंद करने की मांग कर रहे थे। उस समय वे दूकानें बंद करने के लिये भी जोर नहीं दे रहे थे और उनके पास कोई हथियार न थे। लगभग १२ बजे जब कि जुलूस फैजेआम इंटर कालेज के सामने से गुजरा तो गुंडागर्दी की कुछ छोटी मोटी घटनायें हुईं और इसके बाद वह जल्ली कोठी की ओर बढ़ना शुरू हुआ। जुलूस के लोग इस समय कुछ उत्तेजित हो गये थे और जल्ली कोठी क्षेत्र में एक मुठभेड़ हो जाने की सम्भावना हो सकती थी जहां अधिकतर अल्पसंख्यक सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस नादिर अली बिल्डिंग के पास के क्षेत्र में पुलिस दल के साथ पहुंचे और देखा कि जलूस के लोग और उस स्थान के निवासी एक दूसरे पर पथराव कर रहे हैं। विद्यार्थियों को सड़क पर कुछ जलाते हुए भी देखा गया जिसे वे अर्थी कह रहे थे। उन्होंने आग जलाने के लिये पास की दूकानों से थोड़े टाट निकाल लिये थे और उनमें से दो या तीन छात्र एक झुनझुना और एक बांसुरी बजा रहे थे जो शायद उन्होंने उठा ली थी। उनका यह कहना था कि पहले उन पर पथराव किया गया था। यद्यपि यह कहना कठिन है कि किसने पहले पथराव शुरू किया था। आग बुझाने के लिये दमकल को बुला लिया गया था। अब आसार खराब मालूम पड़ रहे थे और इसलिये यह आवश्यक हो गया था कि जुलूस को छिन्न भिन्न कर दिया जाय। ऐसा मुमकिन था कि यदि ४००० छात्रों की भीड़ एक साथ तितर-बितर हो जायगी तो सारे शहर में उनके उपद्रव फलाने की संभावना रहेगी और इसलिये यह निश्चय किया गया कि उन्हें छोटे-छोटे समूहों में तितर बितर किया जाय। लगभग २ बजे दिन के जब जुलूस अपने अन्तिम स्थान जीमखाना पहुंचा तो वहां मुश्किल से ४०० छात्र रह गये थे। वे वहां सभा करना चाहते थे लेकिन उपस्थिति कम होने के कारण उन्होंने सभा नहीं की। जलूस का एक भाग चुपके से निगार सिनेमा की तरफ चला गया और उसे काबू में किये जाने के पूर्व उसने वहां की कुछ फिटिंग्स को और दो एक दूसरी इमारतों के कुछ भागों को क्षति पहुंचाई। जलूस ने जो कि बराबर आगे बढ रहा था बुढ़ाना गेट के पास कोने पर की फलों की कुछ दूकानों को नुकसान पहुंचाया। अंतिम समूह ने तितर-बितर होने के बाद भी फिल्मिस्तान सिनेमा को क्षति पहुंचाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोका दिया। किन्तु शाम को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ के अधीन निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक समझा गया और यह निश्चय किया गया कि अगले दिन के लिये स्कूल और कालेज बन्द कर दिये जायं। रात भर चौकसी रखी गयी और एहतियाती कार्यवाही की गयी। सिमौली और बड़ौत से भी कुछ उपद्रव की सूचना मिली लेकिन कुछ गंभीर बात नहीं हुई। ५ अक्तूबर को हापुड़ में एक स्कूली छात्र बस के साथ एक दुर्घटना में फंस गया और उस स्कूल के छात्रों ने बस पर और उसके बाद एक ट्रक ड्राइवर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया।

६ अक्तूबर को सुबह पौने नौ बजे तक ऐसा मालूम होता था कि निषेधाज्ञा का काफी हद तक पालन किया जा रहा है। केवल थोड़े से लड़के जीमखाना तक अपनी सभा करने के लिये जा सके। इसके थोड़ी देर बाद ही कुछ लड़के जामा मसजिद और सिपटबाजार के निकट इकट्ठा हुये। मसजिद के पास खड़े कुछ लड़कों ने कुछ उपद्रव करना चाहा। लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट और सीनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने गूदर बाजार की गश्त लगायी और तहसील की इमारत के पास उन्होंने एक तरफ से छात्रों की एक छोटी भीड़

[श्री चरणसिंह]

और दूसरी तरफ से दो छोटी भीड़ों के बीच पथराव होते देखा । इन दो छोटी भीड़ों ने, जो लाठियों से लैस थीं, छात्रों की भीड़ पर हमला करने के लिये आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, लेकिन अधिकारियों ने समय से बीच में पड़ कर और अपनी जान को खतरे में डाल कर एक बड़ी मुठभेड़ को बचा लिया । कुछ देर रोक रखने के बाद उनको तितर बितर कर दिया गया । इसके तुरन्त ही बाद सिपट बाजार के क्षेत्र में गड़बड़ी हुई और छात्रों ने एक प्राइवेट इस्लामिया लाइब्रेरी और कुछ अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की । इससे क्षुब्ध होकर मशायखां लेन के निकट काफी संख्या में स्थानीय मुसलमान लाठियां लेकर बाहर निकल आये । किन्तु इस बार भी समय से कार्यवाही करने के कारण मुठभेड़ न होने पायी और भीड़ को खदेड़ कर तितर बितर कर दिया गया । इसके बाद कुछ समय तक स्थिति शांत रही और उसके बाद सराय बहलिन में छुरा भोंके जाने की एक घटना की सूचना मिली । हिंसात्मक कार्य बढ़ने के आसार दिखाई पड़े और दोनों तरफ से तैयारियां होने की सूचनायें मिलीं । इसलिये साढ़े ग्यारह बजे करफ्यू लगा दिया गया जो कि आधे घंटे के भीतर ही कारगर हो गया, लेकिन इसी बीच छुरा भोंकने की ३ और घटनायें हो चुकी थीं ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---किस तारीख को करफ्यू लगा ?

श्री चरणसिंह---६ तारीख को दोपहर में लगा ।

हापुड़, बड़ौत, गाजियाबाद और मोदीनगर से अतिरिक्त पुलिस दल की मांग की गयी, जिसे उस समय उपलब्ध पुलिस दल से पूरा कर सकना सम्भव नहीं था । इसलिये सेना के स्थानीय अधिकारियों से सिविल अधिकारियों की सहायता करने का अनुरोध किया गया और उन्होंने तुरन्त ही मांग के अनुसार सेना भेज दी । उस समय तक दो व्यक्ति मर चुके थे और ५ घायल हुये थे और कुछ दूकानों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचा था । बड़ौत में छात्रों ने एक जुलूस निकाला जिसने फलों की दूकानों को कुछ मामूली तौर पर लूटा और हापुड़ में आग लगाने की एक छोटी घटना हुई । दिन में भारत सरकार के एक उप मंत्री मेरठ गये और उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्री भी वहां गये और कई दिनों तक ठहरे ।

६ और ७ नवम्बर के बीच की रात्रि शांतिपूर्ण रही । दिन में मुख्य मंत्री भी नगर में आये । करफ्यू हटाये जाने के समय तक, जो कि दिन के २ बजे से ४ बजे तक के लिये हटाया गया, शांति बनी रही । करफ्यू हटाये जाने पर तुरन्त ही छुरा भोंकने की दो घातक घटनाओं की सूचना मिली । कुछ घायलों की भी मृत्यु हो गयी और इस प्रकार कुल मृत्यु संख्या ९ हो गयी । करफ्यू जब दोबारा लगाया गया तो अगले दिन दोपहर तक कोई खास बात नहीं हुई और उस समय उसे हटा लिया गया । करफ्यू न रहने की अवधि में छुरा भोंकने की ९ घटनायें हुई जिनमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । नगर के प्रमुख नागरिकों की एक सभा की गयी और मोहल्ला शांति समितियां बनायी गयीं । स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा । सब मिलाकर मेरठ में १७ व्यक्ति मरे और ५७,२१८ रु० की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई ।

उपर्युक्त तीन स्थान उपद्रव के कारण खास-खास स्थल रहे और इसीलिये वहां की घटनाओं का कुछ अधिक विस्तार से उल्लेख किया गया है । अलीगढ़ के छात्र कुछ नगरों में गये और ऐसे पत्र भी लिखे गये जिनमें अलीगढ़ की घटनाओं का अत्यन्त अतिरंजित तथा झूठा विवरण छात्रों तथा बहुसंख्यक सम्प्रदाय के व्यक्तियों की स्थानीय भावनाओं को जानबूझ कर उत्तेजित करने और झगड़ा फिसाद पैदा करने के उद्देश्य से दिया गया था । इन घटनाओं की निन्दा करते हुये प्रस्ताव पारित किये गये और जुलूस निकाले गये । भारतीय जनसंघ के सदस्यों ने इन सभाओं और हड़तालों को कराने में महत्वपूर्ण भाग लिया । कुछ स्थानों पर दूसरे सम्प्रदाय के लोग भी सक्रिय हो गये थे । अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ा कि कुछ

स्थानों पर दूसरे सम्प्रदाय के लोग भी सक्रिय हो गये थे, मैं इसमें यह संशोधन कर देना चाहता हूं कि उन पर भी उनकी प्रतिक्रिया हुई। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिन्दू छात्रों की मृत्यु हो जाने की झूठी खबरें आगरा में फैलाई गईं और छात्रों ने मरे हुये विद्यार्थियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ८–९ अक्तूबर की रात को छुरा भोंकने की एक छोटी घटना भी हुई किन्तु यह निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसका सम्बन्ध दंगों से था। मुजफ्फरनगर....

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)––आगरे में कोई मरा भी ?

श्री चरणसिंह––नहीं, कोई नहीं मरा। मुजफ्फरनगर में निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करके एक जुलूस निकाला गया और वहां आग लगाने की एक छोटी-सी घटना हुई। वाराणसी जिले की चन्दौली तहसील में कुछ छात्रों ने एक इमारत की दीवार को कुछ नुकसान पहुंचाया। मथुरा, गोरखपुर, सहारनपुर और आजमगढ़ में भी जलूस निकाले गये। आजमगढ़ में जनसंघ के स्थानीय नेताओं ने एक आम सभा की जिसमें साम्प्रदायिक किस्म के भाषण दिये गये। इसके जवाब में दूसरे सम्प्रदाय के कुछ लोग भी सक्रिय हो गये, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। शाहजहांपुर में ६ अक्तूबर की शाम को टाउन हाल के सामने एक आम सभा में जनसंघ और हिन्दू महासभा के सदस्यों ने भाषण दिये। इस सभा में भी साम्प्रदायिक किस्म के भाषण दिये गये और इस सम्बन्ध में इंडियन पेनल कोड की धारा १५३–ए के अधीन मामले की जांच की जा रही है।

लखनऊ में एक पैम्फलेट निकाला गया जिसमें अलीगढ़ की घटनाओं का गलत विवरण दिया गया था और यहां के विश्वविद्यालय के छात्रों को आन्दोलन करने के लिये भड़काने की कोशिश की गई थी, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र यूनियन के अधिकांश सदस्यों के द्वारा प्रदर्शित संयम तथा विवेक के कारण स्थिति उपद्रव की अवधि में शांति बनी रही। इस पैम्फलेट के सम्बन्ध में इंडियन पैनल कोड की धारा ५०५ के अधीन अभियोग चलाया गया। उस छापेखाने के मालिक को, जहां यह पैम्फलेट प्रकाशित हुआ बताया जाता है गिरफ्तार कर लिया गया और विश्वविद्यालय के छात्र, श्री प्रकाश नारायण अवस्थी के खिलाफ अदालत द्वारा वारन्ट जारी किया गया। उन्हें २७ तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। २७ अक्तूबर को दिन के लगभग २ बजे कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय के अहाते में एक सभा की जिसमें कुछ वक्ताओं ने अलीगढ़ की घटनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही न करने का विश्वविद्यालय यूनियन पर दोष लगाया। इसके बाद लगभग ४०० छात्रों का एक जुलूस जिसमें श्री अवस्थी भी सम्मिलित थे, मंकी ब्रिज की तरफ बढ़ा। ऐसा कहा जाता है कि इन छात्रों को प्राक्टर के स्टाफ ने विश्वविद्यालय के फाटकों पर यह चेतावनी दे दी थी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १४४ के अधीन निषेधाज्ञा लागू है। उसके बाद जलूस के लोग मंकी ब्रिज की ओर उत्तेजनात्मक नारे लगाते हुये और धारा १४४ के अधीन लगाये गये प्रतिबन्ध को भंग करते हुये बढ़े। सिटी मजिस्ट्रेट ने भीड़ को तितर–बितर होने के लिये चेतावनी दी। इस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और कुछ छात्र हिंसात्मक कार्य करने लगे और पुलिस पर पत्थर फेंके गये।

एक सदस्य––झूटी बात है।

श्री चरणसिंह––शायद फेंकने की कोशिश कर रहे थे, माननीय मित्र ने मना किया होगा, इसलिये कह रहे हैं अपने इल्म से।

मजिस्ट्रेट के आदेश से हल्का लाठी चार्ज किया गया। इसके फलस्वरूप दो छात्रों को हलकी चोटें आईं जिन्हें पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और गिरफ्तार कर लिया। श्री प्रकाश नारायण अवस्थी गिरफ्तार कर लिये गये और इसके बाद एक व्यक्ति और गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार सब मिला कर कुल ४ गिरफ्तारियां हुईं जिनमें उस प्रेस का मालिक सम्मिलित नहीं है जहां उक्त पैम्फलेट छापा गया बताया जाता है। इस घटना के बाद कोई जलूस नहीं निकाला गया, यद्यपि जनसंघ के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय के हाते में और उसके बाहर उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैंने उपद्रवों का संक्षिप्त विवरण दिया है। यद्यपि अलीगढ़ विश्व-विद्यालय के विद्यार्थियों के यूनियन के चुनावों से उपद्रव आरम्भ हुआ था फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद उस उपद्रव को फैलाने का संगठित प्रयास विशेष रूप से कुछ ऐसी पार्टियों और संगठनों के सदस्यों ने किया जो राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में वह निगाह नहीं रखते जैसी कि सरकार की है। यह हो सकता है कि यह प्रयास अधिकारी नीति का अंग न रहा हों, फिर भी इन जमातों के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उपद्रवों में प्रमुख भाग लिया था। जानबूझ कर शरारत से भरी हुई अफवाहें फैलाई गईं जिनमें विश्वविद्यालय की घटनाओं का गलत तथा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया था और उनमें यह भी कहा गया था कि कुछ व्यक्ति मार डाले गये हैं।

वातावरण में पहले से ही जोश था और इस प्रचार का असर तत्काल हुआ। दो पुरानी पार्टियाँ जिनका स्वतन्त्रता के पूर्व प्रमुख रूप से साम्प्रदायिक कार्यक्रम था फिर से सक्रिय हो गई हैं इससे बहुसंख्यक सम्प्रदाय के समुदायों में प्रतिक्रिया हुई..

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---नाम बताइये।

श्री चरणसिंह---मुस्लिम लीग और खाकसार।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---जिनको आपने सर्टिफिकेट दे रखा था?

श्री चरण सिंह---मैंने यह कहा था कि अभी कोई ऐसी ऐक्टिविटी नहीं हुई जिससे उनको बैन करने की बात कही जाय।

मुस्लिम कन्वेंशन के कुछ पहलुओं ने इस प्रतिक्रिया को जोर दिया। हर जगह उपद्रव का प्रायः एक ही रूप था। छात्रों ने या तो अपने आप ही या साम्प्रदायिक वर्गों अथवा अलीगढ़ के ....

श्री गौरीशंकर राय---साम्प्रदायिक वर्गों से क्या मतलब है?

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, परिभाषा करना बड़ा मुश्किल होता है। कम्युनल पार्टी किसको कहते हैं इसकी परिभाषा शब्दों में नहीं रखी जा सकती, लेकिन माननीय गौरीशंकर राय जी और मैं पूरी तरह समझते हैं कि कम्युनल पार्टी से क्या मतलब है, पर परिभाषा बहुत मुश्किल है।

छात्रों को उसकाने पर जलूस पर जलूस निकाले और हड़तालें कीं। समाज विरोधी तत्व तथा साम्प्रदायिक वर्ग उनके साथ मिल गये। इस मिली जुली भीड़ ने आग लगाई और अलीगढ़ व चन्दौसी में हत्यायें भी कीं। कुछ स्थानों में दूसरे सम्प्रदाय के संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रिया हुई। सरकार नेपहले ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह साम्प्रदायिक उन्मत्तता और हिंसा को सहन नहीं करेगी और उसने जिलाधीशों को यह अनुदेश जारी कर दिये थे कि उपद्रव को फैलने से रोकने के लिये दृढ़ कार्यवाही की जाय और उपद्रव करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय और यदि जरूरत पड़े तो निवारक निरोध अधिनियम (प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट) के अधीन भी अधिकार प्राप्त किये जायं। जिलाधीशों को साम्प्रदायिक घृणा उत्पन्न करने तथा आतंकवादी अफवाहें फैलाने के अपराधों के सम्बन्ध में इंडियन पीनल कोड की धारा १५३ (ए) तथा ५०५ के अधीन मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने के अधिकार दे दिये गये थे। ऐसे आदेशों को सख्ती से लागू करने के लिये भी कहा गया था।

अध्यक्ष महोदय, इन दंगों में २,८४४ व्यक्ति गिरफतार किये गये थे जिनमें से १,१८९ व्यक्तियों को दंडित किया जा चुका है। १९ व्यक्तियों के विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धारा १५३ (ए) के अधीन कायवाही की गई। कुल मिलाकर २,४८,५२३ रुपये की

सम्पत्ति की हानि का अनुमान लगाया गया है। दंगों से क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की सहायता के लिये अलीगढ़ में २७,००० रुपये, मेरठ में १५,००० रुपये, और मुरादाबाद में १५,००० रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मुख्य मन्त्री ने अपने डिस्क्रिशनरी फंड से ५,०००रुपये की रकम एक स्थानीय सहायता समिति को मस्जिदों की मरम्मत के लिये दी है। सरकार ने एक विशेष डी० आई० जी० पुलिस को इस प्रयोजन से नियुक्त किया है कि दर्ज किये गये मामलों की उचित तथा शीघ्रता से जांच की जाय और अपराधियों को दंडित किया जाय।

मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री तथा शासन के अन्य सदस्यों ने भिन्न-भिन्न जिलों का दौरा किया है और हमें यह मालूम हुआ है कि अधिकारियों का व्यवहार निष्पक्षता तथा ईमानदारी का रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ पक्षपाती व्यक्तियों द्वारा आरोप लगाये गये हैं जो सही नहीं । और इस प्रकार की बातों से किसी का भी भला नहीं होता है। मेरे पास प्रजा समाजवादी दल तथा कुछ अन्य संगठनों द्वारा बनाई गई जांच समितियों की रिपोर्ट भी आई है। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि मेरे वक्तव्य से स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। इस सम्बन्ध में मैं उन वक्तव्यों के प्रति खेद प्रकट करना चाहता हूं जो कुछ राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा अब भी दिये जा रहे हैं। हमें भारतीय जनसंघ की शाहजहांपुर नगर समिति द्वारा पारित किये गये संकल्पों की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने अलीगढ़ में मुसलमान गुंडों के हाथों से हिन्दू छात्रों की हत्याओं के प्रति शोक प्रकट किया है। एक रिपोर्ट में, जोकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की जांच रिपोर्ट समझी जाती है, यह कहा गया है कि विश्व-विद्यालय यूनियन के चुनावों में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को कमरे में बन्द किया गया और उस पर चाकुओं से आक्रमण किया गया। २२ अक्तूबर, १९६१ के 'न्यू एज' के एक लेख में यह उल्लेख है कि मेरठ में एक काले रंग की कार घूम-घूम कर चाकू आदि बांट रही थी, यह सही नहीं है। इसी प्रकार के गलत और तोड़-मोड़ के बयान कई लोगों द्वारा दिये गये हैं जिनका इसके सिवा कोई अन्य उद्देश्य नहीं हो सकता कि साम्प्रदायिक घृणा बढ़े और बराबर बनी रहे। मुझे विश्वास है कि सभी विवेकशील व्यक्तियों द्वारा इन बातों की निन्दा की जायगी।

सेना ने मेरठ में जो तत्कालीन सहायता दी उसके लिये हम उसके आभारी हैं। साम्प्रदायिक हिंसा के सम्बन्ध में केवल सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में जनता का भी भारी उत्तरदायित्व है। यह एक सन्तोष की बात है कि अधिकतर लोगों ने अपने को उस जहर से दूर रखा, जो फैलाया गया था और उन्होंने शान्त चित्त से कार्य किया। मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वे साम्प्रदायिक प्रचार तथा साम्प्रदायिक वातावरण को विषाक्त करने वाले कतिपय वर्गों के प्रयत्नों से सचेत रहें। वस्तुतः जनता के अपने विचार, दृष्टिकोण जागरूक रखने से ही इस समस्या का स्थायी हल प्राप्त हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समझता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय। कई लोग बोलना चाहेंगे, तो आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इतना लम्बा बयान है, यदि इस पर दो दिन का समय रखा जाय तो बेहतर होगा, लेकिन माननीय नेता सदन और उप नेता सदन भी उपस्थित नहीं हैं। मैं नहीं समझता था कि इतना लम्बा बयान होगा। अगर माननीय गृह मन्त्री इस पर राजी हो जायें तो उस हालत में तो मैं आपसे कहूंगा कि एक माननीय सदस्य को १५ मिनट का समय दिया जाय और यदि आज का ही दिन रहता है तो साधारणतया १० मिनट से ज्यादा समय नहीं होना चाहिये। कुछ लोगों को आप कर सकते हैं कि उससे ज्यादा समय दे दें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा निवेदन है कि इसमें जनसंघ का नाम कई जगह लिया गया है। बाकी के लोगों के लिये चाहे जो हो, लेकिन हमें काफी मौका दिया जाय क्योंकि दो तीन जगह माननीय गृह मन्त्री ने जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष---वह तो ठीक है वह तो मैं देखूंगा ही ।

श्री टीकाराम पुजारी---मेरे लिये एक घंटे का समय दिया जाय।

श्री उग्रसेन---यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि दो दिन का समय चाहिये तो मेरी पार्टी भी चाहती है कि दो दिन का समय मिले ताकि एक सदस्य को १५ मिनट मिलें, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन दो दिन का समय अवश्य मिले।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह विषय बहुत गम्भीर है और वक्तव्य भी इतना लम्बा-चौड़ा हुआ है, उसमें बहुत-सी बातें भी कहनी हैं लोगों को, तो कम से कम दो दिन का समय इसके लिये अवश्य मिलना चाहिये, ऐसी मेरी भी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये कितना समय देना चाहिये इस विषय में तो बाहर चर्चा हो सकेगी क्योंकि अभी तो न नेता सदन हैं और न उपनेता ही हैं, लेकिन यह मान कर चलिये कि आज ही इस पर बहस समाप्त होनी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---हम लोग भी दो दिन की मांग का समर्थन करते हैं।

श्री अध्यक्ष---लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक विष हमारे देश में फैलता मालूम होता है और पहले बहुत गहरा हो गया था और उसका अभी भी प्रभाव दिखाई देता है। आप दो नहीं, तीन रोज भी ले सकते हैं, लेकिन भाषण ऐसे हों, कि कोई हल उसका निकले, कोई कांस्ट्रक्टिव बात हो तो अच्छा हो। लेकिन अगर ऐसे ही एक दूसरे सम्प्रदाय वालों पर दोषारोपण होते रहे तो मैं समझता हूं कि जिस इरादे से हम लोग यहां बैठे हैं इस पर विचार करने के लिये वह तो खत्म ही हो जायगा बल्कि एक नया सिलसिला साम्प्रदायिकता और उसके विष के फैलने का पैदा हो जायगा जो इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा। जो बात ठंढी पड़ गई अगर बहस से वातावरण को और गरम करने का हम साधन बन जांय तो मैं समझता हूं कि अनुचित-सा होगा। इसका खयाल करके समय के बारे में बाद में तय करेंगे कि कितना समय होना चाहिये। और मैं समझता हूं कि भाषण के सिलसिले से ही अन्दाजा लग सकता है कि गाड़ी किधर ढुलक रही है। अभी तो नेता लोग ही बोलेंगे, उनको तो समय ज्यादा दिया ही जायगा।

श्री त्रिलोकीसिंह---मुझे यह सूचना मिली है कि माननीय गृह मन्त्री और सरकारी पक्ष इस हक में है कि यदि आज का समय बजाय ५ बजे के ६ बजे तक का कर दिया जाय तो उनको कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष---इतना तो हो ही जायगा ।

श्री चरणसिंह---मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आज ५ बजे के बजाय ६ बजे तक समय रख दिया जाय, लेकिन निपट आज ही जाना चाहिये, कल की बात न रहे।

श्री अध्यक्ष---तो अब विरोधी दल के नेता प्रारम्भ करेंगे और मैं उनको अधिक समय दूंगा। जो सरकारी पक्ष के लोग हैं वे कृपा करके जरा कम बोलें, यानी तादाद में। दो, चार को मैं इजाजत दे दूंगा लेकिन अधिक मौका में विरोधी पक्ष के लोगों को ही दूंगा ।

दूसरी चीज यह है कि नेता विरोधी दल अगर वे सभी विषयों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे तो आधा घंटे का समय मैं उनको दे सकूंगा, वे १५ मिनट में खत्म कर दें तो उनकी खुशी की बात है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---२० मिनट बहुत काफी होंगे।

श्री अध्यक्ष---अच्छा, तो २० मिनट उनको देंगे । मैं समझता हूं कि सभी नेताओं को इतना ही समय देंगे, बाकी लोगों को १० मिनट ही काफी होंगे।

श्री राजनारायण---वह २० मिनट में खत्म कर लेंगे तो उनकी वजह से दूसरों का समय आप क्यों काट रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---आपको मैं १५ मिनट का समय दे दूंगा अगर आपके यहां साम्प्रदायिक दंगा हुआ है तो।

श्री टीकाराम पुजारी---नेताओं को १० मिनट और हमको १५ मिनट।

श्री त्रिलोकी सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमन का और इस प्रदेश की सरकार का कृतज्ञ हूं कि आज इस महत्वपूर्ण विषय के लिये पूरे दिन का समय नियत किया गया। जवाहरलाल जी का आज जन्मदिन है और यह दुःख की बात है कि इस दिन इस दुखद विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं।

मान्यवर, लगभग १५ साल की आजादी के बाद भी हमारे समाज में इस प्रकार के दंगे हों इस प्रकार की विचारधारा फले और फूले और प्रजातन्त्रीय सरकार के लिये यह सम्भव न हो सके कि एक नागरिक के मूल अधिकार का भी पूरा प्रबन्ध यह सरकार कर सके, यह बड़े दुःख की बातें हैं। मैं यह समझता हूं कि सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि अगर कोई किसी को मार डाले तब सरकार उसपर मुकदमा चलायेगी। रात में किसी के घर में चोरी करना एक बात है, धोखे में किसी को निर्जन स्थान पर मार देना एक बात है, लेकिन यह बिलकुल भिन्न बात है कि दिन दहाड़े नारे लगाते हुये जुलूस निकाल कर घनी बस्तियों के अन्दर, जहां दोनों तरफ मकान हों, जहां प्रतिवर्ग मील ७ या ८ हजार आदमी बसते हों, जहां पुलिस का हेडक्वार्टर हो, जहां जिलाधीश महोदय का केन्द्र स्थान हो, जहां छावनी भी हो और जहां पुलिस लाइन्स में सौ, दो सौ और चार सौ जवान हर समय मौजूद हों वहां दिन दहाड़े घर में आग लगाई जाय, वहां घरों के अन्दर घुसकर औरतों और बच्चों को पीटा जाय, उनकी जान ली जाय, साधारण बात नहीं है। छोड़िये साम्प्रदायिकता के शब्द को, यदि साधारण-तया इस प्रकार की घटनायें भी घटतीं तो इस आदरणीय सदन को उन पर विचार करना चाहिये था कि उसका क्या कारण है। इतना कहने से काम नहीं चल सकता कि कुछ दल विशेष हैं, राजनीतिक अथवा साम्प्रदायिक और वे कभी-कभी लोगों को उकसा देते हैं और उनके उकसाने से ही उनमें खलबली पड़ जाती है और उसी के कारण यह दंगे हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसका यह कारण नहीं है। इसके कारण बुनियादी तौर पर दूसरे हैं।

(इस समय १ बजकर २८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बन्सल, पीठासीन हुये।)

एक जमाना था जब हम यह कहा करते थे कि साम्प्रदायिक भावना की जिम्मेदारी विदेशी शक्तियों पर थी। अगर विदेशी राज्य यहां न होता तो हिन्दू मुसलमानों में जो साम्प्रदायिकता फैली थी वह उस तरह से न होती और सम्भवतः होती ही नहीं। यह बात उस समय कही जाती थी। यह भी खयाल था कि स्वतन्त्र होने के बाद साम्प्रदायिकता का कहीं नाम नहीं रहेगा, लेकिन दुःख है और वह दुःख मामूली नहीं है, बहुत गहरा दुख है कि स्वतन्त्रता के बाद साम्प्रदायिकता की भावना जितनी इस देश में और इस प्रदेश में फैल रही है उतनी और उसका वह स्वरूप इससे पहले कभी नहीं था। आज, मान्यवर, केवल हिन्दू मुसलमानों में झगड़ा नहीं है? इस देश में हिन्दू सिक्खों में झगड़ा है, इस देश में अन्दर ब्राह्मण ठाकुर, कायस्थ बनिया, अहीर, गड़रिया, कुरमी इन सब के झगड़े हैं। गली गली में, घर घर में, जिस क्षेत्र में जाइये साम्प्रदायिकता और उससे भी बदतर बातें हैं। आखिर इसके पीछे है क्या?

[श्री त्रिलोकीसिंह]

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सबसे बड़ा हिस्सा इनमें चुनावों का है। जिन चुनावों में हम भाग लेते हैं और जिन चुनावों के द्वारा हम यह समझते हैं कि इस देश का कल्याण होगा और प्रजातन्त्रीय हुकूमत यहां चलाई जा सकती है। यहां उम्मीदवारों का चुनाव नहीं होता जब तक यह नहीं देख लिया जाता कि मुसलमान कितने फीसदी हैं, कितने आदमी किस जाति के किस नगर में, किस मुहल्ले में और किस तहसील में हैं। एक अंग्रेज ने ठीक कहा था—

"It is easy to speak ill of an under dog but it is difficult to defend him."

किसी के बारे में कुछ कह दिया जाय वह आसान होता है, उसकी सफाई मुश्किल होती है। मैं यह नहीं मानता हूं कि इस झगड़े को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी एक दल विशेष पर है। चाहे उस दल विशेष को जनसंघ के नाम से पुकारा जाय, चाहे किसी और दल के नाम से पुकारा जाय। मैं यह भी नहीं मानता हूं कि इस झगड़े को बढ़ाने की और पैदा करने की जिम्मेदारी इस कारण से है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को शहर के अन्य कालेजों के बनिस्बत उनके छात्रों की संख्या के अनुपात से ज्यादा अनुदान मिलता है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में ही क्या, यह चीज बनारस में भी है और लखनऊ में भी है। लखनऊ विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से जितनी ग्रांट मिलती है उतनी शिया कालेज को, विद्यान्त कालेज को, कान्यकुब्ज कालेज को और डी० ए० वी० कालेज को नहीं मिलती है। इसलिये इसका कारण यह नहीं है।

इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार सोचे कि बाकया क्या है। मन्त्री जी ने एक बड़ी लम्बी दास्तान उपस्थित की है। लेकिन गौर करें तो क्या होता है? सरकार का यह कहना है कि यदि साम्प्रदायिक दंगे की सही खबरें अखबारों में छप जायेंगी तो आग भड़क जायगी। लेकिन यहां क्या हुआ। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मामूली सा दंगा हुआ और अगर उसकी सही खबर सभी समाचार-पत्रों में छपने दी जाती तो क्या यह गलतफहमी या बदगुमानी चन्दौसी, हापुड़ या मेरठ में हो सकती थी? या लखनऊ में या शाहजहांपुर में उपद्रवों की यह शक्ल हो सकती थी? एक कौल है कि "सच को छिपाना झूठ को प्रोत्साहन देना है।" यह सत्य को छिपाना चाहते हैं। यदि यह कह देते कि मुसलमान मारे गये तो क्या बड़ा अनाचार या अत्याचार होता? अलीगढ़ में अल्पमत में मुसलमान हैं, लेकिन अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अल्पमत में हिन्दू हैं। अल्पमत जिलों-जिलों में बदलता है। लेकिन एक नई तरकीब निकाली गई कि भावनात्मक एकता को स्थापित करने के लिये सत्य पर पर्दा डाला जाय और सारे झगड़े इसी कारण हुये।

गृह मन्त्री जी का यह कहना है कि इनके पीछे संगठित शक्तियां थीं? यदि थीं तो इनकी खुफिया क्या कर रही थी? खुफिया का क्या काम है? इसका काम है पता लगाना कि कहां क्या साजिश हो रही है और फिर यह इस बात को मानते हैं कि करफ्यू लग जाने के बाद भी ढाई तीन घंटे तक दूकानें लूटी गईं। तो यह कैसा करफ्यू था? कहीं एक आध घटना हो जाती तो बात दूसरी थी। लेकिन वहां पर तो मील लम्बा जुलूस निकलकर यूनिवर्सिटी में घुस गया और कलेक्टर साहब के बंगले से तक कचहरी के पास से होता गया। मस्जिदें गिराई गईं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सी ढहा दी गईं। वे पक्की मस्जिदें हैं और उनके गिराने में तीस-चालीस आदमी लगे होंगे। यह किस शहर में हुआ? मेरठ में जहां फौज भी रहती है। (व्यवधान) गृह मन्त्री हों या न हों इससे कुछ काम नहीं बनता है। यह तो व्यवस्था की बात है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं ठहराता हूं, लेकिन सोचिये कि कैसा पुलिस का इन्तजाम था और फिर दावा यह कि हमने बहुत अच्छा इन्तजाम किया।

सरकार की तरफ से यह एक बीमारी फैलाई जाती है और वह एलेक्शन की बीमारी है। १९५२ में जनरल एलेक्शन था तो ७–८ जगह कुछ कत्ल करवा दिये गये। ३–४ दिन के बाद चौधरी साहबान पहुंचे। मेरा मतलब माननीय गृह मन्त्री जी से नहीं है बल्कि उनसे है जो कौम के चौधरी माने जाते हैं। उन्होंने जाकर कहा कि हम तुम्हारी जान माल के जिम्मेदार हैं। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम नेस्तनाबूद हो जाओगे और हिन्दुस्तान में तुम्हारा धर्म बाकी नहीं रहेगा। फिर १९५७ के जनरल एलेक्शन आये तो एक साल पहले ही कुछ छुटपुट झगड़े हो गये और कुछ की मरम्मत हो गई और अब १९६२ आया तो फिर कुछ झगड़े हो गये। मैं माननीय गृह मन्त्री जी से अर्ज करता हूं कि वे अपनी जवाबी तकरीर में इस बात पर रोशनी डालें कि जब २ तारीख को अलीगढ़ में जलूस निकाला गया तो स्टेशन के पास कुछ गड़बड़ हुई और प्लेटफार्म पर भी छीना झपटी की और रेलवे यार्ड के अस्पताल के सामने जलूस गया, उसकी इत्तला पुलिस को हुई और पुलिस वहां पहुंची तो लोग भागे और वह यह भी मानते हैं कि दो तारीख को सुबह को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने कलेक्टर साहब से मुलाकात की थी और कलेक्टर साहब से उन्होंने यह कहा था कि यदि जो कुछ हुआ है इस पर रोकथाम नहीं की जाती है तो शहर में आग भड़क जायगी। फिर यह तीन तारीख को इतना बड़ा बलवा क्यों हो गया? उनके बयान से आज मालूम हुआ कि साहब कमिश्नर बहादुर भी उस दिन वहां मौजूद थे। डी० आई० जी, भी तीन तारीख को मौजूद थे। जलूस चलता है, लोगों के घरों के अन्दर मारपीट करता हुआ चलता है। कौन मारे गये? १२ या १३ आदमियों की मौत हुई है, उसमें औरतें भी मारी गई हैं। केवल सन् ४७ को छोड़कर या नोआखाली के उस अफसोसनाक दंगे को छोड़कर भारतवर्ष के साम्प्रदायिक दंगों में कभी भी घरों के अन्दर घुसकर औरतों, लड़कियों और छोटे-छोटे बच्चों को नहीं मारा गया। लेकिन अलीगढ़ के दंगे में यह हुआ। चन्दौसी में वहां के स्थानीय एम० एल० ए० ने थाने में जाकर इत्तिला कर दी कि झगड़ा होने वाला है और उस स्थानीय एम० एल० ए० का वास्ता उसी दल से है जिस दल की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। मुरादाबाद में भी इत्तला कर दी। साढ़े दस बजे, सवा दस बजे, दंगा शुरू होता है। दो घंटे तक सन्नाटा रहता है। पुलिस चौकी के ठीक सामने जैसे कि बापू की तस्वीर के ठीक सामने हमारे भाई ये अखबारनवीस बैठे हैं, बीच में कुल केवल १६–१७ फुट की सड़क, मकान लूटा जाता है, मकान में आग लगाई जाती है, पुलिस वाले सामने मौजूद हैं।

मान्यवर, हम अखबारों में पढ़ा करते हैं कि डाकुओं का मुकाबला करते हुये किसी ने गोली खाई तो उसके बाल-बच्चों को तीस चालीस रुपये माहवार की पेंशन दस बीस वर्ष तक के लिये मन्जूर हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि जो मकान लूटे गये और पुलिस वालों की आंख के ठीक सामने लूटे गये, एक पुलिस मैन नहीं, दस पन्द्रह पुलिस मैन मौजूद थे, क्या किसी को भी चोट आई, किसी की ऐसी स्थिति पहुंची कि उसके बाल-बच्चों को कहीं कुछ देने की नौबत आयी हो? तो डाकुओं का सामना करने में तो पुलिस इतने शेर और दिन दहाड़े जो यह डाके पड़ें उनमें पुलिस वाले भीगी बिल्ली बन जायं। मालूम हुआ कि एस० डी० एम०, चन्दौसी पहुंचे मौके पर, कुछ लोगों ने पथराव किया, तो वह भागते हुये थाने पर जाकर मुरादाबाद टेलीफोन करते हैं जिस घर में आग लगी है उसको बचाने के लिये। उनके शरीर पर एक खंरोच भी नहीं लगी। यह शर्म की बात है किसी भी सरकार के लिये। मैं निजी तौर से कह सकता हूं, साम्प्रदायिक दंगों के बीच में पड़ने का इत्तफाक मुझे भी हुआ है। सौ-सौ, दो-दो सौ, चार-चार सौ, आदमी आंखों में खून भरे हुये कत्ल करने कराने को तैयार खड़े हैं, एक लंगड़ा आदमी बीच में खड़ा हो गया, मार बन्द हो गई, कत्ल नहीं हो सके। तो बात क्या है? किन लोगों की सरकार है यह? हमारे कुछ भाई हमको अपंग कहते हैं और पूरी पार्टी को अपंग कहते हैं। लेकिन मैं यह देखता हूं कि वह लोग जिनके हाथ में प्रदेश के संचालन का भार सौंपा हुआ है वह अपनी प्रमुख जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा वह नहीं कर पा रहे हैं। हजारीबाग के मुसाफिरों को लेकर जाने वाली मेल ट्रेन रोकी जाय

[श्री त्रिलोकीसिंह]

अलीगढ़ स्टेशन के ऊपर जिसमें कि हजार पांच सौ मुसाफिर हों, और जहां पर कि जी० आर० पी० का दस्ता रहता हो, वहां उस मेल ट्रेन को रोककर मुसलमान आदमियों को पीटा गया, वह अस्पताल में दाखिल किये गये । अल्पसंख्यक लोगों को चोटें आईं । क्यों नहीं कहते हैं कि अलीगढ़ में जितने मरे सब मुसलमान थे, क्यों नहीं कहते कि मेरठ में जितने मरे सब मुसलमान थे, क्यों नहीं कहते कि चंदौसी में जितने मरे सब मुसलमान थे ? मुझे कल एक किताब मिली भारतीय जन संघ, उत्तर प्रदेश की जांच समिति की रिपोर्ट । फरमाते हैं कि बड़ा शान्तिमय जुलूस जा रहा था । मुसलमान पत्थर पर पत्थर बरसाते चले जा रहे थे । यह गांधी जी की जय बोलते हुये खरामा-खरामा बढ़ते चले जा रहे थे । इतने में चन्द गुन्डे और बदमाश निकल पड़े और उन्होंने सारे शहर को मिस्मार कर दिया । क्या मासूम बात है !

अलीगढ़ विश्वविद्यालय की यूनियन का इतिहास दिया गया । मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हर विश्वविद्यालय में पालिटिक्स की वजह से यह कम्युनलिज्म है और कितनी ही हम बातें करें, हम इसे रोक नहीं सकते । अपने दिल पर हाथ रख कर देखना चाहिये, सोचना चाहिये कि राजनीति है किस के लिये । अगर हमने पड़ोसी को मरवा डाला, अगर हमने उसकी रक्षा न की तो राजनीति किस अर्थ के लिये है ? महात्मा की तस्वीर सामने रखते हैं । नोआखाली में जब यह गया तो उसने कहा कि हमारे साथ कोई आदमी नहीं जाएगा Only faithful and silent Parashu Ram will follow me एक आदमी ने जाकर रोका । माननीय मुख्य मंत्री भी हो आये, माननीय गृह मंत्री भी हो आये और कह दिया कि हमने ५७ हजार रुपये के करीब इमदाद दे दी है । मेरी निश्चित राय है कि अगर हम को साम्प्रदायिक दंगों को रोकना है तो इलाज करना चाहिये । सरकार को समझना चाहिये कि वह अपने कार्य में असफल हुई है ।

श्री चरणसिंह---आप की इजाजत से बाअदब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस की, गवर्नमेन्ट की सारी गलतियां हैं । समय खत्म होने वाला है । कोई कांस्ट्रक्टिव सुझाव दें जिससे इस समस्या को हल करने में मदद मिले । I plead guilty. What next ?

श्री त्रिलोकी सिंह---मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि और जो कुछ भी हो, मेरा समय अभी खत्म नहीं हुआ है । अभी मेरा समय बहुत बाकी है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं (श्री चरण सिंह के सदन से उठ कर जाने पर) इस किस्म का कन्टेम्ट? अगर इस तरह की हालत है तो मैं एक लफ्ज भी इस सिलसिले में नहीं कहना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि अपनी रक्षा, अपने स्वाभिमान की रक्षा और इस आदरणीय सदन की परम्पराओं की रक्षा किस किस्म से की जाती है । यह असफलता और उस के ऊपर यह नाज और नखरे ! जो उनके मुंह पर कालिख लगी है यह कालिख बात करके नहीं धोयी जा सकती । इन शब्दों के साथ मैं अपना बयान समाप्त करता हूं । मैं यह भी कहता हूं कि इस विवाद में अब जहां तक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का वास्ता है, एक भी माननीय सदस्य हिस्सा नहीं लेगा । हम को कोई दिलचस्पी इस सरकार से नहीं है, क्योंकि हम सत्य बोलना चाहते हैं । हम किसी के गुर्रे डब्बे नहीं देख सकते । हम जानते हैं कि हमारा क्या कर्त्तव्य है । हम यह भी जानते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं । अगर उन अधिकारों पर कोई आंच आयेगी तो हम उसका फैसला मान्यवर से करवायेंगे और जहां मान्यवर की जरूरत नहीं होगी वहां स्वयं करेंगे । हाथ कंगन को आरसी क्या है, तीन महीने बाकी हैं । मालूम हो जायगा कि आंख में धूल झोंकने से किस को खमियाजा भुगतना पड़ता है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, हमें दुख है और महान् दुख है कि आज हम अपने देश में उन तत्वों और उन गतिविधियों पर विचार कर रहे हैं जो महात्मा गांधी की हत्या के कारण बने थे । हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि २ अक्तूबर वही दिन है जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिन मनाया जाता है । जिस दिन सारे देश में राष्ट्रपिता बापू का जन्म दिन हो उस दिन दिल्ली की नाक के नीचे अलीगढ़ में साम्प्रदायिक झगड़ा हो, यह शर्म की बात है, दुख की बात है ।

मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हमारे में तनिक भी जनतांत्रिक भावना और मानवीय मूल्यों को सही रूप में प्रतिष्ठित करने की भावना है तो इस सरकार को एक मिनट भी गद्दी पर बैठना नहीं चाहिये । अलीगढ़, मेरठ, चन्दौसी या प्रदेश के विभिन्न स्थानों में जिस ढंग से साम्प्रदायिक तनाव हुये और जिस ढंग से झगड़े पैदा हुये उसके फलस्वरूप इस सरकार को इस्तीफा पेश करना चाहिये था । हमें देख है कि माननीय गृह मंत्री ने इस समय एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि माननीय त्रिलोकी सिंह और उनके दल के सम्मानित सदस्य यहां से चले गये । उनको यहां रहना चाहिये था क्योंकि यह विषय ऐसा है कि हमको अगर कोई सरकारी पक्ष से तुर्रा भी देता है तो उसको सहन कर लेना चाहिये । यह आज सारे देश का सवाल है, मानवता का सवाल है और इन्सानियत का सवाल है । माननीय गृह मंत्री जी यहां से चले गये हैं, मगर माननीय मुख्य मंत्री यहां पर विराजमान हैं । मैं कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं और उन तथ्यों को रखकर पुनः इस बात का निवेदन करूंगा कि इन तथ्यों को सामना किया जाय और इनका सामना तभी किया जा सकता है जब कि आज मुख्य मंत्री जी अपना इस्तीफा पेश करें ।

माननीय गृह मंत्री जी ने एक लम्बी दस्तावेज इस सम्मानित सदन के सामने पेश कर दी, मगर मैं अपने अनुभव से सम्मानित सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जो २ अक्तूबर की सुबह, पहली और दो के बीच अलीगढ़ के विद्यार्थियों में कुछ तनाव और गरमागरमी पैदा हुई उसके फल-स्वरूप कुछ विद्यार्थी निकल कर शहर बाहर चले गये । वे विद्यार्थी कहां थे और वे विद्यार्थी किस स्थान पर ठहरे थे, इतने लम्बे बयान में इस बात का जिक्र भी नहीं आया । एक सम्मानित सदस्य हैं, नागरिक हैं, वह नागरिक अपने घर में, अपने अहाते में १००, २०० या ३०० विद्यार्थियों को ठहराते हैं और रात भर विद्यार्थी यहां रहते हैं । मैं उनका नाम भी बतला दूं, सुरेन्द्र कुमार हैं । इस सरकार से उनका क्या सम्बन्ध है सरकार इसका जरा पता लगाये । सरकार इस निष्कर्ष पर आयेगी कि उनके घर में विद्यार्थी रहे । क्यों रहे यह बात जानना जरूरी है । क्या सरकार की ओर से इनको कुछ मदद भी दी जाती है ? यह हैं क्या ? क्या मूल कारण है जिससे तमाम झगड़ों की जड़ पैदा हो जाती है ? वह है आर्थिक उद्योग । सारे का सारा झगड़ा, चाहे वह हिन्दू धर्म को देखा जाय और चाहे मुसलिम धर्म को देखा जाय वह सब आर्थिक लड़ाई है । राज्य शक्ति को प्राप्त करने की लड़ाई है । राज्य शक्ति जिसके पास है उसी के पास आर्थिक शक्ति चली जाती है । राज्य शक्ति को प्राप्त करने के लिये आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल होता रहता है । अलीगढ़ में ताले का रोजगार है । वहां मुसलमान ताले का रोजगार करते हैं, ताला बनाते हैं । एक मालिक जो कि ताला बनाने की फैक्टरी खोले हुये है, बड़ी ईमानदारी के साथ कबूल किया जाना चाहिये, वह कांग्रेस मंत्री मंडल के सदस्यों को १० हजार या ५ हजार रुपया देता रहता है । वह अपने अहाते में विद्यार्थियों को ठहराता और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को खबर करता है कि कुछ विद्यार्थी शरणार्थी के रूप में हमारे यहां आये हैं । हमने ठहरा लिया है और ये बड़े उत्तेजित हैं । इन लोगों को हम ठंडा कर रहे हैं । मगर उनको वहां ठंडा नहीं किया गया । वहां उनको गरमी दी गई जो कि सारी खुराफात की बुनियाद है । क्या कारण है कि दो जानें चली गईं ? यह अफवाह अलीगढ़ से सारे प्रदेश और देश में फैल गई । सरकार की ओर से उस अफवाह का खंडन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? कोई कार्यवाही सरकार की ओर से नहीं की गई । वह खबर झूठी थी, निराधार थी, निर्मूल थी, और बेबुनियाद थी और लगातार चारों तरफ यह समाचार फैल जाता है कि दो हिन्दू लड़के मार डाले गये । सरकार को स्पष्ट ढंग से कहना चाहिये कि क्या सरकार का यह कर्त्तव्य था या नहीं कि वह लाखों लाख परचे छपवा कर इन अफवाहों का खंडन करती, गाड़ियों में माइक लगा कर घोषित करती कि यह प्रचार साम्प्रदायिक तत्व कर रहे हैं, इन अफवाहों के फेर में जनता न पड़े ? यह मजहबी जहर फैलाना चाहते हैं, यह बात बेबुनियाद है । मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इन अफवाहों को सरकार की ओर से रोका नहीं गया ।

कहा जाता है कि जिलाधीश ने अखबार वालों से कहा । समाचार वाले कहें या न कहें, लेकिन जो रिपोर्ट दो तारीख को पी० टी० आई० के कारस्पांडेंट ने भेजी थी उसमें उसने कहा था

[श्री राजनारायण

कि दो जानें जाने की बात निराधार है, लेकिन आठ घंटे तक उस तार को वहां से जाने नहीं दिया गया । आपको मालूम होगा कि दो तारीख को गांधी जयन्ती थी, ३ तारीख को कोई अखबार नहीं छपे थे । सूझ बूझ वाली सरकार को समझना चाहिये था कि अखबार के जरिये जो खबर जा रही है वह ३ तारीख को जनता तक कैसे पहुंच पायेगी । वह कैसे जान पायेगी कि यह घटना हुई भी थी या नहीं । इसलिये इस सरकार को स्वयं आगे आकर इस अफवाह का खंडन करना चाहिये था । लेकिन इसमें यह सरकार असफल हुई है । जिस घटना ने इतनी लूट कराई, कत्ल कराये, दंगा कराया वह यही थी कि वहां दो जानें गयीं । क्या इस के लिये सरकार दोषी नहीं है ? सविकार सरकार की ओर से इसका खंडन हुआ ६ तारीख को जब कि अलीगढ़ से लड़के मेरठ, चन्दौसी और दूसरे जिलों में चले गये और वहां जा कर उन्होंने कहा कि दो जानें चली गई, हिन्दू लड़के मारे गये और मुसलमानों ने जश्न कर गुन्डई की । इस प्रकार के समाचार वहां फैलाये गये । मेरा पक्का विश्वास है कि अगर इस खबर को दबवा दिया गया होता तो कतई इस प्रकार की कोई दुर्घटना न होती । ३ अक्तूबर को, मैं बतलाना चाहता हूं कि, वहां पर सरकारी अधिकारियों में ही काफी द्वन्द्व रहा । कुछ लोगों की राय थी कि सुरेन्द्र कुमार जी के यहां जो विद्यार्थी ठहरे हुये हैं उनको वहां ठहरने नहीं देना चाहिये लेकिन जो उच्चाधिकारी थे श्री जोशी साहब, वह अपने कुकर्मों को छिपाना चाहते थे और पुलिस के अफसरों ने कोई परवाह नहीं की यह जानने की कि वहां क्या हो रहा है । राम स्वरूप वर्मा जी के बारे में सरकार को जानकारी है कि वह कहां-कहां रहे हैं, लेकिन वहां कैसे भाषण दिये गये इसकी जानकारी सरकार को नहीं है । वहां तमाम लोगों ने उनको उभारा और ३ तारीख को वहां से ही जलूस निकालने की साजिश की गई । इसका नकलद क्या था ? वह पूंजीपति चाहते थे कि हम एक टेरर पैदा कर दें ताकि मुसलमान ताले वाले वहां से भाग जायें और हमारी ताले की फैक्टरी निर्द्वन्द्व हो कर चले और हमारे आर्थिक स्वार्थ पर कोई आंच न आये । यह भी एक तथ्य है जिसकी जानकारी सरकार को होनी चाहिये । मैं हैरत में हूं कि उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी वहां थे । उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि हम इसकी न्यायिक जांच करायेंगे, स्वतंत्र जांच करायेंगे .....

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप जरा रुक-रुक कर बोलें ताकि साफ सुनाई पड़े ।

श्री राजनारायण—इस के लिये मैं शुक्रगुजार हूं । मैं इस के लिये प्रार्थना करूंगा कि मेरे लिये समय की कोई सीमा न रखी जाय ।

मैं यह कह रहा था कि जब हमारा आर्थिक स्वार्थ एक दूसरे से टकराता है तो उस घटना को विभिन्न रंगों में रंगने का प्रयास किया जाता है । मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच स्वतंत्र रूप से की जायगी, तो इस के लिये क्यों नहीं न्यायिक जांच बैठाई गई ? यह नहीं होना चाहिये कि वहां का कलेक्टर जांच कर ले, डी० आई० जी० जांच कर लें । मैं वहां घूमा हूं । मैंने वहां के जले हुये घर देखे हैं । मैंने उन स्थानों को देखा है जहां पर कत्ल हुये हैं, मैंने उन स्थानों को देखा है जहां पर आग लगाई गई है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी भारतीय संस्कृति का अपमान है, भारतीय पुरुषत्व का अपमान है कि इस तरह के साम्प्रदायिक दंगे हमारे यहां हों । इसको रोकने के लिये हमारे राष्ट्रपिता बापू जी ने अपनी सारी जिन्दगी गवां दी लेकिन हम इतने नालायक हुये कि हम गांधी की कुर्बानी जन्य मानवीय मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाते, हम इस तरह से अपने को निर्मित नहीं कर पाये जिस से जनतंत्र की रक्षा हो, साम्प्रदायिकता दूर हो । गरीब जनता ने, गरीब हिन्दू और मुसलमानों ने, किसी ने झगड़े में भाग नहीं लिया । जनता को उभाड़ा गया, लेकिन जनता ने कहा कि यह तो लौंडियाई है हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है । झगड़ा पैसे वाले करते हैं और नुकसान उसमें गरीब मुसलमान या हिन्दू का ही होता है ।

श्रीमन्, इस बात को माना गया कि मेल ट्रेन को रोका गया और उसको रोक कर यात्रियों पर हमला हुआ । यह इसको मानते हैं कि मेल ट्रेन रुकी । श्रीमन्, वह अहाता जिसमें पुलिस के उच्चाधिकारी रहे उसके बिलकुल नजदीक ही है । ट्रेन के डिब्बों में जाकर वहां बैठे हुये मुसलमान यात्रियों को घसीटा गया और उनको मारा गया । फिर यह सरकार कैसे कहती है कि सरकारी कर्मचारी कर्त्तव्यपरायण हैं ? सरकारी कर्मचारियों ने क्या किया ? अस्पताल उन लोगों को किसने भिजवाया ? अस्पताल पुलिस ने नहीं भिजवाया, जनता ने उनको अस्पताल भिजवाया । इनके पुलिस अधिकारी एक तरफ खड़े रहे । अबरार नाम के एक मुसलमान को, जिसके पास फायर आर्म्स का लाइसेन्स था उसको दूकान से बुला कर ले जाया गया और कहा गया कि उसको पकड़ो, उसको मारो और उसको पकड़ कर मारा जाता है ।

हमारा जलूस निकले, लाठी चलाई जाय । किसानों का जलूस निकाला जाय, लाठी । अगर सत्याग्रही शान्तिपूर्ण ढंग से हो, तो उसे युद्ध की संज्ञा दी जाय । मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा जुलूस विद्यार्थियों का निकला तो क्या उनके ऊपर टीयरगैस छोड़ी गई, वाटर होज का इस्तेमाल किया गया ? यह टीयरगैस आखिर किस लिये है ? क्यों नहीं उसका सरकार ने इस्तेमाल किया ? जब हम देख रहे थे कि इतना बड़ा जुलूस निकल रहा है तो क्यों नहीं टीयर गैस और वाटरहोज आदि का इस्तेमाल किया ? उस अनावश्यक जलूस को काबू में किया जा सकता था अगर उसका इस्तेमाल होता । आगरे जिले में जब कि सिंचाई की दर में वृद्धि के कारण किसानों ने आन्दोलन शुरू किया था तो अदालत गंज में उस समय टीयरगैस का इस्तेमाल किया गया था जिसमें ९६ व्यक्ति मरे थे । गृह मंत्री जी के बयान से आज मालूम होता है कि पुलिस निर्दोष है । वही कहावत है कि साह से कहो जागे और चोर से कहो मूसे । यह कैसे चलेगी ? किसी भी राज्य का निर्माण तिकड़मबाजी से नहीं होगा, इस तरह की बातों से नहीं होगा । इस झूठ फरेब की बातों से नहीं होगा । उसके लिये कर्त्तव्यपरायण होना पड़ेगा । कर्त्तव्य के रास्ते पर चल कर ही उसका निर्माण हो सकता है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस विश्वविद्यालय का वह लड़का जिसका नाम इकबाल है और जिसका बाप मेरठ का पुलिस कोतवाल है वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के झगड़े में गिरफ्तार हुआ ? उसके सम्बन्ध में खबर पहुंचती है उसके घर पर कि मारा गया । मेरठ के सरकारी कर्मचारियों से पूछते हैं तो कहा जाता है कि बेशक सिटी कोतवाल का वह लड़का है, मगर उस दिन वह सिटी कोतवाल था नहीं, वह लखनऊ गया था इंटरव्यू में, हमसे इससे कोई ताल्लुक नहीं है । मेरठ में क्या क्या दुर्घटनायें हो गई हैं ? १० मसजिदें साफ हैं । अब सवाल है वह डैमेज्ड हैं या डेमालिश्ड । सरकारी कर्मचारी उन्हें डैमेज्ड बतलाते हैं । जब तक उनकी नींव खोद कर न फेंक दी जाय तब तक वह डेमालिश्ड नहीं मानी जायंगी । एक मस्जिद जो हिन्दू की दूकान के पास थी वह काफी चूना, गारा और सीमेंट देकर बनाई गई थी । कई घंटे तक अगर कई सौ आदमी उसको तोड़ने में लगें तभी वह टूट सकती है, वरना नहीं तोड़ी जा सकती थी, लेकिन वह तोड़ दी जाती है । कुछ मसजिदों के बारे में यह बताया गया कि मिट्टी की जुड़ाई थी और पुरानी ईंटें लगी थीं जिसके कारण वह धक्का देकर गिराई जा सकती थी, मगर कुछ ऐसी थीं कि जो कई घंटों के सतत् प्रयत्न के बाद गिराई जा सकती थीं । कहां थी पुलिस और सरकारी कर्मचारी ? मातमी ले रहे हैं, घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमको फौज की मदद लेनी पड़ी, हमारे पास साधन नहीं थे ।

अलीगढ़ की घटना की जानकारी मेरठ को कब हुई ? ३ तारीख को अलीगढ़ में जो जानें चली गईं उनकी जिम्मेवारी किस पर है ? वही तत्व जो अलीगढ़ से मेरठ जाते हैं, वही चन्दौसी जाते हैं और वही हापुड़ जाते हैं और आज मैं सफाई से कहना चाहता हूं कि कुछ तत्व ऐसे हैं जो आज सही मानों में प्रदेश की स्थिति बिगाड़ने पर तुले हुये हैं, चाहे मेरे इस कथन को कविता की कैसी भी संज्ञा दी जाय । हमें एक पर्चा मिला है, वह जनसंघ की तरफ से छपा है, एक एक लाइन से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है । क्या कारण है कि एक भी हिन्दू नहीं मारा गया और सब

[श्री राजनारायण]

मुसलमानों की जानें गई. . . . . (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी बत्ती मत बारिये, जरा बोलने दीजिये । खेर साहब परसों कह भी चुके थे ।

श्री अधिष्ठाता—आपको २० मिनट दिये जा रहे हैं ।

श्री राजनारायण—और १० मिनट दीजिये, कोई ऐसी बात नहीं है । सरकार से पूछ लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने जो अपील बहस के शुरू होने से पहले की थी, मैं समझता हूं सदस्यगण उसका पालन करेंगे ।

श्री राजनारायण—मगर उन्होंने यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि पी० एस० पी० के लोग उठ कर चले जायंगे, एक पूरा दल चला जायगा यह भविष्यवाणी नहीं की थी ।

श्री अधिष्ठाता—आप जारी रखें ।

श्री राजनारायण—मैं कहना चाहता हूं कि इन तथ्यों को देखा जाय। एस० पी० का मकान हमने भी देखा है । पैवेलियन, जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का है वह सड़क के इस तरफ है और घर उस तरफ है। उस तरफ आग जल रही है और भड़कायी जा रही है, मगर सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं करते । अबरार को उस दूकान से जो ले आने वाला आदमी था, उसके भाई ने मुझ से बताया कि उसको उसने गिरफ्तार किया, थाने में पहुंचाया और वहां उसके लिये कहा गया कि कोई वारंट नहीं है, उसको छोड़ दिया जाय । तो अगर बुनियाद में देखा जाय तो सारे झगड़े की बुनियाद में सरकार की किंकर्तव्यविमूढ़ता है, सरकार की उदासीनता है । मैं शुक्रगुजार हूं माननीय मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने ५,००० रुपया अपने विशेष फंड से देने की बात कही । मगर वह जो चेक काटा है वह किसके जरिये वितरित किया जा रहा है? क्या आगे के चुनाव को प्रभावित करने के लिये वह चीज नहीं की जारही है ? यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ बदमाशों ने मस्जिद जरूर गिरा दी, लेकिन हम पैसा तो दे रहे हैं, जरा हमारा खयाल करना । यह मनोवृत्ति दूषित है, माननीय चन्द्रभानु जी । यह मनोवृत्ति देश को गर्क में ले जा रही है, मुल्क जहन्नुम में जा रहा है। मैं हिन्दू और मुसलमान दोनों से अपील करना चाहता हूं और दोस्तों से अपील करना चाहता हूं कि क्या हिन्दू और मुसलमान दो हैं ? इस प्रकार के साहित्य का सृजन न किया जाय । चौधरी साहब जरा ध्यान से सुनें । क्या सरकार की ओर से एक भी ऐसे साहित्य का सृजन किया गया है, जो अंग्रेजी साम्राज्यवादी हुकुमत के द्वारा हिन्दू और मुसलमान में फूट डालने के लिये बटवाया गया था, उसके विरोध में कि हिन्दुओं यह न समझो कि मुसलमान कोई दूसरे हैं और मुसलमानों यह न समझो कि हिन्दू कोई दूसरे हैं ? मैं बिहार के दौरे से आ रहा था, गाजीपुर के कुछ मुसलमान लड़के मुझे मिले उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में क्या हुआ , पूरा किस्सा लगे बताने । आज हिन्दू और मुसलमान एक हैं, गूजर मुसलमान और गूजर हिन्दू, जाट मुसलमान और जाट हिन्दू, मुसलमान त्यागी और हिन्दू त्यागी, लेकिन कुछ तत्व हिन्दू और मुसलमानों को अलगाव में रखने की कोशिश कर रहे हैं ।

अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सरकार को कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि हिन्दू और मुसलमानों को सही मानों में घटनायें बतायी जायं कि अगर यह साम्प्रदायिक और मजहबी तनाव रहता है तो उसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों मरते हैं । इस प्रकार से जनतन्त्र नहीं चल पायेगा । दंगों को कुचलने का बहाना लेकर सरकार सारी ताकत अपने हाथ में लेकर जिस तानाशाही ढंग से चलना चाहती है वह तरीका अख्तियार करेगी । हमारे देश के ८०० वर्ष पुराने इतिहास का अवलोकन किया जाय । मैं दोनों सम्प्रदाय के लोगों से कहूंगा कि इस नुक्ते नजर से, इस दृष्टिकोण से पुराने इतिहास का अध्ययन किया जाना चाहिये, अरब, तुर्क,

मंगोल, खिलजी वंश, तुगलक वंश का। खिलजी वंश के अन्तिम सम्राट खुशरू को किसने मारा? गयासुद्दीन तुगलक ने मारा। गयासुद्दीन को मुहम्मद तुगलक ने मारा। मुहम्मद तुगलक के समय में जब तैमूर लंग का हमला हुआ तो तीन लाख मुसलमान काटे गये। क्या इस सरकार की ओर से यह तवारीख बतायी गई कि हिन्दू और मुसलमान का झगड़ा नहीं रहा है झगड़ा बराबर रहा है देशी और विदेशी का। विदेशियों ने जब अपने देश पर हमला किया तो देश के हिन्दू और मुसमान दोनों ने मिलकर, जो भी हमलावर रहा उसका मुकाबला किया। क्या आप उस तवारीख को भूल जाते हैं कि जब बाबर ने हमला किया था तो इब्राहीम लोदी और हसन खां मेवाती ने राना सांगा की मदद ली थी।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया....

श्री राजनारायण---समय हो गया तो फिर आपकी सरकार भी हो गई.....

*राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े ध्यान से चौधरी साहब का स्टेटमेन्ट सुन रहा था। उन्होंने दो बातें स्पष्ट जो अपने स्टेटमेन्ट में कहीं उनसे उनका सारा स्टेटमेन्ट ढल जाता है। उन्होंने कहा कि आफिशल पालिसी जनसंघ की न रही हो लेकिन इंडिवीजुवल कैपेसिटी में लोगों ने उसमें भाग लिया और बराबर कई स्थानों पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को चार्ज किया है। मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जो भी भारतीय जनसंघ की आफीशियल पालिसी साम्प्रदायिक दंगों के बारे में रही है उससे इन दंगों का कोई संबंध नहीं था और चौधरी साहब भी इसको भलीभांति जानते हैं। लेकिन यह जानते हुए भी राजनीतिक स्वार्थ के लिये भारतीय जनसंघ का नाम लगाया जाता है। अगर किसी इन्डिवीजुअल ने ऐसा कृत्य किया तो किस प्रकार से किसी दल के ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है? लेकिन अगर किसी व्यक्तिगत ऐक्शन से किसी दल पर चार्ज लगाया जा सकता है, तो जैसा कि श्री राजनारायण जी ने श्री सुरेन्द्र कुमार जी का नाम लिया, जिनके घर माननीय मुख्य मंत्री जी भोजन कर चुके हैं, जो कांग्रेस का आदमी है और जिसके यहां से सारी अफवाहें फैली। अगर चौधरी साहब का चार्ज ठीक हो तो फिर क्या यह भी ठीक न होगा कि अलीगढ़ से अफवाहों को फैलाने और लोगों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया? लेकिन अगर यह अनुचित है तो उतना ही अनुचित वह भी है जो चौधरी साहब ने कहा।

मुझे दुःख है कि माननीय गृह मंत्री जी ने यह कहा कि अलीगढ़ में १०.४५ पर घटना हुई। मेरे पास वहां की एफ० आई० आर० मौजूद है जिसमें ९, साढ़े नौ बजे का समय लिखा हुआ है। जब मैजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन मूव की गयी तो मैजिस्ट्रेट का आर्डर यह था --

"The learned counsel for accused requests that First Information Report may also be summoned for October 9, 1961. P. P. is directed to please produce F. I. R. also on October 9, 1961."

९-१०-६१ को मुकदमा फिर पेश होता है और फिर यह आर्डर होता है---

"I have heard the learned counsel for the accused and have gone through the P.P.'s report. No doubt F. I. R. has not been produced before me so far, but it is alleged that accused are named in F. I. R. "

श्री चरणसिंह---आपकी इजाजत से मैं एक बात पूछ सकता हूं कि क्या आप स्टेबिंग केसेज के बारे में बातें कह रहे हैं? क्या वह एफ० आई० आर० स्टेबिंग केसेज से ताल्लुक रखती है या और कोई है?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---जी हां, वह स्टेबिंग केसेज के बारे में है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा याबवेन्द्रदत्त बुबे]

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतने गंभीर मसले में फैक्ट्स को सुनियोजित ढंग से आना चाहिये था। एफ० आई० आर० में एक, सवा घंटे का फर्क बताया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने वह प्रोड्यूस भी नहीं की जाती है। क्या इस बात से यह शंका नहीं उठ सकती कि इसमें कान्काक्शन नहीं किया गया ?

चौधरी साहब ने अपने सारे वक्तव्य में एक बात पर प्रकाश नहीं डाला कि क्या यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वह विश्वविद्यालय के अधिकारियों की लापरवाही से हुआ या नहीं हुआ? अलीगढ़ के डी० एम० का जो स्टेटमेन्ट निकला था उसमें बराबर इस बात पर जोर दिया गया था कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने समय पर कोई कदम नहीं उठाया। इसका क्या मतलब है? इसका साफ अर्थ यह होता है कि विश्वविद्यालय उसके बारे में सख्ती से कार्यवाही नहीं करना चाहता था। अधिकारियों ने गलती की और अगर उन्होंने ऐसा किया और अपना कर्त्तव्य पालन नहीं किया तो क्यों डी० एम० ने उचित कदम नहीं उठाया। मैं जानना चाहूंगा कि चौधरी साहब ने अपने स्टेटमेन्ट में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को क्यों लीनियेण्टली ट्रीट किया है और क्यों उसको दूसरे ढंग से रंगने की कोशिश की है। उसमें और अलीगढ़ के डी० एम० के स्टेटमेन्ट में सत्य कौन है ? उनके स्टेटमेन्ट में यह कहां है कि डी० एम० को प्राक्टर और वाइस-चांसलर ने एक्योरेंस दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उचित कार्यवाही नहीं की ? अगर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तो डी० एम० ने क्यों कार्यवाही करने में ढिलाई की ?

यह बात क्या है ? पिछली घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको यह मालूम होगा कि जब जब एलेक्शन्स नजदीक आते हैं तो जिस प्रतिद्वन्दी के अधिक संगठित होने की इनको आशंका होती है उसी पर इस प्रकार का साम्प्रदायिक आदि होने का चार्ज इनकी ओर से लगाया जाता है। सन् १९५७ के एलेक्शन्स के बारे में आपको मालूम होगा कि उस समय भी १० बरस पुरानी बात को उखाड़ने का प्रयत्न किया गया और कुतिया आदि न जानें किन किन बातों को कहा गया। यह एलेक्शन के समय साम्प्रदायिकता क्यों भड़कायी जाती है? इसलिये कि अल्पमत जिसको मुसलमान कहते हैं वह शान्ति से बैठ कर विचार न करे और ब्राऊ बीट (brow beat) करके उनका वोट लिया जाय।

मैं चन्दौसी का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरह से राजनीतिक लाभ उठाया गया है। चौधरी साहब ने अपने स्टेटमेन्ट में ही कहा है कि जलूस बड़े ही नियोजित ढंग से जा रहा था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का नियोजन किसने किया था ?

(इस समय २ बजकर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री राम नारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

चन्दौसी नगरपालिका के अध्यक्ष श्री ब्रजकिशोर के विरुद्ध उन्हीं दिनों अविश्वास का प्रस्ताव आया था जिस पर चार मुस्लिम सदस्यों में से एक अब्दुल गफूर दर्जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इस दर्जी की दूकान हिन्दू मुहल्ले में होते हुए भी बच गयी और आसपास की अन्य मुस्लिम दूकानें लूटी गयीं या जला दी गयीं। अब श्रीमन, आप जरा विचार करें कि क्या वह अलीबाबा और चालीस चोर वाली कहानी हो गयी ? एक मुसलमान की दूकान तो हिन्दू मुहल्ले में होते हुए भी बच गयी और जिन लोगों ने अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे उनकी दूकानें लूट ली गयीं। आप ही सोचें कि इससे क्या साबित होता है। चौधरी साहब ने जलूस के नियोजन और योजना की बात तो बतलायी, लेकिन वह योजना किसने की थी इसका उत्तर उनके पास नहीं है। इतना ही नहीं, आप देखें कि जिस आरोप पर माननीय गृह मंत्री उठ कर चल गये और पी० एस० पी० के नेता ने बोलने से इनकार कर दिया और सदन का भी बायकाट किया, इससे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री तो बैठे रहे, वे उनके सुझाव को सुनते। अगर यह कहा जाय कि कुछ कहने को तो था नहीं, केवल पोलिटिकल स्टंट था, कोई वोट कैचिंग डिवाइस बनाना था, इसीलिये वे उठ कर चले गये तो यह गलत नहीं होगा। जनसंघ इन्क्वायरी रिपोर्ट पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि जन

संघ के लोगों का भी उसमें कुछ हाथ था। लेकिन डी० एम० ने भी इस बात को माना है कि जनसंघ बहुत शान्तिपूर्वक अपना प्रचार कार्य कर रहा है। तो क्या डी० एम० भी झूठ बोलते हैं ?

मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के गंभीर मसले को दृष्टि में रखते हुए चाहे सरकार हो, चाहे कोई दल हो, उसे दल के ऊपर उठ कर इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि एलेक्शन को दृष्टि में रखकर इस तरह की गलत बात का प्रचार करना अनुचित है।

राजनारायण जी ने मेरठ जनसंघ की तरफ से निकले हुए पैम्फलेट का जिक्र करते हुए कुछ बातें कही थीं। वह पैम्फलेट मेरे पास मौजूद हैं, और आपकी आज्ञा से मैं उसे पूरा तो नहीं पढ़ना चाहता हूं लेकिन उसमें विशेष बातें ये हैं आप लोग अफवाहों पर विश्वास न करें, ऐसी बातें कहने वालों से दूर रहें, जल्दी दूकानें बन्द न करें, साहस से काम लें . . .

श्री उग्रसेन—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय दुबे जी ने जो अभी राज नारायण जी के भाषण का जिक्र किया, तो मैं बतला देना चाहता हूं कि उनका मतलब पूरी जांच रिपोर्ट से था, उसी को उन्होंने पैम्फलेट कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—आप चुपचाप बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—अब मैं श्रीमन्, क्या कहूं, कुछ लोगों को कुछ कहने के लिये न हो तो भी उन्हें कुछ कहना होता है। सत्य कटु भी होता है। उसमें यह स्पष्ट है कि साहस से काम लो, मुहल्ले-मुहल्ले में इस प्रकार का संगठन निर्माण करो जिससे कि उपद्रवकारियों को हिंसात्मक काम करने का साहस न हो सके। तो अगर हम लोगों से यह कहते हैं कि झूठ अफवाह पर विश्वास न करो तो इसमें क्या बुरा किया ? हमारा पाप केवल यह है कि आज धीरे धीरे जनसंघ जनप्रिय हो रहा है और एलेक्शन नजदीक होने के कारण इस प्रकार के अनर्गल और झूठे प्रचार किये जाते हैं।

श्रीमन, मुझे एक बात याद आती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी विधान सभा में बड़े गर्व के साथ कहा था कि हम जनसंघ को कुचल देंगे। उस समय मैं समझा था कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी वयोवृद्ध हैं और वयोवृद्ध लोगों को क्रोध जल्दी आता है, जैसे कि बच्चों को आता है। चाइल्डहुड ऐन्ड दि ओल्ड एज इज दि सेम (Childhood and the old age is the same)। अब मैं समझा कि वह क्रोध नहीं था बल्कि उनकी जो योजना है उसको उन्होंने प्रकट किया था। मैं उदाहरण देता हूं। मुख्य मंत्री जी आन्ध्र से या हैदराबाद से लौटकर आये थे। आगरे में आये तो उन्होंने घोषणा की कि बड़ा डीप रुटेड प्लाट है। उसके पहले जो डी० एम्स० की कम्युनिक्स निकली उसमें था कि ये सारी घटनाएं, जलूस और जलूस के ऊपर पथराव पर हैं। जलूस उठा और पथराव हुआ। गृह मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि जहां विद्यार्थियों से अफवाह पहुंची हैं उनके आधार पर जलूस उठा। जलूस उठता है और उस पर पथराव शुरू होता है। यह पत्थर कहां से आ गए? क्या आसमान से आ गए ? नग्न सत्य पर विचार करना चाहिए, चाहे किसी दिल के लिये वह लाभकारी हो या हानिकारी; इसके माने हैं कि पत्थर पहले से इकट्ठे थे।

मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि बड़ा भारी प्लाट है। अगर प्लाट था तो लोकल अथारिटीज को उसका ज्ञान नहीं था ? और अगर केवल मुख्य मंत्री जी को ही उसका ज्ञान था तो उन्होंने लोकल अथारिटीज को उसकी सूचना क्यों नहीं दी ? और अगर नहीं दी तो क्या मैं यह कहूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने कर्त्तव्य को अदा नहीं किया। उसी के बाद आप देखें कि मेरठ में हमारे मुख्य मंत्री जी जाते हैं। ५–६ को वहां दंगे होते हैं। मिलिटरी को हैन्ड ओवर करते हैं। कोई जनसंघ का आदमी नहीं अरेस्ट किया जाता है। मुख्य मंत्री जी ७ बजे वहां पहुंचते हैं और उसके बाद ७–८ बजे के बीच जनसंघ के लोग पकड़े जाते हैं। माया राष्ट्र नाम का एक अखबार मेरठ से निकलता है जिसके सम्पादक श्री रामचन्द्र मित्तल, एक कांग्रेसी हैं। उन्होंने अग्रलेख में स्पष्ट लिखा कि मेरठ का वातावरण खराब होने की समस्त जिम्मेदारी वहां के उच्चा-

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

धिकारियों पर है, जिसमें डी० एम० और एस० एस० पी० खासतौर से जिम्मेदार हैं। पुलिस की फोर्स बहुत कम थी, जो प्रबन्ध करने में असमर्थ थी। यह उन कांग्रेस सज्जन ने स्पष्ट लिखा है। परन्तु मुख्य मंत्री जी आर्डर करते हैं कि जनसंघ वालों को पकड़ो। प्रेसीडेन्ट को पकड़ा जाता है और जो वहां का उम्मीदवार है एम० एल० ए० के लिये, उसको पकड़ा जाता है और इसके बाद इन सज्जन को भी पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जाता है और वह इसलिये कि मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था लखनऊ में लाठीचार्ज के ऊपर और कहा था कि जो इस लाठीचार्ज की बुराई करते हैं वह खुद साम्प्रदायिक हैं। यह क्या है? यह केवल तानाशाही का परिचायक है। किसी गलत कार्य की बुराई करना और सप्रमाण करना मुख्य मंत्री जी की समझ में साम्प्रदायिकता है। इसका मतलब यह है कि मुख्य मंत्री जी का विचार है कि जिसका मेरे विचार से मतभेद हो वह साम्प्रदायिक है, निकम्मा है। उनके अनुसार साम्प्रदायिकता की यह परिभाषा है। यह तानाशाही की परिचायक है, जिसका परिचय मेरठ की अरेस्ट्स में मुख्य मंत्री जी ने दिया था।

अगर मैं यह कहूं कि यह अरेस्ट और इस प्रकार की अरेस्ट केवल इस बात की ओर इशारा करती है जो कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े गर्व के साथ कहा कि हम जनसंघ को कुचल देंगे, तो अनुचित न होगा। मेरा स्पष्ट आरोप है कि आज यह साम्प्रदायिक दंगे केवल गवर्नमेन्ट की लापरवाही और सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण हो रहे हैं और उसका मैं प्रमाण देता हूं। श्रीमन्, इस प्रकार के रयूमर्स या अफवाहें अलीगढ़ में बहुत दिनों से चल रही थीं। क्या उसके बाद उन अफवाहों का खंडन किया गया? सूचना विभाग की बात इस काम में लायी गई या अन्य जिलों में इसका प्रचार किया गया? गलत खबरों का खंडन किया गया? नहीं किया गया। सूचना विभाग का काम केवल कांग्रेस के एलेक्शन का प्रचार करना है, सत्यता का प्रचार करना नहीं। गलती है अधिकारियों की, शासन सूत्र और प्रबन्ध की, लेकिन आरोप लगाते हैं जनसंघ पर। यह स्पष्ट करता है कि बराबर साम्प्रदायिक दंगों को पोलिटिकल शक्ल दे कर उसको बदनाम किया जाता है जिससे मुसलमान शान्ति से विचार न कर सकें, यह न सोच सकें कि उनका हित किसमें है। उनको ब्राऊ बीट करके, स्टेम्पीड करके काम करने के लिये मजबूर किया जाता है और उसकी आड़ में विरोधी दल को क्रश करने की जो घोषणा मुख्य मंत्री जी की थी उसका प्रैटिकल स्वरूप आज हमको दिखाई दे रहा है।

मैं पूछता हूं, साम्प्रदायिक दंगे हुए, सब चाहते हैं रोकथाम हो। क्यों नहीं जुडिशियल इन्क्वायरी यह सरकार और भारत सरकार कराती है? क्यों उससे भाग रही है? अलीगढ़ यूनीवर्सिटी के बारे में सब लोग जानते हैं, प्रौक्टर खड़े होकर शाबाशी दे रहा है, और माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की दुकानें नहीं लूटी गईं और सब लूटी गईं। गृह मंत्री जी ने अलीगढ़ के दंगों के बारे में कम्यूनलिस्ट और कम्युनिस्ट शब्द कहा है। आपके "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने, जो कांग्रेस पार्टी का प्रमुख पेपर है, उसके करस्पांडेंट ने लिखा है कि अलीगढ़ का दंगा कम्युनिस्ट पार्टी ने कराया है। तो मैं कह रहा था कि जब इस प्रकार की अवस्था है और सब जगहों की रिपोर्ट्स हैं कि पथराव शुरू होता है तो जुडिशियल इन्क्वायरी से भागने की क्या आवश्यकता है? जहां तक मुझे याद है, मुख्य मंत्री जी मुझे ठीक कर देंगे, शायद आपका भी स्टेटमेन्ट यह था कि हम जुडिशियल इनक्वायरी करायेंगे। तो फिर आज आप क्यों भाग रहे हैं? इन्क्वायरी आपने पुलिस के खिलाफ, शासन के खिलाफ डी० आई० जी० के सुपुर्द की है। जो प्रशासन स्वयं ऐक्यूज्ड है उसी से कहते हैं जांच करे। आप जुडिशियल इन्क्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? आवश्यकता यह थी कि जुडिशियल इन्क्वायरी हो और इस विषय की जहां जड़ है वहां तक जाने की जरूरत है। खाली इस इन्क्वायरी का प्रयोग राजनीतिक दांव पेंच के लिये करना अनुचित होगा और मैं समझता हूं उस इन्क्वायरी से कोई लाभ नहीं होगा।

श्रीमन् मैं गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूं जो उन्होंने १० अक्टूबर को प्रेस कांफ्रेंस में बात कही थी कि इसके अन्दर सभी दलों के दो हजार के करीब लोग पकड़े गये। जब सभी दलों के लोग हैं तो अकेले जनसंघ पर अटैक क्यों ? इसके माने हैं कि पोलिटिकल मोटिवेशन है। यह मेरा सरकार पर चार्ज है।

मैं गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मौलाना हिफजुर रेहमान, जो मुस्लिम कन्वेंशन के अधिष्ठाता थे उनके बारे में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वह साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहन देते हैं।

श्री चरणसिंह---मैंने कहा था ऐक्सक्लूसिवनेस और आइसोलेशन की स्प्रिट वह ६ संस्थायें बढ़ाती हैं जिनमें जमायत उलमा भी थी। जब मुझे आप क्रेडिट दे रहे हैं सही बात पर, तो जो मैंने भारतीय जनसंघ के बारे में कहा है, जो मेरे विचार हैं, उस सिलसिले में भी उसी क्रेडिट को क्यों नहीं देते ?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---कारण यह है कि जहां माननीय गृह मंत्री जी फैक्टस के अनुसार बोलते हैं वहां सही बोलते हैं, लेकिन जहां पोलिटिकल स्टंट को सामने रख कर बोलते हैं वहां झूठ बोलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---यह "झूठ" शब्द जो आपने इस्तेमाल किया है ....

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं "टर्मिनालिजिकल इनएक्जेक्टीट्यूड" का इस्तेमाल किये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---पहले आप "झूठ" शब्द को वापस लीजिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं वापस लेता हूं। अब तो आपको संतोष हो गया होगा। मैं "टर्मिनालिजिकल इनएक्जेक्टीट्यूड" शब्द का इस्तेमाल करता हूं। क्रेडिट वहां दिया जायगा जहां सच्चाई हो और जहां वस्तुस्थिति गलत हो वहां नहीं दिया जायगा। जो मुस्लिम कांफ्रेंस के अधिष्ठाता के खिलाफ बात कही गयी उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? हमारे मुख्य मंत्री ने बड़े जोरों के साथ रूथलेसनेस की बात कही। तो क्या मेरठ में उपद्रव करने वालों में से कोई पकड़ा गया? अलीगढ़ का कोई स्टूडेन्ट पकड़ा गया ? हिफजुर्रहमान साहब के खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ? क्या कांग्रेस से हफीजुर्रहमान साहब को निकाला गया ? ऐसे साम्प्रादायिक लोगों को क्यों कांग्रेस रखे हुये है, क्यों वह एम० पी० बने हुए हैं ? वास्तव में आप सेकुलर नहीं हैं, साम्प्रदायिक हैं और हर प्रकार की साम्प्रदायिकता को बढ़ाते हैं, अपने एलेक्शन में उसका लाभ लेने के लिये। (लाल बत्ती होने पर) थोड़ा समय मुझे आप और दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---तीन मिनट ले लीजिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---५ मिनट दे दीजिये तो आभारी हूंगा। नैशनल इन्टेग्रेशन की बात कही जाती है। आचार्य कृपालानी का भाषण आप को याद है ? जब एलेक्शन आ रहे हैं तो नैशनल इन्टेग्रेशन कान्फ्रेंस बुलायी जाती है। लेकिन भाषावार प्रान्त किसने बनाये, भाषावार प्रान्तों का संघर्ष किसने खड़ा किया ?

श्री सीताराम शुक्ल---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप के द्वारा कि माननीय सदस्य जरा रुक-रुक कर बोलें तो सुनायी पड़े। स्पीच वे बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन मैटर सुनायी नहीं पड़ता।

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा नजदीक चले आइये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। मुस्लिम कन्वेन्शन बुला कर गृह मन्त्री ने स्वीकार किया। दूसरे साम्प्रदायिक दंगों को प्रोत्साहन

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

दिया है। मेरा स्पष्ट चार्ज है कि जिस प्रकार का साम्प्रदायिक वातावरण एलेक्शन के समय देश में खड़ा किया गया है उस में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से कांग्रेस जिम्मेदार है। आखिर गृह मन्त्री जी कहेंगे कि तुम्हारा सुझाव क्या है? हमारा सुझाव है कि दलगत स्वार्थ के ऊपर हम उठें और ईमानदारी से स्वीकार करें कि किस ने कहां गलती की, किस ने कहां गलती की (व्यवधान) मौलाना हिफजुर्रहमान को पहले अपने में से निकालिये तब दूसरों से कहिये। अपने दल का कोई व्यक्ति गलती करता है और प्रमाण है तो उसे दल से बाहर निकालिये। यह नहीं कि यहां आकर भाषण दें कि हम बड़े सेकुलर और दूसरे बदमाश, यह पोलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ नहीं है, वास्तविकता नहीं है। इसके अन्दर जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये कि कहां एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हुआ है और कहां यूनिवर्सिटीज की अथारिटीज का फेल्योर हुआ है।

गृह मंत्री का जो वक्तव्य हुआ है उसमें एक बात बराबर दौड़ी है और वह यह है कि जहां-जहां भी रायट्स हुए यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी गये और वहां उन्होंने गलत खबरें फैलाईं जिससे लोग उत्तेजित हुए। प्रश्न यह है कि यूनिवर्सिटी बन्द हुई, विद्यार्थी गये, वहां उनकी गलत खबरें फैलाने के कारण उत्तेजना फैली तो उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई प्रयास नहीं किया। केवल एक दल विशेष को बदनाम करने का इसके पीछे दृष्टिकोण है। आवश्यकता इस बात की है कि कहां एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, कहां पालिसी का फेल्योर है, इसके लिये जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिये और ओपेन जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये जिससे हम इस विषय की जड़ के अन्दर पहुंच सकें और जो वास्तविक निदान है उसे हम लें।

श्री चरणसिंह---एक बात आपने कही कांट्रेडिक्शन आफ ए्यूमर्स की, दूसरे मौलाना हिफजुर्रहमान के निष्कासन की और तीसरे . . . .

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मैं तो जुडीशियल इंक्वायरी की बात कह रहा था। आप तो कागजात देखते हैं, आदमी को सुनते नहीं। इस प्रकार सिविल कमीशन किसी तरह का हो उसको रथलेसली दबाना चाहिये और जितना कंडम हो सके करना चाहिये, लेकिन उस रूथलेसनेस में पक्षपात न हो। Let the chips fall where they should have been. अपने दलगत स्वार्थ के लिये इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिये।

लखनऊ यूनीवर्सिटी के बारे में एक बात कही गयी, प्रकाश अवस्थी तथा विद्यार्थी परिषद् के बारे में। प्रकाश अवस्थी न जनसंघ में है और विद्यार्थी परिषद् से वह निष्कासित हो चुका है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गृह मंत्री जी ने कहा कि जनसंघ के नेता लोगों ने जा कर बड़े भाषण दिये इस सम्बन्ध में मेरी स्पष्ट जानकारी है कि उन्होंने वहां जा कर कोई भाषण नहीं दिये।

तीसरी बात लाठी चार्ज के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मैं मान लेता हूं कि उसने गलती की जो पैम्फलेट वगैरह छापा, परन्तु जब दफा १४४ लागू थी तो आपने गेट पर ही जलूस को क्यों नहीं रोका? जैसा कि आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी अनुनय-विनय करके ढकेल कर के पीछे किया था वैसे ही इन विद्यार्थियों को ढकेल करके पीछे नहीं कर सकते थे? उनको ब्रिज पर आने देने के माने ही यह हैं कि आपकी पालिसी थी कि लाठी चार्ज करेंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और आगे-पीछे दोनों तरफ से उन पर लाठी चार्ज किया। उनके ऊपर टीयर गैस शेल का भी प्रयोग किया गया था जिसका आपकी रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि रूथलेस हों, स्ट्रांग मेजर्स हों, परन्तु वह इम्पार्शल हों, जहां जिसने गड़बड़ी की हो उस गड़बड़ी में वह प्रयोग हों, राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका प्रयोग नहीं होना चाहिये।

अन्त में जो गृह मंत्री जी ने माइनारिटी शब्द का प्रयोग रेलिजन की बेसिस पर किया वह गलत है, माइनारिटी तो रैशनल और कल्चर होती हैं, उसको सिविल कमीशन कहा जाय तो ज्यादा उचित होगा और उसका प्रयोग एलेक्शन की दृष्टि से किसी दल को नहीं करना चाहिये, इस बात की प्रार्थना मैं सभी लोगों से और विशेष कर मुख्य मंत्री जी से करूंगा।

श्री सेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो बहस हो रही है उसके सम्बन्ध में मेरी एक ही राय है कि उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुये उनको हिन्दू-मुस्लिम दंगा न माना जाय, वह हिन्दू-मुस्लिम दंगे नहीं थे बल्कि एक व्यक्ति विशेष या यों कहूं कि एक पूंजीपति द्वारा जो कांग्रेस हुकूमत और विश्वविद्यालय को बदनाम करना चाहता है उसने यह अंकुर पैदा किया और उससे आग फैली और सारे प्रदेश में झगड़े हुये। अलीगढ़ से झगड़ा शुरू हुआ और उसकी एक मात्र जड़ वहां के एक उद्योगपति थे जिनको सरकार से काफी रुपया मिला था और अगर वह विवेक से काम लेती तो मुझे पूर्ण आशा है कि उत्तर प्रदेश में जो जन-धन और मान की हानि हुई वह कदापि न होती।

यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है कि आजादी के बाद भी आज इस प्रकार के दंगे हों। आजादी से पूर्व यह सही बात है कि हम लोग यह सोचते थे कि अंग्रेज हुकूमत ही के कारण दंगे होते हैं लेकिन आजादी होने के बाद हम देखते हैं कि आज हिन्दू-मुस्लिम समस्या ही हमारे सामने नहीं है बल्कि छोटी जात और बड़ी जात की भी गम्भीर समस्या है। क्या यह सही नहीं है कि कुछ विरोधी दल और कांग्रेस के लोग जा कर यह नारा नहीं लगाते हैं कि "ठाकुर, कायस्थ, बाम्हन, लाला इन सब का मुंह काला, ऊपर से देश निकाला ?" क्या आज आपस में जाति का भेद-भाव नहीं बढ़ रहा है ? क्या यह सही नहीं है कि आज दक्षिण और उत्तर की समस्या है? क्या आज सिक्खों और हिन्दुओं की भाषा की समस्या नहीं है ? इस सम्बन्ध में अभी गृह मंत्री जी ने कहा था कि कोई सुझाव आना चाहिये। वास्तव में अगर हम कुछ करना चाहते हैं, इन समस्याओं का निराकरण चाहते हैं तो हम को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में मेरा पहला सुझाव यह है कि हम लोग इस काम में जुट जायं और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री, गुप्ता जी, हुकुमसिंह जी, सुचेता कृपालानी जी, गिरधारीलाल जी,ये सब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे कर सारा समय इस काम में दें और चौधरी चरण सिंह जी को इस वक्त मुख्य मंत्री बना कर शासन का काम चलाने के लिये रहने दें। मैं भी चौबीसों घन्टे अपना समय देने को तैयार हूं, उनके निर्देश के अनुसार काम करूंगा किन्तु इन समस्याओं को यदि हल करना है तो उसी प्रकार काम करना पड़ेगा जैसा अलीगढ़ जिले में या दूसरे जिलों में शान्ति सेना ने काम किया है, उसी प्रकार शान्ति सेना को स्थापित करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा जो अपने प्राणों की बाजी अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह से लगाकर काम करें। मुख्य मंत्री जी बहुत उपयुक्त हैं इस कार्य के लिये।

श्रीमन्, कई बार मैंने मांग की है, यहां भी की है कि जो कम्युनल बाडीज हैं जैसे मुस्लिम लीग इत्यादि हैं या दूसरी संस्थायें हैं, जो साम्प्रदायिक प्रचार करती हैं उनको बैन कर दिया जाय। लेकिन संविधान की दुहाई देकर अभी तक उनको बैन नहीं किया गया है। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा है यह सही बात है कि हमने जातीयता को फैलाया है। यही बात गाडगिल साहब, जो एक प्रदेश में गवर्नर हैं, ने भी कही है। हम जहां ब्राह्मण ज्यादा हैं वहां ब्राह्मण खड़ा करते हैं। हम यह भी सोचते हैं कि जहां अहीर या किसी खास सम्प्रदाय वर्ग या जाति के लोग ज्यादा हैं वहां उसी को खड़ा करें। हमने इस विष को फैलाया है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आइये, हम आप इसके लिये मैदान में आयें, अपने को आफर करें इस समस्या से लड़ने के लिये आपको ऐसे कार्यकर्त्ता मिल सकते हैं और मिलते हैं जिनसे आप शान्ति सेना चला सकते हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी को ध्यान दिलाना और पूछना चाहता हूं कि झगड़ा शुरू हुआ तो क्यों हुआ ? क्या हिन्दू-मुसलमानों का यह झगड़ा था ? अगर हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा होता तो क्या

[श्री नेकराम शर्मा]

यह सही नहीं है कि जिस दिन झगड़ा बन्द हुआ उस दिन हिन्दू और मुसलमान सब एक दूसरे के साथ निकल कर सौदा खरीद रहे थे। अगर हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा था तो आपस में दूसरे ही दिन एक साथ शापिंग करें, मुसलमान हज्जाम के यहां हिन्दू बाल बनवायें यह सब क्या बताता है कि ये हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा नहीं था। साफ बात तो यह थी कि जिन स्टूडेन्ट्स में लड़ाई हुई उनको वहां के एक पूंजीपति ने धन दिया और रुपया देकर उन लड़कों को बाहर भेजा और उसी ने सारे झगड़े की बुनियादी डाल दी। मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि ऐसे लड़कों को जिन्होंने ऐसे दंगों में भाग लिया था ऐसे पूंजीपतियों या ऐसे व्यक्तियों की एक ब्लैक लिस्ट फौरन बनानी चाहिये। उनके नाम आपके पास होने चाहिये। ऐसे लड़कों को कभी भी गवर्नमेन्ट में नौकरी नहीं मिलेगी ऐसी आपकी घोषणा होनी चाहिये। जो हिन्दू मुस्लिम दंगों में भाग लेते हैं और जो जातीयता या सेक्शनल फीलिंग्ज में विश्वास रखते हैं ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार साम्प्रदायिकता को तरजीह देते हैं उनको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहे अनुदान के रूप में हो या किसी प्रकार की हो, नहीं मिलनी चाहिये।

एक बात यह भी कही गयी है कि लोग अलीगढ़ विश्वविद्यालय के खिलाफ हैं। यह बात हमने सुनी कि कुछ वातावरण वहां का खराब है। आजादी मिले आज १४–१५ साल हो गये। हम इतने साल से क्या कर रहे हैं? अगर वास्तव में वह खराबी है तो उसे हम दूर नहीं कर सके और अगर हम दूर नहीं कर सकते थे तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जरिये से कह कर कराना चाहिये था। लेकिन हम चुप बैठे रहे तो क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं कुछ ऐक्शन लिया? उसके बाद अब यह कहना कि सिर्फ विश्वविद्यालय की गलती है यह बात ठीक नहीं है और विश्वविद्यालय को कोसते रहें तो ठीक नहीं। असल में बात यह नहीं है कि विश्वविद्यालय इसके लिये जिम्मेदार था, हम सभी जिम्मेदार हैं। क्या यह सही बात नहीं है कि हमने यह नहीं कहा कि यहां मुसलमान ज्यादा हैं। अगर सब हिन्दू रहेंगे और केवल हिन्दुओं को वोट दें तो मुसलमान नहीं आ पायेंगे। सारे हिन्दू ही जीत जायेंगे। क्योंकि मुस्लिम वोट बंट जायंगे या सारे हिन्दू रह जायेंगे यदि सब मुस्लिम मुसलमानों को वोट दें। इसलिये और नाम वापस कर लो, यह जोड़-तोड़ जो हमने किया है क्या इस झगड़े के लिये जिम्मेदार नहीं है? हम स्वयं सोचते हैं हिन्दू की धारणा तो हम में स्वयं है। शुरू से ले लीजिये शिक्षा, के स्तर को ले लीजिये, कहीं भी ले लीजिये जातीयता बढ़ती जा रही है। हम क्या कर रहे हैं हम कर कुछ नहीं रहे हैं सिर्फ ऐसी धारणायें बढ़ाते चले जा रहे हैं।

पीस कमेटी की जहां तक बात है, वह तो पुराना तरीका है, कि जहां झगड़ा हो वहां पीस कमेटी बना दी जाय। अलीगढ़ में जहां झगड़ा हुआ था वहां एक भी आदमी नहीं मरा एक सम्प्रदाय का। श्रीमन्, जो इन्नोसेन्ट लोग जा रहे थे उनको ही मारा गया है और वैसे किसी की साजिस के आधार पर हत्या नहीं हुई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बात का भी पता लगाया जाय कि कितने लोग गुम हैं। माननीय मंत्री जी ने फीगर्स दिये कि १४–१५ आदमी मरे हैं। लेकिन जो लोग गुम हैं उनका कुछ पता नहीं है। मेरे ही एक गांव नगला मधुपुर में एक मुसलमान गायब है और उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो गायब हैं और मिल नहीं रहे हैं। ऐसे भी कितने लोग हैं जिनकी लाशें बाजारों में डाल दी गई हैं ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं।

श्री चरणसिंह—मैं समझता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं वह बहुत जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिये। कोई बात थी तो आप मेरे नोटिस में लाते।

श्री नेकराम शर्मा—मैं ठीक कह रहा हूं कि मौजा नगला मधुपुर में एक २५/२६ साल का मुसलमान है जो गायब है।

श्री चरणसिंह—वह कब से गायब है और क्या वह अलीगढ़ गया था?

श्री नेकराम शर्मा---जब से रायट हुआ तभी से गायब है। आप जांच करायें कि ऐसे कितने लोग गायब हैं। मैं नहीं कहता बल्कि आम जनता की यह धारणा है कि कुछ लोग गायब हैं और लोग ज्यादा मरे हैं। जिस तरह से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की झूठी खबर फैलायी गयी उसी तरह से यह बात भी फैल रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बात का सही कंट्राडिक्शन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त।

श्री चन्द्रजीत यादव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश के लिए और प्रदेश के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी कि अक्तूबर के पहले पखवारे में हमारे प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे हुए। श्रीमन्, इन साम्प्रदायिक दंगों को चाहे कोई हिन्दू-मुसलमान दंगे कहे या न कहे लेकिन एक बात निर्विवाद है कि इन दंगों में संगठित और नियोजित ढंग से अल्पमत वालों पर प्रहार करने की गम्भीर घटनाएं घटीं। यह घटनायें, जो परम्परागत साम्प्रदायिक दंगे हुआ करते थे उनसे मुख्तलिफ ढंग की हैं और ये मुख्तलिफ ढंग की इस माने में हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की एक छोटी-सी घटना को लेकर पूरे प्रदेश में बिजली की गति से इस बात को फैलाया गया और फिर संगठित तथा नियोजित रूप से अल्पमत पर प्रहार किया गया है, यह खतरनाक स्थिति है। मुझे अफसोस है कि हमारे देश और प्रदेश में जहां यह जहर है उसके ऊपर आज भी हमला नहीं हो रहा है और इस बात का भी खेद है कि इस बात को हमारे प्रदेश की सरकार ने और दूसरी पार्टियों ने जिस तरह से देखा और जो बयानात आये उससे वास्तविकता पर रोशनी नहीं पड़ती। हालांकि यह निर्विवाद है कि इसके पीछे हमारे प्रदेश के मुख्य साम्प्रदायिक दल, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है और इन दोनों दलों की रहनुमाई में संगठित तथा नियोजित रूप से अल्पमत वालों पर हमले किये गये। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, चाहे वे किसी पर इसकी जिम्मेदारी डालें और अपने शासन को चाहे जितना निर्दोष बताने की कोशिश करें, लेकिन जब उन्होंने अपना बयान दिया था तो उनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ का नाम लेते। आज भी उनकी निगाह में मुस्लिम लीग और डाक्टर दल तो आते हैं लेकिन यहां हिन्दू साम्प्रदायिकता की बात कह कर वे टाल जाते हैं। उन्हें इस बात की हिम्मत नहीं है कि जनसंघ का नाम ले कर उस पर जिम्मेदारी डालें। हम इस बात को नजर अन्दाज नहीं कर सकते कि हमारे प्रदेश के उन हिस्सों में जहां जन संघ की ताकत बढ़ रही है, जहां जनसंघ संगठित रूप से प्रतिक्रियावादी शक्तियों के साथ मिल जुल कर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, उन्हीं स्थानों में नियोजित ढंग से दंगे करवाये गये, और यह घटनायें उस समय हुई हैं जब कि हमारे देश में इस बात की चिन्ता व्यक्त की जा रही थी कि हमारी राष्ट्रीय एकता के लिये खतरा है। उसके कुछ दिनों पहले दिल्ली में सभी पार्टियों के लोगों ने बैठ कर गम्भीरता के साथ इस पर विचार किया था। लेकिन अफसोस है कि उस सम्मेलन में जब यह कोशिश की गई कि साम्प्रदायिकता पर भी विचार किया जाय, तो शासक दल ने उस बात को हल्के ढंग से टाल दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों ने इस बात को वहां भी कहा था कि हमारे देश में आज सबसे बड़ा खतरा है साम्प्रदायिकता का बढ़ता हुआ जहर। जब यह साम्प्रदायिकता बहुमत की साम्प्रदायिकता होती है तो और खतरनाक होती है। किसी भी देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने अल्प संख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे। अगर वह उनकी रक्षा नहीं कर सकती तो वह सरकार अपनी जिम्मेदारी से गिरती है।

श्रीमन्, इन घटनाओं को अगर हम देखें कि जिम्मेदारी किस की है तो यह मालूम होगा कि आज सरकार की कमजोर नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। २ अक्तूबर को अलीगढ़ में जो घटना हुई, ५ अक्तूबर तक पता नहीं चल पाता है कि वहां क्या हुआ? वास्तविकता पर परदा डालने वाला कौन है? आजमगढ़ में ५ अक्तूबर को सभा होती है। जनसंघ के ३५ विद्यार्थियों ने अलीगढ़ के 'शहीदों जिन्दाबाद' का नारा लगाया और प्रस्ताव पास किया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हिन्दू छात्रों को कत्ल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस० पी० को जानकारी नहीं। हाथ पर हाथ धरे बैठे थे।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

माननीय गृह मंत्री सुझाव चाहते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं और वह गम्भीरता से विचार करें कि किसके द्वारा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है । केरल के अन्दर अवसरवादिता का प्रयोग करके कम्युनिस्ट हुकूमत को समाप्त करने के लिये कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया । क्या इस बात का बुरा असर देश पर नहीं पड़ा ? आप साम्प्रदायिक ताकतों के साथ जब-जब मौका आयेगा हाथ मिलायेंगे और दूसरी तरफ साम्प्रदायिक ताकतें जब बेजा फायदा उठाती हैं तो आपको साहस नहीं होता कि उनका नाम ले सकें। ऐसे मौके पर कम्युनिस्ट पार्टी ने जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का नाम लिया । उन्होंने यह भी कहा कि छटपुट जिलों में प्रस्ताव पास हुये । लेकिन अलीगढ़ की घटनाओं के सिलसिले में माननीय गृह मंत्री ने जमीयतुल उलेमा का नाम लिया । यह छिपी हुई बात नहीं है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान जमीयतुल उलेमा ही एक ऐसी संस्था थी मुसलमानों के अन्दर जिसने शानदार रोल अदा किया । उसने मुसलिम लीगियों के जूते खाये, पत्थर खाये, लेकिन हिम्मत के साथ उसने कौमी तहरीक में शानदार हिस्सा लिया । आप पुलिस मंत्री हैं, आप दरोगा के उस रवैये को मत अपनाइये कि कातिल को कुछ न कहे, महलूक को जिम्मेदार ठहरायें कि उसे ऐसे रास्ते नहीं जाना चाहिये था । यह बातें आप को कड़ुई लग सकती हैं, लेकिन वास्तविकता है कि आज साम्प्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी वह पार्टी है जिसने हिम्मत के साथ खुल कर बात कही, उन शक्तियों का नाम लिया । हमने कहा था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अन्दर जमायते इस्लामी का अड्डा बनता जा रहा है । उसके लिये क्या कदम उठाया गया ? कम्युनिस्ट पार्टी और स्टूडेंट्स फेडरेशन अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जमायते इस्लामी के खिलाफ लड़ रहे थे। जब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से प्रभावित विद्यार्थी इन साम्प्रदायिक ताकतों के खिलाफ विद्यार्थी आन्दोलनों के द्वारा लड़ रहे थे तो उस वक्त अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अन्दर सरकार ने उन ताकतों पर हमला किया जो जनवादी ताकतों को मजबूत कर रह थ । जब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अन्दर स्टूडेंट्स फेडरेशन चुनाव लड़ता था तो विद्यार्थी परिषद् और जमायते इस्लामी मिल कर उसके खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे । जब स्टूडेंट्स फेडरेशन की ताकत कमजोर हुई और साम्प्रदायिक ताकतें बढ़ीं तो उसका नतीजा आज सामने है । वहां के प्रो-वाइसचांसलर और वहां के प्राक्टर, जो जमायते इस्लामी के प्रणेता हैं, उनसे सरकार समझौता करती है और प्रगतिशील प्राध्यापक हटाये जाते हैं । साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती ।

चंदौसी का नाम लिया गया। यह खुली हुई बात है कि वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा था, जनसंघ के साथ थे । जनसंघ के साथ मिला-जुला एक मोर्चा बना । वहां के दंगों के पीछे वहां के कांग्रेस के एक गुट के लोग थे । वह ग्रुप जो प्रेसीडेंट की पीछे चलने वाला है, जिसके खिलाफ कुछ सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव दे रखा था जनसंघ के साथ मिलकर उन्होंने यह हरकत की। इन घटनाओं के सम्बन्ध में जनसंघ की एक रिपोर्ट है, उसमें अपने नजरिये से वर्णन किया गया है। लेकिन यह रिपोर्ट अपराधी के उस बयान की तरह से है जो अदालत में अपने कुसूरों पर परदा डालने के लिये वह देता है। इसकी जांच होनी चाहिये कि असलियत क्या है । आपके बयानात इस तरह के हैं, और आपने किस तरह से कार्यवाहियां की हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—"आप" शब्द मेरे लिये है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—"आप" से मतलब गृह मंत्री से है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया सरकार कहें।

श्री चन्द्रजीत यादव--मैं आपके जरिये प्रधान मंत्री से इस बात की मांग करना चाहता हूं कि अलीगढ़ की घटनाओं की जांच करने के लिये वह एक उच्च आयोग नियुक्त करें । यह घटनायें जिस प्रकार से अलीगढ़, चंदौसी, मेरठ में हुई या दूसरे स्थानों पर हुईं उनमें माननीय गृह मंत्री ने चर्चा की कि इस बात की रिपोर्ट है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जनसंघ के नेताओं ने जनता को उकसाने का प्रयत्न किया । लेकिन उनके खिलाफ आप का क्या कदम उठा ? वही आजमगढ़ में मुबारकपुर के अन्दर जब एक छोटी-सी घटना हुई थी तो सरकार ने, वहां के कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर को, जो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे, जेल में डलवा दिया था। लेकिन आज खुले रूप से जनसंघ द्वारा सार्वजनिक सभाओं में प्रस्ताव पास किये जायं, साम्प्रदायिकता का प्रचार करें, बावजूद इसके कि कायदे-कानून बने हुये हैं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, कोई कदम नहीं उठाया गया ।

यही नहीं, चंदौसी के अन्दर जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माने-जाने पांच नेता, आवश्यकता पड़ने पर नाम भी मैं दे दूंगा, सदन में कहना ठीक नहीं होगा--उन्होंने खुल कर प्रदर्शन का नेतृत्व किया, निरीह हत्या कराई । उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई मैं पूछना चाहता हूं ? एक महीने के बाद उसके एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है जबकि अविश्वास के प्रस्ताव की तारीख बीत जाती है, जबकि पूरे प्रदेश के अन्दर आग भड़क जाती है और सारा प्रदेश उस आग में धू-धू करके जलने लगता है । अगर इस प्रकार की स्थिति रही तो श्रीमन्, हमारे प्रदेश के अन्दर यह शक्तियां और संगठित रूप से आगे बढ़ेंगी । माननीय गृह मंत्री जी इस बात को कहते हैं कि जनसंघ की यह नीति चाहे न हो, लेकिन क्या यह तथ्य नहीं है कि हमारे देश के अन्दर भारतीय जनसंघ और हिन्दू महासभा, यह वह पार्टियां हैं जो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े को अपनी राजनीति की धुरी बनाये हुए हैं। आज इस तथ्य के ऊपर परदा डालना यह पूरे देश के लिये घातक होगा, पूरे राष्ट्र के लिये घातक होगा और गम्भीरता से हमको इसके ऊपर विचार करना होगा। आज पूरे देश के अन्दर एक बिखराव की स्थिति पैदा होती जा रही है, देश के अन्दर आज ऐसी ताकतें पूरे समुदायवाद के खिलाफ मिलकर देश की दशा को बदलने की कोशिश कर रही हैं । लेकिन यह सरकार मौन है और इस सरकार का नेतृत्व आज भी मौन है। अफसोस इस बात पर होता है कि स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की वह शानदार परम्परा, जो कि इसी कांग्रेस संगठन के ही एक व्यक्ति थे, इस कांग्रेस संगठन ने आज भुला दी है । अलीगढ़ के अन्दर जो कांग्रेस पार्टी के दोनों ग्रुप थे उनकी निष्क्रियता और उनका एक-दूसरे को जलता और फुंकता देखना, एक बड़ी ही खेद-जनक बात थी। चन्दौसी के अन्दर केवल एक चेयरमैनी की गद्दी की हिफाजत करने के लिये इतने सारे उपद्रवों को होने देना और साम्प्रदायिक ताकतों से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करना क्या खेदजनक बात नहीं है ? इसके ऊपर विचार होना चाहिये । आज इस सरकार का असैद्धान्तिक स्वरूप और चरित्र खुद इस बात के लिये काफी जिम्मेदार है । कांग्रेस सरकार और यह पार्टी देश की प्रथम और मुख्य पार्टी होने के नाते आज इसके लिये मुख्य रूप से जिम्मेवार है और मैं चाहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ वह इस पर विचार करे। इस तरह से इस देश और प्रदेश की प्रतिष्ठा नहीं बच सकती । देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता ।

आज इस कांग्रेस संगठन के अन्दर हालत क्या है ? इसके अन्दर वह ताकतें मौजूद हैं जो खुलकर सहकारिता का विरोध करती हैं । आज वह ताकतें जो साम्प्रदायिक तत्वों के साथ हाथ मिलाकर चलती हैं इस संगठन के अन्दर और इस सरकार के अन्दर मौजूद हैं । आज वह ताकतें जो जातीय आधारों के ऊपर खुलकर चुनाव लड़ती हैं, जातीय आधारों के ऊपर अपना संगठन बनाती हैं वह इस सरकार के अन्दर और इस संगठन के अन्दर मौजूद हैं । तो इस प्रकार से देश की और समाज की रक्षा नहीं हो सकती, साम्प्रदायिकता का मुकाबला सिद्धान्तहीन ढंग से नहीं किया जा सकता । आज हमारे सामने गम्भीर समस्यायें उपस्थित हैं जिन पर हमें गौर करना है, वरना इतिहास हमें इस बात के लिये दोषी ठहरायेगा कि आजादी के बाद भी हमने अपने छोटे से स्वार्थों के अन्दर बह कर प्रदेश और देश के भविष्य पर निगाह नहीं डाली। आज चौदह-पन्द्रह साल की आजादी के बाद भी अगर प्रदेश के अन्दर इस प्रकार के बलवे होते हैं और प्रदेश के

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अन्दर कुछ लोग अपने को यह समझते हैं कि वह महफूज नहीं हैं, सुरक्षित नहीं हैं तो या तो यह सरकार इस बात को माने कि हमारे देश और प्रदेश के अन्दर इस प्रकार के बलवे और दंगे बराबर होते रहेंगे जबतक कि दो, तीन या चार सम्प्रदाय के लोग इस देश में रहेंगे या कोई अगर इस का हल है तो उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने का वक्त आ गया है ।

क्या वजह है कि आजादी के पहले जिस जहर को हमने रोका था और जिसके ऊपर हमने मुल्क का बटवारा भी तस्लीम कर लिया था यह सोचकर कि अब यह चीज समाप्त हो जायगी, आज इतने दिनों बाद भी ज्यों की त्यों मौजूद है । तो क्या यह गम्भीर समस्या नहीं है ? इसको इस तरीके से हल्के ढंग से टाल देना एक बड़ी गलत बात होगी । आज साम्प्रदायिकता के जो संगठित प्रयास हो रहे हैं और जिस प्रकार नियोजित ढंग से उसके हमले हो रहे हैं, वह हमारे लिये एक चुनौती है और हमें उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिये । उस चुनौती को स्वीकार करने के लिये देश और प्रदेश की तमाम धर्म-निरपेक्ष पार्टियों को चाहे वह कहीं भी हों, आगे आना चाहिये । इस समय राजनीतिक पार्टियों को किसी स्वार्थ में बह कर काम करना किसी तरह भी उचित नहीं कहा जा सकता । श्रीमन्, मैं यह भी सरकार से अपील करूंगा कि सरकार होने के नाते और प्रदेश तथा देश की मुख्य पार्टी होने के नाते यह उनका कर्त्तव्य है कि प्रदेश की जनता की चेतना में वह इन सारी बातों को डालें । प्रदेश के अन्दर जिले-जिले में इस प्रकार की कमेटियों का निर्माण करना चाहिये जो कहीं भी इस प्रकार की शक्ति उठती है तो उसके खिलाफ लड़ें । कम्युनिस्ट पार्टी ने सन् १९६२ के चुनाव में अपने घोषणा-पत्र के अन्दर इस जहर को बड़ी गम्भीरता के साथ स्वीकार किया है । मैं यह भी निवेदन करूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल के अन्दर इस बात को कहा है कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम लीग का उम्मीदवार मजबूत पड़ता है और वहां कम्युनिस्ट उम्मीदवार के खड़े होने से लीग के जीतने की सम्भावना बढ़ती है तो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी । इसी प्रकार से हमने यह भी कहा है कि पूरे देश में जिस क्षेत्र में जनसंघ का उम्मीदवार मजबूत होगा वहां पर भी कम्युनिस्ट पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा न करके जीतने वाले प्रगतिशील व्यक्ति या पार्टी की मदद करेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की बातें हमारे प्रदेश के अन्दर अन्य पार्टियों को भी कहने की हिम्मत है ? हमारी सरकार कम से कम इस बात को महसूस करे कि हमारे प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिकता का जहर बढ़ता जा रहा है । क्योंकि इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता है । जनता के चन्द आदमियों पर जिम्मेदारी डालकर आंखें बन्द कर ली जाती हैं । यह एक बहुत ही गम्भीर बात है और हमारे देश के भविष्य के लिये अच्छा नहीं होगा ।

मैं, अन्त में, माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि सत्य बातें जो कही जायं यदि कटु भी हों तो आप मानिये । आप सत्य के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश न कीजिये । आप उन बातों को पकड़िये । प्रदेश के अन्दर आप राज्य के स्तर पर ऐसा सम्मेलन बुलायें जिसके अन्दर बैठकर इन सब बातों पर विचार किया जाय । आज हमारे देश और प्रदेश के अन्दर, हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र के अन्दर साम्प्रदायिक ताकतें मजबूत होती जा रही हैं । हमारे प्रदेश के अन्दर एक तरफ जनसंघ आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जमायते इस्लामी भी बढ़ रही है । मुसलिम लीग बनाने की भी चर्चा होती है । क्या ये सब गम्भीर बातें नहीं हैं ? क्या ये खतरनाक बातें नहीं हैं ? क्या ये सारे राष्ट्र के लिये खतरनाक बातें नहीं हैं ? मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस समस्या पर बैठ कर विचार किया जाय क्योंकि ये बहुत ही गम्भीर बातें हैं और गम्भीर समस्या है । यदि इनबातों पर गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया जाता है तो इनके खतरनाक परिणाम निकल सकते हैं । इस सदन का यह अन्तिम सत्र है इसलिये मैं इस सदन के सामने विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सभी पार्टियों के लोग और मुख्य रूप से कांग्रेस दल के लोग, जो देश की सब से बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, वे सब मिल कर इस पर विचार करें कि इन ताकतों का कैसे मुकाबला किया जाय और प्रदेश के अन्दर दूसरी जनवादी शक्तियों को कैसे मजबूत किया जाय । मुझे आशा है कि सरकार मेरी बातों पर विचार करेगी ।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से इस मसले पर बहस आरम्भ हुई मैं यह समझता था कि बड़ी गम्भीरता के साथ और दुख के साथ हम लोग आज इसके ऊपर विचार करेंगे, लेकिन एलेक्शन की तैयारी की जोरदार स्पीचें सुन कर और एक दूसरे पर लांछन लगाने वाली स्पीचें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दंगे होते हैं इनको कौन लोग प्रोत्साहन देते हैं । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम सब पार्टी के लोग इनको प्रोत्साहन देते हैं । आज यहां पर बैठ कर हमको गम्भीरता से इसके ऊपर विचार करना चाहिये और स्पेसिफिक सुझाव देना चाहिये । कोई भी सरकार हो उसकी यही जिम्मेदारी हो सकती है । हम भी सरकार बनाने का दावा करते हैं। जब आप चले जायेंगे तो आप फिर किस तरह से इस देश की हुकूमत करेंगे । देखना यह है कि जो कुछ हुआ उसको सरकार मानती है और सरकार अपनी गलती मानती है उसके लिये सुझाव देने की जरूरत है । यही गृह मंत्री जी ने कहा था । हमारे देश में यह प्रजातंत्रवाद एक नया वाद आया और उसको चलाने के लिये कोशिश करने पर भी वह ठीक रूप से नहीं चल पाया । उसका नतीजा यही हुआ है कि जो हमारे स्टेट के आफिसर हैं उनको किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । वे अपने कर्त्तव्य तभी पूरा कर सकते हैं जब वह लॉ ऐन्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिये अपनी जिम्मेदारी समझें और उसको समझदारी से पूरा करें। यह नहीं होना चाहिये कि आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो उससे अपना मिलान करें, कल को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आवे तो उससे हाथ मिलावें । हर एक मुल्क में जहां पर प्रजातंत्र सफल हुआ है, जैसे कि इंगलैन्ड में वहां पर सरकारी अफसरों का रुख नहीं बदलता है । कन्जरवेटिव के बाद जब लेबर पार्टी आई तो वहां का इन्तजाम वैसा ही रहा। उसमें जरा भी हेर फेर नहीं हुई। वहां पर काम करने वाले स्टेट के अफसरों में और राजनैतिक पार्टी में बहुत भेद रहता है । वे सरकारी अफसर अपनी ड्यूटी का, जनता की सेवा करने का ध्यान रखते हैं और उनको बाहर से कोई मतलब नहीं है । हमारे जो नेता हैं उनकी समझ में यह नहीं आया कि उसको वह कड़ाई के साथ दबाते। कोई भी पार्टी या साम्प्रदायिक नेता अगर साम्प्रदायिक बात कहता है तो उसे सरकार को उसी वक्त रोकना चाहिये । अभी चन्द्रजीत जी ने कहा कि हम सब मिलकर चलें तभी देश का उत्थान हो सकेगा । आपकी पार्टी तो जब कलकत्ते में चीन आ गया था तो उससे कहती थी खुल्लमखुल्ला कि आइये, हम आप मिल कर गवर्नमेंट बनायेंगे। आपको हमारे साथ मिल कर काम करने की बात कहने का क्या अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष---आप कम्युनिस्ट पार्टी को कहिये, मुझे नहीं ।

राजा वीरेन्द्रशाह---वह मिलाव रखें या न रखें उस से हम से क्या मतलब ? मैं तो कहता हूं कि राज्य को न्याय की बात करनी चाहिये ताकि गरीब-अमीर को एक समान बर्ताव मिल सके । हमारे भारतवर्ष की यही संस्कृति रही है । चाहे कोई शासनकर्त्ता रहा, न्याय के नाम पर बहुतों ने अपने लड़के तक को फांसी पर चढ़ा दिया । इस तरह से आप कभी कामयाब न होंगे । जो साम्प्रदायिक दंगे हुये उन के बारे में जो बात मेरे दिमाग में आती है उसे मैं बता देता हूं । पहले एक मुस्लिम कन्वेंशन खामख्वाह कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि उसकी जरूरत ही क्या थी ? चुनाव आ रहा है इसलिये वह बात उनके दिमाग में आई और उसे कर दिया गया । हमारे पंडित जी अगर चाहते तो उसे दबा सकते थे, उनमें यह ताकत थी, लेकिन वह किया नहीं गया । उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया हुई हिन्दू कंवेंशन, और उसके बाद तीसरे क्रम में यह सब चीजें हो रही हैं । अलीगढ़ में और हिन्दू विश्वविद्यालय में जो हालत है उसे आप देख लीजिये । कोई आदमी अगर खराब काम करता है तो भले ही वह सरकारी अधिकारी हो अथवा किसी आटोनामस बाडी में हो, उसे आप को दंड देना चाहिये । मेरा सरकार से निवेदन है कि जिन सरकारी कर्मचारियों में वह इस प्रकार की साम्प्रदायिक भावना देखें उनको वह वार्निंग दें और दूसरी बार उनको निकाल दें । तभी यह समाप्त हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

सकेगा। तीसरे, अपनी पार्टी में भी अगर आपके ऐसे कार्यकर्त्ता हैं तो आप उनको दंड दीजिये। इन शब्दों के साथ में आश्वासन दिलाता हूं कि हम हमेशा न्याय के साथ रहेंगे .....

श्री चरणसिंह---कौन सी पार्टी है आपकी ?

राजा वीरेन्द्रशाह--स्वतंत्र पार्टी। और इसका अनुभव आपको १९६२ के चुनाव में हो जायगा। वोटर अब काफी होशियार हो गया है।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी, विरोधी दल के नेता, आज की इस बहस के दौरान मे सदन से उठ कर चले गये। उन्होंने और अन्य दलों के नेताओं ने मुझे पत्र लिखा था और आग्रह किया था कि विधान सभा की बैठक इन दंगों के विषय पर विचार करने के लिये आमंत्रित की जाय। उस समय मेरा ऐसा विचार था कि दंगों के विषय में इस समय विचार करने के लिये यदि सदन बुलाया जायगा तो कदाचित् हम उस वातावरण को पैदा करने में समर्थ नहीं होंगे और जिसको इन दंगों के बाद हमें इस प्रदेश में पैदा करना चाहिये। परन्तु मेरे इस विचार के बावजूद दलों के नेताओं का आग्रह रहा और उसके कारण मुझे गवर्नर महोदय से सदन के बुलाने के लिये निवेदन करना पड़ा और हम सब इस प्रश्न पर विचार करने के लिये यहां इकट्ठा हुए, किन्तु जो मेरी आशंका थी वह, आज जो कुछ मैंने सुना, पूरी मात्रा में सही निकली। आज जो कुछ बहस यहां पर हुई, क्या उसका इतना ही मंशा था कि सरकार को कोसें, सरकारी अधिकारियों को तरह-तरह की बातें कहें और उनकी आलोचना करें और साथ ही उस आगे आने वाले चुनाव के लिये एक मसाला पेश कर दें कि यह सरकार निकम्मी है, इसके अधिकारी निकम्मे हैं। अगर इतना ही उद्देश्य था तो यह उद्देश्य तो आगे चुनाव आने वाले हैं, हम सभी उसको उन मंचों से पूरा करेंगे जो हमें जगह-जगह जाकर जनता के सामने रखने पड़ेंगे। यदि यह सदन बुलाया गया था तो वह तो इसीलिये बुलाया गया था कि हम इस दूषित वातावरण को, जो कि आज सारे प्रदेश में फैला हुआ है उसको, दूर कर सकें। इस अस्वस्थ वातावरण को दूर करने के हेतु ही इस सदन को बुलाया गया था। इसलिये नहीं बुलाया गया था कि जो आग अभी उभरी थी, वह फिर से उभरने लगे।

आज यहां इस तरह की आलोचना करके क्या हमने उस कमी पर विजय पा ली जो आज सारे प्रदेश में फैली हुई है ? क्या हमने उस दोष को अपने बीच से दूर कर दिया जो दोष आज हमारे सामाजिक वातावरण में फैला हुआ है? कौन नहीं जानता कि आज हमारे बीच में ऐसे राजनैतिक दल हैं जो उस प्रकार का वातावरण देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर पैदा करने की चेष्टा करते हैं जिससे हिन्दू और मुसलमान कभी एक मंच पर बैठ न सकें, इकट्ठे न हो सकें और उस एकता को स्थापित न कर सकें जो हम चाहते हैं, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिसके लिये हम, देश के नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में इन्टीग्रेशन कमेटी का सम्मेलन करते हैं और वहां हम सब सम्मिलित होकर बहुत से निर्णयों से अपनी सहमति प्रकट करते हैं। आज उस दल ने जो उस समय उस सम्मेलन में सम्मिलित था, क्या उस एकता की भावना को पैदा करने में हमारी मदद की, या जिसने इस दल या उस दल की आलोचना करके अस्वस्थ वातावरण पैदा करने की चेष्टा की ? हम जानते थे कि चुनाव आने वाले हैं और इस कारण यहां दलों की तरफ से ऐसी भावनायें अवश्य रखी जायेंगी कि जिससे यह सदन दलों का रंगमंच बन जाय और जो बातें हम बाहर जनता के बीच जाकर विभिन्न मंचों से कहें उन्हें यहीं इस मंच से कहने की चेष्टा करें। मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम इसी भावना से प्रेरित होकर इस विषय के ऊपर बहस करेंगे तो हम उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे जिस उद्देश्य की पूर्ति करना हमारा आपका धर्म है, प्रथम कर्त्तव्य है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश काश्मीर से केप कामोरिन तक एक बनकर उस दूषित वातावरण को दूर करने में सफल हो, जो वातावरण फिर उभरता दिखाई पड़ा रहा है, तो वह दल जो आज हिन्दू

संस्कृति की चर्चा करते हैं, हिन्दुत्व का नारा बुलन्द करते है, मुसलमानों को देश की नागरिकता के अधिकार प्रदान करने के लिये तैयार नहीं है जो उनको संविधान के अन्तर्गत प्राप्त होने चाहिए, तो क्या वे दल उस एकता को लाने के लिये हमारी सहायता और सहयोग कर रहे हैं ?

एक मर्तबा मैंने यह कहा था कि हम जनसंघ को कुचलेंगे। तो क्या मैंने जनसंघ को कुचलने के विषय में यह नहीं कहा था कि हमारा तरीका पुलिस के द्वारा, फौज के द्वारा कुचलने का नहीं है, बल्कि विचारों के द्वारा कुचलने का तरीका है ? हमारा तरीका ताकत को इस्तेमाल करने का नहीं है, बल्कि हमारा तरीका जनता को शिक्षित करके विचारों पर विजय प्राप्त करने का है और अगर आज यह नहीं होता तो क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि जिस दल ने इस देश के निवासियों को, कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्वतंत्रतापूर्वक विचार प्रकट करने का अधिकार दे रखा है और जिसने अपने उन विचारों और नीतियों के कारण १४–१५ सालों से शासनरुढ़ रहकर जनता के हृदयों में जगह बनायी हुई है, क्या वह उन दलों को गैर-कानूनी घोषित करके उनकी बातों को जनता के बीच में रखने से नहीं रोक सकता थ ? तो यह कहना कि यह सरकार जनसंघ और अन्य दलों को अपनी ताकत, फौज और पुलिस की बुनियाद पर कुचलना चाहती है, यह बात निर्मूल है और अगर वह ऐसी संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित नहीं करती है तो वह इसलिये नहीं कि वह ऐसा महसूस नहीं करती कि ये दल ऐसा कार्य कर रहे ह जो देश की एकता में बाधक सिद्ध होने वाला है, बल्कि इसलिये कि सरकार मानती है कि हमें गणतंत्र का तरीका अपनाना है और गणतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिये हमें वह मर्यादाएं रखनी हैं जिससे गणतंत्र फल-फूल सकता है और पनप सकता है। इस प्रकार से तो हमारे प्रति विश्वास की भावना ही लोगों में जागनी चाहिए और इससे हमारे सिद्धातों को ही बल मिलता है।

यह कहा गया कि हमने जुडीशियल इन्क्वायरी क्यों नहीं की। मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा इरादा था कि जो दंगे हुए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिये एक जुडीशियल इंक्वायरी करें, परन्तु जब हमने देखा और स्वतः इस बात का अनुभव हुआ कि वह जुडीशियल इंक्वायरी उस परपज को पूरा नहीं कर सकेगी, जिसको लेकर हम इंक्वायरी करवाना चाहते हैं तो हमने अपना इरादा बदल दिया। आखिर किस परपज के लिये हम जुडिशल इंक्वारी कराना चाहते हैं ? महज इसलिये कि अमुक दोषी है, अमुक नहीं है। लेकिन उस चीज की हम क्या इंक्वायरी करायें जो प्रत्यक्ष है। क्या यह वास्तविकता नहीं है कि ऐसे दल हैं, चाहें मुस्लिम लीग हो, जनसंघ हो या हिन्दू सभा हो, जो साम्प्रदायिक का नारा बुलन्द करते हैं ? उसकी क्या इंक्वायरी हम करायें ? हां, उन्हें हम अवैध घोषित कर सकते हैं, लेकिन यदि अवैध घोषित करेंगे तो कल चुनाव आने वाला है, लोग सरकार के विरुद्ध क्या नारे बुलन्द करेंगे ? लोग कहेंगे कि सरकार लोगों को दबाकर अपना काम सिद्ध करना चाहती है। तो मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जुडीशियल इंक्वायरी इस पर्पज को सामने रखकर नहीं बिठाई कि हमें देश और प्रदेश में एक स्वस्थ वातावरण बनाना है, किसी प्रकार की अस्वस्थता नहीं लानी है।

अलीगढ़, चंदौसी या मेरठ में जो कुछ हुआ उसे हमने खुद जाकर अपनी आंखों से देखा। वहां जो कांड हुआ वह एक दुखित काण्ड है जिसके लिये हम शर्मिन्दा हैं, इस देश का प्रत्येक निवासी शर्मिन्दा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वह काण्ड हुआ। परन्तु वह किन कारणों से हुआ ? कारण तो वही है जिनका हमने वर्णन किया। हम नवयुवकों, बालकों और बालिकाओं के अन्दर व दलों के नाम पर और सत्ता प्राप्त करने के नाम पर ऐसी भावनायें भरते जा रहे हैं, उनके दिमागों में ऐसी दूषित बातें भरते जा रहे हैं जिससे यह घटनायें हुईं, वह घटित हो सकती हैं और हम दुनिया के नजरों में शर्मिन्दा बन सकते हैं। आज हम किस बात की जुडिशल इंक्वायरी करें जब कि हम जानते हैं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुसलमान विद्यार्थी जब प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं तो एक वर्जन देते हैं और जब हिन्दू विद्यार्थी जाते हैं तो दूसरा वर्जन देते हैं। मुसलमान विद्यार्थी यह जानते हुए कि उन्होंने भी दोषपूर्ण कार्यों में हिस्सा लिया है, उन्होंने

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

भी आग लगाई है, दूकानों को लुटा है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने जाकर बयान देते हैं कि सारी कार्यवाही हिन्दू विद्यार्थियों ने की जिन्होंने कि विश्वविद्यालय के अन्दर घुसने की चेष्टा की। और हिन्दू विद्यार्थी यह जानते हुए कि उन्होंने आग लगाने में हिस्सा लिया और दूसरे अनुचित कार्य किये, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने दूसरा वर्जन रखते हैं। अब अगर हम इन्क्वायरी करते तो किस दिशा में जाते ? क्या यह नहीं होता कि लीग मनोवृत्ति के जो लोग हैं वह विद्यार्थियों के लिये वकील भी करते और यह साबित करने की कोशिश करते कि जितनी भी अनुचित कार्यवाही हुई वह हिन्दू विद्यार्थियों ने की और वह किसी चीज में शामिल नहीं थे ? और यदि हिन्दू विद्यार्थी जुडिशियल इन्क्वायरी के सामने जाते तो क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ दल इस बात को साबित कराने का प्रयास करते कि ये सारे कार्य मुसलमान विद्यार्थियों के हैं और मुसलमान अध्यापकों के हैं जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इन बातों से हम उस वातावरण को लाने में कामयाब होते जिसको लाने की हमारी आकांक्षा है ? इस सम्बन्ध में जुडिशियल इन्क्वायरी का नारा बुलन्द करना दूरदर्शिता का परिचायक नहीं है और न उससे कोई मसला हल हो सकता है। हां, जिसने कुसूर किया हो, जिसने आग लगाई हो, जिन्होंने लोगों को मारा हो, यदि वे पकड़े जायं, चाहे वे हिन्दू हो या मुसलमान हों, यदि वे दोषी हैं तो सारे समाज का कर्त्तव्य है, सारे दलों के नेताओं का कर्त्तव्य है कि वे ऐसे दोषियों को सही दिशा में चलाने का प्रयास करें न कि वकील बनकर, पुलिस को दोष देकर उनको बचाने की चेष्टा करें।

मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें हमारी नजरों के सामने हैं। जो दोषी हैं, जिन्होंने कुसूर किया है हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि जो दल साम्प्रदायिकता में विश्वास करते हैं और उसकी भावना देश में फैलाना चाहते हैं उनके दल की नीति दोषपूर्ण है, गलत है, देश के हित में नहीं है, देश के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला नहीं है। यह कार्य शिक्षा के द्वारा हो सकता है, दलों के मंचों पर जाकर घोषणा करने से हो सकता है।

अभी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने एक दल की बात कह दी। लेकिन अगर मुझे क्षमा किया जाय तो मैं यह कहूंगा कि अगर यह दोष विश्वविद्यालयों में फैलता जा रहा है तो उसके पीछे कम्युनिस्ट पार्टी है और वह इस माने में कि वह विश्वविद्यालयों को अपने राजनैतिक साधनों के लिये इस्तेमाल करना चाहती है। जब वह ऐसा करती है, तो वह दल जो साम्प्रदायिक भावना फैलाते हैं उसके सहारे भारतीय जनता से मत प्राप्त करना चाहते हैं, उन दलों पर उसकी प्रतिक्रिया होती है। मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि दस, बारह वर्षों में विश्वविद्यालयों में जो भी झगड़े हुए हैं वह कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा ही शुरू कराये गये हैं, उनके कार्यकर्त्ताओं द्वारा कराये गये। उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया और इस प्रकार से विश्वविद्यालयों में दंगे आदि करा कर वहां की परम्पराओं को बिगाड़ा है।

मैं यह जानता हूं कि आज यह समस्या गंभीर समस्या है और इस पर दलों के नेताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिये और उनको विद्यार्थियों को गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिये। इसके लिये इन्टीग्रेशन कमेटी बैठी और उसने कुछ निर्णय ईमानदारी से लिये। यहां पर सभी पार्टियों के नेता लोग जमा हुए थे---कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट, पी० एस० पी० और सोशलिस्ट। वहां पर लोगों ने बड़े-बड़े ऊंचे किस्म के भाषण दिये। लेकिन उन्हीं के नीचे के नेतागण यूनिवर्सिटी में जाकर वहां के विद्यार्थियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्या इससे वातावरण बनेगा ? क्या इसी बात के लिये इंक्वायरी करायी जाती ? मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमने जुडीशियल इन्क्वायरी की नियुक्ति नहीं की तो जानबूझकर नहीं की और जब भी उसकी चर्चा चली तो हमने उसका विरोध किया। और अगर उसका विरोध किया तो वातावरण को देख कर ही उसका विरोध किया।

ब्योरे की बात तो हमारी ओर के और साथी और माननीय गृह मंत्री बतायेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस की बड़ी आलोचना की गयी। जिस दिन की यह बात है मैं तो उस दिन मथुरा में बैठा हुआ था। शाम को चीफ सेक्रेटरी ने मुझे यह मेसेज दिया कि अलीगढ़ में यह वाकया हो गया और इस प्रकार का वातावरण अलीगढ़ में उभरता दिखायी देता है। मैंने तुरन्त ही डी० एम०, कमिश्नर और वाइस चांसलर को फोन किया। वाइस चांसलर से मैंने यह कहा कि क्या ऐसी परिस्थिति है कि मैं वहां आऊं, अथवा यहां के सेशन को अटेन्ड करके आऊं ? मैं यहां से २ तारीख को २–३ बजे गया था और ३ तारीख को १ बजे पहुंचा था और शाम को यह खबर मुझे मिली। वाइस-चांसलर ने मुझे स्वयं बताया कि अगर वहां पुलिस का इन्तजाम न होता तो विश्वविद्यालय फुंक गया होता और बहुत से आदमी जल गये होते। जो दूषित वातावरण और मनोवृत्ति वहां उस समय फैली थी वह कोई भी काम उन लोगों से करा सकती थी। यह विश्वविद्यालय के उपकुलपति का कथन है कि पुलिस ने अच्छा काम किया। जिन-जिन स्थानों पर मैं गया और जिन-जिन लोगों ने पुलिस के काम करने वालों को देखा उन्होंने यही बात मुझसे कही कि पुलिस ने कोई कोताही नहीं की। हो सकता है एक दो अधिकारी ने उतने उत्साह और उमंग से काम न किया हो, लेकिन यह कहना कि पुलिस के कारण यह हुआ है, ठीक नहीं है।

असल में आज प्रदेश के नवयुवकों व बाहर के लोगों के अन्दर जो दोषपूर्ण बातें फैली हुई हैं वे आज के दूषित वातावरण और आबोहवा की वजह से ही हैं जिनका हमें निराकरण करना है और उनका निराकरण इन भाषणों द्वारा नहीं हो सकता है जो भाषण कि यहां किये गये। यदि उनका निराकरण करना है तो मैं बड़े अदब के साथ यह कहूंगा कि वह उस तरीके द्वारा नहीं होने वाला है जो तरीका कि आज विरोधी दल के नेता ने बरता। आखिर गृह मंत्री जब यहां से खाना खाने के लिये गये और मैं प्रदेश का मुख्य मंत्री होते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था तो इस ढंग को अख्तियार करने की क्या जरूरत थी ? इस दंगे के सिलसिले में मुझे भी जगह-जगह जाना पड़ा है, फिर इसमें गृह मंत्री का क्या दोष था ? उनके पास कुछ कहने को था नहीं, वे कोई सुझाव रख नहीं सके, इसलिये उन्होंने यह तरीका अपनाया जो कि चुनाव के लिये इस्तेमाल किया जा सके। मैंने सदन को इसलिये बुलाया कि हम वह तरीका बरतें जिससे जनता के लिये सहूलियत पैदा कर सकें। क्या आप यहां इसीलिये आयें हैं कि सदन में आकर गाली गलौज करें और सदन को पार्टी मंच बना कर अपनी पार्टी के लिये उसका इस्तेमाल करें ? सदन का इस तरह से दुरुपयोग करना, यह ठीक रास्ता नहीं है। जिन परम्पराओं को हम लाना चाहतें हैं, उन परम्पराओं के लाने के लिये यह सही रास्ता नहीं है।

मैं आपका अधिक समय न लेते हुए मोटे तौर पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। जनसंघ के माननीय नेता ने जो कहा, मैं उनके ब्योरे की बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि कुछ दल ऐसे हैं जो विद्यार्थियों के बीच जाकर उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं इस समय इतना कह देना चाहता हूं कि इस तरह के साम्प्रदायिक वातावरण को पैदा करने की जो दल भी चेष्टा करेगा, चाहे वह कोई भी दल हो, जब तक मैं यहां हूं, यदि मैं समझूंगा कि वह प्रदेश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो चाहे जितना बड़ा कोई व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा कोई दल हो, उसके विरुद्ध संविधान के अन्तर्गत जो अधिकार आपने हमें दे रखे हैं, उन अधिकारों का पूरी दृढ़ता के साथ इस्तेमाल करूंगा और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो लाठी चार्ज व टियर गैर का भी इस्तेमाल करूंगा और यदि जनहित में गोली चलाने की आवश्यकता पड़ी तो गोली चलवाने से भी नहीं हिचकूंगा और अपने कर्त्तव्य का पालन करूंगा। हर तरह से मैं जनता की सेवा करूंगा और यदि उस सेवा करने में हमें कठोर कार्य भी करने पड़े तो उससे दूर हटने वाला नहीं हूं। यदि इस चुनाव के अवसर पर कोई ऐसा कार्य किसी दल की तरफ से किया जायगा तो जनता स्वयं उस पर विचार करेगी कि वास्तविकता क्या है। कोई भी दल जितनी मात्रा में राजनीतिक विचारों को लेकर जनता में जायेगा, जनता उस दल के पीछे जायगी। जनता की सेवा करना मैं अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के प्रति है जिनके घर जलाये गये, जिनकी दूकाने लूटी गयीं या जलायी गयीं या जिनके मां-बाप दुनिया से फना कर दिये गये। अभी जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने बतलाया कि ऐसे मौके पर बेगुनाह लोग ही सताये जाते हैं। अगर किसी की इमारत गिरायी गयी है या पूजा की इमारत गिरायी गयी है तो यह तो एक अमानवीय कार्य है और अमानवीय कार्य को करने से रोकना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे अमानवीय कार्य करने वाले लोगों को सजा तो देनी ही चाहिये, लेकिन जिन बेगुनाहों को सताया गया है, जहां तक सरकार से बन पड़ेगा वह उनकी सहायता करेगी और कर भी रही है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी प्रदेश में कम्युनल दंगे हुए हैं, अंग्रेजी जमाने में भी दंगे हुए, परन्तु कभी किसी को कम्पेनसेशन देने की बात नहीं सोची गयी। कोई सरकार ऐसे मौके पर कम्पेनसेशन दे भी नहीं सकती क्योंकि तमाम नेचरल कालमिटीज आती हैं जिनमें सैकड़ों, हजारों का नुकसान होता है, फिर सरकार किसको किसको और कहां से इतना मुआवजा दे सकती है। आखिर इतना पैसा आवेगा भी कहां से ? लेकिन हमने यह व्यवस्था कर दी है कि जिनकी दूकानें लूटी गयी हैं या जलायी गयी हैं, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, उनकी फौरन ही सहायता की जाय। हमने अपने विभाग को और खास तौर से इंडस्ट्री डिपार्टमेन्ट में यह व्यवस्था कर दी है जो लोग बेरोजगार हो गये हैं उनको कर्जा देने में वह लिबरलाइज तरीके को इस्तेमाल करें। और उन सबको रोजगार में लगाने का पूरा प्रयास करें और ऐसा करने में हम प्रत्येक उसकी सहायता करेंगे जो परेशान और असहाय है या जिसके साथ ज्यादती हुई है।

मैं फिर से कहना चाहता हूं कि यदि हमें सही मार्ग अपना कर, उस इन्टिग्रेशन कमेटी या कांफरेंस के विश्वासों को अपनाकर काम करना है तो हमें एक दूसरे को दोष न देकर अपने हृदयों का मन्थन करना चाहिये और उस मन्थन से इस बात को तहैया करना चाहिये कि हम विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले नौजवानों को और पढ़ाने वाले अध्यापकों को उन कार्यों के लिये इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कार्य कि हमारे देश के विकास में बाधा डालने वाले हैं, जिनसे कि विचारों में दोष पैदा होता है या जिससे साम्प्रदायिकता की भावना पैदा होती है। अगर हम इस तरह से विचार करके आगे चलने की चेष्टा करेंगे तो किसी जुडीशियल इंक्वायरी के न रहते हुये भी हम सही नतीजे पर पहुंच सकेंगे और उन कार्यों को सम्पादन में अगुवा बन सकेंगे जिनका सम्पादन करके हम एकता की भावना और एक नागरिकता की भावना देश के प्रत्येक वर्ष के बीच में पैदा कर सकेंगे। हिन्दू और मुसलमान—दोनों इस देश के नागरिक हैं। साढ़े चार करोड़ मुसलमान यहां रहते हैं। आज क्या कोई उनकी नागरिकता छीन सकता है ? जो हिन्दू, मुसलमान का प्रश्न उठाते हैं वह अदूरदर्शिता की बात करते हैं, क्योंकि जिन्हें हमने नागरिकता का हक दिया है उन्हें अपनाना चाहिये। अगर वह गलती भी करते हैं तो अपने प्रेम और मोहब्बत के द्वारा उनकी गलतियों का सन्तुलन करते हुये ऐसा वातावरण देश में हमें बनाना चाहिये जिसमें कि जो कम संख्या वाले लोग हैं वह अनुभव कर सकें कि उन्हें भी नागरिकता के वही अधिकार हैं जो कि अधिक संख्या वालों को है। हमें आज पाकिस्तान की नकल नहीं करनी है। पाकिस्तान में भले ही कम संख्या वालों को वह नागरिक अधिकार नहीं हैं लेकिन हमने जब ऐसा विधान बनाया है और बराबरी का हक उन्हें दिया है तो कोई कारण नहीं है कि उनके बीच हम कोई अविश्वास की भावना पैदा होने का अवसर दें। अगर हम इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो सहूलियत होगी। इससे हिन्दू और मुसलमान को अधिक नजदीक ला सकेंगे और दूषित वातावरण के ऊपर काबू पा सकेंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ जो विचार यहां प्रकट किये गये—मैं यह मानता हूं कि वह ऐसे विचार हैं जो कि नहीं होने चाहिये थे—मैं उनका विरोध करते हुऐ नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को गम्भीरता से हल करने के सिलसिले में विचार करें न कि एक दूसरे पर दोषारोपण करें।

*आचार्य दीपंकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमन्त्री जी ने और मुख्य मन्त्री जी ने जो भाषण दिये और जो रिपोर्ट पढ़ी उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना और इसके अलावा जिस जिले का बारबार जिक्र आया उनकी रिपोर्ट में भी, उस जिले—मेरठ—की उन वाकयात के बारे में भी व्यक्तिगत रूप से मैंने जानकारी की और पूरे हालात अच्छी तरह से मुझे मालूम हैं। जो भी रिपोर्ट और बात मैंने सुनी उसको सुनने और विचार करने के बाद मैं कह सकता हूं कि उसमें जो तथ्य बताये गये हैं उन तथ्यों से अधिकांशतः मैं सहमत हूं। लेकिन जो दृष्टि कोण अख्तियार किया गया है उससे मैं इसलिये सहमत नहीं हूं कि साम्प्रदायिक भावनायें और जातिगत भावनायें किस तरह से पैदा होती हैं, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उनका निवारण किया जा सकता है इसके सम्बन्ध में माननीय गृहमन्त्री जी का और मुख्य मन्त्री जी का दृष्णिकोट बिल्कुल एकांगी है और गलत है।

एक इतना बड़ा उत्पात और अप्रत्याशित ढंग से, कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि इतनी बड़ी घटना हो जायगी। जिस तरह यह घटना घटित हुई है वह अचानक नहीं पैदा हो गई बल्कि हमारे बीच में, हमारे समाज में जो तत्व काम कर रहे हैं और साम्प्रदायिक भावना को उभारने में ही जिनका अस्तित्व टिका हुआ है वह चिरकाल से काम करते रहे और एक अनुकूल अवसर पाकर वह पनप उठे और हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी दुखद घटना घटित कर दी। मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि १९४७ के जो दंगे थे या इससे पहले जो साम्राज्यवादी युग में दंगे हुये उनमें आमतौर पर जनता दो हिस्सों में, हिन्दू और मुसलमान, आकर टकराती थी और उसकी वजह से समाज के अन्दर ऐसी घटनायें होती थीं। लेकिन जो वाक़ए इस बीच में हुऐ हैं और खासतौर पर ३ से ७ तारीख के बीच में, विशेष रूप से मेरठ और बड़ौत में, उनके बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें न तो विद्यार्थी समुदाय का हाथ था इस घटना के करने में और न आम जनता का था। जनता, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, हक्की—बक्की रह गई थी और वह कुछ समझ न सकी। जब जुलूस निकले उनके बीच में जो आर० एस०एस० और जनसंघ के ग्रुप थे जो उस फोर्स से नाजायज फायदा उठाना चाहते थे उनकी तरफ से जिस तरह की घटनायें हुई हैं वे बिल्कुल कोल्ड मर्डर थीं, प्लान करके किसी को कत्ल करने के जो वाक्यात होते हैं उसी प्रकार के वाक्ये यह हुऐ हैं। इन दंगों को जो साम्प्रदायिक दंगे की संज्ञा दी जा रही है यह बिल्कुल गलत है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें जो साम्प्रदायिक भावनायें उभारी गईं और जिस तरह से यह सब वाक्ये हुये, मैं यह नहीं कह सकता कि अकेली सरकारी मशीनरी इस बीमारी को दबाना चाहे, तो दबा सकती है, हमारी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आपको सेक्यूलर समझती है, जिनका साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं है उनकी जो तमाम भूमिका थी, महज कांग्रेस का ही सवाल नहीं है, तमाम विरोधी पार्टियां ऐसा मालूम पड़ता था कि जो घटना हो रही है उसमें एक दर्शक की भूमिका प्रकट कर रही थीं। जो प्रगतिशील विचारों के थे, जो साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं करते थे, वह दुखी थे और जो आदमी इन बातों में विश्वास करते हैं वह अपने को प्रोत्साहित करते थे और अपनी राजनीति को फलीभूत देखना चाहते थे। मैं समझता हूं कि इसमें राजनीतिक विचारधाराओं की आलोचना प्रत्यालोचनाओं के अलावा यह सोचें कि एक विशिष्ट राजनीतिक पार्टी का कसूर था, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये कि पहले भी जब दंगे होते थे क्योंकि आम जनता दो हिस्सों में आपस में टकराती थी तो राष्ट्रीय एकता की भावना रखने वाले तमाम दल और व्यक्ति आम जनता में आते थे और उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। लेकिन अब की दफा मैंने देखा कि आम लोग भी जो राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते हैं उनमें भी उतनी प्रबल भावना नहीं थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य दीपंकर]

मैं सरकारी मशीनरी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा माननीय गृह मन्त्री जी स्वतः मौजूद थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सरकारी मशीनरी की कर्त्तव्य परायणता की प्रशंसा की, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय कत्ल हो रहे थे, जिस समय गरीब मुसलमानों के मकान फूंक रहे थे और वे बरबाद, तबाह किये जा रहे थे, उस वक्त पुलिस एक निष्क्रिय दर्शक की तरह से चुपचाप खड़ी तमाशा देखती थी और उसकी आंख क सामने सारे अत्याचार हुये मुसलमानों पर। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। जब पुलिस अधिकारियों से कहा कि यह क्यों हो रहा है तो उन्होंने कहा कि अगर हम यहां अश्रु गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग करते तो हम उसको कन्ट्रोल नहीं कर पाते और यह भी मुमकिन है कि इन चीजों का इस्तेमाल करके माब को कन्ट्रोल न कर पाते। अलावा इसके आज माननीय गृह मन्त्री जी ने यह बात कही कि अलीगढ़ में जो घटनायें घटीं उनका अतिरंजित प्रचार किया गया आर० एस० एस० और जनसंघ की तरफ से। यह सत्य है कि यह आग करीब करीब पूरे पश्चिमी यू० पी० में फैली और उन्होंने बेकसूर लोगों के घरों में आग लगाने का षडयन्त्र रचा। लेकिन मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि इस पाप के भागी वे भी हैं। वह ६ तारीख को मेरठ तथा बड़ौत में मौजूद थे और मजबूती के साथ वह यह कहते कि अलीगढ़ में हिन्दू लड़कों की कोई हत्यायें नहीं की गई हैं और जो प्रचार किया जा रहा है इस सम्बन्ध में वह निराधार है, असत्य है तो मरठ और बड़ौत में जो वाकयात हुये हैं वे नहीं हो सकते थे।

श्री चरणसिंह---मैं जरा यह बात पूछना चाहता हूं कि बड़ौत में यह वाकया कब हुआ और मैं बड़ौत में कब पहुंचा? कोई पब्लिक मीटिंग थी जिसमें मैंने नहीं कहा, जितने लोग मुझ से मिलने गये या जिनसे मुझे मिलने का मौका मिला उनसे मैंने इस बात को तरदीद नहीं की?

आचार्य दीपंकर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री ६ तारीख को मेरठ से बड़ौत तशरीफ ले गये।

श्री चरणसिंह---शाम को पहुंचा था।

आचार्य दीपंकर---शाम को आप बड़ौत पहुंच गये थे।

श्री चरणसिंह---जब यह वाकया ६ तारीख को बड़ौत में हो चुका था, उसके बाद मैं वहां पहुंचा था इसे तो आपको स्वीकार करना चाहिये।

आचार्य दीपंकर---स्वीकार इसलिये नहीं कर रहा हूं कि यह बात सत्य नहीं है। ६ तारीख को माननीय गृह मन्त्री बड़ौत तशरीफ ले गये।

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा मालूम होता है कि हम लोगों को जिलाधीश की रिपोर्ट मंगानी पड़ेगी।

आचार्य दीपंकर---जो मेरी जानकारी है वह मैं बतला रहा हूं। मैं कोई उनका पी० ए० नहीं हूं। यह बात लाउड स्पीकर जीप पर लगाकर और तकरीरों द्वारा एलान की जा सकती थी ६ तारीख को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरठ में जो कत्ल हुये हैं, १७ सरकारी तौर पर और २५ गैर सरकारी तौर पर, वे न हुए होते। फिर सब एक तरफा कत्ल हुये हैं। सभी मुसलमानों के हुये हैं, एक भी हिन्दू का नहीं।

श्री चरणसिंह---मैंने कब कहा कि हिन्दू का हुआ है?

आचार्य दीपंकर---मैंने भी कब कहा कि आपने कहा? ये सब कत्ल ६ तारीख को ही नहीं हुये। कभी २, कभी ४ और कभी ५ हुऐ। कई तारीखों तक होते रहे हैं। आम हिन्दू

जनता का कोई कसूर नहीं है कि उसने मुसलमानों को मारा हो। मारने वाले दो, तीन आदमियों के ग्रुप में रहते थे और शिकारी की तरह मुसलमानों की घात में रहते थे। मौका देखा और छुरा मारा और खिसक गये। मेरठ में इस तरह से कत्ल हुये। आम हिन्दू जनता सोचती थी कि बुरा है, लेकिन क्या किया जाय, अलीगढ़ में जो हिन्दू मारे गये थे, उसी की यह प्रतिक्रिया है। जनसंघ और आर० एस० एस० का ही कत्लों में हाथ था।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कई बार यहां आर० एस० एस० के लिये कहा गया जबकि रिपोर्ट में कहीं शिकायत नहीं है। तो माननीय सदस्य जरा इसको स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार माननीय सदस्य विघ्न न डालें।

आचार्य दीपंकर---मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हिन्दू जनता के अन्दर यह भावना फैलाई गई होती कि यह एक तरफा कत्ल उन पर अत्याचार है, यह नहीं होना चाहिये तो हिन्दू जनता इसकी इतनी निन्दा करती कि किसी की यह सब करने की हिम्मत न पड़ती।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इन साम्प्रदायिक दंगों के बीच में आम हिन्दू मुसलमान जनता ने अपने आप को असहाय तथा असमर्थ पाया। उनको यह बात महसूस हुई कि पुलिस के खड़े रहते हुये उनके घर फुंक रहे हैं, मर्डर होते हैं तो उनका कोई रखवाला नहीं है, यह भावना मुसलमानों में पैदा हुई। मैं जमायते-इस्लाम का और मुस्लिम लीग का उतना ही निन्दक हूं जितने कि माननीय गृह मन्त्री हैं, लेकिन इस बात को कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि मुस्लिम लीग तथा जमीयत-उल उलेमा हिन्द को एक ही कैटेगरी में रखा जा सकता है। जब मुसलमान अपने को मजबूर पा रहा था तो जमैयत-उल-उलेमा हिन्द ने उनकी हिम्मत अफजाई की और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वह साम्प्रदायिक जमात नहीं है। इसी तरीके से एक ही कैटेगरी में जमायते इस्लामी को भी कन्डेम किया, मुस्लिम लीग को भी कन्डेम किया। शुरू-शुरू में आर० एस० एस० और जनसंघ का नाम लेते हुये भी डर लगता था। आज मैं माननीय गृह मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत और दिलेरी के साथ इन साम्प्रदायिक दलों की आलोचना की है। अगर यह आलोचना उस वक्त हो जाती तो बड़ा बल मिलता। पता नहीं मुझे माननीय राज्यपाल को बधाई देने का अधिकार है या नहीं, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं और इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं कि जो उनका बयान था जिसमें यह बात कही गई थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसी भी हिन्दू लड़के का कत्ल नहीं हुआ है उसकी वजह से मेरठ में वातावरण सुधरने में काफी मदद मिली। अगर माननीय गृह मन्त्री जी, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और जो कि उस जिले के नेता हैं, का यह बयान दो, चार दिन पहले निकल गया होता तो मैं समझता हूं कि स्थिति के सुधरने में ज्यादा मदद मिलती।

मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेता जो अवसरवादिता बरतते हैं उसकी वजह से इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों को पनपने का मौका मिलता है। उनकी तो गद्दी महफूज रहनी चाहिये। वैसे तो वे कम्युनिज्म और कम्युनिलिज्म को मुखालिफ समझते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक से गठबन्धन करना हो तो साम्प्रदायिकता से गठबन्धन करने में उन्हें कोई उज्र नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो वह जनसंघ से गठबन्धन करेंगे, मुस्लिम लीग से केरल में कल गठबन्धन किया ही था, जमायते इस्लामी से करेंगे, मगर उनकी गद्दी महफूज रहनी चाहिये। इसी तरह से जाति बिरादरी के नाम पर टिकटों का बटवारा होता है। सारे दोषों की जड़ यह कांग्रेस जमात है जिसने हमारे देश का कण-कण बिखेर दिया है और हमारी राष्ट्रीय एकता को बिखेर दिया है।

*श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि इस सदन में मेरी यह आखिरी स्पीच है। बोलते वक्त शायद मैं यह भूल जाऊं, इसलिये पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सदन में मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो आज यहां के भाई और कर्मचारी मुझे माफ करेंगे।

मैंने बहुत ध्यान से स्पीचें सुनीं। मैं बहुत दिनों से चिट्ठी लिखने वाला था और अब सामने ही अर्ज करता हूं। माननीय गृह मन्त्री ने जिस हिम्मत से दंगों के बारे में बयान दिये थे उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। झगड़ा मिटाने का जरिया लीपा पोती नहीं है बल्कि साफ-साफ बात को कहना और एक्शन लेना है। आशा यह थी कि यहां पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि क्या उपाय किया जाय कि आयन्दा ऐसे झगड़े न हों, लेकिन अफसोस इस बात का है, कि दोनों तरफ से एलेक्शन का प्रोपेगन्डा-सा मालूम हो रहा था। गवर्नमेंट कहती है कि हम तो बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई गलती नहीं है। किसी ने कहा कि जनसंघ ने किया, किसी ने कहा कि कम्युनिस्टों ने किया। एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया कि पूंजीपतियों ने किया।अपने को नान-कम्युनल साबित करने के लिये हिन्दू सभा और जनसंघ पर अटैक करते हैं। साफ-साफ कहिये कि किसकी गलती कहां पर है। मुसलिम लीग कब बनी थी। वह सन् १९०५ के आसपास बनी थी। जब कांग्रेस स्वराज्य की लड़ाई लड़ने लगी तो अंग्रेजों ने पीठ ठोंक कर किसी जमात को खड़ा करना चाहा। और हिन्दू महासभा कब बनी जब झगड़े होने लगे और छुरे चलने लगे। सन् १९२१ में हिन्दू मुसलमान मिलकर लड़े थे और ऐसा लड़े थे जिसकी इतिहास में कोई बराबर की मिसाल नहीं है। लेकिन जब इसके बाद कम्युनल झगड़े हुए मालाबार और अन्य जगहों में तो हिन्दू मारे गये तब १९२४ के आस पास हिन्दू सभा तथा जनसंघ बनी। वह तो पाकिस्तान बनने के बाद उसका रिऐक्शन है। एक ही जगह सबको ले आना मुस्लिम लीग को, हिन्दू सभा को और जनसंघ को यह बिलकुल गलत बात है। गलती जिसकी हो, उसको कहिये।

अफसोस है कि मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री दोनों ही साहब नहीं हैं, लेकिन हाउस है। मैं यह साफ-साफ कहता हूं कि अगर जनसंघ वाले यह कहते हैं कि और कांग्रेस सरकार पर यह अटैक करते हैं कि उन्होंने झगड़े कराये हैं क्योंकि वह जनसंघ को बदनाम करके आना चाहते हैं तो मैं इससे डिफर करता हूं यह गलत बात है। और अगर जनसंघ पर ही सारे झगड़े की जिम्मेदारी को लाद दिया जाता है तो मैं उसे भी नहीं मानता उससे भी डिफर करता हूं। मैं इससे भी डिफर करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी या किसी अन्य पार्टी ने झगड़े करवाये हैं, या किसी पूंजीपति ने बलबे करवा दिये तो यह सब गलत है। पूंजीपति कैसे झगड़े करवायेगा? क्या वह सबसे पहले अपनी कोठी ही फुंकवाने का इन्तजाम करेगा। तो बीमारी की सही दवा क्या है? क्यों आई है? इसको सोचना पहले जरूरी है बनिस्बत इसके कि फलां ने करवाया।

मैं साफ कहता हूं कि गवर्नमेंट अपने को इससे निर्दोष नहीं सिद्ध कर सकती। हुआ क्यों? आपने नहीं कराया होगा यह मैं मानता हूं, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। आप कम्यूनल हारमोनी के लिये कहेंगे कि हम चाहते हैं, बेशक आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप के राज्य में कुछ हुआ तो उसके लिये आप जिम्मेदार हैं। जब झगड़े हुये तो आपकी पुलिस कहां थी, वायरलेस, सी०आई०डी० और टेलीफोंस यह सारी चीजें आपको कहां थीं? क्यों नहीं उन्होंने जल्दी से ऐक्शन लिया? क्या आप इस जिम्मेदारी से बच सकते हैं? याद रखिये ब्राह्मण का लड़का मर गया। उसने जाकर राजा रामचन्द्र जी से कहा कि तुम्हारे रहते हुये मेरा लड़का कैसे मर गया? राजा रामचन्द्र ने उस जिम्मेदारी से छुट्टी नहीं पाई। जो राज्य की जिम्मेदारी है उसे आपको कबूल करना चाहिये था कि हमसे गलती हुई। नोआखाली में झगड़ा होता है गांधी जी कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है और उस के लिये नोआखाली की धूल छानते हैं। दिल्ली में झगड़ा होता है तो गांधी जी उपवास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करते हैं लेकिन यहां किसी मिनिस्टर ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया कि उसके राज्य में यह हो रहा है यह उसकी गलती है। किसी मिनिस्टर ने क्या इसके लिए दो दिन का हंगरस्ट्राइक किया। इसलिये मेरी गुजारिश है कि बीमारी का सही-सही इलाज ढूंढ़िये और उसका इलाज कीजिये।

गृह मन्त्री जी ने त्रिलोकी सिंह जी से पूछा था कि बात आपकी सही है, लेकिन आपके सुझाव क्या हैं। मगर जनाब ने सही सुझाव क्यों नहीं दिया। अगर वे खतावार थे तो आप भी बेकसूर नहीं हैं।

आप अपने दिल में टटोलिये किकौन साम्प्रदायिक है। मैं खुद एक जमाना था साम्प्रदायिक था। एक बार मैं एक ब्राह्मण के यहां खाना खाने गया था। मैं वहां से चला आया, यह सोंच कर कि अगर मैं यहां इसके खाना खाऊंगा तो मेरा धर्म चला जावेगा। लेकिन अब जब बुजुर्गों के साथ बैठा तो देखा कि मेरी राय गलत थी और मेरा असाम्प्रदायिक रहना ही ठीक है। मैं देखता हूं कि जब मैं हिन्दू साहबान से बात करता हूं तो पब्लिक मीटिंग में तो बात दूसरी होती है और बाहर दूसरी बात होती है।

कम्यूनल झगड़े को मिटाने के लिये हम लोग बहराइच में गये थे। हुजूरवाला व्याख्यान में व्याख्यान दाता ने कुछ कहा और बाद में कैम्प में कुछ कहा। मैं तो ताकता ही रह गया कि यह यहां क्या कह रहा है और वहां क्या कह रहा था? मैं अपनी बात कह रहा हूं कि यह झगड़े बिला वजह हो रहे हैं। अगर इन झगड़ों की कोई वजह होती तो ठीक था और मैं झगड़े से भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हिन्दू कहता है कि मुसलमान नीचे हैं और मुसलमान कहता है कि हिन्दू नीचे हैं और ईसाई कहता है कि हम सबसे ऊंचे हैं। यह बात इनके दिमाग में नहीं रहनी चाहिये। इस चीज की हमको जड़ें काटनी चाहिये। किसी जाति में पैदा होना कोई बड़प्पन नहीं है।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्रीमन्, मैं अर्ज करूं कि एक जगह पर तीन मेहमान गये। एक ने कहा, "ब्रिंग मी वाटर" दूसरे ने कहा "जल लाओ" और तीसरे ने कहा "आब लाओ" और इस पर तीनों में धरा पटकी होने लगी। एक आदमी ने उनसे कहा कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? एक ने कहा कि मैंने वाटर मांगा। दूसरे ने कहा कि मैंने जल मांगा और तीसरे ने कहा कि मैंने आब मांगा तो क्या गलती की। इस पर उस आदमी ने कहा कि तुम लोग एक ही चीज मांग रहे हो, लेकिन मतलब न समझने के कारण एक दूसरे से लड़ रहे हो। ठीक इसी तरह से हमारा हाल है।

हमारा मजहब कहता है कि "इह लोके सुखं भुक्ता, चान्ते सत्यपुरं ययो"। यानी हमारा मजहब कहता है कि यहां पर आराम से रहो और फिर स्वर्ग मे जाओ। सब मजहबों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन तरीके अलग-अलग हैं,ढंग अलग-अलग हैं। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान ,क्या ईसाई सब एक हैं? यदि मुसलमान पक्का मुसलमान है तो कोई झगड़ा नहीं होगा इसी तरह अगर कोई पक्का हिन्दू है या पक्का ईसाई है तो कोई झगड़ा नहीं होगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि बच्चों को इस तरह की किताबें पढ़ानी चाहिये जिससे उनकी समझ में साम्प्रदायिक प्वाइंट आफ व्यू अच्छी तरह से आ जाय। मुझे फख्र हासिल है और मैंने इम्तहान पास किया है और मैं तो यही कहता हूं कि हमेशा सत्य बात कहनी चाहिये। मैंने एक किताब भी लिखी है, मेरे पास मुसलमान दोस्त आते हैं तो मैं उनसे भी यही कहताहूं कि तुम लोग हिन्दुओं को नींच क्यों समझते हो? जब तुम हिन्दी में दरख्वास्त देना पसन्द नहीं करते हो तो हिन्दू का उर्दू में दरख्वास्त देना कहां तक ठीक है? ब्राह्मणों की सभा में मैंने कहा कि हमारा बर्ताव मुसलमानों के प्रति उदारता का होना चाहिये,। इसलिये कि जब आदमी बड़ा होता है तो नम्र हो जाता है। इसलिये हमें इंसाफ करना चाहिये।

*श्री जगदीशनारायण (जिला मुरादाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा तो नहीं था कि इस विषय पर कुछ चर्चा करूं। मुझे भी शर्म है, क्योंकि मैं उसी जगह का नुमायंदा हूं जहां पर ये झगड़े हुये। चंदौसी उनमें से एक है और वह मेरे ही क्षेत्र में है। वहां पर जो झगड़े हुये उसका अधिकांश भाग मैंने अपनी आंखों से देखा है और यथाशक्ति मैंने और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने इसको रोकने की कोशिश की। मुझे खेद हुआ, जब हमारे शहर में यह दंगे हो रहे थे, परन्तु जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं, वह इसमें पार्टीबाजी की हवा दे रहे थे। मैं यह समझता था कि चूंकि चन्दौसी एक छोटा-सा नगर है और वहां पर म्युनिसिपल बोर्ड की पालिटिक्स का एक महत्व रहता है, इसलिये यह सब लोग इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब मैंने इस हाउस में भी उन दलों के नेताओं के वही रंग देखे तो मुझ तकलीफ हुई। मैं समझता था कि इस हाउस में बैठकर जो चीज सत्य नहीं है वह नहीं कही जायगी। कांग्रेस दल को जबदस्ती इन तमाम दंगों में खींचने की दो दलों के नेताओं ने कोशिश की। दुबे जी ने तो यह कहा कि खेद की बात है कि एक मुसलमान जो कांग्रेस के साथ थे उनकी दूकान वहां नहीं लुटी जबकि दूसरे लोग जो थे उनकी दूकानें लूटी गईं। यह बिलकुल असत्य है। कोई शहर तमाम तो लूटा नहीं गया। शहर में तीन चार जगह दंगे हुए और जो मुसलमान कांग्रेस के साथ थे वह उस मुहल्ले में थे जहां कि दंगे नहीं हुए। इसके बिलकुल खिलाफ जहां दंगा हुआ वहां एक मुसलमान सज्जन रहते थे जो कि कांग्रेस के खिलाफ पार्टी के थे उनकी वहां एक दूकान थी इत्तफाक से वहां और दूकानें जलीं लेकिन उनकी दूकान नहीं जली। तो इस तरह का आरोप लगाना उचित नहीं है।

वहां म्युनिसिपल बोर्ड में २५ सदस्य हैं जिसमें जनसंघ के केवल तीन सदस्य थे। उसमें से दो ने शायद इस्तीफा दे दिया और अब जनसंघ के एक दो सदस्य वहां हैं।

बार: बार नो-कान्फीडेंस की बात कही गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चन्दौसी म्युनिसिपल बोर्ड में कांग्रेस की स्ट्रेंथ २५ में १६ है और इस दफे ही नहीं पिछली बार भी हमने चेयरमैन को हटाया था और दोबारा चेयरमैन का चुनाव किया। तो जहां तब दुबे जी ने यह बात कही कि वहां पर चूंकि कांग्रेस का नो-कान्फीडेंस आया हुआ था इसलिये यह सब कुछ होने दिया गया, यह बात सही नहीं है। हमारा उस म्युनिसिपल पालिटिक्स से कोई सम्बन्ध नहीं है। १४ मेम्बर हमारे वहां पर मौजूद थे। जितने मेम्बर होने चाहिये उससे दो ज्यादा थे। जनसंघ की स्ट्रेंग्थ वहां पर केवल एक या दो मेम्बर की है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—आप "हमारा सम्बन्ध" कह रहे हैं उससे आपका क्या मतलब है?

श्री जगदीशनारायण—"हमारा सम्बन्ध" से मतलब हमारे दल से सम्बन्ध है। हमारे दल का उससे कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

मैं चन्द्रजीत यादव जी की इस बात को बिलकुल ठीक समझता हूं। उनकी वह बात बिलकुल सही है कि एक दल विशेष के लोगों ने उस तमाम दंगों का नेतृत्व किया। इस प्रान्त में यह जो दंगे हुए उसका एक ही कारण सब जगह है और वह यह है कि जो यूनिवर्सिटी में झगड़ा हुआ उससे जो गलत अफवाहें फैलीं उससे स्टूडेंट्स उत्तेजित हुए और उन्होंने इसका शोर मचाया। जो लोग इस झगड़े की ओट में यह सब चीजें करना चाहते थे उन्होंने इसको अपना लिया बिलकुल यही कारण मैं समझता हूं कि चंदौसी में भी था। स्टूडेन्टस जहां एक तरफ ब्रिक बैटिंग कर रहे थे वहां दूसरी तरफ जहां कि कोई भी दंगा नहीं था एक दल विशेष के नेताओं ने, चाहे उनका केन्द्र की पालिसी से कोई वास्ता हो या न हो, लेकिन मैं निश्चय के साथ कह सकता हूं और अगर जनसंघ के नेता चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूं, जिले का हरएक आदमी आज उस बात को कहेगा कि इस उपद्रव का संचालन किया। उस दल के नेता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका संचालन कर रहे थे और हाथ में हथौड़ी तथा फावड़े लिये चारों तरफ तोड़फोड़ करते घूम रहे थे। मैं इन तमाम दंगों की जिम्मेदारी उस दल विशेष पर डालता हूं। जहां तक म्यूनिसिपल बोर्ड की पालिटिक्स का सम्बन्ध है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वहां कांग्रेस दल की काफी स्ट्रेंथ है और जनसंघ के सदस्य केवल एक या दो ही हैं। कम्यूनिस्ट सदस्य एक है, उनका सबका वहां एक स्थानीय गठबन्धन है। तो इस तरह से म्यूनिसिपल बोर्ड की पालिटिक्स में इन तमाम चीजों को इन्वाल्व करना सत्य से परे बात है। चन्दौसी में जो कुछ हुआ उससे हमको बहुत तकलीफ है और वह इतनी दूर तक हुआ कि जो नहीं होना चाहिये था।

यह बात ठीक है कि दस बजे हमने जिलाधीश को खबर कर दी थी और साढ़े बारह बजे के करीब वहां से दो अधिकारियों के साथ थोड़ी-सी पुलिस फोर्स आ गई थी। मैं जहां पर जनसंघ के लोगों का दोष समझता हूं वहीं जो वहां के डी० वाई० एस० पी० और एस० पी० हैं, उनके लिये भी यह कहना चाहता हूं कि वह बिलकुल नये लोग थे। उन्होंने लापरवाही से काम लिया अगर वह जरा हिम्मत से काम लेते तो झगड़ा रोका जा सकता था। साढ़े बारह बजे वह लोग आये और ४ बजे तक दंगा होता रहा। अगर वह चाहते और सतर्कतापूर्वक काम करते तो इतनी देर तक यह चीज न चलती। मैं इसे उनकी नातजुर्बेकारी कह सकता हूं या उनकी लापरवाही मानता हूं।

जो दंगे हुए हैं उसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ है। उसमें जो मुस्लिम भाई हैं उनका अधिक नुकसान हुआ है। छोटी-छोटी दुकानों में हिन्दुओं का भी नुक्सान हुआ है।

जहां तक रिलीफ का सम्बन्ध है, जो सरकार की ओर से रुपया दिया गया वह, कांग्रेस वालों के द्वारा बांटा गया है, लेकिन मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो रुपया सरकार की ओर से बांटा गया उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की ओर से १० हजार रुपया वितरित किया गया है जिससे उनके मकान बनाने की व्यवस्था की गई है। जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं उनको इंडस्ट्री की तरफ से लोन दिलाने की बात करके उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की गई है, जो बड़े दुकानदार हैं और जिनको अधिक नुकसान हुआ है उनके लिये भी हम सरकार से कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस झगड़े की वजह से परेशानी में पड़ गये हैं उनके लिये जमानत का भी प्रबन्ध करने की जरूरत है। हमने गृह मंत्री जी को बतला दिया है कि जब तक यह समस्या हल नहीं होगी तब तक यह मसला हल होने वाला नहीं है।

मैं अधिक न कह कर इतना ही कह देना उचित समझता हूं कि इस दंगे की जिम्मेदारी केवल एक दल विशेष पर है और किसी दूसरे पर नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बहस के दौरान में मुझे यह सुनकर निराशा हुई कि माननीय मुख्य मंत्री ने बहस के उत्तर में यह कहा कि हमने जान-बूझकर जांच को समाप्त कर दिया। जब उन्होंने यह कहा था कि अलीगढ़ जाकर हम जांच बैठायेंगे तो वह बात भी उन्होंने जानबूझकर ही कही थी। तो जहां पर सरकार के मुख्य मंत्री का यह हाल हो कि जानबूझकर दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध कह दी जायं वहां पर हमें क्या आशा हो सकती है कि हमारी बातों पर बहुत कुछ गौर किया जायेगा! परन्तु फिर भी माननीय गृह मंत्री जी ने यह फरमाया था कि हमको वह सुझाव दें जिनसे काम चले और कैसे एकता आये तो उस सम्बन्ध में तो मैं कहूंगा ही लेकिन इसके पहले इतना कह देना उचित समझता हूं कि इस एकता लाने के लिये अगर प्रयत्न होता, उसके लिये प्रयास करनेकी दिशा में सरकार की इच्छा होती तो इससे पहले वह कार्य हो चुका होता। कम से कम वे कार्य पहले नहीं हुये जिनसे हमारे प्रदेश में इस खून खराबी को बचाया जा सकता था। इसी वजह से लोगों के मन फिरे और एक किस्म का फर्क आया जो कि पहले सालों में दबा दिया जा चुका था। आज फिर फर्क नया करने का काम किसने सुरू किया। आज कोई भी सुझाव दिया जाय लेकिन सुझाव वही कार्यान्वित होते हैं और इसी इरादे से पूरे किये जाते हैं कि वोट कैसे बढ़ें। एक निश्चित संख्या में हमारी तादद कैसे आ जाय। जब यह इरादा बन जाता है तो इसी इरादे से काम होने लगता है।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

हम चाहे जिस इतिहास को देखें और पिछले १०,१२ साल के इतिहास को देखें, जब चुनाव होते हैं तब बराबर दंगों का प्रचार होता है। कोई न कोई ऐसा काम किया जाता है जिससे मुसलिम भावनाओं पर असर पड़े। वह यह समझे कि हम असुरक्षित हैं और हिन्दू यह समझे कि हमारे साथ कुछ बुराई हो रही है। जब यह स्थिति हो जायगी तो फिर राष्ट्र की एकता का प्रश्न कैसे चल पायेगा, यह एक विचाराणीय प्रश्न है।

अब देखा जाय कि यहां पर माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हम मानते हैं कि हम पूरी तरह से दोषी हैं, लेकिन इसके कहने से काम नहीं चलता है। जब जांच के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था तो उनके दिमाग में यह प्रतिक्रिया हुई थी कि कम से कम जिन लोगों में यह भावना बढ़ी है कि एक खास लोगों ने अन्याय किया है या अधिकारियों ने कर्त्तव्य परायणता न दिखाकर कर्त्तव्य विमुखता दिखाई है उन लोगों के दिमाग ठीक करने के लिये मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही। जब वह समय चला गया और जब शान्ति स्थापित हो गई तब माननीय मुख्य मंत्री उस बात से मुकर गये। हमको सिर्फ इतना कहना है कि वस्तुस्थिति जो उनके दिमाग में रही वह आखिर क्या थी? आखिर इस बात का निपटारा होना चाहिये कि जब कोई साम्प्रदायिक दंगा हो या अन्य ऐसी कार्यवाही, कोई कठिनाई हो तो उसके सम्बन्ध में विभिन्न तर्क होते हैं उसके लिये कोई निष्पक्ष न्यायिक जांच बिठा देते हैं तो कम से कम मुल्क के अन्दर यह दिमाग बन जाता है कि दूसरे लोगों ने जो कर्त्तव्य विमुखता दिखाई उनके खिलाफ सफाई आ जाय। तो यह न्यायिक जांच अवश्यम्भावी है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उसका मुकाबला करने के लिये तैयार नहीं है।

सरकार अपने दोष को एक निश्चित अदालत के सामने स्वीकार नहीं करना चाहती है। सदन में भले ही गृह मंत्री जी कह दें और यह साबित करें कि हमने विनम्रता से कह दिया था कि हम दोषी हैं और हमको रास्ता दिखलाइये, लेकिन जिस समय देश के सामने यह फैसला आयेगा कि आप दोषी हैं तो एक मुसीबत आप पर आ जायगी और उसे आप बरदाश्त नहीं करना चाहते।

इस समय जो विवाद हुआ और उसमें कांग्रेस और जनसंघ पर जो आरोप और प्रत्यारोप किये गये, उनमें कोई अधिक अंतर नहीं है। 'आल इंडिया कांग्रेस' का अगर हिन्दी में अनुवाद किया जाय तो वह अखिल भारतीय जन संघ' ही होगा। तौर तरीके, कामकाज सब एक ही ढंग के हैं। अब मुसीबत यह है कि हम सुझाव कैसे दें? इस हालत में तो देश की जनता तबाह हो रही है। पहले मुस्लिम कवेंशन हुआ और मुस्लिम लीग से कांग्रेस ने गठबंधन किया। मुस्लिम लीग साम्प्रदायिक संस्था रही है फिर भी गृह मंत्री जी ने कहा कि उन के संबंध में हमें विचार नहीं करना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनसंघ को हम विचारों से कुचल देंगे। लेकिन क्या जनसंघ को कुचलने का तरीका यह है कि आप मुस्लिम लीग से समझौता करें? क्या यह समझते हुए भी मुस्लिम सम्मेलन कराना और उसे प्रोत्साहन देना, ऐसी विरोधी भावनाओं को पनपाना उचित था? लेकिन वह हुआ और उसके बाद हिन्दू सम्मेलन हुआ, दोनों साम्प्रदायिक थे। तो दोनों का रवैया ऐसा हो गया है कि प्रदेश की जनता इनसे नजात पाने के लिये चिन्ता के साथ देख रही है और उसे रास्ता मिलना चाहिये।

श्रीमन्, मुझे विनम्रता के साथ यह कहने में संकोच नहीं है कि सोशलिस्ट पार्टी ने बराबर इस दिशा में काम किया है और अगर कोई पार्टी मजबूती के साथ इस साम्प्रदायिकता, जातिवाद और प्रान्तीयता के दंगों को समाप्त करना चाहती है तो वह एक मात्र सोशलिस्ट पार्टी ही है। जब यह दंगे प्रदेश में हो रहे थे और यह अलीगढ़ में शुरू हुए उस समय हमारी इन संस्थाओं के नेताओं ने इनके शान्त करने के लिये क्या कहा था? जनसंघ की जांच रिपोर्ट पढ़ ली जाय। उससे साफ मालूम पड़ता है कि एक निश्चित मजहब पर वह हमला करना चाहते हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि उस मजहब के लोगों को यहां रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल हम ही शान्ति का संदेश दे रहे थे इसमें कोई शक नहीं है। दंगा होने के बाद क्या किसी पार्टी ने कोई अपील निकाली? सारी संस्थाओं के नेताओं के भाषण देखने के बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि केवल सोशलिस्ट पार्टी ने ही यह बात देश के सामने रखी थी कि

किस प्रकार साम्प्रदायिक दंगों का अन्त हो सकता है।] जो अपील डाक्टर राममनोहर लोहिया और राजनारायण जी के नाम से निकली थी और जिसे काफी तादाद में प्रदेश में बांटा गया है उसे पढ़ने के बाद आप सोचें कि क्या उसमें दिये गये सुझावों पर सरकार ने अमल किया है? अगर अमल किया है तो सोशलिस्ट पार्टी का तो कहीं जिक्र कर देते जिसने साम्प्रदायिकता के खिलाफ एक बड़ा जिहाद चलाया है ताकि देश के लोग अच्छी तरह से रह सकें। मैं उसप चें के कुछ अंश पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :--

"देश के हिन्दू और मुसलमानों को डाक्टर लोहिया का संदेश,

देशवासियो, अफवाहें ज्यादातर झूठी होती हैं। देश के मुसलमान भूतपूर्व हिन्दू हैं। ८०० वर्ष का देश का इतिहास देश और परदेश की लड़ाई का इतिहास है न कि हिन्दू और मुसलमान को कत्ल का जवाब कत्ल है तो दुराचार की अटूट जंजीर बनती है। जिस देश में जुर्म करने वाले की सजा उसके समूह के किसी निर्दोषी को दी जाय, वह मन से जंगली और शरीर से कंगाल बनता जाता है। दंगों से अस्थिरता पैदा होती है और तब चित्त को स्थिरता की जरूरत होती है और कांग्रेस तथा जनसंघ जैसे दकियानूसी दलों के वोट बढ़ते हैं। भाषा, जाति तथा धर्म का दंगाई हिन्दुस्तान दुनियां का अजायबघर बनता जा रहा है। इसलिये आप सभी से प्रार्थना है कि जहां कहीं दंगा शुरू होते देखें बीच में पड़ कर रोकें और पहले से ही अपने-अपने इलाके में लोगों का मन शुद्ध बनायें।"

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, हमको तो २० मिनट मिलेंगे?

श्री अध्यक्ष--ठीक है मुझे, खयाल नहीं रहा था।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--श्रीमन्, इनके दल के नेता की तरफ से तो माननीय राजनारायण जी बोल चुके हैं और उन्हें २० मिनट मिल चुके हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--तो मैं कह रहा था कि इन साम्प्रदायिकता की बातों से न तो जाति-पांति संबंधी भेदभाव ही दूर हो सकता है और न साम्प्रदायिकता की भावना का ही विनाश हो सकता है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सब से पहले साम्प्रदायिक भावनाओं को दूर करने का, इनको नाश करने का प्रयत्न होना चाहिये। जब तक हमारी यह नीति रहेगी कि हमको वोट प्राप्त करना है और उसके लिये वैसा ही वातावरण पैदा किया जायेगा, मुसलमानों का वोट लेने के लिये उनको डराया जायेगा इस तरह के दंगे कराये जायेंगे तब तक इससे कोई काम होने वाला नहीं है।

मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इतिहास को बदलने के लिये क्या किया? आज जो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि का नारा लगाया जा रहा है इसको दूर करने के लिये क्या प्रयत्न किया गया? आज सूचना विभाग द्वारा हजारों की तादाद में पुस्तकें छापी जाती हैं, लेकिन ऐसी एक भी पुस्तक नहीं छापी जाती जिससे लोग हिन्दुस्तान के इतिहास की सही पृष्ठभूमि को समझ सकें या जिसके द्वारा सत्य का उद्घाटन हो सके। जो हिन्दू रजिया रही और शेरशाह को मुसलमान समझता है वह अज्ञानी है। इसी तरह जो मुसलमान गौरी, गजनबी या बाबर को अपना पुरखा समझता है वह भी उतना ही अज्ञानी है। हिन्दू धर्म में भिन्न-भिन्न मत जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, वैष्णव, शैव पंथ, शाक्य सम्प्रदाय व कबीर पंथ आदि के मानने वाले रहे हैं, वैसे ही एकमत इस्लाम है। परन्तु अंग्रेजों ने विशेष हिन्दू मुसलमानों में जाग्रत किया है, आज उस प्रचार को खत्म करना है। आज इस तरह की बातों को लेकर यदि हम एकता चाहते हैं तो वह नहीं हो सकती।

एकता-सम्मेलन हुआ। पहली तारीख को यह हुआ और दूसरी तारीख को ही अलीगढ़ में यह उपद्रव हुआ। जहां सम्मेलन होता है वहां से ४०-५० मील के फासले पर यह दंगे होते हैं, तो यह है

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

एकता सम्मेलन का पोलखाता। इसलिये में कहना चाहता हूं कि ऐसे एकता सम्मेलन से काम चलने वाला नहीं है। अपने मन को शुद्ध करने से काम चलेगा। आखिर सोशलिस्ट पार्टी भी तो एक पार्टी है। उसकी नीति इस सम्बन्ध मे बिल्कुल स्पष्ट है। हम जानते हैं कि कहां पर खराबी है और उसको हम डंके की चोट पर कह सकते है। जब तक कथनी और करनी का भेद रहेगा तब तक कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता, वह केवल अरण्य रोदन मात्र होगा। आज देश में गरीबी और भुखमरी फैली हुई है और जाति का बटवारा हजारों की संख्या में है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ४०–४२ करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके पास न कोई आर्थिक शक्ति है, न राजनीतिक शक्ति है, न उनके बीच में शिक्षा का प्रचार है न आपने उनके प्रति कभी अपनी जिम्मेदारी को समझा, न वे स्वयं समझते हैं कि हम इस देश के रहने वाले हैं और हमारा भी उसकी सम्पत्ति में हक है। जब तक उनमें यह भावना जाग्रत नहीं होगी कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जो बिना अधिकार दिये नहीं हो सकती तब तक कैसे हमारी एकता हो जायगी, जो हमारा अनपढ़ तबका है वह कैसे आगे बढ़ सकेगा ?

अगर हम दंगों की ओर निगाह करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पीछे ऐसे अमीर और धनी लोग हैं जिनके उसमें आर्थिक स्वार्थ निहित हैं। नीचे के लोग भले ही पकड़े जायं, वे आराम से बैठे हुये हैं। साथ ही सवाल यह है कि जब आज जातीयता का प्रश्न उठता है, भाषा और प्रान्तीयता का प्रश्न उठता है, मजहब का प्रश्न उठता है, तो उसके निराकरण के लिये कोई साहित्य सरकार की ओर से नहीं निकलता है। यह जरूर है कि जब कोई घटना घटित होती है तो उसका रिऐक्शन फौरन हो जाता है। एक अपील कर दी जाती है कि यह बहुत अनुचित है, यह कलंक है। जो समता का पुजारी है, जनता का पुजारी है वह निश्चय ही मजहब, जाति और भाषा के विभेद को नष्ट करने का प्रयत्न करेगा, लेकिन ऐसा कोई भी प्रयत्न सत्तारूढ़ दल की तरफ से, जनसंघ की तरफ से और दूसरी पार्टियों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। तो फिर कैसे एकता हो ? दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग एकता सम्मेलन में विचार करते हैं जिनकी तरफ से पहले कभी एकता करने का सुझाव और अपील तक नहीं निकली। मुस्लिम कनवेंशन करो, हिन्दू कनवेंशन करो और फिर अपीलें निकालो जबकि दंगा हो जाय कि यह मानवता के लिये कलंक है, बड़ा अनुचित है। यह दोनों विरोधी बातें एक साथ जचती नहीं।

अन्त में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इन सुझावों पर ध्यान देना चाहिये। सोशलिस्ट पार्टी ने चौतरफा हमला किया है जातिवाद के विरुद्ध और वह प्रयत्नशील है जातिवाद को नष्ट करने के लिये, कथनी और करनी के विभेद को नष्ट करने के लिये और आज देश में वह अपनी जगह पर खड़ी है। गृहमन्त्री जी उससे चेतना और सुझाव लें। लेकिन दुर्भाग्य से वह बहुत जल्दी ही फैसला कर लेते हैं। समय के अनुसार बात करने में तो बड़े पटु हैं, लेकिन करने में नहीं। जब मुख्य मन्त्री का फैसला हो गया कि हमने ऐसा कर दिया है, अब हमारी नीति यह है तो उनका कर्त्तव्य था कि जो काम होने जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करें। लेकिन उनका ऐक्शन तभी होता है जब एक घटना घट चुकी होती है। ऐक्शन के बाद रिएक्शन होता है। वह सीधे किसी ऐक्शन को समझते ही नहीं कि क्या करना चाहिये, उनके पास कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वह तो रिएक्शन में विश्वास करते हैं। तो अगर हम इस सरकार को रिएक्शनरी कहते हैं तो वह क्यों उचक पड़ते हैं ? शौक तो है प्रगतिशील कहलाने का, लेकिन अगर पूरा इतिहास देखा जाय तो कार्य जो कांग्रेस के या जनसंघ के होते हैं, वह रिऐक्शनरी ही होते हैं। जब एक ऐक्शन हो चुकता है तब रिऐक्शन शुरू होता है, चाहे चुनाव का प्रचार देख लें, या आप कार्य-कलाप देख लें या कैन्डीडेट खड़ा करने की नीति देख लें। अगर अमुक जाति का उम्मीदवार खड़ा हो गया तो अन्य जाति खड़ा करेंगे, वह हो गया तो उसे खड़ा करेंगे। चाहिये तो यह कि जो अच्छे वर्कर हैं उनको स्थान दें या फिर कोई अन्य स्थायी नीति निर्धारित करें। आज सोशलिस्ट पार्टी की स्पष्ट नीति है कि जाति प्रथा को नष्ट करने के लिये जो दरिद्र हैं, हरिजन हैं, पिछड़े हुये हैं, औरतें हैं, उनके कम से कम ६० प्रतिशत

कैन्डीडेट रहेंगे और बाकी के ४० प्रतिशत रहेंगे। क्योंकि हम वर्ग संघर्ष की बात समझते हैं, हमारी स्पष्ट नीति है, हम छिपाना नहीं चाहते । मन्त्री जी हमसे सबक लें।

श्री गोविन्दसिंह दिष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राये नहीं कि जो साम्प्रदायिक दंगे हुये उसके लिये हमको दुख होता है और जिनका नुकसान हुआ उनके लिये हमारे दिलों में, चाहे उधर के लोग हों या हमारी तरफ के, जो मनुष्य हृदय रखते हैं, उसके दिल में समवेदना का होना जरूरी है। इसमें शक नहीं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिये हमारे प्रदेश और सबके लिये शर्म की बात है लेकिन इस सबके होने के बाद यदि सारी कार्यवाही सन् ६२ के चुनाव प्रचार को सामने रखकर की जाय तो बहुत ही अनुचित है। अभी मुझ से पूर्व समाजवादी दल के नेता बोल रहे थे, उन्होंने दंगों पर कम कहा। उन्होंने एक पर्चा पढ़ा उसका ज्यादा जवाब में नहीं देना चाहता, क्योंकि वह ज्यादा सीरियस नहीं थे। इसके पूर्व एक महानुभाव चन्दौसी के बोले। उसके बारे में स्वयं वहां के जिलाधीश ने उस दिन के अपने वक्तव्य में कहा है "कि जुलूस पर ईंटे फेंकी गईं और जुलूस पर फायरिंग भी हुई, इससे झगड़े का सूत्रपात हुआ।" हजारों की संगठित भीड़ मुसलमानों की जो वहां इकट्ठी थी उसने दो हिन्दुओं की दुकानों में आग लगाई। मुसलमानों का भी नुकसान हुआ और उनसे हमारी पूरी हमदर्दी है, हम उस कार्य की भर्त्सना करते हैं। माननीय राजनारायण ने और दूसरों ने भी कहा कि उलटे-सीधे पर्चे बांटे गये। मेरठ वाला मेरे पास ओरीजिनल में है। उसमें लिखा था कि "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शोकपूर्ण घटना की तीव्र प्रतिक्रिया सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई है जिससे सामाजिक तत्वों द्वारा फायदा उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर स्थिति पैदा हुई। इस स्थिति से नागरिक, क्या हिन्दू क्या मुसलमान सभी दुखी हैं। इसमें अफवाहों पर विश्वास न करें, दूकानों को बन्द न करें।" ऐसी बातें ही कही गई थीं। मैं ओरीजिनल पर्चा पेश कर सकता हूं, जो भी माननीय सदस्य देखना चाहें देख सकते हैं। माननीय चन्द्रजीत यादव ने देखना चाहा था, लेकिन जब ओरीजिनल देख लिया तो उनकी बोलती बन्द हो गई....

श्री अध्यक्ष—यह बाहर का शब्द मालूम होता है।

श्री गोविन्दसिंह दिष्ट—मेरा मतलब है कि वह बोल नहीं सके।

अब दूसरी बात यह है कि लड़कों के शांतिपूर्ण जुलूस पर झगड़ा किसने किया? उस जुलूस को देखकर अधिकारियों का एस्टीमेट था कि झगड़ा होने की कोई सम्भावना नहीं है। उसके बाद एक बात निगार सिनेमा के नुकसान के बारे में कही गई। श्रीमन्, वह एक हिन्दू का सिनेमा है। इसपर भी बहुत से लोग बहस कर गये केवल जनसंघ को गाली देने के लिये। हिन्दुओं की जो दूकानें लूटी गईं उनका जिक्र, माननीय गृह मन्त्री जी को जो पत्र दिया गया उसमें है, १०–१२, १४ दुकानों का कि उनका कितना नुसान हुआ है। १६ दुकानें चन्दोसी में भी लुटीं, लेकिन माननीय सदस्य चन्दौसी को तो सन् ६२ का इलेक्शन देखना है। वह तो मुसलमानों को डराकर और धमकाकर यह जाहिर करना चाहते हैं कि देखो हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, कांग्रेस को ही वोट देना। तो यह भावना इसके पीछे कार्य कर रही है। मुझे दुख है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज एक कांग्रेसी चन्दौसी के एम० एल०ए० हैं, वह वहां के हिन्दुओं से अपने ऐजेंट के द्वारा रुपया वसूल कर रहे हैं, एक–एक हजार, यह कहकर कि अगर नहीं दोगे तो एफ० आई० आर० में तुम्हारा नाम दर्ज कर दिया जायगा। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है?

एक माननीय सदस्य मेरठ जिले के बोले। बड़े साम्प्रदायिकता के खिलाफ बनते थे। उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि उन्होंने अहीरवाद के पर्चे कि "अहीरो एक होओ और उन्हें वोट दो" के ऐसे किसानों को पर्चे बांटे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से किसने माफी मांगी थी और कहा था कि हमको चुनाव लड़ने से डिबार न किया जाय और आगे के चुनावों को लड़ने का मौका दिया जाय? मगर वे हमें साम्प्रदायिकता का पाठ पढ़ाते

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

हैं। यह तो वही कहावत हो जाती है कि "Devil quoting the scriptures" डेविल कोटिंग दि स्क्रिप्चर्स"। ऐसी महान साम्प्रदायिक बात करते हैं वे, और जनसंघ को साम्प्रदायिक बताया जाता है।

एक बात यहां कही गई कि मेरठ में जनसंघ ने बड़ी गड़बड़ की। गृह मन्त्री जी वहां गये और उनकी वहां की डायरी भी है, गृह मन्त्री जी ने सब बातों को नोट भी किया कि कल वे कहां रहे, लेकिन वह भूल गये। और उन माननीय सदस्य की अधिक जानकारी रही, अब वे सदस्य ऐसा कहते हैं। रायट्स के बारे में उन्हीं का बयान है कि खुलकर प्रतिक्रियावादी सबके सामने नहीं मार सकते थे क्योंकि स्थानीय हिन्दू जनता इससे गुस्सा हो जाती है। इस लिये उन्होंने एक दो की टोली में लुक छिपकर हमले किये ताकि कोई उन्हें देख न ले। एक तरफ तो कहते हैं कि छिप कर छरा मारते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे इसका जाती इल्म है। दूसरी बात यह है कि एक तो ऐसे झगड़ों के समय ऐसा आदमी जा नहीं सकता जो चल ही न पाता हो और जिसकी एक ही टांग हो। यह बात मैं उनको चिढ़ाने की वजह से नहीं कह रहा हूं लेकिन सिर्फ इसलिये कह रहा हूं कि वहां जाने के लिये वे इनकेपेबिल हैं, अपने आर्गूमेंट की पुष्टि में ऐसा कह रहा हूं। तो जो आदमी वहां जा नहीं सकता और एक ओर वह कहता है कि मारने वालों को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वह लुके छिपे हत्या करते थे वही दूसरी ओर कहता है कि मैंने देखा, फिर भी यह कहना कि जनसंघ या आर० एस० एस० ने ऐसा किया यह कितना गलत है इससे ज्यादा और क्या प्रमाण इस बात के लिये हो सकता है कि ये बातें वे केवल प्रचार के लिये ही कह रहे हैं। जब किसी बर्तन के चावलों को देखा जाता है कि वे पके या नहीं तो दो-चार चावल ही मलकर जांच किये जाते हैं। इसी प्रकार सत्य का उनका यह सैम्पिल है कि वे गृह मन्त्री के दौरे की तारीखें तक बदल गये और जहां मन्त्री जी नहीं गये वहां भी उनका दौरा होना अपने भाषण में आचार्य जी कह गये। और पार्टियों के बारे में तो उन्होंने कहा, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके तो वह पुराने सदस्य ही रह चुके हैं और अब भी प्रेम रखते हैं।

आज ही एक प्रश्न ऐटम बम, Fall out of Radio Activity, के बारे में पूछा गया था तो माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहा था कि हिन्दुस्तान में उससे नुकसान होने की सम्भावना नहीं है। उससे भी उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की चूंकि वह रूस के द्वारा छोड़ा गया है इसलिये हिन्दुस्तान को उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। यानी रूस की इस प्रकार से हिमायत करने की कोशिश की। वार के जमाने में भी उन्होंने यही किया था। जब तक रूस खिलाफ था तब तक तो वह लड़ाई बुरी थी लेकिन जब रूस उसमें शामिल होगया तो वही लड़ाई जनता की लड़ाई हो गई। जो इस प्रकार से सफेद झूठ कह सकता है और अपने देश के खिलाफ जा सकता है तो वह क्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आर० एस० एस० ने महात्मा गांधी को मार दिया। लेकिन यह चीज तो कभी सिद्ध हुई नहीं। सब जानते हैं कि किसने उनको मारा, मारने वाले में सम्भव है कोई साम्यवादी रहा हो, क्योंकि यह उनकी पद्धति है। लेकिन रूस में आज तक जिस स्टैलिन को भगवान माना जाता था उसके खिलाफ आज आवाज उठाई जा रही है और उसकी लाश को उखाड़ कर फेंका जा रहा है। उनको तथा कम्युनिस्ट पार्टी को यह मुबारक हो सकता है, हिन्दुस्तान में ऐसी निन्दनीय बात की तारीफ नहीं हो सकती। उनकी पार्टी को मानने वाले ही ऐसा कर सकते हैं। उसके लिये मैं आपको दाद देता हूं।

गृह मन्त्री जी ने जमैयत-उल-उलेमा के खिलाफ वक्तव्य दिया। उसके तीन लड़कों को सजा हो गई है और एक पर मुकदमा चल रहा है। मौलाना हिफजुर्रहमान और चौधरी साहब के बीच की जो वार्ता छपी है उसके पूरे ब्योरे में जाकर मैं केवल माननीय सदस्यों को उसकी याद दिला देना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है। इसके बाद फिर क्या बाकी रह जाता है ? कभी जमैयत-उल-उलेमा ने अच्छा काम किया होगा, लेकिन आज वह केवल साम्प्रदायिक बातें उभार रही है और ऐसे कार्य कर रही है जो देश के लिये नाशक हैं। तो इन राष्ट्र विरोधी बातों का विरोध

करने में किसी को तकलीफ क्यों होती है? इसलिये तकलीफ होती है कि स्वाराज्य मिलने से पहले जब मुस्लिम लीग देश के बटवारे की बात कर रही थी तो उस वक्त इसी साम्यवादी पार्टी ने लीग का समर्थन व एकीकरण का विरोध किया था। यह तो वही बात "डेविल कोटिंग दि स्क्रीप्चर" वाली आई और वे भी हमें शांति व एकता का पाठ पढ़ाते हैं।

श्रीमन्, सरकार जानती है और चौधरी साहब भी जानते हैं कि जनसंघ दोषी नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस पार्टी का ऐसा हो जो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से इस झगड़े में कुछ हिस्सा लिया हो लेकिन उसकी वजह से पूरी पार्टी को दोषी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के लोग भी तो इन दंगों में गिरफ्तार हुये हैं। अगर हमारे जनसंघ में कोई खराब आदमी है तो आप उसे बतलावें, उसे हम अभी निकालने के लिये तैयार हैं। अच्छे और बुरे हर पार्टी में हो सकते हैं और होते हैं लेकिन उसकी वजह से किसी पार्टी विशेष को दोषी नहीं कहा जा सकता। यह मैं नहीं कहता कि हमारी पार्टी में सब दूध के धोये ही हैं, और कोई पार्टी भी अपने लिये ऐसा नहीं कह सकती है। एक बार माननीय गृह मन्त्री ने एक सवाल के जवाब में एक जिले के सदस्यों में से गुंडों की संख्या का हवाला देते हुये जो बतलाया था उसमें १३ तो कांग्रेसी थे और एक जनसंघ का था। यानी सबसे कम संख्या जनसंघ की थी। माननीय गृह मन्त्री ने इसको जस्टिफाई इस तरह से किया था कि चूंकि कांग्रेस की मेम्बरशिप ज्यादा है इसलिये उसका परसेंटेज कम पड़ता है। अब मैं कम और अधिक परसेंटेज में नहीं जाता, लेकिन जनसंघ की संख्या सबसे कम थी। जहां तक प्रकाश अवस्थी का सम्बन्ध है उनका जनसंघ से कोई सम्बन्ध नहीं है, यहां तक कि विद्यार्थी परिषद् ने भी उनको अपने यहां से निकाल दिया था, फिर भी उसके नाम पर गाली हमें दी जाय तो यह कहां तक जस्टिफाइड है?

दूसरी बात यह है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से जा रहा था तथा झगड़े का कोई भी अन्देशा नहीं था तथा वहां कोई ब्रिक बैटिंग भी नहीं हुई, न कहीं ईंटें या पत्थर वहां रखे थे, लेकिन पुलिस को, चूंकि अधिकारियों के सामने कोई कार-गुजारी दिखानी थी कि कहीं उनके ऊपर डांट न पड़ जाय, इसलिये एक आफिसर ने अधिक इनथुजियाज्म में आकर वहां लाठी चलवा दी, अश्रु गैस छोड़ी और झूठ कहा कि कुछ पथराव भी हुआ था। एक विद्यार्थी जो डर से पुल पर से २५ फीट नीचे कूद गया था उसे पुलिस ने घसीटा। जब इस तरह से वाकये लखनऊ में पुलिस कर सकती है तो दूसरी जगह वह क्या तरीका इस्तेमाल करती होगी, इसको आप स्वयं समझ सकते हैं।

विष्णुपुरी में जो झगड़े फसाद हुये उसके लिये जनसंघ के कार्यकर्ताओं को दोषी बतलाया गया और कहा गया कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों ने भी उसमें शिरकत की। चन्दौसी की बात भी कही गई, अर्थी जलाने की बात, निगार सिनेमा जलाने की बात भी कही गई। यह भी कहा गया कि लोग जो जुलूस में शामिल थे उनमें कुछ बांसुरी बजा रहे थे। श्रीमन, यह सोचने की बात है कि अगर कोई संगठित प्रयास या योजना से झगड़े-फसाद की बात सोचेगा तो वह क्यों बांसुरी बजायेगा और नाच गान करेगा, श्रीमन्, मेरठ के बुढ़ानागेट की बात भी कही गई जहां पर एक फल विक्रेता की दूकान विद्यार्थियों ने लूट ली। श्रीमन्, बच्चों की आदत तो बन्दरों की होती ही है, इसके पहले भी वे प्रदेश में विद्यार्थी फल दुकानों से कई जगह लूट चुके हैं, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई होगी, क्योंकि पुलिस चौकी वहीं पर ५० कदम दूर है। अगर संगीन बात होती तो वह चुप क्यों रहती? अगर आप कहें कि मामला संगीन था तो फिर मैं पूछता हूं कि पुलिस वहां खड़ी चुपचाप क्यों देखती रही? जब उसने देखा कि इस तरह का इंसिडेंस किया गया है तो उसके द्वारा तुरन्त नोटिस लिया जाना चाहिये था, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद जहां माननीय गृह मन्त्री ने जनसंघ को टच किया है वहां उन्होंने कहा कि जनसंघ ने इन घटनाओं के बाद हड़तालें कराईं।

श्रीमन्, प्रजातन्त्र में विरोध प्रदर्शन का दूसरा तरीका क्या होता है? हमने देखा कि कर्नल जैदी की मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम लीग की एक अनुगामी व उसकी छाप है और जिसमें

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

कम्युनिस्टों का पुट है। यह बात गृह मन्त्री जी स्वीकार कर चुके हैं। असल में झगड़े का सूत्रपात कहां से हुआ? जमियते इस्लामिया के लड़के और कम्युनिस्ट, उन्होंने ही सबसे पहले दूकानों को लूटा है। एक दूकान नहीं लूटी, क्योंकि उसमें 'पीपुल्स एज" बिकता है, क्योंकि कम्युनिस्ट की दूकान थी। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, सरकार भी स्वीकार करती है और अखबार में भी यह बात आई है कि "नया किताबघर" नाम की दूकान नहीं जलाई गई यद्यपि अन्य सारी हिन्दू दूकानें जलाई गई।

दो सशक्त भीड़ें आई हैं, गृह मन्त्री जी के वक्तव्य में भी कहा गया। तो दोनों की दोनों हिन्दू भीड़ें नहीं थीं अगर सरकार यह भी मानती है कि दंगों में संगठित प्रयास किया गया, तो यह किसका था? एक तरफ मुसलमानों की ४०० की भीड़ लाठी लेकर जाती है और एक तरफ निहत्थे हिन्दू लड़कों का जुलूस जाता है जिसमें लड़के बांसरी बजाते हुये जाते हैं। शाहजहांपुर की बात कही गई कि एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया जिसमें लड़के कहा गया कि एक लड़का मर गया। यह तो सारे प्रदेश में अफवाह थी, अखबार तक में आया, सब लोग समझते थे कि एक लड़का मर गया। जब सब समझते थे कि रात को जो हमला हुआ उसमें एक लड़का मर गया और अगर उसको कन्डेम किया गया तो क्या अन्धेर हो गया? पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ की है---एक किताब लिखी गई थी १२ वर्ष पहले अमेरिका में वह छपी। उस पर दंगे करवाये गये क्योंकि बाद को उसकी प्रतिलिपि मुंशी जी ने छापी।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---कुत्ता कान्ड कहां हुआ? वह भी यहीं शुरू हुआ।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा---श्रीमन्, आपका आदेश था कि पार्टी लीडर्स २० मिनट बोलेंगे तो श्रीमन जी यह बोल रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष---राजनारायण जी आपकी पार्टी के लीडर नहीं थे, वह ३५ मिनट बोले, और जिनके ऊपर आप सब पार्टियां मिलकर हमला कर रही हैं वह जवाब भी न दे सके, यह ठीक न होगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---तो क्या, श्रीमन, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जनसंघ का कहना मानती है? क्या जनसंघ ने उनसे कहा था कि जो पार्टी हार जाय तुम उसका पुतला बनाओ, जूते मारो और "हिन्दू बच्चा हाय हाय कहो" और रात को आओ और सोते हुये बच्चों पर लाठी प्रहार करो? क्या यह जनसंघ की कही हुई बात थी कि ४०० की भीड़ लाठी लेकर जाय? यह जनसंघ की बात है? एक गम्भीर बात यह है कि आज तक प्रदेश भर में जहां जहां भी झगड़ा हुआ है, कहीं भी पहला हमला हिन्दू जनता की तरफ से नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चाहे मुबर्रकपुर हो, चाहे चन्दौसी हो और चाहे अलीगढ़ हो, पहला हमला, पहली लाठी, पहला पथराव कहां से शुरू होता है? माननीय चन्द्रजीत यादव ने कहा कि जहां जहां जनसंघ की शक्ति बढ़ रही है वहां वहां संगठित प्रयास होता है झगड़ा कराने का। माननीय सदस्य, चन्दौसी, कह रहे थे कि हमारे यहां जनसंघ का नाम ही नहीं है, तीन सदस्य नगरपालिका में थे, अब एक ही रह गया है। इसी तरह मेरठ से हमारा एक एम० एल० ए० नहीं है। तीसरा स्थान झगड़े का अलीगढ़ है, वहां भी एक भी सदस्य जनसंघ का नहीं है। अल्मोड़ा में माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त का घर है, वहां मुसलमान इतने हैं कि दाल में नमक के बराबर भी नहीं। वहां कभी कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ जबकि जनसंघ का वहां जोर है। सीतापुर, खैराबाद, मिर्जापुर गोंडा में, जहां जनसंघ की जीत हुई क्या वहां कभी झगड़े हुये? कहीं भी नहीं। कांग्रेस को डर है

कि पिछली बार थोड़े मुसलमान वोटर उससे निकल गये, इस बार ज्यादा खिसक गये तो मुश्किल होगी। इस सारी बात की जड़ क्या है ?

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—२० मिनट आपको दिये हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—हम बहुत पहले कह चुके थे कि यहां तमाम बारूद आ रही है, हमेशा जनसंघ ने जागरूक हो कर कहा। उस पर मन्त्री जी ने कहा कि झगड़े का कोई खतरा नहीं है। लेकिन तब एकाएक मई, जून में सरकार को कैसे इल्हाम हो गया कि अब साम्प्रदायिक झगड़े होंगे। इसका मतलब है कि सरकार पहले से जानती थी कि झगड़े होंगे अथवा कराये जायेंगे।

अन्त में मैं कहूंगा कि माननीय गुप्ता जी ने थोड़ी सी अनर्गल बातें जनसंघ के खिलाफ कहीं, साम्प्रदायिकता की बातें कहीं। हमको वह एक धर्म विशेष का कहते हैं और मानते हैं, लेकिन केरल में मुस्लिम लीग से और उड़ीसा में गणतन्त्र परिषद् के साथ गठबन्धन किसने किया ? आसाम में मिस्टर जिन्ना के प्राइवेट सेक्रेटरी मुइनुल हक से गठबन्धन कांग्रेस ने ही तो किया। इसके पहले के मन्त्री मण्डल में पुराने मुस्लिम लीगर को रखा जिन्होंने अपने को श्रीमान्, कहने पर एतराज किया था और फिर हमसे कहें कि हम सामप्रदायिक हैं, यह बड़े ताज्जुब की बात लगती है। इतना ही नहीं, मंत्रि-मण्डल बनाया तो बहुमत अपने बिरादरी का रक्खा और सचिवालय में जो परिवर्तन हुये उसमें भी साम्प्रदायिकता बरती गई।

नेशनल इन्टीग्रेशन की बात कही जाती है। लेकिन उसके नाम पर कौन आदमी आगे आते हैं। जिन्होंने देश का बटवारा किया वही राष्ट्रीय एकता की बात करें। जिन्होंने हिन्दू मुसलमान के नाम पर देश का बटवारा स्वीकार किया, उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं, वही हमसे कहें कि हम साम्प्रदायिक हैं, यह शोभा नहीं देता। लखनऊ विश्वविद्यालय अथवा सचिवालय में देखिये, क्या यह सही नहीं है कि केवल एक जाति विशेष के आदमियों को आगे बढ़ाया गया है ? पुराने कायस्थ वर्ग को क्या एक-एक करके नहीं हटाया जा रहा है ? क्या अपने मन्त्रिमण्डल में अपनी बिरादरी के लोग नहीं रखे गये ? श्रीमन्, सरकार से मेरी मांग है कि न्यायिक जांच हो।

आचार्य दीपंकर—मान्यवर, मेरा एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

आचार्य दीपंकर—मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी ने गृह मंत्री जी के रेफेरेंस में एक बात कही कि ६ को पहुंचे या ७ को पहुंचे। आप उस वक्त नहीं थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी यदि ७ को पहुंचे, जैसा कि मैं स्मरण करता हूं कि वह ७ को पहुंचे, उससे उस बात में अन्तर नहीं पड़ता। यदि वह वक्तव्य उस वक्त आ जाता तो क्या फर्क पड़ता ? इस वजह से उस बात को ट्विस्ट करके माननीय गोविन्दसिंह विष्ट जी ने उस बात को पकड़ने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं है।

आचार्य दीपंकर—दूसरी बात यह कही कि इन उपद्रवों की व्यक्तिगत जानकारी एक पांव का आदमी नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नहीं है। आप बैठें।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमान्, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इजाजत ले कर आया हूं। मैं १० मिनट के लिये अपनी बात कहना चाहता हूं। उसके बाद गृह मंत्री जो कुछ कहें तो अच्छा रहे।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता था कि आपकी पार्टी वाक आउट कर गई ।

श्री बंशीधर शुक्ल—हां, मेरी पार्टी ने वाक आउट किया । मैंने अपने दल के नेता से इजाजत ले ली है ।

श्री अध्यक्ष—(माननीय गृह मंत्री जी से) आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ?

श्री चरणसिंह—मुझे तो आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इजाजत दे दूंगा ।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—श्रीमान्, यह तय हुआ था कि ६ बजे तक बैठेंगें । इस बहस को देखते हुये कोई ऐसा भी निर्णय नहीं था कि सारा समय पार्टियों को दिया जायगा । ऐसा एक बार श्रीमन्, आपने मुझे मेरे पत्र के उत्तर में लिखा था कि केवल दलीप प्रतिनिधित्व यहां पर होना चाहिये । लेकिन जिन लोगों का दलों से सम्बन्ध नहीं है वह भी यहां पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । आज जिस प्रकार की छीछालेदर इस बहस में हुई, उससे जनमत यहां पर स्पष्ट नहीं हो सका । जनसंघ कम्युनिस्ट पार्टी को लांछित कर रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी जनसंघ को, तो जो मूलभूत कारण हैं उनके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कुछ लोगों के और भी अलग विचार हो सकते हैं । मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने आश्वाशन दिया था कि समय मिल जायगा, लेकिन आपने गृह मंत्री महोदय को आदेश दे दिया है । इसका मतलब है कि बहस समाप्त हो रही है । मैं आपके ध्यान आकर्षणार्थ निवेदन करना चाहता हूं कि समय एक घंटे का बाकी है और कोई कारण नहीं है कि माननीय गृह मंत्री पूरा एक घंटा बोलें ।

श्री अध्यक्ष—अभी तक आपने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया कि ६ बजे तक बोलेंगे ।

श्री रामकुमार वैद्य—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह बहस पूरे ६ बजे तक चलनी चाहिये और मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन आज ६ बजे तक बैठे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने थोड़ा समय मुझे दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने वाली यह हमारी सरकार है और सरकार ही नहीं, जिस पार्टी की यह सरकार है उस पार्टी की शुरू से यह नीति रही है कि साम्प्रदायिक पार्टियों को प्रोत्साहित किया जाय । हिन्दुओं में कभी ऐसी लड़ने की भावना नहीं रही है कि वह किसी साम्प्रदायिक भावना को ले कर लड़ें । लड़े तब हिन्दू जब उनकी इज्जत पर हमला किया गया, जब वह सहन नहीं कर सके । हमारा इतिहास साक्षी है कि हिन्दू आगे हो कर कभी नहीं लड़े जब तक कि उनकी इज्जत पर हमला न हुआ हो ।

हिन्दू सभा और कांग्रेस साथ-साथ बनीं । हिन्दू सभा नेस्तनाबूद हो रही है । मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने तोड़ा होता तो वह भी समाप्त हो जाती । मुस्लिम लीग को आप खत्म करना चाहते हैं जब उसका खमियाजा देश को मिल गया । अब यदि वास्तव में आप चाहते हैं तो उनको आप कांग्रेसी टिकट मत दीजिये । अलीगढ़ यूनीवर्सिटी से पाकिस्तान का शब्द उठा था और उसी कारण बटवारा होकर पाकिस्तान बना है । आप उसको तो भारतीय विद्यालय बनाने नहीं जा रहे हैं और बनारस विश्वविद्यालय से मालवीय जी का नाम मिटाने जा रहे हैं और अलीगढ़ से "मुस्लिम" शब्द को हटाने की सामर्थ्य आप नहीं रखते । आगे चल कर ६२ में आपकी पार्टी समाप्त हो जायगी और अगर नहीं हो जायगी तो जवाहर लाल की फोटो कहां तक दिखाइयेगा, यह जादू एक दिन तो निश्चय ही समाप्त होगा । साम्प्रदायिक भावना आप फैला रहे हैं ।

सरदार पटेल के समय की बात है। उनसे कहा गया कि सबसे बड़ा लीगी कौन है, उन्होंने कह दिया कि यह जवाहरलाल बैठा है। इसी तरह से चन्द्रभानु गुप्त भी दोषी हैं। मेरे जिले में एक सांड को एक मुसलमान ने अटकोहना में मार दिया। इसके पहले उसने तीन सांड मारे थे। फिर एक ठाकुर साहब का सांड उसने घेर कर मार दिया। हिन्दुओं के अन्दर यह भावना हुई कि यह मुसलमान मारा जाय। हिन्दुओं की कृपा से ही वह बच गया। यह पतित पावन सीताराम पार्टी की तरफ से जब चन्द्र भानु गुप्त वहां जाते हैं तो उस मुसलमान को ५०० रुपये का पुरस्कार दे कर आते हैं और जब हिन्दुओं ने गड़बड़ की तो १४२ हिन्दुओं को गिरफ्तार किया जाता है। उनको जेल पहुंचाया गया और मुसलमानों को कोई दंड नहीं। तो यह क्या है ?

मोहम्मदी में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। वहां पर हमारी पार्टी के कुछ नुमाइन्दे थे। जनसंघ और कांग्रेस की कड़ी टक्कर थी। मैं तो कहता हूं कि मुस्लिम लीग यह पतित पावन सीताराम पार्टी कांग्रेस कमेटी ही है। हमारे यहां जिलाधीश मुस्लिम लीगी, सिविल सर्जन मुस्लिम लीगी, थानेदार मुस्लिम लीगी, पी० डब्लू० डी० का इंजीनियर मुस्लिम लीगी, सूचना अधिकारी मुस्लिम लीगी, जिला परिषद् का चेयरमैन मुस्लिम लीगी, खीरी, (पलिया) का चेयरमैन मुस्लिम लीगी। तो यह सब मुस्लिम लीगी हमारे जिले में हम पर हमला कर रहे है।

एक बड़ा भारी दंगा लखीमपुर में हिन्दू मुसलमानों में होने वाला था, उसे हमने रोका। एक मुसलमान थानेदार ने ब्राह्मण की लड़की को ७ दिन तक थाने में रखा। मुझे मालूम हुआ तो मैंने कप्तान साहब से कहा। कप्तान महोदय ने एक कांस्टेबिल को भेज कर उस लड़की को थाने के बाहर करवा दिया और ५ मिनट बाद डी० एस० पी० मैजिस्ट्रेट के साथ पहुंचे और कह दिया कि लड़की नहीं मिली और मेरे ऊपर मुकदमा चला दिया। लड़की वाला और लड़की कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। माननीय गृह मंत्री जी से कहा तो उन्होंने साफतौर से उत्तर दिया कि किसी विरोधी एम० एल० ए० या उनके परिवार, रिश्तेदार पर कोई मुकदमा अगर पुलिस चलाती है तो मैं पुलिस की मदद करूंगा। तो बोलो इन्साफ कहां रहा ? यह श्रीमन्, हमारे चरणसिंह महोदय की तारीफ़ है और यह मुख्य मंत्री की तारीफ़ है जिन्होंने अटकोहना में मुसलमानों को बढ़ावा दिया। अभी मुहम्मदी में चुनाव हो रहा था। वहां पर कांग्रेस पार्टी के लीडर कमाल अहमद रिजवी और बंशीधर मिश्र जाते हैं और कहते हैं कि गौ हत्या करने से कोई पाप नहीं है गौ हत्या करो, लेकिन कांग्रेस को वोट दो। नतीजा यह हुआ कि वहां पर गौ–हत्या करायी गयी और कांग्रेस को वोट पड़े। यह आपकी कांग्रेस का हाल है। (शेम शेम की आवाजें) मुड़वारा मौजा में गौ-हत्या होती है और वहां का मांस गोला के पवित्र तीर्थ स्थान पर आ कर बिकता है कई बार पकड़ा गया मगर कौन सुने क्यों कि विरोधियों ने पकड़ाया !

श्री अध्यक्ष––मुझे इस बात में शक होने लगा है कि क्या आपके नेता ने आपको इजाजत दी है। क्या मैं यह मान लूं कि यह भाषण आपके नेता की तरफ से है ?

श्री बंशीधर शुक्ल––नहीं, यह मेरी अपनी तरफ से है। मैंने उनसे पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि तुमको सब अधिकार है। यह मैं अपनी तरफ़ से कह रहा हूं।

तो कई मर्तबा गोला में वह मांस पकड़ा भी गया और उस झगड़े को मैंने बचाया, फिर भी मेरे ऊपर मुख्य मंत्री का प्रहार, कांग्रेस पार्टी का प्रहार, कप्तान पुलिस का प्रहार, थानेदारों का प्रहार और भी तमाम तरह के प्रहार हो रहे हैं। इस समय मेरे ऊपर ८ मुकदमें सरकार के चल रहे हैं और जब यहां पर कोई सवाल आता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता। मालूम होता है कि सरकार कहीं है ही नहीं, और है तो मुस्लिम लीग के रूप में हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी पतित पावन सीताराम पार्टी है। जब भी हिन्दू मुस्लिम झगड़ा होता है तो आपकी तरफ़ से होता है। आप अगर इन झगड़ों को दूर करना चाहते हैं तो आप कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट न दीजिये, लेकिन आप तो सुल्तान आलम खां को टिकट देंगे जो पुराने मुस्लिम लीग के मेम्बर सर्वे सर्वा रहे हैं। अगर आप एकता कायम करना चाहते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर भारतीय

[श्री बंशीधर शुक्ल]

विद्यालय कर दीजिये और उसमें ३/४ हिन्दुओं को और १/४ मुसलमानों को पढ़ने दीजिये। अलीगढ़ में भारत भर के ही नहीं दुनिया भर के मुसलमान पढ़ते हैं और रोज यह भावनायें वहां से उठती हैं कि "हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान।" अगर इन सब भावनाओं को दूर करना है तो मेरी बात को मान लीजिये ।

सहायता तथा पुनर्वासन राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द सहाय)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर मैं एक दृष्टिकोण से दो चार मिनट में आपके सामने अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस प्रश्न को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला यह कि क्या इस प्रदेश में साम्प्रदायिक शक्तियां, विस्फोट की ताकतें आज ज्यादा बढ़ रही हैं या नहीं। दूसरे यदि बढ़ रही हैं तो साम्प्रदायिक शक्तियों का जहर कम करने के लिये शासन ने उचित कदम उचित समय पर उठाया है या नहीं। अगर यह बात साबित होती है कि वाकई इस प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिकता और जाति-पांति का जहर निरन्तर बढ़ रहा है तो यह हमारा फेल्योर है। अगर यह नहीं साबित होता है तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को रोज रोज इस तरीके से कह करके कि साम्प्रदायिकता बढ़ती जा रही है हम उसके हल करने में मदद नहीं करते हैं। मेरा अपना खयाल है कि पिछले दस साल का जायजा अगर लिया जाय तो साम्प्रदायिक ताकतों की ताकत पहले के मुकाबले संकुचित हुई है, कम हुई है। आम लोगों पर से उसका प्रभाव कम हुआ है और उनमें इस बात का एहसास बढ रहा है कि साम्प्रदायिकता, तंगदिली बुरी चीज है। इसकी मिसाल में सिर्फ अक्तूबर में जो कम्युनल रायट्स हुये हैं उसी से देना चाहता हूं।

अगर इन रायट्स का विश्लेषण किया जाय तो दो बातें साफ़ नजर आती हैं। एक तो यह कि प्रदेश के हिन्दू और मुसलमानों ने इसे बुरी नजर से देखा है और वह इसमें शरीक नहीं हुये हैं। सन् ४७ में जो कम्युनल रायट्स हुये थे तो उस समय कर्फ्यू अगर होता या तो लोग कर्फ्यू चाहते थे और भयभीत होते थे। आज कर्फ्यू लगता था तो जैसे ही वह खत्म होता था फौरन हिन्दू और मुसलमान सड़कों में आ जाते थे और यह समझते थे कि यह काम बुरा है और यह बिलकुल सही बात थी कि एक दौर आया जब खयालाती तरीके से लोगों ने साम्प्रदायिकता को बुरा समझा है और इस चीज को मंजूर नहीं किया है। दूसरा यह है कि इस वाकये का जहर किस तबके पर ज्यादा पड़ा है। कहा यह जाता है कि साहब अफवाहें चलने लगीं और उनकी वजह से यह हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अगर उस अफवाह का असर होता तो अलीगढ़ शहर से दो मील दूर के गांवों में भी होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है कि अफवाहों का असर एक खास क्लास पर होता है, खास एज ग्रूप पर होता है, खास तबियत के लोगों पर होता है और अलीगढ़ शहर से दो मील दूर के गांवों पर नहीं होता है? इससे यह पता चलता कि यह जो कमीशन देहातों में नहीं हुआ और खास एक ग्रूप के लोगों पर कमीशन हुआ जिनकी उम्र १६ से २२ वर्ष की थी। आप देखें कि वह कमीशन जो अलीगढ़ से चलता है तो चन्दौसी, मेरठ, आजमगढ़, गोरखपुर पर असर करता हुआ चला गया एक खास एज ग्रूप पर तो आपको एनलेसिस करना पड़ेगा कि क्यों उसने एक खास एज ग्रूप के लोगों पर ही असर किया। जैसे एक बीमारी आती है मलेरिया की तो जिनकी बाडीज में मलेरिया के जर्म्स होते हैं तो बीमारी हर आदमी पर न आ कर के खास एज के लोगों पर आती है। तो इसके माने यह हैं कि इस एज ग्रूप के लोगों की बाडी पालिटिक्स में एक जहर है, यह उसको लेकर हुआ क्योंकि इस एज ग्रूप के लोगों की उम्र इनकी जिन्दगी, इनका दिमाग दो चीजों के बीच में बढ़ा है। एक तो कम्यूनल रायट्स और दूसरा वर्ल्ड वार। इनमें इनका मानसिक विकास हुआ है। तो जिन बच्चों की उम्र १६ या १७ वर्ष की है उनके सामने सन् ४७ का हालोकास्ट हुआ है और जिनकी उम्र २० या २२ वर्ष है उनके सामने ३९ के बाद के वह सब वाकयात आये होंगे। तो एक खास क्वायजनस ऐटमासफियर के अन्दर हमारी यह जेनरेशन पली है और इसलिये इसका इलाज महज यह नहीं है कि इनको बुरा भला कह दिया जाय या खाली पुलिस ऐक्शन से इस एज ग्रूप के लोगों के खयालात में जो जहर है उसको दूना किया जाय। पुलिस ने क्या किया और क्या नहीं, इसको कुछ कहने की जरूरत मुझे नहीं है।

उसके लिये चौधरी चरणसिंह जी खुद मजबूती के साथ उसको रख सकते हैं और उसके लिये लड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गवर्नमेन्ट लेविल पर जो बात हो सकती थी वह की गयी या नहीं और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐक्शन से या फौरी मदद करके उस पर हम हावी हो सके या नहीं। इस खयाल से मैं कह सकता हूं कि अगर आप देखेंगे तो कहा जा सकता है कि भागदौड़ कर के जितना कुछ उस वक्त, उस फिजा में हो सकता था उसके करने की कोशिश हुई और मुस्तैदी से इस जहर को दबा दिया गया। लेकिन यह गलतफहमी हमको नहीं है कि महज पुलिस ऐक्शन से हमेशा इस जहर को दबाये रखा जा सकता है। यह बात हम जानते हैं कि उसके लिये तो हमें एजूकेटिव प्रोसेस अख्तियार करने हैं और उस एजूकेटिव प्रोसेस से ही हमें उस जहर को निकालना है।

इसके लिये अगर हम बहस के इस रुख को रखते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं तुम इसके लिये जिम्मेदार हो तो उससे तो कोई मसला हल होता नहीं है। बहस का रुख यह होना चाहिये कि साम्प्रदायिकता का जो रुख सिकुड़ रहा है वह और सिकुड़े इसके लिये क्या क्या प्रयास हों। इस सम्बन्ध में कोई रुख सुझाये जाते तो उससे लाभ होता। राष्ट्रीय यूनिटी की अमली ताकतों को किस तरह से उभाड़ा जाय इस पर एम्फैसिस होनी चाहिये बजाय इसके कि पुराने किस्से उछाले जायं या यह कहा जाय कि उधर के लोग कम्युनलिस्ट हैं या वे कहें कि इधर के लोग कम्युनलिस्ट हैं। आज वह जहर जो डिसरप्शन का है वह सिर्फ इसी मुल्क में नहीं है बल्कि जितने भी मुल्क आजाद हुए दूसरी जंग के बाद सब के अन्दर वह डिसरप्शन की फोर्सेज सर उठा रही हैं। जोड़ की ताकतों में और तोड़ की ताकतों में आजकल लड़ाई हो रही है। आप देखें कि कांगों में क्या हो रहा है ? अगर आज अच्छी लीडरशिप न होती तो दुनिया के सब देशों में कांगो का दृश्य स्थापित हो जाता। तोड़-फोड़ की ताकतों पर आज बड़ी खूबसूरती के साथ हावी हो जाया गया है और स्थिति ज्यादा अच्छी है। इसलिये सब का, चाहे इधर के मेम्बर हों या उधर के मेम्बर हों, यह फर्ज हो जाता है कि किस तरह से राष्ट्रीयता की, एकता की ताक़तों को कैसे बल दिया जाय, उसके लिये क्या क्या कदम उठाये जायं, तालीम कैसे बदली जाय, स्कूलों के नाम बदले जायं या न बदले जायं, इन तमाम मसलों पर रचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से गौर करें क्योंकि आज राष्ट्रीयता का पुराना ढांचा टूट रहा है और उसका नया रूप लाना है, उसके लिये हमें रिसर्च करनी होगी। उसके लिये हमको भाषा, पोशाक, खानपान और यकीदा, इन तमाम चीजों पर सोचना होगा और जनता में नया यकीदा पैदा करना होगा। पुराने जमाने की राष्ट्रीयता का रूप नहीं रह सकता और नया रूप लाना होगा। उसके लिये लाखों आदमियों में नई प्रेरणा पैदा करनी होगी, नये स्लोगन्स पैदा करने होंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, यह किताब हमको नहीं मिली है। इससे काम नहीं चल सकता है। इसलिये, श्रीमन्, यह सब को बटवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—केवल ५० कापियां ही टाइप हुई हैं और अधिक नहीं हैं।

श्री पब्बरराम (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, आपने जो आज मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आप का अत्यन्त आभारी हूं। ५ मिनट में ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर क्या बोला जा सकता है, लेकिन जितनी बातें बार-बार कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में दुहराई गई हैं उन्हीं पर मैं बोलना चाहता हूं। इतना मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीयता की आड़ में जिस ढंग से जनवादी तत्वों के खिलाफ कहा जा रहा है और जिस तरह का आत्मतुष्टि का भाव सरकारी पक्ष की ओर से व्यक्त किया जा रहा है, यह दोनों ही हमारे मुल्क के लिये हानिकारक हैं और साम्प्रदायिक विष के वृक्ष को पनपा रहे हैं। इसके लिये हमें बड़ा दुख है।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज सारी इंसानियत खतरे में पड़ी हुई है, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, इतनी बड़ी सरकार के पास, जो इतनी साधन सम्पन्न है, उसके रहते हुये, उसकी पुलिस और अधिकारियों के रहते हुये इस तरह से मकान जलाये जायं, गलियों में

[श्री पब्बर राम]

खेलने वाले बच्चों का खून हो और औरतों की अस्मत लूटी जाय, पूजा के स्थलों को जलाया जाय, यह हमारे लिये और देश के लिये कलंक की चीज़ है ।

कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सरकारी पक्ष और बहुत ज्यादा अपने को राष्ट्रीय समझने वाले व्यक्ति इस तरह से हायल होते हैं कि जब देखो, मौके बेमौके कम्युनिस्ट पार्टी को खींचना एक रिवाज सा बन गया है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्रों का अपने स्वार्थ के लिये इस्तेमाल करते हैं और ऐसे मुख्य मंत्री के मुख से हमें यह बात सुनने को मिलती है जो सारी उम्र यूनिवर्सिटी में गुटबंदी और खासतौर से विश्वविद्यालय के छात्रों को अपनी पार्टी के हित में या व्यक्तिगत हित में इस्तेमाल करते रहे हैं, जब वे ऐसी बात कहते हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है ।

साम्प्रदायिकता का यहां पर सवाल है । साम्प्रदायिक तत्व यहां पर किस तरह से बढ़ रहे हैं, किस तरह से संगठित रूप से प्रयास किया गया इन दंगों में, उसके लिये माननीय गोविन्द सहाय जी का भी स्वर आज बिलकुल बदला था । वह भी इस बात से आज सन्तुष्ट हैं कि साम्प्रदायिकता आज बढ़ नहीं रही है बल्कि सिकुड़ रही है । मैं अदब के साथ सदन का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं और खास तौर से माननीय गोविन्द सहाय जैसे व्यक्ति का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आज वह साम्प्रदायिकता सिकुड़ नहीं रही है बल्कि एक नई अन्धी राष्ट्रीयता के आवरण में वह पनप रही है। कुछ मुसोलिनी, तोजो और हिटलर की और सन्तानें दबे रूप से कार्य कर रही हैं जिनका नारा है "श्वास में प्रश्वास में, निज नेता पर विश्वास हो"। (व्यवधान) सुनिये । यानी एक बिलकुल ठेका सा ले रखा है, जाने अनजाने बराबर इस बात की कोशिश की जाती है कि जो कुछ भी देश के अन्दर हो रहा है वह सिर्फ कम्युनिस्टों के जरिये हो रहा है । मैं सरकार का ध्यान खास तौर से इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि अगर इस खतरे को कम करके महसूस किया गया तो आप बहुत मुगालते में रहेंगे । जिस अन्धी राष्ट्रीयता ने राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी का खून करवाया वह अन्धी राष्ट्रीयता अगर देश के अन्दर और अधिक दिनों तक पनपने दी गई तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है ।

श्री रामकुमार वैद्य––पूज्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि इस गम्भीर अवसर पर जब हमारे प्रान्त का वातावरण कुछ उपद्रवों के कारण और कुछ अप्रत्याशित हत्याओं और दंगों के कारण क्षुब्ध हो उठा था और यह सदन आज इस समस्या पर विचार करने यहां बैठा था तो आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, मैंने आज जिस समय से यह बहस प्रारम्भ हुई है उसे यथामति बहुत ही गौर से सुनने की कोशिश की और माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण को मैंने विशेषतः श्रद्धा से सुना क्योंकि मैं आशा करता था कि शासन की ओर से उत्तरदायित्वपूर्ण भाषण उन्हीं का हो सकता है और उन्होंने कुछ चीजों की चर्चा भी की । मान्यवर, सारी बहस का सारांश इस समय तक मेरी दृष्टि में यह है कि यहां पर विद्यमान जो राजनीतिज्ञ दल हैं वह निरन्तर कई घंटे से यह प्रयत्न करते रहे कि बगैर मुकदमे चलाये जो कि अदालतों में चलेंगे, और बगैर जनमत की परवाह किये, इस सम्बन्ध में हमारे दल को छोड़कर शेष सारे दल दोषी हैं । लेकिन इस तरह की उपहासास्पद स्थिति ऐसे अवसर पर इस आदरणीय सदन में नहीं लानी चाहिये थी । भाषणों में कोई तारतम्य नहीं था और न कोई इस तरह के सुझाव ही विशेष आ सके जिससे कि यह ज्ञात होता कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें भविष्य में नहीं घटित होंगी ।

सम्प्रदायवाद की चर्चा की गई । मैं सम्प्रदायवाद को न कोई गाली समझता हूं और न कोई मानवीय बुराई । इस दृष्टि से कि सम्प्रदायवाद का अर्थ होता है पूर्वजों से मिली हुई शिक्षा, पूर्वजों से मिला हुआ दाय, चाहे वह रहन-सहन के बारे में हो जिसका कि बहुत काफी ध्यान रहता है माननीय गोविन्द सहाय जी को, चाहे वस्त्र और दिनचर्या के बारे में हो, चाहे उपासना पद्धति के बारे में हो या और दूसरी बातों के बारे में हो, और मैं समझता हूं कि हम सभी किसी न किसी सम्प्रदाय

से सम्बद्ध हैं । लेकिन अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता के उन्माद में दूसरों की हत्या करने के लिये उद्यत हो जाना, या दूसरों को जीवनयापन करने के लिये जो विश्व के समस्त देशों में सुविधायें मिली हुई हैं उनसे उनको वंचित कर देना, मैं समझता हूं कि यह अपराध है और इस प्रकार के अपराधों को रोकना केवल शासन का दायित्व है, कानूनी नहीं, नैतिक नहीं । इसलिये केवल यह कह देना कि साम्प्रदायिक प्रवृत्तियां उभड़ीं, साम्प्रदायिक झगड़े हुये, इसका कुछ अर्थ नहीं होता क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर इसके लिये जिम्मेदार कौन है ? इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो मर गये वही इसके जिम्मेदार हैं और जिन्होंने यह सारी बातें कीं वह जिम्मेदार नहीं हैं । मान्यवर, यह ठीक है कि इस देश में अंग्रेजी शासन काल में बहुत झगड़े होते थे । उस समय हम यह कह दिया करते थे कि अंग्रेजों की नीति ऐसी है कि विभाजन करो और शासन करो । लेकिन उनको गये आज १४ वर्ष से भी अधिक हो गये । मैं पूछना चाहता हूं शासन से, अपने प्रान्तीय शासन के कर्णधारों से नहीं बल्कि जो उनसे भी ऊंचे और उच्चस्तरीय शासन है, जिनकी कि साम्प्रदायिकता को रोकने की जिम्मेदारी कानून इत्यादि बनाकर है, उनसे, कि उन्होंने साम्प्रदायिकता को रोकने के लिये क्या-क्या कदम उठाये ? मैं अपनी ओर से यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा भी कभी-कभी हमारी साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाड़ती है । तो जब तक हिन्दू विश्वविद्यालय और मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसी प्रकार के जाति के नाम पर कालेज और विशेषरूप से धार्मिक नाम की जगह-जगह जो शिक्षा संस्थायें बनी हुई हैं और केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार उनको एड देती है, चलती रहेंगी तब तक यह स्थिति चलती रहेगी । मैं जानना चाहता हूं कि एक कानून बनाकर एक बार ही इस प्रकार की व्यवस्था करने में सरकार के लिये कौन सी बाधा है कि उन शिक्षा संस्थाओं को सहायता नहीं दी जायगी जो साम्प्रदायिक आधार पर अपना नाम रखती हैं ? किसी एक संस्था को कोई अपना नाम रखकर खोल सकता है, लेकिन जिन कालेजों का दूसरों से सम्बन्ध हो उनके ऊपर साम्प्रदायिक टाइटिल लगाना किसी प्रकार से उचित न समझा जाय और उसका अवसर न दिया जाय । मैं यह आशा करता था कि इस दिशा में शासन कोई कदम उठायेगा किन्तु सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया ।

इस देश में उत्तराधिकारी कानून बना और हिन्दू कोड बिल बना । मैं जानता हूं कि एक राष्ट्र की सीमा में रहने वाले लोगों की वृद्धि प्रायः एक ही होती है और उनके जीवन यापन का एक राष्ट्र में एक ढंग होता है तो फिर कौन सा कारण था कि जो कोड बनाया उसको सिविल कानून के रूप में क्यों नहीं लागू किया गया ? इसका मतलब यह स्पष्ट निकलता है कि हम साम्प्रदायिकता को प्रश्रय देते हैं । ऐसे कानून बनने से उसको बल मिलता है । मेरा तात्पर्य ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस सरकार की किसी प्रकार से आलोचना करूं किन्तु मैं यह समय का दुरुपयोग समझता हूं कि किसी फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट की यहां पर बहस की जाय । यह बहस का समय नहीं है । हमको सामान्य चीजों को देखना होगा । मान्यवर, आज भी हमारे प्रदेश और देश में रिजर्वेशन की बात चल रही है और उस रिजर्वेशन का आधार क्या है ? जिस जाति के व्यक्ति इस सम्मानित सदन के सदस्य हों और एक सम्मानित मंत्री बैठा हो, उस जाति को भी रिजर्वेशन मिलता है । उनकी फीस माफ की जाती है । उनकी भर्ती के लिये सारी सुविधायें दी जाती हैं । अगर इस प्रकार से जाति के आधार पर देश में सुविधा प्रदान की जाय तो इसका अर्थ यह निकलता है कि हमारे यहां साम्प्रदायिकता को संरक्षण दिया जाता है । जब हमारे देश में साम्प्रदायिक संस्थायें हैं, जब साम्प्रदायिक आधार पर परस्पर भेदभाव बरतते हैं तो हम उन वृत्तियों को सहन करते हैं ।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि वह चीज हम काटना चाहते हैं और उस जड़ को खत्म करना चाहते हैं । यदि इस प्रकार से सरकार करती और शासन की ओर से प्रयत्न किया गया होता तो क्या फिर इस देश में जनसंघ जैसी साम्प्रदायिक पार्टी जन्म ले सकती थी ? मैं उनसे यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आप उन चीजों को काटना क्यों नहीं चाहते हैं । आप बराबर यह कहते हैं कि पार्टियां झगड़ा कराती हैं और इससे शान्ति भंग हो जाती है । तो फिर क्यों नहीं उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाते ? मैंने पिछले दिनों पढ़ा था कि पार्लियामेंट में इस प्रकार की चर्चा हुई थी कि साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाय । हम सब जानते

[श्री रामकुमार वैद्य]

हैं कि जिस समय राष्ट्रीय एकता समिति की बैठक दिल्ली में हो रही थी उसके दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद ही ये झगड़े शुरू हो गये। मेरी समझ में नहीं आता कि शासन क्यों उस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने में भयभीत है। जिसके पीछे देश की जनता का, लाखों करोड़ों लोगों का, वोट है, जिसको बहुत बड़ा विश्वास जनता का प्राप्त है, जिसके पास पुलिस और फौज है उसके रहते भी इस तरह से लोगों की हानि होती हो, लोग देखते-देखते मारे जाते हों और इस प्रकार से हिन्सा पर लोग उतर आते हों तो यह बड़े खेद और दुख का विषय है। मेरे सामने किसी एक जगह के लोग नहीं हैं, बल्कि मेरठ और चन्दौसी के वे सब लोग हैं जो मारे गये हैं और समय-समय पर प्रदेशमें और देश में मारे जाते हैं और उनके दृष्टिकोण से ही मैं अपने विचार रखता हूं। कम्युनिस्ट भाइयों की तरह से मैं सामाजिक वर्ग के संघर्ष को इसका कारण नहीं मानता हूं। मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि यदि शासन चाहे तो यह कलंक दूर नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं और विशेष रूप से मुख्य मंत्री जी से आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में निश्चित कदम उठाये जायेंगे।

अन्त में मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से हमको इस प्रकार का आश्वासन नहीं मिला कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। यदि देश में इस प्रकार की परिस्थिति है कि लोगों में साम्प्रदायिकता के नाम से झगड़े होते हैं तो उस साम्प्रदायिकता को खत्म करने के लिये आदर्श प्रकार की एकता लोगों के अन्दर लाने के लिये फिर प्रयत्न करने की आवश्यकता है जो कि शासन को करना चाहिये। बस यही इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है।

(श्री अध्यक्ष ने गृह मंत्री को बोलने के लिये पुकारा।)

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं तो बोलूंगा। श्रीमन्, मुझे आप कृपा कर के ५ मिनट, १० मिनट दें।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, आप ने मुझे से कहा था, मुझे समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आप को सबेरे कहा था।

श्री टीकाराम पुजारी—मुझे कृपा कर १० मिनट दीजिये। आपने कहा था। ऐसा नहीं होना चाहिये। ऐसे तो यहां भी जातिवाद चलेगा, साम्प्रदायवाद चलेगा। एक गरीब को मौका नहीं मिलेगा तो...

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा हूं। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। १० मिनट में लूंगा। आपने मुझसे १५ मिनट के लिये कहा था।
आप कह दें कि नहीं कहा था, मैं चला जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष—आप को सबेरे कहा था।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं वह कुछ बतलाऊंगा कि गद्दार, फूट डालने वाले जो झगड़े फैला रहे हैं और इस सदन में भी झगड़ा ला रहे हैं उनकी बात हर एक की समझ में नहीं आ सकती। यह बरसाती मेंढक जो फैल रहे हैं जब सूखा पड़ रहा था, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उस समय इनका कहीं पता नहीं था। उस समय यह अंग्रेजों के फूलने फलने की बात कहते थे और आज यह मैदान में बढ़ कर कहते हैं। मानो गीदड़ भी शेर बनने चला हो! श्रीमन्, मुझे १० मिनट मिलने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपका भाषण हो गया। आप कृपा कर के बैठें। आप रोज समय मांगते हैं। आप कृपा कर अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—मार्शल, आप जा कर उन से प्रार्थना करें कि अगर वे अपना स्थान नहीं ग्रहण करते तो सदन छोड़ दें।

श्री टीकाराम पुजारी—आपने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बैठते तो आप सदन छोड़ दें।

श्री टीकाराम पुजारी—यह तो मेरे लिये सदा तैयार रहता है। आपने मुझसे कहा था या नहीं कहा था ?

(इस समय मार्शल ने श्री पुजारी के पीछे से आकर माइक्रोफोन को नीचे करने का प्रयत्न किया।)

श्री अध्यक्ष—मार्शल, आप उनको हाथ न लगायें, आप उनसे प्रार्थना करें।

श्री टीकाराम पुजारी—आपने मुझ से कहा था। आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बगैर इजाजत बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—आप मेरे साथ ऐसा न करें। आप मुझे दस मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष—मैं समय बिलकुल नहीं दूंगा।

श्री टीकाराम पुजारी—यह साम्प्रदायिकवाद के ठेकेदार हैं। जातिवाद चल रहा है और यह देश को गड्ढे में ले जा रहा है और यह पार्टियां बैठी-बैठी देख रही हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर बाहर जायं।

श्री टीकाराम पुजारी—और यह पार्टियों बाहर जा कर अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव के लिये तयार करती हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्यगण देख रहे हैं कि मैंने कई बार कहा कि वे बैठ जायं। मैं उनको नेम या इंगित करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—आपने कहा था कि तुमको बोलने का समय मिलेगा। इतने जिम्मेदार होते हुये भी आप कहते हैं कि मैं सदन से चला जाऊं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुजारी जी को तीन दिन के लिये सस्पेंड किया जाय।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तीन दिन का प्रस्ताव किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—आपने, श्रीमन्, मुझसे १५ मिनट का समय देने के लिये कहा था. . . .

श्री अध्यक्ष—(नेता सदन से) मैं समझता हूं कि आप आज के लिये ही, यानी एक दिन का, प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं अपने पहले प्रस्ताव को वापस लेता हूं और उसके स्थान पर प्रस्ताव करता हूं कि एक दिन के लिये सस्पेंड किया जाय।

श्री अध्यक्ष—(श्री टीकाराम पुजारी से) आप आज्ञा नहीं मानते हैं और न बोलना ही बन्द करते हैं। अगर आप बैठते नहीं हैं तो फिर आपको एक दिन के लिये निलंबित किया जायगा। मैं कहता हूं कि आप कृपया बैठिये। (श्री टीकाराम पुजारी के न बैठने पर) यह नहीं बैठ रहे हैं। अतः मैं प्रस्ताव लेता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री टीकाराम पुजारी को एक दिन के लिये सदन से निलंबित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम ५ मिनट के लिये सदन को स्थगित करते हैं और ५ मिनट के बाद हम लोग फिर बैठेंगे। इस बीच इनको (श्री टीकाराम पुजारी को) यहां से हटा दिया जाय। और वे फिर अन्दर न आ सकेंगे।

(इस समय ५ बजकर ३८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ५ बजकर ४३ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः जारी हुयी।)

श्री अध्यक्ष—माननीय गृह मंत्री, आपके लिये १५ मिनट हैं।

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यानी सवा छः बजे तक रखा जाय। क्या सब लोग सहमत हैं?

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

*श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरी एक गलती की वजह से माननीय नेता विरोधी दल इस सदन को छोड़ कर चले गये, मुझे इसका दुखः है। मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जिनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। इसलिये मेरे सहयोगी, माननीय नवलकिशोर जी, ने जैसे ही अपना बयान खत्म किया तो मुझको मशविरा दिया कि आप चले जाइये, खाना खा आइये, वरना आपको तकलीफ होगी खाली पेट रहने से। मैंने कहा कि नहीं, माननीय त्रिलोकी सिंह जी का व्याख्यान सुनकर मैं जाऊंगा। तो मैं तो उनके भाषण में रहना जरूरी समझता था। लेकिन उनके भाषण के लिये जितना समय आपने नियत किया था, उसमें जब लगभग ५ मिनट रह गये थे तो उनके भाषण में केवल नोआखाली, महात्मा जी के नाम की तारीफ का इशारा था, निरीह बच्चों और स्त्रियों का कत्ल और पुलिस के सामने कत्ल वगैरह वगैरह, कुछ यही बातें दोहरा रहे थे। मैं जिस रोशनी की उनसे आशा करता था वह मुझे उनसे नहीं मिल रही थी, इसलिये मैंने उनसे यह पूछा कि पुलिस की गलती है, गवर्नमेन्ट की गलती है और गवर्नमेन्ट के भी सब मेम्बरों में मेरी सब से अधिक गलती है, मैं स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन कोई तामीरी सुझाव तो दो। इस पर जो उन्होंने जवाब दिया उससे मेरी तसल्ली नहीं हुई और मैंने अपने सहयोगी से यह कह कर कि आप हो और माननीय मुख्य मंत्री जी हैं, मैं जाता हूं, चाय--वाय पी आऊं, यह कह कर मैं चला गया। उस वक्त मैंने इशारा भी किया था कि मुख्य मंत्री जी हैं। मेरी तबियत में आ रहा था कि मैं लौट आऊं, लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी इतने नाराज हो चुके थे कि फिर मैंने वापिस होना मुनासिब नहीं समझा वरना मैं बीच में भी वापिस आ जाता। हो सकता है कि फिर भी मेरी गलती रही हो और इसकी मैं आपके जरिये उनसे माफी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज का जो विवाद हुआ वह अच्छा ही हुआ और माननीय मित्रों ने जो बातें कहीं उनसे सबक सीखने की कोशिश की जायगी और प्रयत्न यह किया जायगा कि भविष्य में परमात्मा न करे कोई ऐसी स्थिति पैदा हो और गवर्नमेन्ट की कुर्आसिव मशीनरी जो पुलिस है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह अधिक तत्परता से काम करेगी। यहां पर जैसा मैं अभी अपने कथन के बीच में कुछ बतलाने वाला हूं पुलिस और गवर्नमेन्ट की कुछ कठिनाइयां भी हैं। पेश्तर इसके कि उन बातों की तरफ आपके जरिये मित्रों का ध्यान आकर्षित करूं मैं एक-दो छोटी बातों का जवाब दे देना जरूरी समझता हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने मेरे बयान में एक त्रुटि निकाली। मुझे खुशी है कि एक ही त्रुटि निकल पाई, और कोई नहीं निकल पाई लेकिन वह त्रुटि भी तथ्यरहित थी। त्रुटि यह थी कि पौने ग्यारह बजे पुलिस कहती है कि दुर्घटनायें हुईं, लेकिन साढ़े ९ बजे एफ०आई०आर० में लिखा गया। साढ़े १० बजे या पौने ग्यारह बजे जिसका जिक्र है वह काठ के पुल पर पुलिस और उस भीड़ का मुकाबिला है। साथ ही मैंने अपने बयान में यह भी कहा था, अंग्रेजी का है :

"After the procession had failed to disperse, a lathi charge was made. As a result, the mob yielded and dispersed. This was at about 10.40 a.m. In the meantime report of two cases of stabbing of persons, one of each community, had been received."

१०.४० पर उस माब को पुलिस ने डिस्पर्स किया, लेकिन इस बीच में जो अधिकारी थे उनके पास खबर आ चुकी थी कि दो आदमियों का स्टैबिंग हो चुका है। तो गालिबन मेरे मित्र जिस एफ० आई० आर० का जिक्र कर रहे थे वह उन केसेज के मुताल्लिक था। इसलिये पुलिस ने जो इत्तला दी है या मैंने उसकी बिना पर जो बयान दिया है उसमें कोई गलती नहीं है।

दूसरी बात किसी मित्र ने यह कही थी कि चंदौसी में जो दंगा हुआ---उन्होंने साफ-साफ तो नहीं कहा लेकिन इशारा इस ओर था कि म्युनिसिपल पालिटिक्स उसकी जड़ में है। म्युनिसिपैलिटी के एक कांग्रेसी चेयरमैन हैं; उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया हुआ था। चार मुसलमान मेम्बर वहां पर हैं। एक ने दस्तखत नहीं किये थे और तीन ने किये थे। तो शंका यह थी कि जिसने दस्तखत नहीं किये थे उसकी दूकान और जायदाद को लूट लिया गया और जिन्होंने दस्तखत किये थे उनके मकानात को नहीं लूटा गया। लेकिन यह बात सही नहीं है। सही बात यह है कि जिसने दस्तखत नहीं किये थे उनके मकान या दूकान को लूटा नहीं गया, लेकिन उसके साथ-साथ तीन आदमियों ने दस्तखत किये थे उनमें से केवल एक के मकान को लूटा गया। अगर तीनों ही लुट जाते तो भी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि वह म्युनिसिपल पालिटिक्स के कारण से हुआ या उसका चेयरमैन एक कांग्रेसी था इस कारण से यह सब हुआ। इसलिये यह कहना कि इनमें उसका हाथ था, बिलकुल निराधार है।

अध्यक्ष महोदय, इस बात पर बहुत बल दिया गया कि यह जो अफवाह फैलायी गयी कि विश्वविद्यालय के हिन्दू लड़के का कत्ल हो गया, अगर समय पर उसका खंडन कर दिया जाता तो यह दुर्घटनाएं अलीगढ़ शहर और दूसरे स्थानों पर न होतीं। जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनकी तरफ से इस अफवाह का खंडन करने में कोई कमी नहीं की गई। मुझे भी इस बात पर शक था कि इस अफवाह का खंडन करने में उतनी तत्परता नहीं बरती गयी जितनी बरती जानी चाहिये थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट मेरे पास ब्योरेवार है उसमें इसके बारे में साफ-साफ लिखा हुआ है।

वे साफ तौर से लिखते हैं कि २ अक्तूबर को साढ़े नौ बजे सबेरे मैंने मुकामी जर्नलिस्ट्स को बुलाया और जैसे ही मुझे वाइस-चांसलर की रिपोर्ट मिली मैंने उनको बतलाई। दूसरी बात वे लिखते हैं कि दूसरी तारीख की शाम को कुछ लड़कों को यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ले गये, वहां उनको यह दिखलाया गया कि उनके मित्रों में से न कोई मरा है, न किसी को जरर शदीद ही आयी है। तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि तीसरी तारीख को लोकल पी० टी० आई० के करेसपांडेंट को सारे सही वाकयात बता दिये जो उन्होंने अखबारों में भेज दिये। तीसरी की शाम को प्रेस स्टेटमेंट निकला जो अंग्रेजी के अखबारों और हिन्दी के उन अखबारों में जो दिल्ली और पश्चिमी यू० पी० से निकलते हैं, छपा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जितने भी

[श्री चरणसिंह]

मैजिस्ट्रेट जो वहां ड्यूटी पर गये थे उन्होंने इस अफवाह का खंडन लाउड स्पीकर से किया। इसके आगे वे कहते हैं कि हर शाम को प्रेस कम्युनिक में इस बात का खंडन किया जाता रहा। ५ तारीख को प्रेस कान्फ्रेन्स में यह बात बतायी गयी। ६ तारीख को आल इंडिया रेडियो में यह खबर आयी कि कोई लड़का मरा नहीं है। ५ तारीख को गवर्नमेन्ट की तरफ से यह खबर शाया करायी गयी कि विश्वविद्यालय की प्रेसिंक्ट्स में कोई लड़का मरा नहीं है।

श्री उग्रसेन—३ तारीख को क्यों नहीं करायी गयी?

श्री चरणसिंह—उस दिन भी लोगों को यह बात बतायी गयी।

श्री उग्रसेन—यह सही नहीं है।

श्री चरणसिंह—सही मानने के लिये तो कुछ ऐतबार करने की जरूरत होती है, लेकिन जो बिलकुल ही नास्तिक हो उसको कैसे समझाया जाय? वे कहते हैं कि २ अक्तूबर को साढ़े नौ बजे सबेरे मुकामी जर्नलिस्ट्स को बुलाया और जैसे ही मुझे वाइस चांसलर की रिपोर्ट मिली मैंने उनको बतलायी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुश्किल यहां यह है कि हमारे यहां बहुत कम लोग अखबार पढ़ते हैं चूंकि बहुत कम लोग पढ़े-लिखे हैं। जो पढ़े-लिखे हैं वे भी बहुत कम अखबार पढ़ते हैं और आम तौर से पड़ोसी का अखबार मांग कर पढ़ने वालों में से हैं। रेडियो भी बहुत कम घरों में है। एक बात और भी है कि जिस चीज में हम विश्वास करते हैं अगर उसके विरुद्ध कोई कुछ कहता है तो आसानी से उस पर विश्वास हमारा होता नहीं है। जनता की बात छोड़ दीजिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं ७,८,९ तारीख को मेरठ में था। एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिनके नाम से आप सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बतलाऊंगा, जब उनसे मेरी शहर में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि शहर में यह खबर फैली हुई है कि फलां मिनिस्टर आये थे और उनसे कहा कि एक हिन्दू के दो लड़कों को मुसलमान उठा ले गये हैं, उन लड़कों को बचाइये। उन्होंने बचाने का वादा भी किया लेकिन पता नहीं कि उन दो हिन्दू लड़कों का क्या हुआ? इस पर मैंने उनसे कहा कि यह खबर बिलकुल ग़लत और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी ने मुझसे बतलाया है और उसका नाम भी उन्होंने मुझे बता दिया, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बतलाऊंगा। उन्होंने दो आदमियों का नाम लिया, जिनके नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। इसी तरह से मेरठ शहर में एक खबर यह फैली कि २७ हिन्दू मर गये। उन्हीं मित्र ने एक बुजुर्गवार का नाम लिया जिनके नाम से भी आप सब वाकिफ हैं, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बतलाऊंगा। उन्होंने यह भी बतलाया कि अलीगढ़ में ६ हिन्दू लड़के जला दिये गये हैं। अलीगढ़ के अधिकारियों ने इसकी तरदीद कर दी और जब कि वह चीज़ ९ तारीख के स्टेट्समैन अखबार में आ भी गयी थी। मेरठ में तो ८ तारीख के स्टेट्समैन में ही आ गया था लेकिन यहां के ९ तारीख के स्टेट्समैन में है। उसके कारेस्पांडेंट की जो कैंडिड रिपोर्ट है उसका एक पैराग्राफ मैं आप की इजाजत से सुना देता हूं।

"Speaking to reporters at the Circuit House later in the evening Mr. Charan Singh, the U. P. Home Minister, made a candid assessment of the whole situation—the first of its kind made by any prominent leader so far.

"Without mincing words, he said that in the current wave of communal frenzy in the State one party had nearly all the time been on the offensive and the other on the defensive. Mr. Charan Singh also observed that nearly all the casualties in all the cities where the wave had spread had been on one side."

इससे ज्यादा और सफाई के साथ नहीं कहा जा सकता है। वहां और अखबार वाले भी थे और उसकी तरदीद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गयी, लेकिन फिर भी वह चीज़ चलती रही। तो यह कहना कि इसकी वजह से कोई चीज़ हुई, सही नहीं है। कुछ क्या, काफी हद तक जो कुछ किया जा सकता था, किया गया। इसलिये यह, कहना कि गवर्नमेन्ट की तरफ से या सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की कोई तरदीद नहीं की गयी, यह सही नहीं है। यह बात ठीक है कि रयूमर की वजह से उपद्रव बहुत फैलता है लेकिन इसके रोकने का भरसक प्रयत्न किया गया और आप साहबान में से भी कोई सुझाव इस सम्बन्ध में देना चाहें तो दें, हम उस पर अवश्य विचार करेंगे।

माननीय त्रिलोकी सिंह ने कहा कि इसका ज़िक्र नहीं किया गया कि इतने हिन्दू मरे या मुसलमान मरे। यह ठीक है, नहीं कहा गया लेकिन मैंने ८ तारीख को बहुत सफाई से कह दिया था, जिससे नतीजा निकाला जा सकता था। लेकिन इसके भी दो पहलू हैं। अगर हम यह कहें कि फलां सम्प्रदाय के इतने आदमी मरे तो मैं समझता हूं कि उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ सकता। लेकिन एक पहलू यह भी है कि अगर एक सम्प्रदाय को यह विश्वास हो जाय कि उसी के सारे आदमी मारे गये तो फिर यह बतलाना भी आवश्यक है कि दूसरे सम्प्रदाय के इतने आदमी मारे गये। तो यह बतलाना कोई बहुत शोभा की बात नहीं है। फिर प्रेस वालों का एक कन्वेंशन है आपसी कि वे किसी सम्प्रदाय या धर्म का नाम नहीं बतलायेंगे कि इस धर्म या सम्प्रदाय के इतने आदमी मरे या उनके ऊपर एटैक किया गया। तो प्रेस वालों ने सेल्फ रेजिस्टेंस से काम लिया और वह कन्वेन्शन बहुत अच्छा है। तो इसलिये इसमें हिन्दू मुसलमान का ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझा। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब भी ठीक-ठीक यह नहीं कह सकता कि परमात्मा न करे कि आगे फिर कोई ऐसी बात हो जाय---हम जरूर सम्प्रदाय का नाम देंगे, मैं ऐसा वायदा करने के लिये अब भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि यह बात बहुत विचारणीय है।

अब यह सवाल रह जाता है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया, पुलिस की वजह से ही सब कुछ हुआ। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। ९० परसेन्ट मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। १० परसेन्ट माना जा सकता है कि पुलिस कुछ और बेहतर काम कर सकती थी। काम चाहे कोई आदमी, वर्ग या संगठन कितना ही अच्छा करे, उससे बेहतर करने की गुंजायश तो हमेशा रह ही जाती है। तो ठीक है, और शायद बेहतर करते, तो नुकसान में कमी हो जाती। लेकिन यह जो खयाल है, यह जो तस्वीर माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने खींची कि बच्चे मारे जा रहे थे, औरतें मारी जा रही थीं और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी, यह बात ग़लत है।

मेरठ के कत्लों का जहां तक सम्बन्ध है, शायद माननीय दीपंकर जी ने कहा---मैं सुन तो रहा था---हो सकता है कि गलत सुना हो---उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि स्टैबिंग हुई। यह तो एक बिलकुल दूसरी बात है कि भीड़ ने हमला किया और पुलिस वहां देखती रही। पौने तीन लाख आबादी का शहर है मेरठ; कई स्क्वायर मील उसका रकबा है। हर जगह और हर मौके पर और हर स्ट्रीट पर पुलिस रह सके, यह असम्भ है। न अब रह सकती है और न आयंदा रह सकेगी।

अलीगढ़ में जो मौतें हुईं---कठपुले पर सारी पुलिस लगी हुई थी, कुल अपनी फोर्स के साथ। वहां ८-९ हजार आदमियों की भीड़ थी। उसको उन्होंने डिस्पर्स किया। लेकिन एक छोटी सी क्राउड मानिकचौक वगैरह कहीं से आ रही थी---मुझे ठीक मालूम नहीं कि वह कहां है लेकिन जहां पुलिस की सारी फोर्स थी वहां से अलग वह कोई स्थान है---उन्होंने अटैक कर दिया। बहुत जल्दी ही डी० वाई० एस० पी० या पुलिस का एक अफसर वहां पहुंच गया---उसको बड़ी चोट भी आई है---उसने बड़ी पर्सनल रिस्क उठाकर उस माब को शिफ्ट किया। यह नहीं कि वह खड़ा रहा हो और दल बल के साथ खड़ा हो और बेगुनाह औरतें और बच्चे कत्ल होते रहे हों।

[श्री चरणसिंह]

जहां तक चंदौसी की बात है, ४५ हजार आदमियों का वह कस्बा है। उस रोज वहां का एस० ओ० वहां पर मौजूद नहीं था। वहां ५–७ आउट पोस्ट हैं। हर आउट पोस्ट पर थोड़ी-थोड़ी पुलिस रहती है। उनके पास बन्दूकें भी नहीं होतीं। थाने में कुछ बन्दूकें होती हैं। तो जिस वक्त साढ़े बारह बजे के करीब एस० डी० एम० और डी० वाई० ए० पी० पहुंचे---बिलकुल यंग आफिसर्स हैं---शायद अभी साल-छः महीने के अन्दर ही दोनों कंफर्म हुये हैं---ये लोग जो वहां पहुंचे, जैसा कि मैंने अपने बयान में भी कहा, इनको भीड़ ने घेर लिया। इनके साथ गार्ड भी थी---मैं नहीं कह सकता कि जीप थी या क्या थी? यही हो सकता था कि वह गार्ड से कहते कि फायर करो। लेकिन हर वक्त, हर मौके पर फायर नहीं हो सकता। कभी-कभी पूरी ताकत साथ न हो तो फायर करने से भीड़ उनको डिस्ट्राय भी कर सकती है। फिर बिलकुल यंग आफीसर्स थे। कभी इस तरह की स्थिति का सामना करने का उनको मौका नहीं मिला। उस वक्त का जो जजमेन्ट करना होता है---बाद में तो सब लोग मशविरा दे सकते हैं लेकिन उस वक्त जजमेन्ट करना आसान नहीं होता है। इसलिये वह थाने वापस आये और डी० एम० को फोन किया कि पुलिस नाकाफी है, दंगा बढ़ गया, इसलिये आप आदमियों को भेजें। तो इसलिये वहां यह खराबी पैदा हो गई कि तीन आदमी तो एक घर में ही---मैंने भी उस घर को देखा, तीनों भाई बहिन थे---और दो आदमी अलग दूसरे मोहल्ले में मारे गये। अब यह पहुंच गये थे, उसके बाद मारे गये या पहले मारे जा चुके थे, यह ठीक नहीं कहा सकता। लेकिन मुझे इस बात के कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर यह ऐक्सपीरियेंस्ड अफ़सर होते और उनके पास और फ़ोर्स होता उस वक्त, दोनों ही शर्तें हैं, तो जो इनके सामने २-३ घंटे तक इनके जाने के बाद लूट होती रही वह कदाचित् रुक जाती। यह मुझे भी लगता है, अगरचे मैंने कहा यह मेरा केवल खयाल है। वह चीज़ ऐस्टेबलिश नहीं की जा सकती कि उनकी कोई गलती ऐसी हुई कि जिसको यह कहा जा सके यह बिलकुल डेफ़ीनिटली ऐस्टेब्लिश्ड है। वह क्वेश्चन एरर आफ़ जजमेंट कहा जा सकता है, या यह कि उस वक्त रिस्क उन्होंने नहीं लिया जो कि अब हम कहते हैं लेना चाहिये था। तो यह कहना कि पुलिस खड़ी रही, उसकी अकर्मण्यता है, यह बात सही नहीं है।

एक बात और सोचने की है और आप की इजाज़त से स्पष्ट कहना चाहता हूं। मान लो कि गोली चल जाय; तो आज जो मित्र यह कह रहे हैं कि सख्ती से काम क्यों नहीं लिया गया, मुझे पूरा यकीन है कि उनका ही ऐजर्नमेंट मोशन आता कि ऐक्सेसिव फ़ोर्स इस्तेमाल किया गया।

श्री मदन पांडेय---टीयर गैस या वाटर होज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया?

श्री चरणसिंह---टीयर गैस का स्क्वाड चंदौसी और मेरठ में नहीं है। इसके अलावा टीयर गैस इस्तेमाल करने के मुताल्लिक भी दो रायें हैं। अब धीरे-धीरे उसको पुलिस छोड़ने पर विचार कर रही है क्योंकि टीयर बाम्ब छोड़ने के बाद अगर हवा का रुख पुलिस की तरफ है तो पुलिस मारी जायगी और माब पुलिस पर अटैक कर देगा। इसलिये हवा का रुख देख कर ही उसका इस्तेमाल किया जाता है।

तो मैं कह रहा था कि अगर गोली चलायी जाती तो जिन मित्रों ने आज पुलिस की अकर्मण्यता की आलोचना की वही सब से पहले कहते कि साहब जुडिशियल जांच हो, मैजिस्टीरियल जांच हो। और इसको पुलिस अफ़सर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जानते हैं और वह यह रिस्क लेने से घबड़ाते हैं कि गोली चलायी जाय और फिर कल को जुडिशियल इनक्वायरी हो जाय तो हमारा कैरियर बिगड़ जाय। सारे अफ़सरों के मन में यह बात बैठी हुई है। डाकू पर गोली चलती है तो यहां पर कहा जाता है कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो। फिर, अध्यक्ष महोदय, जलूस किनका था? लड़कों का, गुंडों का जलूस नहीं था और लड़कों के खिलाफ़ कार्यवाही करने में उनको और ज्यादा हिचकिचाहट होती है। गोली से लड़के मर जाते तो कल को उन अफ़सरों की खाल निकाल ली जाय, ऐसा कुछ लोग कहते। लेकिन अगर

लड़के शदीद गलती करें, आर्सन करें और जब उन पर केसेज चलते हैं तो मैं ज्यादा स्पष्ट नहीं कहूंगा, जितने विरोधी दल के नेता हैं उनके डेप्यूटेशन आते हैं कि अपने ही तो बच्चे हैं, इन पर से मुकदमे वापस ले लीजिये। कत्ल के खिलाफ कोई गवाह है तो उस पर जोर यह पड़ता है कि जो मर गया वह तो वापस आयेगा नहीं, आप क्यों अपना मुंह काला कर रहे हो। तो यह हमारी सोसायटी है।

आचार्य दीपङ्कर—ऐसे टाइम पर आप कभी माफ़ी नहीं देते। जब डेपूटेशन आते हैं और कहते हैं कि अपने ही तो बच्चे हैं तो उस समय भी आप कहते हैं कि अनुशासन कायम रखना चाहिये। तब यह बात नहीं मानते हैं। इस साम्प्रदायिक अवसर पर आप ज्यादा उदारता दिखला रहे हैं।

श्री चरणसिंह—मैं कह रहा था कि अब तक ऐसी कोई नौबत नहीं आयी कि कहीं गोली चली हो बच्चों पर और बच्चे मरे हों। मेरे कहने का मतलब यह है कि पुलिस हर तरह की भीड़ पर गोली चलाने से घबराती है और विशेषकर विद्यार्थियों की भीड़ पर और ज्यादा घबराती है। विद्यार्थियों से कुदरतन लोगों को सिम्पेथी रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मूव करूंगा कि १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय। मैंने घड़ी नहीं देखी थी।

श्री अध्यक्ष—आप फिर भूल जायंगे। ६ बज कर २५ मिनट पर खत्म कर दीजियेगा।

श्री चरणसिंह—जहां तक मेरठ का सम्बन्ध है पुलिस फोर्स वहां नाकाफी थी। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से भी तकाजे आये लेकिन उनके पास बहुत थोड़ी फोर्स थी। इसलिये फोर्स बहुत दूर-दूर से मंगानी पड़ी और मिलीटरी की सहायता लेनी पड़ी। ५ को जुलूस निकाला लड़कों ने लेकिन ऐसी कोई लार्ज स्केल मिसचीफ नहीं थी जिससे गोली चलाने या लाठी चलाने की नौबत आती। ६ को १४४ लगाने के बावजूद कुछ लोग इकट्ठे हो गये। उस रोज के लिये कहा जाता है कि गोली चलायी जाती। जैसा मैंने कहा गोली चलाने का जजमेंट आफिसर्स पर रहता है। उनका खयाल यह था कि आज के उबाल के बाद यों ही पास आन हो जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव को जिस रूप में आज मैंने देखा उससे पहले कभी नहीं देखा था।

एक सदस्य—आज असली रूप में देखा।

श्री चरणसिंह—आज असली रूप में देखा क्योंकि यात्रा कर के आये हैं। उस वक्त यहां पर मौजूद नहीं थे जिस वक्त यहां दुर्घटनायें हो रही थीं। पेश्तर इसके कि मैं उनकी बातों का जवाब दूं माननीय दीपंकर जी ने कहा कि चरणसिंह साहब मौजूद थे तो वह तरदीद करा देते तो कुछ नहीं होता, बड़ौत या मेरठ में कुछ न होता।

आचार्य दीपङ्कर—बाद को जो हुआ उसके लिये कहा था।

श्री चरणसिंह—वह चीज तो शुरू हो चुकी थी। बड़ौत का जिक्र किया कि वहां कुछ नहीं होता क्योंकि मैं ५ को या ६ को पहुंच गया था। मैं ६ की शाम को मेरठ पहुंचा था। साढ़े ९ बजे डी० आई० जी० और कमिश्नर मेरे यहां आये थे और साढ़े ११ बजे तक उनसे बातें होती रहीं। मेरे पहुंचने के पहले बड़ौत की घटना हो चुकी थी। जब मैं यह कहता हूं कि नहीं भाई मैं ६ की शाम को पहुंचा और बड़ौत की घटना पहले हो चुकी थी तो इतनी मारेल करेज होनी चाहिये उनको कहने की कि हमारी स्मरण शक्ति धोखा दे गयी। लेकिन कहा यह कि मैं पी० ए० नहीं था। तो सही बात जानने के लिये तो आप पी० ए० नहीं थे, लेकिन इस बात के लिये पी० ए० थे कि मैं कब पहुंचा।

आचार्य दीपङ्कर—यह कत्ल आप के जाने के बाद ही हुए हैं।

श्री चरण सिंह—मेरे जाने के बाद भी स्ट्रे स्टैबिंग्स होती रहीं और वही बतला रहा हूं। आप के जो उसूल ह ठीक ह। आप को अपने उसूल मुबारक।

[श्री चरणसिंह]

एक बात उन्होंने यह कही थी कि मेजारिटी आफ दी पीपुल इसमें शामिल नहीं हैं। कोई ऐसी नयी बात नहीं कही। यही "स्टेट्समैन" में मैं ७ तारीख को कह चुका था। यह एक बड़ी सिलवर लाइनिंग है इस सारे मामले में कि आम जनता इसमें शरीक नहीं थी।

अब माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने एक बात यह कही कि भारतीय जनसंघ का नाम गृह मंत्री ने क्यों नहीं लिया और मुस्लिम आर्गेनाइजेशन्स का नाम क्यों लिया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रेस कान्फ्रेन्स जो यहां १० तारीख को हुई थी और जिसमें मैं शामिल हुआ था, उसका बयान मौजूद है। उसमें मैंने शायद कम्यूनल आर्गेनाइजेशन लफ्ज भी नहीं कहा है। यह कहा यह एक कांस्पिरेसी है और मुसलमानों को मर्डर करने की कांस्पिरेसी नहीं है, पोलिटिकल पावर कैप्चर करने की है। इस पर कुछ लोगों ने यह पूछा कि क्या आप उन पार्टियों का नाम बता सकते हैं। तो मैंने कहा कि यह मैं आपके गेस के लिये छोड़ता हूं। मैं नाम बताना इ वक्त मुनासिब नहीं समझता। इसके बाद जो मेरा बयान था वह यह था--

"Communal rioting is, however, only a symptom which can be controlled by strong police action. But it is merely a palliative. Administrative action can bring about only peace of the armed camp. For a search of the true remedy we will have to make a deeper diagnosis a diagnosis of the disease itself.

In my opinion, the disease lies in compartmental thinking of the two major communities and the social barrier that divides them. The two most important factors that have led to this situation are, firstly, the caste system of the Hindus and, secondly, an attitude of exclusivelisness on the part of Muslims which tends to cut them away from the main trends of the National life.

This attitude of isolation on the part of the Muslims is largely fostered by more than half a dozen Muslim organizations working on the social, religious or cultural plane."

मैं इसका अर्थ आपकी इजाजत से बता दूं। स्ट्रांग कार्यवाही करके पीस कायम कर सकते हैं, लेकिन असल इलाज यह नहीं है, असल इलाज यह है कि हिन्दू और मुसलमानों के बीच में जो सोशल बैरियर है, या माइनारिटी मैंने कहा था, इसके दो असली कारण मालूम होते हैं, हिन्दुओं की जन्मजात जाति-पांति की प्रथा और मुसलमानों का अलहदगी का एटीच्यूड। हिन्दू, जो दूसरे हिन्दू के साथ बराबरी का बर्ताव करने के लिये तैयार नहीं है, वह गैर हिन्दू के साथ बराबरी का बरताव कैसे कर सकता है। और मुसलमानों में, मुस्लिम मासेज में, इंडिपेन्डेन्स के पहले मुस्लिम लीग का असर था और टू नेशन थ्योरी पर वह नर्चर किये गये थे। वह अपने आप को अलग नेशन मानते हैं। तो यह जो उनका अलगाव था वह इस स्पिरिट को पांच-छः आर्गेनाइजेशंस बढ़ाते हैं बजाय कम करने के। मैंने यह नहीं कहा कि कम्यूनल आर्गेनाइजेशंस, इस पर किसी पत्रकार ने मुझसे यह पूछा कि क्या जमाते इस्लामी और जमियतुल उलमा को इसमें आप शामिल करते हैं। मैंने कहा कि करता हूं। और मेरी आज भी यह राय है कि जो आर्गेनाइजेशन केवल रिलीजस होगा और उसमें केवल एक ही रिलीजन के लोग होंगे वह अलगाव की स्पिरिट पैदा करेगा अगर वह पालिटिक्स में भी दखल देता हो। प्योर रिलीजस हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन रिलीजन और पालिटिक्स दोनों को मिलाकर चले और केवल एक रिलीजन के मानने वाले आदमी उसमें हों तो सायकालोजीकली उसके लिये मुश्किल होगा कि दोनों को मिलाने की बात करे।

माननीय चन्द्रजीत जी की यह स्पीच हुई कि आपने जमियतुल उलमा का नाम ले लिया। मैं समझता हूं उनकी कठिनाई, क्योंकि उनकी स्पीच केवल यहां के लिये नहीं हो रही थी।

श्री चन्द्रजीत यादव--जो जिम्मेदार शख्स हैं उसका नाम लेने का क्या मतलब है ?

श्री चरण सिंह---यहां पर पालिसी की बात थी, इसलिये मैंने नाम ले लिया। मर्डर की बात नहीं थी।

अब कहा गया कि पुलिस क्या कर रही थी। तो वह एक स्पांटेनियस चीज है जिसने स्पार्क का काम किया। केवल उस घटना को न लें, उसके लिये फ्यूज तैयार था और उस फ्यूज के लिये मैंने आज कहा कि मुस्लिम लीग का रिवाइवल, खाकसार्स का रिवावाइल, खासतौर से उनकी अलीगढ़ में मीटिंग होना, इस सबसे एक वातावरण पैदा हुआ। मैंने इसमें पब्लिक या यूनिवर्सिटी का दोष नहीं कहा, बट दि फैक्ट रिमेन्स दैट देयर इज ए गल्फ बिटविन दि यूनिवर्सिटी ऐंड दि टाउन "But the fact remains that there is a gulf between the university and the town." अब रहा कि सी० आई० डी० क्या कर रही थी। तो पहले से कोई स्कीम थोड़े ही थी, पहले से तैयारी थोड़े ही थी वह एक जगह हुई और फिर फैलती गयी।

इसके अलावा यह कहना कि मेरी सिम्पैथी जनसंघ के साथ है तो कौन सी बात मैं जनसंघ की सिम्पैथी में कह रहा हूं। "Cat is out of the bag" बिल्ली थैले से बाहर आगयी जब कि चन्द्रजीत जी यादव ने यह कहा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के अन्दर कुछ लोग ऐसे हैं जो सहकारिता के खिलाफ हैं। अध्यक्ष महोदय, अब इसका सहकारिता से क्या वास्ता था। इससे यह साफ पता चल जाता है कि मैं उनकी पार्टी की आंखों में खटक रहा हूं और अगर मैं उनकी पार्टी की आंखों में खटकता हूं तो इसे मैं अपनी कामयाबी समझता हूं। तो सहकारिता से तो इसका कोई वास्ता नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---उस वक्त जो मैंने कहा था वह यह था इसके साथ-साथ कांग्रेस के संबंध में कि आपने केरल में मुसलिम लीग से हाथ मिलाया और यह भी कहा था कि आज आपने अपनी गद्दी सुरक्षित रखने के लिये जनसंघ के साथ समझौता किया, तो जब तक आप इस प्रकार अनैतिक नीतियों पर चलते रहेंगे तब तक यह चीजें रुक नहीं सकेंगी।

श्री चरणसिंह---ठीक है, जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ मिल करके पार्टीशन कराने में इस देश की मदद की हो आज वे राष्ट्रीयता की दुहाई देते हैं। जो आज पंजाब प्रदेश को बंटवा देना चाहते हैं, जो यह कहते हैं कि पंजाब का बटवारा होना चाहिये वे राष्ट्रीयता की बात कहने लगे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव---जी नहीं, यह कांग्रेस सरकार जो है वह जनसंघ और मुस्लिम लीग जैसी सांम्प्रदायिक संस्थाओं के साथ जो समझौता करती है उसका नतीजा यह है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---केरल में कौन मुस्लिम लीग के साथ समझौता करने वाला है। कम्युनिस्ट या कांग्रेस।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से अपने मित्र से यह दरख्वास्त करूंगा कि जब मेरे मित्र बोल रहे थे तब मैंने उनकी बातों को बड़ी खामोशी से सुना, बड़े गौर से उनकी बातें सुनीं अब वे जरा मेहरबानी करके जब्त के साथ मेरी बात को भी सुन लें। आज यह कहा जाता है कि जनसंघ के खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं करवाया जाता। बिलकुल ठीक है लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं और वह मजबूरियां ऐसी हैं जिनकी वजह से हम उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते, उसी तरह से जैसे हम जिसने हमारे देश की साढ़े १२ हजार मील की जमीन दबा रखी है, उनके साथ हमदर्दी रखने वालों के साथ कुछ कार्यवाही नहीं करते हैं। वह कुछ मजबूरियां हमारी डिमोक्रेसी की मजबूरियां हैं।

श्री ऊदल---हमें अच्छी तरह मालूम हैं कि आपकी मजबूरियां क्या हैं। आप जन संघ के साथ सेम्पथी रखते ह और हम पर लांछन लाते हैं।

श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय! मैं फिर आपके जरिये अपने दोस्त से दस्तबस्त अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से मैं उनकी बेबुनियाद और गलत बातों को शान्ति के साथ सुनता रहा उसी तरह से मेरे दोस्त भी मेरी बातों को शान्ति के साथ सुनेगें ।

तो मैं यह कहना चाहता था कि हमारा कांस्टीट्यूशन जो है वह डिमोक्रेटिक है और डिमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन के मातहत कुछ मजबूरियां हैं, एक रूल आफ ला है, रूल आफ जुडिशियरी है और कुछ उसूल हैं । उसकी वजह से यहां लिबर्टी आफ स्पीच देने की जितनी है वह उन वसूलों के मातहत है । तो हम ऐसी बात-बात पर, यहां तक कि बहुत हद तक नुकसान भी हो जाय तब भी किसी पार्टी के साथ कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते और उसके लिये मैंने यह कहा है, बहुत बड़ी डिमांड यह है कि कम्यूनिस्ट पार्टी के खिलाफ कार्यवाही की जाय । यह डिमान्ड गलत हो या सही हो, यह बात दूसरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी मजबूरी की वजह से उसे नहीं किया या कांस्टीट्यूशन की वजह से या जो हमारे उसूल हैं उनके मातहत हम किसी पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस तरह का ऐक्शन नहीं ले सकते कि उसको गोली मार दी जाय । माननीय मित्र जहां की यात्रा करके आये हैं वहां यह कायदा है ।

(इसके बाद सदन ६ बजकर २६ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
१४ नवम्बर, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये श्री अध्यक्ष द्वारा १४ नवम्बर, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२३ पर)

१—राजकीय पशुपालन क्षेत्र, चक गजरिया		..	लगभग १९३२ पौन्ड प्रति दिन ।
२—पशु प्रजनन एवं दुग्धशाला क्षेत्र काल्पी जिला देहरादून		..	७३० पौन्ड प्रतिदिन
३—केन्द्रीय दुग्धशाला क्षेत्र, अलीगढ़		..	१,२०० से १,४०० पौन्ड प्रतिदिन ।
४—जिला दुग्धशाला प्रदर्शन क्षेत्र मथुरा		..	१ अप्रैल, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६१ तक ३१,३६० किलोग्राम ।
५—राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र बाबूगढ़		..	१९६०–६१ में ३५६८ मन
६—	,, भरारी	..	४,२९९ मन ९ सेर
७—	,, माधुरी कुन्ड	..	३,८८० मन
८—	,, मंझरा	..	१,९९६ मन
९—	,, हेमपुर	..	५४० मन
१०—	,, अन्देश नगर	..	२२५ मन १८ सेर
११—	,, नील गांव	..	१,४१५ मन
१२—	,, अराजीलाइन्स	..	२,२८६ मन २८ सेर
१३—	,, हुस्तिना पुर	..	२,४०८ मन २५ सेर
१४—	,, सैदपुर	..	१,१२२ मन

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३०(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२४ पर)

गौलापार एक्वेडक्ट के टूटने के कारणों की जांच के लिये जो कमेटी सरकार ने नियुक्त की थी उसने जांच के बाद निम्नलिखित निर्णय तथा सुझाव दिये हैं :

(१) पुल टूटने के समय ट्रफ (trough) के डेकिंग (decking) की मरम्मत हो रही थी। एक्वेडक्ट के बोझ को संभालने वाले किसी भी गर्डर (girder) के बोल्ट नहीं खुले थे।

(२) जो बोल्ट खोले गये थे उनके कारण एक्वेडक्ट के खड़े रहने की शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई थी।

(३) एक्वेडक्ट के डिजाइन (design) की जांच से पता चला कि पुल केवल (vertical loads) यानी उसने अपने बोझ, पानी के बोझ तथा पुल पर चलने वालों के बोझ के विचार से बनाया गया था, इसमें हवा के (horizontal loads) को सहन करने की शक्ति का ध्यान नहीं रखा गया था जिसकी वजह से यह पुल हवा के (horizontal load) को सहन न कर सका और टूट गया।

(४) पुल की मरम्मत ठीक प्रकार से और उचित समय पर बराबर की जा रही है।

(५) भविष्य में झूला पुल (suspension bridge) तथा एक्वेडक्ट बनाते समय हवा के दबाव का भी उचित अध्ययन किया जाना चाहिये और हवा के जोर और दबाव का ध्यान रख कर डिजाइन बनाना चाहिये।

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३० पर)

सूची

(१) श्री एस० वी० आर्य, ऐग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी, खड़गपुर।

(१) बी० एस० सी० एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग .. प्रथम श्रेणी

(२) एम० एस० एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में, इलिनाय विश्व-विद्यालय (यू०एस०ए०) से यह उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

(२) डा० सी० एम० जेकब, एसोशिएट प्रोफेसर, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट--

(१) बी० एस० सी० (इंजीनियरिंग), सिविल इंजीनियरिंग में, द्वितीय श्रेणी में आनर्स बिहार इंजीनियरिंग कालेज से।

(२) एम० एस० एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में मेजर के साथ-४.० प्वाइंट में से ३.६ साथ आयोवा विश्वविद्यालय (यू०एस०ए०) से। प्वाइंट प्राप्त किये।

(३) पी० एच० डी०, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में तथा .. सिविल इंजीनियरिंग के अन्तर्गत ज्वाइन्ट मेजर्स के रूप में थ्योरेटिकल तथा एप्लाइड मेकेनिक्स के साथ, आयोवा से। यह केरल प्रदेश के निवासी हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३७ पर)

जिलेवार क्षेत्र जो पश्चिमी इलाहाबाद ब्रांच से लाभान्वित होगा इस प्रकार है :

जिला	कुल कल्चरेबिल कमाण्डेड क्षेत्र एकड़ों में	रबी एकड़ों में	धान एकड़ों में
१	२	३	४
१—फर्रुखाबाद ..	४,६९२	१,७८३	७०३
२—इटावा ..	५६,२७५	२१,३३४	८,४४०
३—कानपुर ..	१,२९,६७१	४९,२७५	१९,४५०
४—फतेहपुर ..	४,०४,८६२	१,५३,८४८	६०,७३०
५—इलाहाबाद ..	१,३१,७६९	५०,०७२	१९,७६५
कुल ..	७,२७,२६९	२,७६,३१२	१,०९,०८८

नत्थी 'ङ'

(देखिये नियम ३६ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४० पर)

गोंडा-बहराइच नलकूप विभाग के कर्मचारिवर्ग की तालिका

क्रम संख्या	विवरण		स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या	काम पर लगे हुये कर्मचारियों की संख्या	हरिजन
१	अधिकारी	..	४	४	..
२	अमीन	..	२६	२६	..
३	पतरौल	..	४५	४५	५
४	आपरेटर	..	२३६	२३६	१०
५	चपरासी	..	१४	१४	..
	कुल योग	..	३२८	३२८	१५

नत्थी 'च'

(देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

विवरण पत्र

१---ट्रक दुर्घटनाओं को रोकने के लिये शहरी क्षेत्रों और घनी आबादी के कस्बों में तथा अधिक चालू सड़कों पर मोटरों की चाल निर्धारित कर दी गई है ।

२---पुलिस द्वारा मोटरों की चेकिंग की जाती है और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों का चालान कर दिया जाता है ।

३---दुर्घटनाओं को रोकने क लिये मोटरों में चकाचौंध कर देन वाले तेज रोशनी के बल्बों को प्रयोग में न लाने की हिदायत की जाती है । कहीं-कहीं पर इसका बिलकुल निषेध कर दिया गया है ।

४---सड़कों के चौराहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिये साइन बोर्ड लगाये गये हैं तथा शहरों के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती है ।

५---समय-समय पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, पुलिस, जनता तथा मोटर चालकों को यातायात के साधनों की शिक्षा देती है और उन साधनों को पालन करने के लिये लाउड स्पीकर द्वारा अनुरोध करती है ।

६---शहर के मुख्य-मुख्य तथा चालू भागों पर जो रिक्शा, मोटर तथा ट्रकों के अड्डे बहुत समय से चले आ रहे थे उनको इन मार्गों से, दुर्घटनाओं को रोकने के लिये हटाया जा रहा है ।

नत्थी 'छ'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४१ पर)

कुमारी उर्मिला देवी पुत्री श्री गया प्रसाद ब्राह्मण निवासी मेहता बिल्डिंग, बम्बई को उनके माता-पिता ने एक रिश्तेदार श्री गिरजा दयाल निवासी फतेहपुर, थाना कमल पुर, सीतापुर के साथ इस हेतु भेजा कि वे लड़की को उसकी बड़ी बहन श्रीमती सुशीला देवी के घर जिला गोंडा पहुंचा देंगे। श्री गिरजा दयाल कुमारी उर्मिला को गोंडा न ले जाकर अपने घर ले गये और वहां से उसे मौजा छावन, थाना मिश्रिख निवासी श्री बंशीधर ब्राह्मण के यहां ले गये जहां दिनांक ११-५-६१ को उक्त श्री वंशीधर के साथ उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई और उसे रोक रक्खा गया।

२--उक्त आशय के शिकायती पत्र लड़की की मां की ओर से थाना मिश्रिख पर प्राप्त हुये और प्रारम्भिक जांच के पश्चात् सर्व श्री गिरजा दयाल, राम विलास व वंशीधर के बिरुद्ध जिनके नाम प्रार्थना-पत्र में दिये थे, धारा ३६३, ३६६, ३४४ भारतीय दंड विधान का अभियोग दर्ज किया गया। बाद में इस बात की भी जांच की गई कि धारा ३७६ भा० द० वि० का अभियोग बनता है अथवा नहीं। अन्त में जांच के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त तीन व्यक्ति शामिल हैं। धारा ३६३/३६६/३४४ भा० द० वि० के अन्तर्गत चार्ज शीट लगाई गई और मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

१--सर्व श्री राम विलास ब्राह्मण, निवासी छावन, थाना मिश्रिख, सीतापुर
२--सर्व श्री फेरू नाई " " "
३--सर्व श्री बंशीधर ब्राह्मण " " "
४--श्री राम नाई " " "
५--श्याम सुन्दर उर्फ बड़कऊ " " "
६--श्रीमती मालती देवी " " "
७--" बिट्टन नाई " " "
८--श्री मन्ना ब्राह्मण " " "
९--श्री गिरजा दयाल, निवासी फतेहपुर, थाना कमलापुर

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५–६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

ग्राम मुकर्रबपुर के जाटव, एक झाऊ जाटव की जमीन में, जो मोहर्रम के ताजिया वाले रास्ते के करीब है, मंदिर बनाना चाहते थे। इसमें मुसलमानों को एतराज था जिस पर दोनों पार्टियों ने ग्राम समाज की भूमि पर मंदिर बनाने का राजीनामा किया। ग्राम समाज की जो भूमि मंदिर बनाने के लिये निश्चित की गई थी, उसके पास एक राम लाल जाटव की मड़ैया बनी थी। जाटवों को एतराज था कि मंदिर की भूमि स्वच्छ होनी चाहिये और उसके पास कुआं बनाने की भी व्यवस्था हो। इसके लिये वे अधिक भूमि चाहते थे जो मुसलमानों को मान्य नहीं था। इस पर जाटवों ने पुरानी जगह पर ही मंदिर बनाने का फैसला किया। दिनांक १८–५–६१ को कुछ जाटव इस जमीन पर मंदिर बनाने के लिये नींव खोद रहे थे। लगभग ११.१२ बजे दोपहर में ३९ व्यक्ति जिनमें ३८ मुसलमान व १ जाटव थे, आये और जाटवों पर हमला किया और "या इलाही" का नारा लगाया और ईंट पत्थर फेंके जिसके फलस्वरूप जाटवों को चोटें आईं। मुसलमानों ने एक घर में भी आग लगाई।

२—घटना की रिपोर्ट थाने पर १ बजे लिखाई गई और पुलिस तुरन्त मौके पर पहुंच गई। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक भी सूचना मिलने पर पहुंच गये। घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेज दिया गया। ३९ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा धारा १४७/१४८/३२३/३२४/४३६ ४५२/३३६ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया और ९ व्यक्तियों को उपरोक्त दफा में तथा १३ व्यक्तियों को १०७/११७ जा-ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। विवेचना के पश्चात् ३९ (जिनमें दो फरार हैं।) अभियुक्तों के विरुद्ध धारा १४७/१४८/३२३ ३२४/३२६ आदि का मुकदमा चालान कर दिया गया जो अतिरिक्त जिलाधीश (न्याय) के न्यायालय में विचाराधीन है। धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी को मामला भी चालान किया गया यह भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४३ पर)

थाना कुरावली, जिला मैनपुरी में दिसम्बर, १९५९ से मार्च, १९६१ तक चलाये गये मुकदमों का विवरण

	सजा		रिहा		डिस्चार्ज		जेर	तजबीज
चालान	लोअर कोर्ट	सेशन्स कोर्ट	लोअर कोर्ट	सेशन्स कोर्ट	लोअर कोर्ट	सेशन्स कोर्ट	लोअर कोर्ट	सेशन्स कोर्ट
११५	५१	५	२९	८	२	..	१९	१

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४५ पर)

लखनऊ नगर में दिसम्बर सन् ६० से मार्च सन् ६१ तक हुए अपराधों के सम्बन्ध में विवरण

नाम अपराध	अपराधों की कुल संख्या	अपराध जिसकी जांच नहीं की गई	अपराध जिसकी जांच की गई		जांच से जो मामले लापता रहे।	मामले जो चालान हुये	चालान हुये मामले की स्थिति			विशेष विवरण
			जांच हो चुकी है।	जांच जारी है।			सजायाब हुये	बरी हुये	न्यायालय में विचाराधीन	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
कत्ल	४	..	४	..	१	३	..	..	३	..
डकैती	१	..	१	..	..	१	..	..	१	९ व्यक्ति पकड़े गये, २ अभी फरार रहे, ९ का चालान हुआ।
राहजनी	२	..	१	१	१	..	..	..	..	..
चोरी	५८३	६	५६९	८	४८८	८१	२८	३	५०	१,३४५३४ रु० ९२ नं० पै० का सामान चोरी गया।
आत्महत्या	७	..	२	५	..	..	..	..	..	..

विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४८ पर)

श्रीमान् डिप्टी कमिश्नर, गोंडा,

गोंडा १८ जून—गोंडा जिले म बरवार जाति मुख्यतः थाना धानेपुर, मूनकापुर, वजीरगंज और गोंडा कोतवाली में बसी हैं। यह भी विख्यात है कि बरवार रात्रि में चोरी और अपने इलाकों में भी चोरी नहीं करते हैं यदि किसी ने ऐसा किया तो उसको जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है यह भी छिपा नहीं है कि बरवार जाति के लोग बाहर चोरी करत हैं और वहां से घड़ी, अच्छे-अच्छे कलम आदि चुराकर लाते हैं।

थाना धानेपुर अन्तर्गत ग्राम मुडाडाही के एक बरवार राम लखन के सामन एक खेत के झगड़े की समस्या संयोगवश उठ खड़ी हुई। रामलखन अपने एक हिस्सेदार जो पड़ोस ही छजवा गांव का निवासी है, और जिसका नाम दरवारी है, को बुलाकर दिनांक ८ जून, १९६१ को थाना धानेपुर में रिपोर्ट लिखाने गया। जब इन लोगों ने अपनी दुख भरी कहानी थानेदार को बताई और दरोगा जी ने जब बरवार जाना तो कुछ नाजायज बातों के कारण विवाद खड़ा हुआ, और थानेदार ने दोनों व्यक्तियों को खूब पीटा और धारा १०९ आई० पी० सी० का चार्ज लगा कर बन्द करके चालान कर दिया।

यह दुखद घटना चारों ओर फैली और लोगों ने इस क्षेत्र के हरिजन एम०एल०ए० श्री गंगा प्रसाद को बुलाकर मुडाडाही अन्तर्गत थाना धानेपुर में दिनांक १० जून सन् १९६१ ई० को एक मीटिंग की और उसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास हुये :

(१) बरवार समाज में मीटिंग का कोई व्यक्ति यदि रात्रि को बरवार या किसी अन्य जाति के घर चोरी करता हुआ पकड़ा जायगा तो उसे समाज की ओर से एक कच्ची, एक पक्की व एक भागवत तथा १०० रु० दंड दिया जायगा।

(२) बरवार समाज की मीटिंग में जो कोई सूचना पाने पर नहीं आयेगा उसे समाज की ओर से १ पैसा दंड दिया जायगा।

(३) सभी बरवार जाति व्यक्तियों ने सर्व सम्मति से तै करके निर्णय किया। कि गोंडा जिले में हम लोग जरायम नहीं करेंगे यदि किसी प्रकार की शिकायत गोंडा जिले में मिले तो समाज की ओर से उसे १०० रु० दंड दिया जायगा।

(४) दिनांक ८ जून सन् १९६१ ई० को रामलखन व दरवारी नाम के व्यक्तियों को थानेदार ने बिना जुर्म के धारा १०९ आई० पी०सी० में चालान किया जिससे बरवार जाति में क्षोभ व्याप्त है, और सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस मामले की जांच करे ताकि बरवार जाति के ऊपर थानेदार ने जो अन्याय किया है वह दूर हो, साथ ही थानेदार के अत्याचार के खिलाफ एक शांतिमय आन्दोलन किया जाय।

उपर्युक्त प्रस्ताव नम्बर ४ को जब थानेदार ने सुना तो थानेदार ने पड़ोस के ४, ५ थानों की मदद से मुडाडाही, दुल्हापुर, बनगाई, नौसहर, छजा, मतवरिया, पठानपुरवा, कोरहे, पडैनियां आदि गांवों में दिनांक १८ जून सन् १९६१ ई० को छापा मारकर लगभग २६ व्यक्तियों को धारा ६० इक्साइज ऐक्ट में चालान किया तथा अनेक प्रकार से लोगों को पीड़ित किया जा रहा है। बरवार जनता के धन व इज्जत का शोषण हुआ, और भविष्य में अनेक प्रकार के कठिनाइयां थानेदार जी के कारण फंसने की आशंका है।

ह० सोहबत प्रसाद,

मन्त्री,

जिला बरवार नवयुवक संघ, गोंडा।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५१ पर)

नकल रपट डियूटी रजिस्टर नं० ५ दिनांक २३-४-६१ समय २२.००
चौकी खीरी बाग थाना मऊ

रपट इत्तलाई

इस समय श्री इनायत उल्ला कस्बा मऊ व हाजिरी चौकी दौड़ता हुआ आ रहा था और दूर ही से यह शोर करता रहा कि दिवान जी दौड़िये ताड़ी खाने में शहजाद खां का० को ताड़ी पीने वालों से झगड़ा हो रहा है । उनको पीने वालों ने घेर लिया है । कि मैं सेवक मय मौजूदा कर्मचारी गण को जो जैसे रहा लेकर मौके पर पहुंचा तो दूर ही से ताड़ी खाने में शोर गुल की आवाज हो रही थी कि सेवक जैसे मय कर्मचारीगण जैसे दौड़ता हुआ ताड़ी खाने की तरफ बढ़ता जा रहा था वैसे ही घेरो पकड़ो पहुंचने की आवाजें लगाता ताड़ी खाने के पास पहुंच ही रहा था कि कुछ ताड़ी पीने वाले ताड़ी खाने की दूकान से निकल कर इधर-उधर क्यारी के खेत में गिरतेपड़ते भागे कि मैं कुछ कर्मचारी के अन्दर ताड़ी खाने में पहुंचा तो देखा कि चार पांच आदमी ताड़ी खाने में मौजूद मिले और का० शहजाद खां जो हाथ में लोटा लिये हुये खड़े थे कि मुझ सेवक ने का० मजकूर से दरयाफत किया तो का० ने बतलाया कि मैं पैखाना होकर वापस चौकी जा रहा था कि हल्ला-गुल्ला व मार-पीट व जान गया की आवाजें व कुछ आदमियों को ताड़ी खाने के दूकान से अन्दर बाहर आते जाते देखा कि मैं एकाएक पहुंच गया तो देखा कि एक आदमी से वह दो-तीन पीने वालों से गाली-गलौज हाथापाई हो रही थी कि मैं डांट फटकार कर हर से पीने वालों को हटा कर नाम पता पूछने लगा तो एक साहब जिन से दो-तीन पीने वाले तकरार कर रहे थे वह अपना नाम ऐनुल, कस्बा मऊ का रहने वाला बताया, दो-तीन पीने वाले आदमियों में से जैसे ही एक आदमी से पूछा कि तुम्हारा ग्राम कहां है और क्या नाम है तो उसने कहा कि मेरा घर लड़ऊपुर है कि मैंने डांट कर कहा कि यह गांव किस थाने में है सही सही बताओ कि वह व उसके साथियों ने जो तेज हो गये थे कि यह बातों के पूछ-ताछ हेतु मैं सेवक मय कर्मचारीगण के मौजूदा ताड़ी पीने वाले अशखासों को तथा क्यारी में पीकर भागते हुये गिरते पड़ते सब को चौकी हाजा पर लाया और पूछ ताछ कर ही रहा था कि इतने में सी० आई० व एस० ओ० महोदय तशरीफ लाये और मुझ सेवक को आदेश दिये कि सब को थाने लेकर आओ कि सेवक सब को लेकर थाना गया और जरूरी कार्रवाई हुई । मय हमराही कर्मचारी के वापस आया ।

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५४ पर)

विवरण-पत्र

दिनांक २७–४–६१ को श्रीमती दिलजिया स्त्री वल्ली भर निवासी ग्राम अहरौली थाना जीयनपुर की एक गाय व बछड़ा उसी गांव के निवासी सगीर मियां के ऊख के खेत में घुस गये। सगीर मियां लाठी लेकर दौड़े और बछड़ा भाग गया। किन्तु गाय को सगीर मियां तथा रियाज मियां ने लाठी से मारा जिसके फलस्वरूप गाय की मृत्यु हो गई। मरी गाय को सगीर मिया ने अपने दरवाजे पर रखवा दिया और दूसरे दिन उसकी खाल उतरी हुई देखी गई। इस सूचना पर दिनांक २८ अप्रैल, १९६१, को थाना जियनपुर में अपराध संख्या २४ धारा ४२९ भारतीय दंड विधान का मुकदमा कायम हुआ। अभियुक्त सगीर व रियाज पकड़े गये और उनके विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक २ मई, १९६१ को न्यायालय में प्रेषित किया गया। यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस घटना को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयत्न किया और स्थानीय जनता में इसका प्रचार किया। इसी की प्रतिक्रियावश दिनांक २९–४–६१ को ग्राम अहरौली के पास अहरौली के सुलतान व मसूद जो अपनी अपनी खाली गाड़ी लेकर गांव के तरफ जा रहे थे तब उन्हें रोक कर ६, ७ हिन्दुओं ने सुल्तान की गाड़ी बलपूर्वक जला दी। सुल्तान भाग गया पर उन्होंने मसूद को लाठियों से चोट पहुंचाई। इस घटना की सूचना प्राप्त हुई और अपराध संख्या २५ धारा १४७/३२३/४३५ भारतीय दंड विधान का मुकदमा आसित हुआ। विवेचना के बाद ६ अभियुक्त गिरफ्तार किये गये इनमें से ४ के विरुद्ध आरोप पत्र धारा १४७/३२३/४३३ भारतीय दंड विधान में न्यायालय भेजा गया। जहां वह विचाराधीन है। इस घटना के परिणामस्वरूप स्थानीय हिन्दू तथा मुसलमानों में कुछ उत्तेजना फैल गई। स्थिति पर काबू पाने के लिये ७ हिन्दू व ७ मुसलमानों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० की रिपोर्ट न्यायालय में ३०–४–६१ को भेजी गई। दिनांक ३० सितम्बर १९६१ को परगनाधीश सगड़ी के न्यायालय से दोनों दलों के सदस्यों को एक साल के लिये पाबन्द किया गया। इसका फल यह हुआ कि साम्प्रदायिकता का विष अन्य स्थानों में नहीं फैल सका तथा स्थितिपूर्ण रूप सें शांत हो गई।

नत्थी 'ढ'

(दीर्घ तारांकत प्रश्न १०९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५६ पर)

बाराबंकी जिले में १ जनवरी, १९९१ से ३१ जुलाई, १९९१ तक की अवधि में पड़ी डकैतियों का विवरण

थाना	ग्राम का नाम जिसमें डकैती पड़ी	जिसके यहां डकैती पड़ी	हानि		की गई कार्यवाही का परिणाम
			जन	धन	
१	२	३	४	५	६
				रु०	
१—कोतवाली	गमौरी ..	श्री गुलाम हजरत, पुत्र रसूल बख्श ..	..	१५८७/१५/६	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया जहां विचाराधीन है।
,,	हडियाकोल ..	श्री रामअवतार, पुत्र भगवन्त कुर्मी	..	७०३	तदैव
२—सफदर गंज	रूपपुर ..	श्री राजाराम, पुत्र बिहारी लाल ..	..	२७१	तदैव
३—फतेहपुर	मोहद्दीपुर ..	श्री बिहारी, पुत्र चन्दी कुर्मी ..	१ लक्ष्मन पुत्र रघुनन्दन	१,४८०	तदैव
,,	पिपरखन्ड ..	श्री पुत्तीलाल, पुत्र हरपाल कुर्मी	..	२,१५०	तदैव
,,	बसारा ..	श्री कालिका, पुत्र, बलभद्र ..	..	८८३	१२ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया मामला जेरे तफतीश है।
,,	सरैयाकुटी ..	श्री बेचालाल, पुत्र मेवा लाल कुर्मी	..	७३४	जांच के बाद मामला न्यायलय भेजा गया जहां विचाराधीन है।

४—रामनगर, लालपुर	..	श्री ईश्वरदीन, पुत्र लक्ष्मन कुर्मी	..	४३१	जांच करने पर मामला लापता रहा।
५—मुहम्मदपुर, भगवन्तपुर	..	श्री महादेव, पुत्र हुबलाल अहीर	..	३८०	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया, जहां विचाराधीन है।
६—कुर्सी, नगरेपुरवा	..	श्री नत्था राम, पुत्र भगवानदीन	.. ..	१,१२७	६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, मामला जेरे तफतीश है।
,, पीपरानगर	..	श्री नन्हेंलाल, पुत्र जोवे	.. ..	७२८	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया, जहां विचाराधीन है।
,, नहन्तीपुर	..	श्री विश्वेवर, पुत्र रामचरन अहीर	..	१,७४४	तदैव
७—लोनीकटरा, ब्रह्मचारी का पुरवा	..	श्री हजारी, पुत्र गजोवर	.. ..	१,०६४	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया, सभी अभियुक्त न्यायालय से रिहा किये गये।
,, अमेठी जिला लखनऊ		श्री ऐजाज अहमद, पुत्र तकी अहमद	.. ..	७१७.८७	मामला न्यायालय से सजायाब हुआ।
,, बारा	..	श्री यदुनाथ, पुत्र रामदयाल कुर्मी	.. ..	४,६२२	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया, जहां विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

थाना	ग्राम का नाम जिसमें डकैती पड़ी	जिसके यहां डकैती पड़ी	हानि		की गई कार्यवाही का परिणाम
			जन	धन	
१	२	३	४	५	६
				रु०	
८—रामसनेहीघाट, विश्रामपुरवा	..	श्री रामसिंह	.. ..	६११	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया, सभी अभियुक्त न्यायालय द्वारा रिहा किये गये।
९—कोठी, सरांयपीर	..	श्री अशरफ, पुत्र सूब्बा गूजर]	.. ..	१,८१९	मामला न्यायालय से सजायाब हुआ।
,, बरगदहा	..	श्री पन्नीलाल, पुत्र निरंजन	.. १ श्री छंगा कुर्मी	६०३	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया, जहां विचाराधीन है।
,, अतरौली	..	श्री माता प्रसाद सिंह	.. ..	३,६९०	तदैव
,, आलमपुर		श्री भगवती प्रसाद, पुत्र बल्देव कुर्मी	..	५,६५७	तदैव
,, चिरैयाबाग	..	श्री बंजू, पुत्र परागी अहीर	.. ..	३,४८२	तदैव
,, इसरौली	..	श्री देवेन्द्रनाथ, पुत्र छत्रपाल सिंह कुर्मी	..	५,८२२	तदैव
१०—सुबेहा, बरगदहा	..	श्री बेनी प्रसाद, पुत्र बाबू लाल	..	१,५४५	जांच के बाद मामला न्यायालय भेजा गया, जहां से सजायाब हुआ।
११—भेलसर, बिडहर	..	श्री महादेव, पुत्र दुक्खी]	.. ..	२४१	जांच के बाद मामला न्यायाल भेजा गया, जहां विचाराध है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

,,	फगौली ठकुरान	..	श्री मल्खे सिंह, पुत्र बहल सिंह	..	४८०	तदैव
,,	हरामऊ	..	श्री तजमुलहुसेन, पुत्र बहादुर खां	..	३,०६२	तदैव
१२--टिकैतनगर, डोडरपुर		..	श्री मथुरा, पुत्र परागी	.. ..	..	विवेचना से घटना असत्य पाई गई, मुकदमा का अन्त फाइनल रिपोर्ट द्वारा हुआ, १८२ की रिपोर्ट दी गई ।
,,	कसी का पुरवा	..	हजारी ,पुत्र माधो कुर्मी	.. ..	३,०१२	जांच के उपरान्त मामला न्यायालय भेजा, गया, जहां विचाराधीन है ।
,,	रानीमऊ	..	मु० सुखराज कुंवर विधवा विष्णुदत्त	..	१,९५६	तदैव
,,	ठाकुरपुर		श्री भाई लाल, पुत्र ठाकुरप्रसाद	.. ..	२,९६४	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५७ पर)

श्रीपाल गड़रिया तथा सिकन्दरा के गिरोहों द्वारा सन् १९६१ में जिला जालौन में डाली डकैतियों के बारे में सूचना

क्रम संख्या	ग्राम	थाना	दिनांक घटना	सम्पत्ति जो लूटी	घायल व्यक्तियों की संख्या	मारे गये व्यक्तियों की संख्या	नाम गिरोह
१	२	३	४	५	६	७	८
१—पराबर	..	रेंढर	४–२–६१	२५,७५७	५	..	श्रीपाल गड़रिया
२—सेमरा शेखपुरा	..	बुरलो	३–३–६१	२३,५२४	२	२	,,
३—बरी का पुरवा	..	कुठौंद	१९–५–६१	१५,३७७	..	..	सिकन्दरा मुसलमान
४—रामहेत पुरा	..	रामपुरा	३०–५–६१	४,५००	२	..	,,
५—कांडवा	..	रामपुरा	३१–५–६१	४९६	..	..	,,
६—मिझौना	..	रेंढर	२१–१०–६१	४०,०००	२	..	श्रीपाल गड़रिया

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २५१ एस० ए०—१९६२—८५५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा